खण्ड-339, अंक-10
बुधवार, 9 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(30 मई, 1979 ई0)

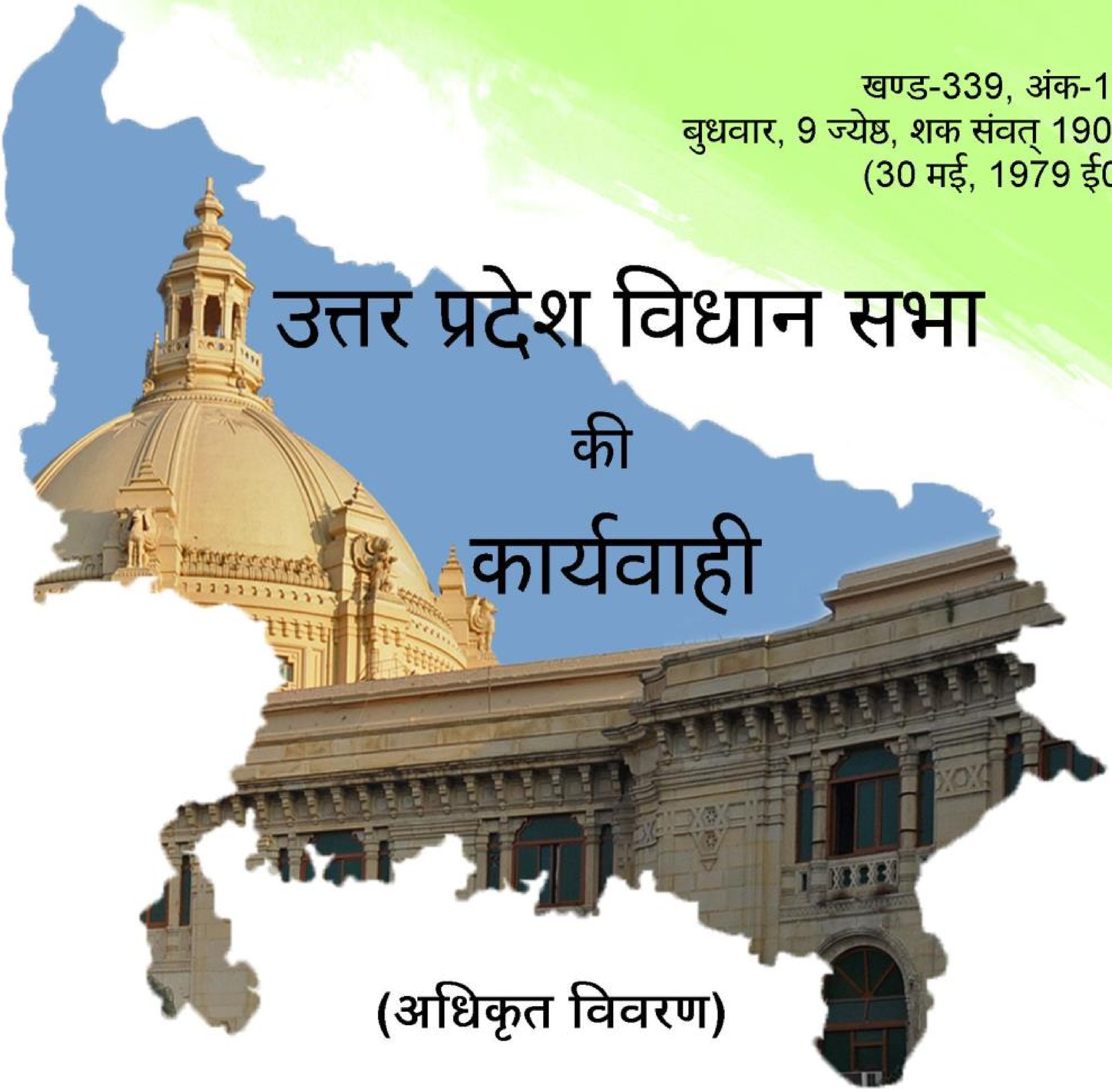

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 339 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| व्यापारियों द्वारा अपनी हड़ताल बिना शर्त वापस लिए जाने के सम्बन्ध में सूचना .. .. .. .. | 1056 |
| 1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान— | |
| अनुदान संख्या 29, 43, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 87, 107– सार्वजनिक निर्माण विभाग (स्वीकृत) .. .. .. | 1057–1070 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. .. | 1070 |
| नत्थियाँ .. .. .. .. | 1071–1075 |


विधान सभा पुस्तकालय

सत्यमेव जयते
सचिवालय पुस्तकालय

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनाँक 30 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–292

अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी,श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेन्दा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री

जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चान्दना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री

मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहम्मद मसूद खाँ, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमाशंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर, श्री
राम बख्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी,श्रीमती
शिवदास, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव; श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण ,श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि पाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थी।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

**व्यापारियों की हड़ताल से आवश्यक वस्तुओं के अभाव के सम्बन्ध में सूचना**

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, एम0एल0एज0 को कल खाना नहीं मिला और आज भी मारकेट बन्द है और हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों के लिए कोई बन्दोबस्त कीजिए या हम लोग भूखे ही रहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

खाने की व्यवस्था तो विधान सभा करती नहीं है। नियम 301 में इसको आप दे सकते हैं।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्षेत्र से लोग आये हुए हैं और उनको खाना नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

व्यापार मण्डल के अराजक तत्वों ने दूकानें बन्द करवाई और पुलिस की ओर से अराजक तत्वों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, यह सदन में सवाल उठाया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि जो समाज विरोधी और अराजक तत्व हैं और जो होर्डिंग करते हैं, सरकार को उनके आगे कतई नहीं झुकना चाहिए।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी भावनाएं सदन को मालूम हो गयी हैं।

श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

भावनाएं मालूम करने से काम नहीं चलेगा। व्यापारी भी इस देश के नागरिक हैं। उनको गोली मार कर देश से निकाल दो।

(व्यवधान)

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

इसको आप देखें। जिन लोगों ने अत्याचार किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं नहीं तो मजबूर होकर मुझे सदन को स्थगित करना पड़ेगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आप इसको सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों के बाद।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

समय नष्ट न करें। पहले आप सवाल ले लें।

## प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनाँक 30 मई, 1979

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### सिंचाई विभाग के सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों का अनशन

**1—श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक, सिंचाई विभाग 15 मई, 1979 से विधान सभा के सम्मुख अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या-क्या ह एवं शासन ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

जी हाँ। शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार सिंचाई विभाग के भूतपूर्व सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक, जो इस समय नलकूप चालक के पदों पर कार्य कर रहे हैं, सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक के पदों पर अनुमन्य रु0 230—385 के वेतनमान के समकक्ष पदों पर समायोजित किए जाने की माँग के समर्थन में क्रमिक अनशन कर रहे हैं।

उपर्युक्त माँग का सम्बन्ध केवल सिंचाई विभाग से ही नहीं है, बल्कि इससे शासन के अन्य विभाग भी सम्बन्धित हैं। समस्या के समाधान हेतु उक्त विभागों के अधिकारियों से विचार विमर्श किया जा रहा है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि नियम यह है कि जो व्यक्ति 3 वर्ष तक किसी पद पर काम करता रहेगा, तो वह स्थायी कर दिया जायगा। मान्यवर, इनकी नियुक्ति 1963 से लेकर 1973 तक हुई है और वे बी0एससी0 (ए0जी0) और एम0एससी0 (ए0जी0) हैं, तो उनको सन् 1975 में अपने स्थान से हटाने का क्या कारण था और 1975 के बाद कृषि विभाग ने इनका साक्षात्कार किया, अपने यहाँ लोगों का, तो उस साक्षात्कार का क्या परिणाम निकला ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, इस तरह की एक योजना जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा सन् 1963 से चलाई गयी थी। वर्ष 1971 तक 200 पद सृजित हुए, लेकिन 1972–73 में 1050 पद बनाए गये। 1975 में यह योजना ही समाप्त कर दी। आशा थी कि ये सिंचाई के साथ-साथ एक्सटेंशन का काम भी अच्छा कर पायेंगे और किसानों को सुविधा देंगे, लेकिन इसके लिए शासन का अनुमान इसके अनुरूप साबित नहीं हुआ, तो 1975 में चूंकि ये टेम्पोरेरी हैन्ड्स थे, इनको निकाल देना चाहिए था, लेकिन चूंकि 2–3 साल ये लोग काम कर चुके थे, तो इनको एडजस्ट कर नलकूप चालकों के पदों पर रख लिया गया और यह उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। यद्यपि नलकूप चालकों का वेतनक्रम कम ह (185–265) लेकिन इसके बावजूद भी जो वेतन वे पा रहे थे, उसी वेतन पर इनको नियुक्त कर दिया गया था।

श्री कृष्ण स्वरूप—

सन् 1975 में इनके पद समाप्त कर दिए गए, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा, तो उस समय से आज तक इनको उसी वेतनमान में, उसी पद के समकक्ष, जैसा मैंने अभी बताया कि इन 1200 या 1300 सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों में 880 के लगभग बी0एससी0 (ए0जी0) और कुछ एम0एससी0 (ए0जी0) हैं, शासन ने देने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की, इन 2 1/2 या 3 वर्षों में ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

बी0एस सी0 (ए0जी0) या एम0एस सी0 (ए0जी0) के लिए सिंचाई विभाग में कोई पद नहीं है। कृषि विभाग में अवश्य इस योग्यता के लोगों को लिया जाता है। मैं समझता हूं कि 300 या 400 से ज्यादा हैं। कृषि विभाग में अभी कुछ जगह निकली थीं और अगर इन लोगों ने अपनी-अपनी एप्लीकेशन्स वहाँ पर दी होंगी, तो निश्चित रूप से उन पर कन्सीडरेशन होगा क्योंकि ये उस विभाग में कार्य कर चुके हैं, लेकिन अगर एप्लीकेशन्स नहीं दी होंगी, तो कोई कन्सीडरेशन नहीं हो पाएगा ?

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, सामान्य प्रशासन विभाग का एक जी0ओ0 है, जिसका नम्बर 45(2)/72 ओ0एण्ड एम0, लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर, 1975 है। इसे 19-11-73 से लागू किया गया। इसमें इस प्रकार के आदेश जारी किए गए थे कि जो 3 साल से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको अपनी जगहों से न हटाया जाय और उनको स्थायी करने पर विचार किया जाय ? यदि हाँ, तो उन आदेशों का परिपालन क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है। आप इसके लिए अलग से सूचना माँगिए।

श्री मित्र सेन—

मेरा निवेदन है कि जो लोग तीन साल से काम कर रहे हैं उनको हर विभाग में समायोजित कर लिया गया है, तो इस विभाग में उनका परिपालन क्यों नहीं हो रहा है और दूसरे व्यक्तियों को क्यों नियुक्त किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

जब इतने बड़े पैमाने पर बी0 एस सी0 (ए0जी0) और एम0एस सी0 (ए0जी0) लोगों की भर्ती हुई थी, तो क्या मानवीय दृष्टिकोण से उनका हटाया जाना उचित था और क्या उनके समायोजन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

ये लोग मुझसे भी मिले थे और इन्होंने अपनी कुछ बातें कही थीं। इनका समायोजन कृषि विभाग, यमुना विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभागों में हो सकता था। इस सम्बन्ध में 2 मीटिंग हो चुकी हैं, अधिकारियों की लेविल पर और एक और होने जा रही है, कि कहाँ पर इनका समायोजन हो सकता है। अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है।

हमारे यहाँ भी कुछ पद ऐसे हैं जैसे नोटर ड्राफ्टर, स्टोर कीपर, लिपिक आदि के जो 230—385 रुपए के वेतनक्रम में हैं। हमारी दिक्कत यह है कि इनका चयन जिलों में चयन समिति द्वारा होता है और उनकी नियुक्ति वरीयता के आधार पर होती है। इनकी क्यों नहीं हो पाई इसको देखना पड़ेगा। अगर इनकी रिक्वीजिट क्वालीफिकेशन होगी, जैसे इंगलिश क्लर्क के लिए टाइपिंग जरूरी है, यह लोग भी जानते होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि अन्य जगहों पर भी उनको एडजस्ट किया जाय।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, सन् 63 से लेकर अब तक इनका मामला उलझा हुआ है, तो माननीय मन्त्री जी कोई निश्चित अवधि ऐसी बतला सकेंगे कि इतने समय के अन्दर अवश्य यह मामला तय कर लिया जायेगा ताकि उनका अनशन तुड़वाया जा सके ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह मामला सन् 1963 से सन् 1975 से जब से यह स्कीम तोड़ी गयी है, खड़ा हुआ है। यह समस्या केवल इसी विभाग की नहीं है, मैं इसके पहले कृषि विभाग मे था वहां भी 7 हजार कर्मचारी ऐसे थे जिनको रिट्रेन्च किया गया था। अगर इसी विभाग का मसला होता, तो तय करना आसान होता। और विभागों में भी रिट्रेन्च लोग बहुत से पड़े हैं। इसलिए मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि यह कब तक सुलझ जायगा। फिर यह लोग ऐसा नहीं है कि अनइम्प्लायड हों, नौकरी में हैं और उनको वेतन मिल रहा है, यह उच्च वेतन का माँग कर रहे हैं। प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

यही कह दें कि साल भर में या 3 साल में सुलझ जायगा। कोई समय तो बतला दें ?

(मन्त्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया।)

## विश्वविद्यालयों के विधि प्रवक्ताओं को न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करने की कथित अनुमति

*2—श्री मित्र सेन तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्नातक, स्नातकोत्तर तथा महाविद्यालयों के विधि विभाग में पूर्ण कालिक विधि प्रवक्ता वेतनमानों में कार्यरत प्रवक्ताओं को न्यायालयों में व्यक्तिगत वकालत (प्राइवेट प्रैक्टिस) करने की भी अनुमति है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई विपरीत निर्देश दिए गए हैं परन्तु उसका पालन नहीं हो रहा है ? क्या इस दोहरे लाभ के धन्धे को समाप्त करने के सम्बन्ध में शासन अविलम्ब विचार करेगा ?

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मित्र सेन—

क्या मन्त्री जी के पास कोई शिकायत किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की प्राप्त हुई है यदि हाँ, तो उस पर वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं कि जो लोग उन पदों पर रहते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ? क्या सरकार इसको रोकने के लिए कोई आदेश देगी या उसने अब तक दिए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

किस विश्वविद्यालय के स्नातकों ने भेजा, यह तो आप बता दीजिए, लखनऊ के, गोरखपुर के, कहां के लोगों ने शिकायत भेजा है ?

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, इस प्रकार की शिकायत जो उन्हें प्राप्त हुई है, उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी बता दें ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास नहीं है। इस प्रकार जो अध्यापक नियुक्ति किए जाते हैं पूर्णकालिक नियुक्त किए जाते हैं। अब उन पर पूर्णतया रोक लगा दी गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के यू0जी0सी0 डी0ओ0एफ0आई0/24 (7) सी0पी0 दिनाँक 1-8-77 द्वारा यह विश्वविद्यालय को स्पष्ट निर्देश दे दिए गये हैं, तो इस यू0जी0सी0 के जो निर्देश हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय में क्या व्यवस्था की गयी है ?

यदि इसका अनुपालन कर दिया गया है, तो क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि वह दो काम एक साथ नहीं कर सकेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

यू0जी0सी0 ने जो इस सम्बन्ध में पत्रक भेजा है, उसी के सन्दर्भ में 16 अगस्त, 1977 को स्पष्ट जी0ओ0 भेज दिया गया कि कोई भी अध्यापक, जो प्रैक्टिस करता हो, वह यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में, कहीं भी अध्यापक नहीं हो सकता। उसको दो में से एक में रहना होगा और कुछ विशेष प्रकार के पत्र पढ़ने की अगर बात है, उसके लिए 350 रु0 से अधिक न देने के आधार पर उनको आँशिक धनराशि के आधार पर नियक्त करने का प्राविधान किया गया है। जहाँ तक इस आदेश के प्राप्त होने का प्रश्न है, यह तो स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उसके पहले की जो नियुक्तियाँ हैं उसमें इस प्रकार की कार्यवाही करना सम्भव नहीं।

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरठ विश्वविद्यालय में पी0के0 अग्रवाल, एल-एल0एम0 वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव हैं, उन्होंने क्या कोई प्रार्थना पत्र इस सम्बन्ध में शिकायत के रूप में 12-8-77 को इधर माननीय मन्त्री जी को लिखा है और इस पत्र के पढ़ने से ज्ञात यह होता है कि बावजूद सरकारी आदेश के कुछ अध्यापक वकालत का भी काम कर रहे हैं। क्या इस पत्र की खोज करा कर इस सम्बन्ध में जाँच करा लेंगे और अगर ऐसा हो रहा है, तो उसको रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, इस प्रकार के पत्र की मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपने कहा खोज करवाने के लिए, खोज करवा ली जायगी। 1978 के बाद जितनी नियक्तियाँ हैं उसमें तो इसका प्राविधान है, लेकिन उसके पहले जितनी नियुक्तियाँ हैं, उनमें किसी प्रकार का प्राविधान करना उचित नहीं।

श्री देव कुमार—

78 के पहले जो नियुक्तियाँ हुई हैं, उनको प्रैक्टिस करना एलाऊ किया जायगा क्या ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

श्रीमन, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विधि के जो जानने वाले एडवोकेट हैं, उनकी योग्यता उनकी प्रैक्टिस से आँकी जाती है, अत. इस प्रकार का नियन्त्रण आप करेंगे, तो कहीं यह स्थिति तो नहीं हो जायगी कि आपके कालेज में अच्छे विधि प्रवक्ता उपलब्ध ही न हो सकें ? क्या इसको उच्च शिक्षा मन्त्री जी स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

ऐसे विशेष प्रकार के प्रवक्ता जो किसी विशेष प्रकार के विषय के ज्ञाता हैं, उन लोगों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किया गया और उनको 350 रु0 से अधिक न देने के आधार पर उनको आँशिक धनराशि के आधार पर नियक्त करने का प्राविधान किया गया है। जहाँ तक उनकी योग्यता का सम्बन्ध है यू0जी0सी0 द्वारा उनकी योग्यता निर्धारित कर दी गयी है।

पहले तो एल-एल0बी0 पास पढ़ाने वाले होते थे और अब एल-एल0एम0 से कम अर्हता ही नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

जब 350 रुपए की सीमा रख दी किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में और एक अच्छे वकील की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी तो 350 में वह कैसे पढ़ाएगा ? इस पर माननीय मन्त्री जी सोचेंगे कि या तो वेतनमान बढ़ा दें या अबालिश करें।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

इस सम्बन्ध में विचार करेंगे ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

गवर्नमेंट के हर ला-डिपार्टमेन्ट को एड नहीं देते, तो जहाँ एड नहीं देते वहाँ के प्रोफेसर को पूरा यू0जी0सी0 का वेतन दिलायेंगे और उन पर प्राइवेट प्रैक्टिस के नियम लागू करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जो मान्यता प्राप्त महाविद्यालय हैं उनके प्रत्येक अध्यापक का वेतन देने का सारे का सारा दायित्व शासन का है। जो अभी तक अपनी शर्तें पूरी नहीं कर पाए हैं उनके विषय में शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं है ।

## अवध विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को परीक्षा फार्म की आपूर्ति

**3—श्री जयशंकर पाण्डेय तथा श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अवध विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेजों की परीक्षा 16 जून, 1979 से होने जा रही है ? यदि हाँ, तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा फार्म नहीं भरा है उनके लिए सरकार कौन सा कदम उठाने जा रही है (जबकि अध्यापकगण ग्रीष्म वकाश पर चले गये हैं) ? क्या यह सही है कि अवध विश्वविद्यालय का0सु0 साकेत महाविद्यालय के छात्रों को परीक्षा फार्म नहीं उपलब्ध करा सका है ? यदि हाँ, तो किन कारणों से ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार परीक्षायें 19 जून, 1979 से प्रारम्भ होंगी । विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को पर्याप्त मात्रा में परीक्षा फार्म भेजे जा चुके हैं। विश्वविद्यालयों के स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण फार्म न भरने वाले छात्रों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय ही यथोचित निर्णय ले सकते हैं ।

जी नहीं, परीक्षा फार्म उपलब्ध कराये गये हैं ।

श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अवध विश्वविद्यालय में परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि क्या थी, साकेत महाविद्यालय को कितने फार्म उपलब्ध कराये गये और आखिरी फार्म कब प्राप्त हुआ ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

साकेत महाविद्यालय में सबसे पहले यह सोचा गया कि यहाँ 5 हजार फार्मों की आवश्यकता होगी और 6 हजार भेजे गये, तत्पश्चात् कुछ लड़कों ने फार्म उठा लिये। फिर 8 सौ और माँगने पर भेजे गये। यह सूचना मिली कि प्रधानाचार्य के कार्यालय से छात्र फार्म को फिर उठा ले गये, तो मान्यवर, अब एक हफ्ते पहले 2500 फार्म और दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने प्रश्न के पहले भाग में पूछा, कौन सी तिथि रखी गयी थी परीक्षा फार्म भरने की, यह सूचना है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

19 जून परीक्षाओं की है। फार्म भरने की तिथि के बारे में नहीं पूछा गया।

श्री जय शंकर पाण्डेय—

परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा क्या रखी गयी ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

अलग-अलग परीक्षाओं की अलग-अलग तिथियाँ घोषित की गयी हैं और निश्चित समय से पहले फार्म पहुंचा दिये गये हैं।

श्री राम देव यादव (जिला रायबरेली)—

छीना-झपटी चल रही है, इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो हो गया है, उसके लिये अब क्या कार्यवाही होगी, आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री जय शंकर पाण्डेय—

मान्यवर, जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा फार्म नहीं भरा ह, क्या उनको परीक्षा से वंचित किया जायगा या दोबारा फार्म भरवाया जायगा। सरकार इस संबंध में क्या निर्णय लेने जा रही है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं। वह अपना जो निर्णय करेंगी वह मान्य होगा।

श्री जय शंकर पाण्डेय—

सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि अवध विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। अराजक तत्व वहाँ आ गये हैं। मंत्री जी ने स्वीकार किया कि छीना झपटी हुयी है, तो जिन अराजक तत्वों के कारण फार्म नहीं भरे जा सके हैं अगर उन विद्यार्थियों के बारे में विश्वविद्यालय निर्णय न लें तो मंत्री जी क्या निर्णय लेने जा रहे हैं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं। किस परीक्षार्थी ने क्या कार्य किया है, वी० सी०, उनका निर्णय करेगा और जो उनका निर्णय होगा वह मान्य होगा।

श्री जय शंकर पाण्डेय—

विश्वविद्यालय के अन्दर जो छीना झपटी हुयी तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री जी की है, इसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, जो अराजक तत्व परीक्षा में छीना झपटी करके बाधा डाल रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई ठोस कदम उठायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, ऐसा है कि विश्वविद्यालय में शांति व्यवस्था बनी रहे इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें है, लेकिन उनके अन्दर शांति व्यवस्था बनी रहे यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि विश्वविद्यालय के अन्दर अराजक तत्व घुस गये हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिये, दंडित करने के लिये, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, वह अपना पर्चा भर सकें उसके लिये शासन कौन से कदम उठा रहा है, यह म जानना चाहता हूं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, सभी कुलपतियों से आग्रह किया गया है कि अपने-अपने विश्वविद्यालयों में शांति व्यवस्था रखने हेतु या अन्य इस प्रकार के कदम उठाने के लिये जिस प्रकार की सहायता वे शासन से मांगेंगे, वह दी जायगी।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्थायें हैं लेकिन क्या मंत्री जी की सरकार इस तरह का निर्देश देगी कि एक दफे जब इम्तहान की तिथि निर्धारित की जाय तो केवल कुछ लोगों के चाहने से तिथि न बदली जाय और जो परीक्षा में न शरीक हों, उनके औचित्य पर विचार न किया जाय ? क्या इस पर शासन निर्णय लेगा और विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों को इस संबंध में निर्देश दिया जायगा ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, इस प्रकार के सारे निर्देश दे दिये गये हैं और शासन ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर इस प्रकार के कार्यों में वह अक्षम होंगे तो शासन से मिलने वाली सुविधायें रोक दी जायेंगी।

## महाविद्यालय शिक्षक संघ की मांगें

**4—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश महाविद्यालय शिक्षक संघ का महाविद्यालय शिक्षकों का कोई माँग-पत्र उन्हें अभी हाल में ही प्राप्त हुआ और एक प्रतिनिधि मण्डल मिला ? अगर हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं ? सरकार माँग को कब तक मान लेगी ? प्रतिनिधि मण्डल को क्या कोई आश्वासन दिया गया ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हाँ।

माँग पत्र संलग्न है। माँग संख्या 2, 4, 6, 8 तथा 15 के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष माँगों पर विचार किया जा रहा है और विचारोपरान्त उन पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1071–1072 पर)

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित करने का जो सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। लेकिन जैसा कि सत्र को नियमित करने में परीक्षा का होना, रिजल्ट आना बहुत आवश्यक है और परीक्षा के समय महाविद्यालय के शिक्षकों में असंतोष रहे, तो यह ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें परीक्षा की कापियाँ जाँचने का और निरीक्षण करने का पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। उनका 1974–1977 तक की परीक्षा कार्यों का पारिश्रमिक बाकी है इसलिये उनमें असंतोष है। परीक्षा के समय वह इस प्रश्न को उठाते हैं, इसलिये परीक्षा काल में किसी प्रकार का असंतोष न हो इसलिये क्या मंत्री जी 1974–77 तक के पारिश्रमिक का भुगतान परीक्षा से पहले कराने के आदेश देंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

इस संबंध में उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों के अध्यापक संघ के पदाधिकारी तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदाधिकारी मिल चुके हैं और उनसे वार्ता हो चुकी है और उन्होंने पूर्ण समर्थन तथा सहयोग देने का वचन दिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, भुगतान के आदेश परीक्षा से पहले करेंगे कि नहीं, यह बता दें ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैंने उत्तर में कहा है कि कुछ का निर्णय हो चुका है और कुछ का हो रहा है जैसे कि उनकी एक माँग थी कि हमको विश्वविद्यालय के समान प्राविडेन्ट फंड दिया जाता है, तो वह महाविद्यालयों के अध्यापकों के समान या सरकारी कर्मचारियों की पेन्शन मिलती

है वह दे दी जाय। हमने उसको भी मान लिया है। पेपर जाँचने का जो पारिश्रमिक मिलता है, वह भी स्वीकार हो चुका है। इस तरह सेवा काल के आधार पर किनको 1966 में वेतन निर्धारण करने में हानि हुई थी, उसको सुधारने के लिये उनकी माँग को मान लिया है। इसी तरह जो माँगें मानने योग्य थीं, उनको मान लिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है कि 1974 से 1977 का पारिश्रमिक जो बाकी है और परीक्षा संबंधी कार्यों का पारिश्रमिक के भुगतान के आदेश परीक्षा से पहले करेंगे कि नहीं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैंने कह दिया कि अलग-अलग विश्वविद्यालयों से संबंधित मामले हैं, लेकिन भुगतान दिया जा रहा है और जिनका शेष है, उनको भुगतान के आदेश दे चुके हैं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, महाविद्यालय के अध्यापकों का आन्दोलन चला तो उनकी माँग संख्या 15 के संबंध में मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वैधानिक रुप से बी0एन0बी0कालेज, राठ, हमीरपुर के जो 10 शिक्षक निकाले गये हैं, उनको पुनः सेवा में लेने के आदेश हो चुका हैं कि नहीं ? दूसरा प्रश्न शासन द्वारा कालेज के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही, तो क्या उसके भी आदेश शिक्षा मंत्री जी ने कर दिया है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, बी0एन0बी0 कालेज राठ के अवैधानिक तरीके से निकाले 10 शिक्षकों के पदों का सततीकरण कर दिया गया है और उनको वेतन निरन्तर दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न में मान्यवर, जब अन्य प्रकार की शिकायतें आयेंगी तभी उसका अधिग्रहण किया जा सकता है और पूर्णतः यह विधिक मामला हैं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, महाविद्यालयों के अध्यापकों का आन्दोलन चला, तो उनकी माँग संख्या 15 के संबंध में मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि आदेश जारी कर दिये गये है कि, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वैधानिक रूप से बी0एन0बी0 कालेज, राठ, हमीरपुर के जो 10 शिक्षक निकाल गये थे उनको पुनः सेवा में लेने के आदेश हो चुके कि नहीं। दूसरा प्रश्न शासन द्वारा कालेज के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही थी, तो क्या उसके भी आदेश शिक्षा मंत्री जी ने कर दिये हैं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, बी0एन0बी0 कालेज, राठ के अवैधानिक तरीके से निकाले गये 10 शिक्षकों के पदों का सततीकरण कर दिया गया है और उनको वेतन निरन्तर दिया जा रहा है। दूसरे प्रश्न में मान्यवर, अन्य प्रकार की शिकायतें आयेंगी तभी उसका अधिग्रहण किया जा सकता हैं।

श्री राम बक्श (जिला फर्रुखाबाद)—

महाविद्यालयों में जो गर्मियों में शिक्षण कार्य करेंगे, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में उनको एक महीने का वेतन दिया जायगा, ऐसा कोई वक्तव्य दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न से नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, कुछ गाँवों के संबंध में तो आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं लेकिन जैसे माँग नं0 2 है कि पर्वतीय विकास भत्ता दिया जाय, तो उसमें क्या निर्देश जारी किया गया है? इसी तरह से माँग नं0 15 है, उसमें क्या स्थिति है? मंत्री जी ने केवल बता दिया कि निर्देश जारी कर दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष—

माँग संख्या 2, 4 और 6 के बारे में मंत्री जी कह चुके हैं। अब उसमें क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इन्होंने लिखा है कि निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रश्न यह है कि क्या निर्देश जारी किये गये हैं। तभी तो स्पष्ट होगा कि जैसे माँग नं02 है, क्या पर्वतीय विकास भत्ता दिया गया है? उसी तरह से माँग नं0 15 के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष—

(मन्त्री जी से) माँग संख्या 15 के बारे में आप बता चुके हैं। 2, 4 और 6 के बारे में और बता दें।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माँग नं0 2 पर्वतीय विकास भत्ते के बारे में मान ली गयी है और उसको दिये जाने के संबंध में जी0ओ0 जारी हो चुका है। इसके बाद माँग नं0 4 है—वर्तमान वेतन मान में 1300 पर लगाये गये अवरोध के लिये मूल्यांकन समिति में एक शिक्षक प्रतिनिधि सम्मिलित किये जाने तथा विवाद की स्थिति होने पर अन्तिम निणय कुलपति द्वारा किया जाना। इसमें, मान्यवर, यह है कि 1300 पर जब वेतन पहुंचगा, तो एक कमेटी होगी, जो निर्णय करेगी कि अमुक व्यक्ति को यह पैसा दिया जायेगा कि नहीं। उन्होंने कहा कि एक आदमी हमारा भी होना चाहिये। उनकी इस माँग को मान लिया है और उनका भी एक प्रतिनिधि होगा।

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब हमने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री ओंकार नाथ—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री ओंकार नाथ—

मान्यवर, कृपा कर सुन लें। यह हमीरपुर जिले का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं।

श्री ओंकार नाथ—

आप, मान्यवर, मुझको मौका नहीं दे रहे हैं जबकि यह मेरे जिले का मामला है। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों के समय व्यवस्था नहीं उठायी जाती। आप नियम तो पढ़ लें।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अगर उनके यहाँ का प्रश्न है तो उनको मौका दें दें।

श्री ओंकार नाथ--

आप, मान्यवर, व्यवस्था दे दें। जिन विधायकों के जिले का मामला है, उनको मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप पहले नहीं खड़े हुए, आखिर में खड़े हुए। अब इसको मैंने समाप्त करके दूसरा प्रश्न ले लिया है।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

### माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं की पद्धति में परिवर्तन की मांग

*1--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में इस वर्ष व्यापक पैमाने पर हुई नकलों तथा पर्चों के आउट होने की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार परीक्षा पद्धति में परिवर्तन का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो नवीन परीक्षा पद्धति क्या होगी?

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)--

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधन प्रयोग की रोकथाम के लिए इस वर्ष निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था कराई गई थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 11,000 परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े गये। पर्चों के आउट होने का कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। फिर भी परीक्षा पद्धति में परिवर्तन के प्रश्न पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है। परिवर्तन की कोई रूप-रेखा अभी नहीं बनी है।

श्री कृष्ण स्वरूप--

माननीय शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परीक्षाओं में नकल, पर्चा के आउट होने और उससे व्यापक समस्यायें उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप क्या शासन ने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है? जो विचार हो रहा है, वह विचार कौन कर रहा है, इस विचार का स्तर क्या है? आगामी वर्ष में जो परीक्षायें होंगी वह क्या परिवर्तित परीक्षा पद्धति के अनुसार होंगी?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मान्यवर, यह तो प्रश्न का उत्तर ही है कि यह प्रश्न विचाराधीन है। इसका मतलब है कि पहले से ही माना गया है कि परीक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद् का गठन वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली पर किया गया है और उसमें सब वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् में परीक्षा समिति है, जो इन कार्यों को देखती है। वहाँ करीकुलम समिति भी बनी हुई है और वह समिति एक उप

समिति गठित करके इस प्रश्न पर विचार कर रही है। मैंने अपने बजट भाषण में भी आप लोगों के सुझाव आमंत्रित किय थे। माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे, उनको हम वहाँ भेजेंगे और वह कमेटी उन पर भी विचार करेगी और कोई उचित व्यवस्था लागू करने का प्रयास करेगी।

श्री कृष्ण स्वरूप--

मैंने यह जानना चाहा था कि क्या आगामी वर्ष की परीक्षा परिवर्तित परीक्षा पद्धति के अनुसार होंगी ? और क्या यह माननीय शिक्षा मंत्री इस सदन के कुछ सदस्यों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे जो परीक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन लाये जायें, इसके सुझाव प्रस्तुत कर सके ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मान्यवर, इस परीक्षा समिति में सदन के सदस्य भी हैं। माननीय शिक्षा परिषद् का जो गठन हुआ है, उसमें भी हमारे माननीय सदस्य रखे जाते हैं, तो माननीय सदस्यों की राय तो वहाँ भी ली जाती है, फिर भी यदि और कोई सदस्य अपने सुझाव देना चाहेंगे, तो उन सुझावों को हम वहाँ भेजने का प्रयास करेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

जैसा मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की बात सोची जा रही है, अभी यह बात सामने नहीं आई है कि किस प्रकार का परिवर्तन करने की बात है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसा जनता पार्टी का राज है, तो क्या परीक्षा में जो परीक्षार्थी हैं, व उत्तर पुस्तिका और पुस्तक लेकर परीक्षा में जायें और नकल की प्रक्रिया हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

अभी तक ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

कई सदस्यों के पूछने पर भी इसका उत्तर नहीं आया कि यह विचार कब तक पूर्ण हो जाएगा, यानि क्या अगली परीक्षा परिवर्तित परीक्षा पद्धति के अनुसार होगी ? कृपया मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप स्पष्ट कर दें कि क्या अगली परीक्षाएं परिवर्तित परीक्षा पद्धति के अनुसार होंगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

परीक्षा समिति की बैठक होने वाली है और उसमें यह विचार किया जा रहा है। कोशिश की जायेगी कि जो रूप-रेखा तैयार हो उसके अनुसार कार्यवाही की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

आज एक घंटे की चर्चा भी इसी प्रश्न पर शायद नियम 52 में हमने स्वीकार की है। इसलिये अब आगे चलें। इस पर उस समय विचार हो जायगा।

## फर्रुखाबाद जिले में गेहूं क्रय केन्द्र की स्थापना

*2--श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में 28 अप्रैल, 1979 तक गेहूं क्रय करने के कितने केन्द्र सक्रिय हो गये थे ? क्या गेहूं उत्पादकों को गेहूं को मण्डी तक लाने का किराया दिया जावेगा ? यदि हाँ, तो किस रेट से ? और अभी तक उक्त जनपद में कितना गेहूं खरीदा गया है ? क्या यह सही है कि खरीद की उचित व्यवस्था न होने के कारण बाजारों में गेहूं 80 रु0 व 85 रु0 क्विंटल बिक रहा है ? क्या उन्हें

इस बात की जानकारी है कि पी0 सी0 एफ0 के एक भी केन्द्र ने अभी तक गेहूं खरीद प्रारम्भ नहीं की है ?

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)--

फर्रूखाबाद जनपद में 28 अप्रैल, 1979 तक 38 क्रय केन्द्र वास्तव में कार्यरत थे। गेहूं उत्पादकों को मण्डी तक गेहूं लाने का कोई किराया नहीं दिया जाता है, अतः रेट का प्रश्न नहीं उठता। मुख्यालय पर दिनाँक 26 मई, 1979 तक प्राप्त सूचना के अनुसार समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा फर्रूखाबाद जनपद में 6476 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार खरीद हेतु पूर्ण व्यवस्था है और दिनाँक 28 अप्रैल, 1979 को गेहूं का औसत थोक भाव जनपद में समर्थन मूल्य के बराबर था। उक्त दिनाँक तक उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के 25 क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद प्रारम्भ हो चुकी थी।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनको इस बात की जानकारी मिली है कि गेहूं की खरीद अप्रैल से लेकर 15 मई तक किसानों से नहीं की गयी और किसानों ने कम कीमत पर गेहूं व्यापारियों के हाथ बेच दिया था ? मंत्री जी ने जो यह आँकड़े दिये हैं, ये व्यापारियों द्वारा खरीद लिये जाने के बाद दिये हैं, क्या इस प्रकार की कोई सूचना मिली ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इसके बारे में कहा था और मैंने माननीय सदस्य से कहा था कि सूचना दें। माननीय सदस्य ने यह सूचना दी थी कि वहाँ का गेहूं वर्षा की वजह से खराब हो गया है। उसके लिए हमारे सचिव ने तुरन्त उनके हाथ में ही आदेश दे दिये थे कि इस तरह का भीगा हुआ गेहूं भी ले लिया जाय।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई आदेश नहीं मिला है। श्रीमन्, वर्षा तो 8 मई को हुई थी, यह तो 15 मई की बात है। काश्तकारों से क्रय केन्द्रों ने गेहूं नहीं खरीदा, व्यापारियों ने खरीदा और क्रय केन्द्रों पर बेचा। इस तरह की सूचना आपको मिली और उस पर क्या व्यवस्था की ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, फर्रुखाबाद जनपद के तीन क्रय केन्द्रों का मैंने स्वयं आकस्मिक निरीक्षण किया था। माननीय सदस्य को भी मालूम होगा कि उस समय खरीद केन्द्र बन्द थे। जैसे ही मुझे मालूम हुआ मैंने जाँच करायी। जाँच में इस तरह की कोई बात नहीं आई कि व्यापारियों से लिया जा रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

जो स्थिति फर्रुखाबाद की है इस तरह की शिकायतें और भी जिलों में दूर करने के लिए क्या मंत्री जी यह आदेश देंगे कि बिना तिथि दिखाये कोई गेहूं न खरीदा जाय ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, मैं पहले भी हाउस में बता चुका था कि आदेश इस तरह के हैं कि किसी भी किसान का गेहूं खरीद केन्द्र से वापस न जाय। यदि किसी कारण से कोई वापस किया जाता है, तो उसका सेम्पल भर लिया जाय, उसका नाम और पता लिख लिया जाय, जिससे यदि ऐसे किसान कम्पलेन्ट करते हैं, तो हम पूछ सकें। किसी किसान की इस प्रकार की रिपोर्ट यदि किसी क्रय केन्द्र में दर्ज होगी, तो हम यह देख सकेंगे कि क्रय केन्द्र में जो इन्चार्ज है, उसकी गलती है कि गल्ला कैसे वापस हुआ और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पी0 सी0 एफ0 के जितने केन्द्र हैं, वहाँ बोरों की कमी और पैसे की कमी के कारण किसान का गेहूं आठ-आठ, दस-दस दिन तक पड़ा रहता है, उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है ?

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, कुछ क्रय केन्द्रों से इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पर बोरे नहीं पहुंचे। बोरे पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन मोनीटरिंग में फर्क हो जाता है कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है, इसकी व्यवस्था कर दी जाती है। जहाँ से सूचना देर से मिलती है, वहाँ देर से ही व्यवस्था होती है। लेकिन सरकार को सूचना मिलते ही प्रबन्ध कर दिया जाता है। बोरों की कमी से क्रय केन्द्र बंद नहीं रहेंगे, सरकार इसके लिए वचन बद्ध है।

(व्यवधान)

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहूंगा कि लखीमपुर जिले के समस्त क्रय केन्द्रों में एक सप्ताह से गेहूं की खरीद बन्द है, क्योंकि वहाँ पर बोरों का अभाव है। अतः क्या मंत्री जी वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इन केन्द्रों पर खरीद प्रारम्भ हो जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये आप अलग से सूचना दे दें। कल इस पर बहस है, उसमें चर्चा कर लीजियेगा।

(व्यवधान)

**खालसा इण्टर कालेज, लखनऊ के छात्र श्री गोपाल कृष्ण दास के परीक्षा केन्द्र का स्थानान्तरण**

*3—सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट की 1978–79 की परीक्षा में रोल नं0 453947 (श्री गोपाल कृष्ण दास) जो खालसा इण्टर कालेज, लखनऊ का संस्थागत छात्र था, का परीक्षा केन्द्र परीक्षाओं से पूर्व जवाहरलाल नेहरू इण्टर कालेज, नौगढ़ बस्ती कर दिया गया ? यदि हाँ, तो किन विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया गया और क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

श्री गोपाल कृष्ण दास अनुक्रमांक 453947, खालसा इंटर कालेज, लखनऊ का संस्थागत छात्र नहीं था, अपितु व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उक्त विद्यालय से इंटरमीडिएट परीक्षा का आवेदन पत्र भरा था। उसका परीक्षा केन्द्र गिरधारी सिंह कुंवर; इण्टर कालेज, लखनऊ निर्धारित था। छात्र शिवालिक पेन्ट्स, लखनऊ में कार्य करता था, परन्तु उसका 1–12–1978 को नौगढ़ बस्ती स्थानान्तरण हो गया। अतः उसने नौगढ़ बस्ती के केन्द्र परिवर्तन की प्रार्थना की थी। छात्र की प्रार्थना पर केन्द्र व्यवस्थापक, जवाहरलाल नेहरू इंटर कालेज, नौगढ़, बस्ती ने परिषद् के आदेश की प्रत्याशा में अपने विद्यालय से परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्री गोपाल कृष्ण दास, जो हैं, वे श्री बनारसीदास, तत्कालीन अध्यक्ष, विधान सभा के पुत्र हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि केन्द्र स्थानान्तरण के लिये कब आदेश हुए थे और उसके लिये प्रार्थना पत्र कब दिया गया था ? साथ ही यह भी बतायें कि नौगढ़, बस्ती के केन्द्र व्यवस्थापक ने किन नियमों के अन्तर्गत अपने यहाँ परीक्षा में बैठाने की अनुमति दी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, 22 मार्च को परीक्षा शुरू हुई थी और 16 मार्च को ही इस छात्र का आवेदन-पत्र प्राप्त हो गया था, किन्तु इस आवेदन पत्र पर अंतिम रूप से 18 अप्रैल को आदेश हुआ। श्रीमन्, एक साधारण प्रक्रिया है कि कोई भी छात्र यदि केन्द्र बदलने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तो वहाँ पर जो केन्द्र व्यवस्थापक होता है, जो कि अमूमन प्रधानाचार्य होता है, वह परिषद् से आज्ञा प्राप्त होने की प्रत्याशा में उसे परीक्षा में बिठा देता है। यह उसका पूर्ण अधिकार है ..... (व्यवधान) पूरा सुन लीजिये। नियम निकल आयेगा। एक साधारण प्रक्रिया है कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि विशेष परिस्थितियों में, वह अपना केन्द्र परिवर्तित करे। मान्यवर, अगर आप आज्ञा दें, तो मैं सदन को बताऊं कि किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित होने के कारण उसका केन्द्र परिवर्तित नहीं किया गया, बल्कि मैं दर्जनों उदाहरण इसके दे सकता हूं, जब वह गाजीपुर से गाजियाबाद और बलिया से लेकर उत्तराखंड तक केन्द्र परिवर्तित हुये हैं। यही एक केस होता, तो बात होती। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, मेरे पास इसकी सूची है, मैं सुना सकता हूं। इसमें नियमों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ है।

**कानपुर जिले के छात्रों को पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत पौष्टिक आहार की आपूर्ति**

*4—श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केयर योजना के अन्तर्गत कानपुर जनपद के लिए स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार देने हेतु वित्तीय वर्ष 1978–79 में कोई धनराशि स्वीकृति की गयी थी और पौष्टिक आहार खरीदने हेतु किन्हीं फर्मोंसे टेण्डर आमन्त्रित किए गए थे ? यदि हाँ, तो न्यूनतम (लोयस्ट) टेण्डर किस फर्म का था और क्या उससे पूरा सामान खरीदा गया था ? क्या यह सत्य है कि पौष्टिक आहार बच्चों में वितरित ही नहीं किया गया किन्तु फर्जी वाउचर लगा दिए गए ? यदि हाँ तो क्या मन्त्री जी इस मामले की गुप्तचर विभाग द्वारा जाँच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

पौष्टिक आहार खरीदने हेतु किसी फर्म से टेन्डर आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि योजना के अन्तर्गत प्रयोग होने वाले पौष्टिक खाद्यान्न की आपूर्ति केयर संस्था द्वारा निःशुल्क होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबूराम शुक्ल—

पौष्टिक आहार केयर संस्था द्वारा निःशुल्क आवंटित किया जाता है, तो इस आहार में कौन-कौन सी खाद्यान्न आवंटित किये जाते हैं और वर्ष 1978–79 में केयर संस्था ने

कानपुर में कितनी मात्रा में पौष्टिक आहार आवंटित किया? क्या उस आहार का लिखित हिसाब रखा गया है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

पौष्टिक आहार देने की जो इस समय व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत 114 ग्राम दिया जाता है लेकिन व्यवस्था यह थी कि 80 ग्राम बालक तथा बालिकाओं को और 125 ग्राम गर्भवती एवं धात्री माताओं को आहार दिया जाता था। इसमें शक्कर की मात्रा भी निहित है। कानपुर के लिये 1978-79 में कुल व्यय के अनुसार 6,00,834.23 रु0 की धनराशि स्वीकृत थी।

श्री बाबूराम शुक्ल--

यह जो कानपुर के लिये 6 लाख से अधिक धनराशि 1978-79 के लिये पौष्टिक आहार आवंटित करन हतु स्वीकृत हुई थी, इसमें बहुत बड़ा घुटाला हो रहा है, तो क्या सरकार गुप्तचर विभाग से इस बात की जाँच करायेगी कि यह धनराशि किस तरह से व्यय हुई ?

श्री कलाश नाथ सिंह--

इसमें जो लोयेस्ट कोटेशन आया था, उसे मंजूर किया गया था, लेकिन यह सर्वविदित है कि कोटेशन से हमारा सम्बन्ध नहीं है ? यह प्रश्न केयर संस्था का है। वास्तव में वह सामान लेकर हमको देती है और हम उसे वितरित करते हैं। हमारे यहाँ केवल ट्रांसपोरटेशन की व्यवस्था है।

श्री बाबूराम शुक्ल--

मेरा प्रश्न यह था कि वितरण जो शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाता है, वह ठीक से नहीं हुआ, तो इसकी माननीय मंत्री क्या जाँच करायेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

इसमें दो तरह की संस्थाएं हैं। बालाहार तथा पौष्टिक आहार। माननीय सदस्य का तात्पर्य किस संस्था से है ?

श्री बाबूराम शुक्ल--

पौष्टिक आहार वाली योजना से है।

श्री कैलाश नाथ सिंह--

ठीक है, जहाँ तक भ्रष्टाचार की शिकायतों का सम्बन्ध है, विभाग द्वारा उसकी जाँच करायी जायगी।

श्री देव कुमार--

केयर द्वारा जो सामान मिलता है, इसके ट्रांसपोर्टेशन में शिक्षा विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में कितना खच वहन करना पड़ता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न केवल कानपुर से संबंधित था।

श्री राम नरेश पाँडेय--

गुप्तचर विभाग से इंक्वायरी कराने में माननीय मंत्री को क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह उन्होंने कह दिया कि वह इसकी इंक्वायरी करा लेंगे।

**उन्नाव खण्ड, नहर विभाग में नहरो की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि**

*5--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या यह सही ह कि 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उन्नाव हरदोई नहर क्षेत्र की नहरों में बाँस के लट्ठे गाड़ कर बहाव व कटाव को रोकने, गूलों की सफाई करने और

---

नोट--नियम 29 (4) के ताराँकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

नहरों की पटरियों की मरम्मत करने के लिए उन्नाव व हरदोई के लिए क्रमश. 25 लाख व 24 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे ? क्या यह भी सही है कि इतनी धनराशि को बिना काम शुरू किए ही भुगतान करा लिया गया ? जबकि 31 मार्च, 1979 के पूर्व सारा काम पूर्ण हो जाना चाहिए था ? यदि हाँ, तो क्यों ? सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

31 मार्च, 1979 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में उन्नाव खण्ड, उन्नाव में विभिन्न नहरों की पटरियों की मरम्मत कर सेवा मार्ग बनाने हेतु व खूंटे लगाकर नहर को संकरा करने तथा अन्य आधुनिकीकरण के कार्यों को कराने हेतु आधुनिकीकरण शारदा नहर के अन्तर्गत 24 लाख रुपये आवंटित किये गये, जिसके विरुद्ध 24.64 लाख रुपये खर्च किये गये थे व हरदोई खण्ड, शारदा नहर,हरदोई को 5.00 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी, जिसके विरुद्ध 7.30 लाख रुपये व्यय किया गया। गूलों की सफाई कराने हेतु कोई धन आवंटित नहीं किया गया।

यह सही नहीं कि बिना काम शुरू किये ही किसी प्रकार का भुगतान किया गया। किसी अधिकारी को दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

**गोरखपुर के मधुबनी नहर शाखा के चन्दागूलर भार गांव में खैर के पेड़ों की कटाई**

*6—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के मधुबनी ब्रांच नहर के चन्दा गूलर भार गाँव के सामने नहर की पटरी के बगल लगभग 2 हजार खैर के पेड़ जिनकी कीमत रुपए 1,60,000 होती है, मार्च-अप्रैल, 1979 में सहायक अभियन्ता द्वारा चोरी से कटवा कर बेचे जा रहे थे जिसकी सूचना प्रश्नकर्त्ता द्वारा 8 अप्रैल, 1979 को अधिशासी अभियन्ता, मधुबनी ब्रांच को दी गयी थी जिन्होंने सहायक अभियन्ता को पेड़ काटने वालो के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करार्न का आदेश दिया, किन्तु ऐसा न करके सहायक अभियन्ता ने काटे गये पेड़ों की जडों को निकलवाकर जाँच से बचने के लिए शिनाख्त समाप्त करना शुरू कर दिया ? यदि हाँ, तो क्या सरकार भारी घोटाले की जाँच करायेगी और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**उत्तर काशी जिले में एस०आर०एम०डी० के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन**

*7—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1978 में केन्द्रीय सहायता बाढ़ क्षतिपूर्ति (एस0 आर0 एम0 डी0) अर्थात् (स्पेशल रिपेयर मानसून डैमजेज) के तहत उत्तरकाशी के लिए आरक्षित मुख्य अभियन्ता ने 40 लाख (चालीस लाख) रुपए की माँग की थी परन्तु मुख्य अभियन्ता ने उनको 90 लाख (नब्बे लाख) रुपए स्वीकार किए ? यदि हाँ, तो यह 50 लाख रुपया अनावश्यक व फालतू देने के क्या कारण थे ? क्या सरकार ने मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)—

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1978–79 में एस0 आर0 एम0 डी0 के अन्तर्गत उत्तरकाशी के लिये अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने 94.10 लाख रुपये की माँग की थी। जिसके विरुद्ध मुख्य अभियन्ता द्वारा केवल 90 लाख रुपया ही आवंटित किया गया था।

अतः मुख्य अभियन्ता द्वारा 50 लाख रुपये फालतू देने के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

## पूर्वी जिलों के लिए बाढ़ नियन्त्रण योजना

*8—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री बसन्त (जिला देवरिया) तथा श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 15 जून, 1979 के पश्चात् पूर्वी जिलों में बाढ़ की सम्भावनाओं को देखते हुए इससे बचाव के लिए कोई योजना सरकार ने बना लिया है ? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर एक कार्यान्वियन योजना 1978–1983 तक कार्यान्वियन हेतु 253.51 करोड़ की बनाई गई है ।

उपरोक्त कार्यान्वियन योजना में पूर्वी क्षेत्र, जिसमें बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर व इलाहाबाद जनपद सम्मिलित हैं, में बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर योजना के अन्तर्गत 78.17 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है । इसका तथा भौतिक लक्ष्यों का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1073 पर)

## लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के रीडर पद हेतु गठित चयन समिति के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार

*9—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के रीडर पद के चुनाव हेतु दिनांक 26 अप्रैल, 1979 को मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रांगण में चयन समिति की बैठक हुई थी जिसमें दिल्ली, पूना तथा भागलपुर के क्रमशः एक-एक विशेषज्ञ आए थे ? क्या यह सही है कि आग्नेय एवं घातक हथियारों से लैस कुछ असामाजिक एवं अवाँछनीय व्यक्तियों ने चयन समिति की उक्त बैठक में घुसकर विशेषज्ञों से गाली-गलौज किया और उन्हें अपमानित किया फलस्वरूप वे निर्णय दिए बिना अपनी अपनी जान बचाकर वापस लौट गए ? यदि हाँ, तो पूर्ण घटना क्या है और तत्काल शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी, हाँ । यह सही है कि कुछ छात्रों एवं युवकों ने चयन समिति के सदस्यों के प्रति अभद्र व्यवहार किया । विश्वविद्यालय द्वारा ही चयन समिति गठित की गयी थी और शासन द्वारा तत्काल कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

## राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी के एल०टी० (कताई बुनाई) शिक्षकों को अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति न मिलना

*1—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता (एजूकेशन कोड) में माध्यमिक विद्यालयों में कताई बुनाई शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु राजकीय रचनात्मक महाविद्यालय, लखनऊ से एल० टी० (कताई-बुनाई) की योग्यता निर्धारित है, जिसके अनुसार शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियाँ की जाती हैं ? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि राजकीय बेसिक ट्रेनिंग महाविद्यालय, वाराणसी से एल० टी० (कताई-बुनाई) उत्तीर्ण लोगों को शासकीय विद्यालयों में तो नियुक्त किया जाता है किन्तु अशासकीय विद्यालयों में नहीं ? यदि हाँ, तो क्या शासन वाराणसी के उक्त महाविद्यालय से उत्तीर्ण व्यक्तियों को अशासकीय विद्यालयों में भी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था पर विचार करेगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

शिक्षा संहिता में नहीं, वरन् इंटरमीडियट शिक्षा अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों के अध्याय–2 के विनियम–1 की परिशिष्ट 'क' में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित है। राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी की एल0 टी0 (कताई-बुनाई) सम्प्रति उक्त विनियम की परिशिष्ट 'क' में निर्धारित करने के विषय में परिषद् द्वारा विचार कराया जायेगा।

**दिलेश्वरी इण्टर कालेज, जिला बस्ती की भूमि का प्रबन्धक द्वारा हस्तान्तरण**

*2—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिलेश्वरी इन्टर कालेज, रुधौली, जनपद बस्ती के प्रबन्धक द्वारा विद्यालय की संदान निधि की भूमि जो ग्राम रुधौली में थी, का हस्तान्तरण बिना उचित आदेश प्राप्त किये दौरान चकबन्दी या उसके पहले अथवा बाद में अपने परिवार के सदस्यों तथा बच्चों के नाम कर दी गई हैं और इस विषय में कई शिकायती पत्र सन 1978 में विभाग के उच्च अधिकारियों को दिये गये हैं? यदि हाँ, तो अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों?

*3—श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

**श्री रामआसरे यादव की सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता सिविल के पद पर नियुक्ति**

श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 1979 ई0 में अवर अभियन्ता (सिविल) के पद हेतु चयन किया गया और योग्यता सूची बनायी गयी? यदि हाँ, तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया? क्या यह सही है कि श्री राम आसरे यादव आत्मज श्री बुद्धराम यादव, ग्राम ककराही, पो0 सूर्य भान पट्टी, जिला सुल्तानपुर का 76.9 प्रतिशत अंक है और उसने नियुक्ति हेतु अभ्यावेदन पत्र भी दिया था, लेकिन उसकी नियुक्ति न करके उससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी? क्या अवर अभियन्ता (सिविल) की नियुक्ति में पिछड़े तथा हरिजनों का आरक्षण कोटा पूरा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ। सिविल अभियंत्रण डिप्लोमा में 72 प्रतिशत तथा उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। श्री राम आसरे यादव की नियुक्ति एवं पोस्टिंग मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 एम0–61 ई–2ख/2 बी–511 /नियुक्ति तदर्थ 78–79 दिनाँक 3–5–79 द्वारा की जा चुकी है।

अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर इस वर्ष (मार्च 1979) तक कुल 361 नियुक्तियाँ की गयी हैं जिनमें पिछड़े वर्ष तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या क्रमशः 58 तथा 78 हैं जो सामान्य निर्धारित आरक्षण कोटे के प्रतिशत से अधिक है।

**बुलन्दशहर की बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुमारी रुक्मणी चक का स्थानान्तरण**

*4—श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) कुमारी रुकमणी चक का स्थानान्तरण 3 माह पूर्व हो चुका और स्थानान्तरण के बावजूद कुमारी चक ने शासन के आदेशों की अवहेलना करके चार्ज नहीं छोड़ा है तथा अनियमित रूप से बिना स्वीकृत के एक माह अवकाश पर रही? यदि हाँ, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

कु0 रुकमणी चक का स्थानान्तरण अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) बुलन्दशहर के पद से शिक्षा निदेशक के आदेशों से हुआ था। स्थानान्तरण की शृंखला रुक जाने के कारण, प्रशासनिक आधार पर, कु0 चक से कह दिया गया था कि जब तक उनका प्रतिस्थानी न आ जाय तब तक वे कार्यभार से मुक्त न हों। अतः शासन के आदेशों की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। अवकाश के प्रकरण पर छानबीन की जा रही है।

**स्वामी नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छपिया, जिला गोण्डा को वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता**

*5--श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छपिया, जिला गोन्डा को हाई स्कूल वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता तथा कला संचालन की अनुमति कब दी गयी? क्या यह सही है कि संचालन की अनुमति दने की राजाज्ञा का उल्लंघन किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

स्वामी नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छपिया, जिला गोंडा को हाईस्कूल वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा सितम्बर, 1969 में तथा कला संचालन की अनुमति सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा द्वारा सितम्बर, 1978 म प्रदान की गई। कक्षा संचालन की दी गई अनुमति नियमित है अथवा नहीं, इसके विधिक पहलू पर विचार किया जा रहा है।

**दिलेश्वरी इण्टर कालेज, जिला बस्ती के प्रबन्धक के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र**

*6--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिलेश्वरी इन्टर कालेज, जनपद बस्ती के प्रबन्धक द्वारा विद्यालय के अध्यापकों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अवैधानिक रूप से प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में माननीय श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी एवं श्री ब्रज भूषण तिवारी, साँसदों के सहपत्र के साथ श्री परमात्मा प्रसाद पाँडे का कोई प्रार्थना-पत्र सितम्बर, 1978 में माननीय मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी नहीं।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

**कुमारी रमा श्रीवास्तव प्रधानाध्यापिका जूनियर हाई स्कूल, फुरसतगंज, रायबरेली का बकाया वेतन**

*7--श्री हरिचरण यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कु0 रमा श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका, जूनियर हाई स्कूल फुरसतगंज, जिला रायबरेली, का एरियर वेतन तथा कार्यकाल का वेतन दिनाँक 2 जनवरी, 1970 से 14 जुलाई सन् 1975 ई0 तक का बकाया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि उप विद्यालय निरीक्षिका, रायबरेली ने दिनाँक 28 सितम्बर 1977 ई0 को उक्त प्रधानाध्यपिका के एरियर के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश दिया, परन्तु अभी तक भुगतान नहीं हुआ? क्या उक्त प्रधानाध्यापिका को दिनाँक 31 जुलाई, 1978 को बगैर समुचित कारण तथा मिथ्या आरोपों के आधार पर अ0 जिला बेसिक शिक्षाधिकारी (महिला) रायबरेली ने निलम्बित कर दिया? यदि हाँ, तो क्या उसे चार्ज शीट दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी नहीं, दिनांक 2-1-70 से 28-2-75 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है। दिनांक 1-3-75 से 14-7-75 तक का वेतन प्रश्नगत अध्यापिका द्वारा बगैर विभागीय अनुमति के बी0 एड0 का प्रशिक्षण अनियमित रूप से प्राप्त करने के कारण रोक दिया गया है।

जी नहीं, दिनांक 28-9-77 को तत्कालीन उपविद्यालय निरीक्षक द्वारा कोई भी भुगतान संबंधी आदेश पारित नहीं किये गये थे।

कुमारी रमा श्रीवास्तव को समुचित कारणों के आधार पर जिसमें कि विद्यालय के अनुचरों के मासिक भुगतान में गम्भीर अनियमितताओं का आरोप भी सम्मिलित है, निलंबित किया गया है।

निलम्बन के पश्चात से कु0 श्रीवास्तव उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। चार्ज शीट अभी तामील नहीं हुई है।

## अहरोरा-राबर्ट्सगंज मार्ग, जिला मिर्जापुर में पत्थर की गिटटी तोड़ने वाले तथा पत्थर मजदूरों की मजदूरी

*8--श्री बाबूलाल वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज रोड पर गिट्टी तोड़ने वाले चकियाँ, चन्दौली तथा बनवासियों के शोषण सम्बन्धी कोई रिपोर्ट शासन को नवम्बर, दिसम्बर, 1978 को मिली है जिसमें इस बात का भी उल्लेख है कि 300 घनफुट गिट्टी का दाम ठेकेदार 80 रुपये देता हैं तथा ठेकेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग को 300 घनफुट गिट्टी 400 रुपये में देता है? यदि हाँ, तो सरकार ने बनवासियों का शोषण रोकने के क्या कदम उठाये?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

इस सम्बन्ध में श्री बाबूलाल वर्मा, तत्कालीन उप मंत्री, क्षेत्रीय विकास का पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1979 प्राप्त हुआ था। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मिर्जापुर की सूचना के अनुसार मिर्जापुर में गिट्टी तोड़ने का काम सुक्रत नामक स्थान पर जो कि नारायणपुर अहरोरा-राबर्ट्सगंज मार्ग के कि0 मी0 35 में पड़ता है, किया जाता है।

इस जिले में लोग लीज पर जमीन लेकर पत्थर मजदूरों को लगवा कर तोड़वाते। ऐसे व्यक्ति सीधे इस विभाग के ठेकेदार नहीं हैं। लीज पर जमीन लेकर पत्थर तुड़वाने वाले व्यक्ति मजदूरों को क्या मजदूरी देते हैं इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। प्रान्तीय खंड, मिर्जापुर के कार्यालय द्वारा खदान पर सोलिंग स्टोन, इन्टर कोट स्टोन और टाप कोट स्टोन की दर क्रमानुसार रु0 10.00 प्रति घन मी0, 15.00 प्रति घन मी0 तथा 18.00 प्रति घन मी0 स्वीकृत है। इसमें ठेले पर लदायी भी सम्मिलित हैं। यदि ठेले का चार्ज काट दिया जाय तो यह रेट क्रमशः 8-75, 13-75 तथा 16-75 प्रति के घन मीटर होता है जो तदनुसार रु0 24.76, 38.91 तथा 47.40 प्रति सौ घनफुट पड़ेगा। यह विभाग खदान पर उपरोक्त लिखित रेट के आधार पर ठेकेदार से गिट्टी लेता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ठेकेदार से खदान पर 300 घनफुट, टाप कोट के लिये, गिट्टी का रु0 142.20 देता है न कि 400 रुपये जैसा कि प्रश्न में है।

## बुलन्दशहर के बेसिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान

*9—श्री विजय राज सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर में बेसिक शिक्षकों को माह फरवरी सन् 1979 का वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं,

वेतन का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता ।

## शारदा सहायक खण्ड, इलाहाबाद के अन्तर्गत नारायनपुर राजबहा के निर्माण के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*10—श्री राम सजीवन (जिला बाँदा) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड 39, रजबहा नरायनपुर नहर विभाग के नहर लाइन विवाद गाँव कली मुरादपुर, जिला प्रतापगढ़ को निकालने के सम्बन्ध में जो नक्शा पास किया गया था और जमीन भी ले ले गयी थी और जिसक बारे में अधिशासी अभियन्ता, इलाहाबाद ने 18 मई, 1976 व 8 जून, 1976 तथा मुख्य अभियन्ता ने 22 दिसम्बर, 1976 को आदेश दिया था उसकी अवहेलना करके उस लाइन को छोड़कर गाँव के पूर्वी हिस्से से स्थान कलीमुरादपुर में वाटर सेड लाइन बदल कर नहर की खोदाई कच्ची चैती की फसल को काट कर मार्च, 1979 में करायी जा रही थी। क्या यह सही है कि यह 314 फिट नीची जमीन में है और इसमें आबादी तथा पम्पिग सेट भी पड़ रहे है। क्या यह भी सही है कि जबरदस्ती खोदाई की वजह से ठेकेदारों व गाँव के किसानों में मारपीट हो गयी और दो मौतें भी हो गयी हैं ? यदि हाँ, तो मूल नक्शा बदलने का कारण क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

शारदा सहायक खण्ड–39, इलाहाबाद के अन्तर्गत नारायनपुर रजबहा के निर्माण हेतु समरेखन पहले ग्राम कुसेहटा तथा कली मुरादपुर की आबादी के बीच दिनाँक 21-6-76 को अनुमोदित किया गया था जिससे क्षेत्रीय विधायकों एवं जनता में असंतोष था इसको देखते हुए संशोधित समरेखन निरीक्षण के पश्चात् दिनाँक 26–7–77 को अनुमोदित किया गया। श्री राम अधार पाण्डे विधायक व श्री राज किशोर सिंह संसद सदस्य द्वारा दिनाँक 28–9–77 को दिये गये पत्र तथा श्री राम देव विधायक द्वारा दिनाँक 29–8–77 के पत्र में उपरोक्त के विपरीत की गई आपत्ति को निपटाने हेतु तत्कालीन माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा क्षेत्रीय विधायकों के साथ दिनाँक 5–1–78 को कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया। उनके आदेशानुसार दिनाँक 28–7–77 को अनुमोदित समरेखन पर दिनाँक 22–9–78 को कब्जा विभाग को मिल जाने पर कृषकों को मनादी द्वारा सूचित कर दिया गया था कि रबी की फसल न बोये फिर भी कृषकों ने रबी की फसल बो दी व बोई गई फसल का उचित प्रतिकर देने के पश्चात् ही नहर निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया। 12–3–79 से नहर के निर्माण कार्य को फसल कटने की अवधि तक स्थगित कर दिया गया था। अनुमोदित समरेखन की भूमि पूर्व प्रस्तावित समरेखन की भूमि से लगभग डेढ़ फीट नीची हैं इस समरेखन के अनुमोदित होने के पूर्व की कोई आबादी प्रभावित नहीं होती। केवल एक पम्पिग सेट राजबहा की पटरी के बाहरी किनारे पर पड़ता है। विभाग द्वारा जबरदस्ती खोदाई कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ की सूचना के अनुसार दिनाँक 10–3–79 को सम्बन्धित ग्रामवासियों में बल्वे की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति मारा गया।

*11—श्री राम सजीवन तथा श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में वहाँ के किसानों ने माननीय मुख्य मन्त्री को, माननीय सिंचाई मन्त्री को तथा सिंचाई सचिव को क्रमशः मार्च के प्रथम सप्ताह तथा आखिरी सप्ताह में प्रार्थना-पत्र दिया है कि नहर को पहले नक्शे व मंजूरी के मुताबिक ले जाया जाय ? यदि ऐसा न हो तो उक्त नहर को सीधा करके और हटाया जाय जो जमीन चार आने मालियत की है ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

ग्राम कलीमुरादपुर के किसानों की नारायनपुर राजबहे के निर्माण के संबंध में कुछ आपत्तियाँ मार्च, 1979 में माननीय सिंचाई मंत्री जी को प्राप्त हुई जिसकी जाँच कराई गई और यह तय पाया गया कि बाद में अनुमोदित समरेखन पर ही नहर ले जाना उचित होगा।

[दिनाँक 30 मई, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## गोरखपुर विश्वविद्यालय को पुस्तकों की खरीद हेतु दिया गया अनुदान

*1—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ग्रन्थालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1978 में कुछ लाख धनराशि प्राप्त हुई थी ? क्या उक्त धनराशि से नगर में चार सह पुस्तकालय स्थापित करने तथा विश्वविद्यालय के लिये कुछ पुस्तकें खरीदने की योजना थी ? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त योजना कार्यान्वित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हाँ, नौ लाख रुपये प्राप्त हुए थे। यह धनराशि केवल पुस्तकें एवं सामायिकी (बुक्स एन्ड जर्नल्स) क्रय करने के लिए थी। उक्त धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया गया है।

## बरेली–नैनीताल मार्ग पर गोला नदी के पुल पर पथकर की वसूली

*2—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बरेली, नैनीताल रोड पर किच्छा (नैनीताल) के पास गोला नदी पर सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल पर कुल कितना पथ-कर वसूल किया जाना था और उसमें से कितनी धनराशि पथ-कर के रूप में दिनाँक 31 मार्च, 1979 तक वसूल की जा चुकी है ? तथा शेष कब तक वसूल कर ली जायगी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

बरेली-नैनीताल रोड पर किच्छा (नैनीताल) के पास गोला नदी पर पुल पर कुल 58.80 लाख रुपये वसूल किया जाना था। इसमें से 31–3–79 तक लगभग 55.40 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। शेष धनराशि 3.40 लाख रुपये की वसूली इस माह के अन्त तक हो जाने की सम्भावना है।

*3—श्री हुक्म चन्द्र तिवारी—

[6ठें बुधवार के लिए स्थगित]

*4—श्री राघव राम मिश्र—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

*5—श्री मित्रसेन—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

*6—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

[6ठें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की आपूर्ति**

*7—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताएगी कि माह अप्रैल, सन् 1979 से गाँवों में किरोसिन तेल का अभाव हो गया है और उसके दाम काफी बढ़ गए हैं ? यदि हाँ, तो इसकी गाँवों में आपूर्ति की व्यवस्था ठीक कराने और निश्चित दर पर किरोसिन तेल ग्रामीणों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री मलिखान सिंह—

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में माह अप्रैल, 1979 से मिट्टी तेल की आपूर्ति स्थिति सामान्यतः सन्तोषजनक है तथा वह निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध ह। अपर्याप्त आपूर्ति एवं निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री की सूचना मिलने पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने एवं जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करने ,दुकानों का नियमित निरीक्षण/छापे डालने, निश्चित स्टाक आरक्षित रखने तथा निश्चित परिमाप पर राशनकार्ड पर मिट्टी का तेल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के आदेश हैं।

*8—श्री राम आसरे वर्मा—

[5वें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*9—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*10—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[6वे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*11—श्री श्रीनारायण—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

**सदानन्द प्रशिक्षण महाविद्यालय, फतेहपुर के हरिजन छात्राध्यापकों की छात्रवृत्ति**

*12—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि फतेहपुर जनपद से सदानन्द प्रशिक्षण महाविद्यालय के बी0 एड0 के 14 हरिजन छात्राध्यापकों की वर्ष 1977–78 की पूरी छात्र-वृत्ति वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा नहीं दी गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में छात्रों द्वारा जिलाधिकारी, फतेहपुर को दिए गए प्रार्थना-पत्र पर जाँच के आदेश दिये है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर को सूचनानुसार स्वीकृत छात्र-वृत्तियों की संख्या 20 है। यह छात्रवृत्तियाँ वितरित हुई या नहीं इसकी जाँच की जा रही है।

जी हाँ। जाँच के आदेश दिए गए थे। जिलाधिकारी ने एक जाँच समिति का गठन इसके लिए किया है और समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। परन्तु जिलाधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना की अभी प्रतीक्षा है।

*13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

[6ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*14—श्रीमती रामरति देवी—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

## बस्ती जिले के बांसी–बिसकोहर मार्ग का निर्माण

*15—श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बाँसी, विस्कोहर मार्ग को बनाने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है। 28 फरवरी, 1979 तक कितनी धनराशि का उपयोग हुआ है तथा कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

बस्ती जिले के बाँसी तलपुरवा–इटवा–बिस्कोहर मार्ग के बाँसी की ओर से 6 कि0मी0 तथा बिस्कोहर की ओर से 4 कि0मी0 भाग के पुन: निर्माण एवं सुधार का कार्य वर्ष 1978-79 से 10.00 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृत हुआ था।

इस कार्य की फरवरी, 1979 तक की प्रगति निम्नलिखित है :—

वित्तीय:— 1:17 लाख रुपए

भौतिक:—

| | |
|---|---|
| मध्य सतह एकत्रीकरण | 6.00 कि0मी0 |
| ऊपरी सतह एकत्रीकरण | 6.00 कि0मी0 |

## बस्ती जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता का कार्यकाल

*16—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड) में कुल कितने सहायक अभियन्ता इस समय कार्यरत हैं ? उनमें से क्या ऐसे भी सहायक अभियन्ता हैं जिनको बस्ती जिले में कार्य करते लगभग पाँच वर्ष हो गये ? यदि हाँ, तो उनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

चार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## शारदा सहायक नहर गोसाइगंज, लखनऊ के टूटने से फसल को कथित क्षति

*17—श्री बाबूलाल वर्मा, श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि शारदा सहायक पोषक नहर गोसाइगंज (लखनऊ) जिसका उद्घाटन मुख्य मन्त्री ने 26 जनवरी, 1978 को किया था, 3–4 फरवरी, 1978 को लोनी नदी के पास भयंकर रूप से फट गयी थी, जिससे काफी सरकारी क्षति हुई थी ? तथा क्या उसके 6 माह बाद पुन. 9 जुलाई, 1978 को जैसे ही पानी आया, 164–400 मीटर फीडर के बायीं ओर 50 मीटर कट गयी जिसके कारण कई गाँव की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई ? पुन. मरम्मत कराने में कितना व्यय हुआ ? सरकार ने क्षतिपूर्ति की क्या व्यवस्था की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

दिनाँक 3–2–78/4–2–78 की रात्रि को शारदा सहायक पोषक नहर के कि0मी0 168–60 के निकट बायें किनारे में खांदी हो गयी थी। पानी लोनी नदी में बह गया तथा कुछ ऐसे क्षेत्रों में होकर गया जिसमें किसी प्रकार की फसल नहीं बोई गयी थी। समीप के गाँवों तथा फसल की हानि नहीं हुई।

दिनांक 9–7–78 को शारदा सहायक पोषक नहर के कि0मी0 164–40 पर कोई खांदी नहीं हुई थी बल्कि कि0मी0 164–60 दायें किनारे पर एक शोरी हुई थी, जिसकी मरम्मत उसी दौरान कर दी गयी थी। इस शोरी के कारण न कोई फसल डूबी और न ही किसी गाँव में पानी भरा। 168–60 कि0मी0 की खांदी की मरम्मत तथा सुदृढ़ीकरण पर 35,961.50 रुपए का व्यय हुआ तथा 14,596 रुपए की सरकारी सामग्री क्षतिग्रस्त हुई और पानी में बह गयी। 164–60 कि0मी0 की शोरी की मरम्मत पर 4281.00 रु0 का व्यय हुआ।

किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि नहीं हुई। अतः क्षति पूर्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

**विवेकानन्द इण्टर कालेज, दुबौलिया बाजार, जिला बस्ती को परीक्षा केन्द्र की स्वीकृति न मिलना**

*18—श्री शिवलाल मित्तल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विवेकानन्द इन्टर कालेज दुबोलिया बाजार, जनपद बस्ती का माध्यमिक शिक्षा परिषद् का परीक्षा केन्द्र 1979 की परीक्षा के लिए अकारण तोड़ दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों और उक्त केन्द्र पर पंजीकृत परीक्षार्थियों को समीपस्थ सूरीपुर, खिरौली तथा भटपुरवा चिलमा बाजार के केन्द्रों पर न भेजकर सुदूर कप्तानगंज एवं छावनी केन्द्रों पर भेजा गया? यदि हाँ, तो परीक्षार्थियों को इतना दूर भेजे जाने का कारण क्या है?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं, विवेकानन्द इण्टर कालेज, दुबौलिया बाजार, बस्ती का परीक्षा केन्द्र 1979 की परीक्षा के लिए तोड़ा नहीं गया, वरन् जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रशासनिक कारणों से प्रस्तावित ही नहीं किया गया था।

इस केन्द्र पर पंजीकृत परीक्षार्थियों को केन्द्र सूरीपुर, खिरौली तथा भटपुरवा चिलमा-बाजार पर स्थान उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित नहीं किया जा सका तथा इन केन्द्रों की दूरी भी क्रमशः 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तथा 7 किलोमीटर हैं। अतः इन परीक्षार्थियों को समीपस्थ केन्द्र छावनी तथा कप्तानगंज जिनकी दूरी दुबौलिया बाजार से लगभग 8 किलोमीटर है, पर निर्धारित किया गया।

*19—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

**माध्यमिक शिक्षा संघ का मांग पत्र**

*20—श्री बाबू राम शुक्ल—

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक) यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (महेश्वर पाण्डे गुट) की ओर से 28 मार्च, 1979 को शासन को कोई माँग-पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो माँग-पत्र की प्रमुख माँगें क्या थीं तथा शासन ने अब तक उन्हें पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

माँग-पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है। इनमें कुछ माँगें ऐसी भी हैं जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने पहले भी उठाई थी और जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। हड़ताल की अवधि का वेतन विषयक आदेश निर्गत किया जा चुका है। अन्य मांगों का परीक्षण किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1074–1075 पर)

## किसान डिग्री कालेज, बस्ती के छात्र श्री रजवन्त सिंह का निष्कासन

*21—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि किसान डिग्री कालेज, बस्ती के प्राचार्य ने 9 जनवरी, 1979 को विद्यालय के छात्र रजवन्त सिंह सहित तीन छात्रों को दो वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है ? यदि हाँ, तो इनके ऊपर आरोप क्या है ? क्या इन छात्रों को स्पष्टीकरण का मौका दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या निष्कासन को निरस्त कर, तथ्यों की पुनः जाँच कराने का आदेश देगी ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हाँ ।

श्री रजवन्त सिंह के ऊपर अगस्त, 1978 में विश्वविद्यालय परीक्षा के प्रवेश-पत्र बिना अदेयता प्रमाण-पत्र छात्रों द्वारा प्राप्त किए ही जबरदस्ती छीनकर छात्रों में वितरित करने का आरोप था ।

छात्र से स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

गत 28 फरवरी, 1978 को निष्कासन समाप्त कर दिया गया है ।

पुलिस की अभी जाँच चल रही है ।

*22—श्री राघव राम मिश्र—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

## लखनऊ, उन्नाव एवं कानपुर में बन्द किए गए जनता स्टोर तथा सेल्स मैनों का वेतनमान

*23—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उन्नाव, लखनऊ, कानपुर में चलने वाले जनता स्टोरों को तोड़ दिया गया है और इन स्थानों के स्टोर प्रभारी बिना कार्य के वेतन पा रहे हैं ? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तुएं निगम के स्टोर प्रभारियों/सेल्स मैनों को वेतन मान न देकर तीन-तीन साल बीत जाने के बाद भी सेवा शर्तों की तामील कराई जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या कारण है ?

श्री मलिखान सिंह—

उन्नाव, लखनऊ तथा कानपुर में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा क्रमशः 3, 4 तथा 5 जनता स्टोर्स जून, जुलाई व अगस्त, 1978 में बन्द किए गये। इन जनता स्टोर्स में कार्यरत 12 सेल्समैनों में से 3 सेल्समैनों को अन्य जनता स्टोर्स पर तैनात किया गया और एक सेल्समैन को उसके मूल लिपिक पद पर रख लिया गया । शेष 8 सेल्समैनों के विरुद्ध गबन व अन्य गम्भीर अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए थ और इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने का प्रश्न अभी उक्त निगम के विचाराधीन है। अतः उनकी सेवाएं अभी समाप्त नहीं की गयी हैं और उनको बिना कार्य के वेतन दिया जा रहा है ।

सेल्समैनों के लिए निगम द्वारा कोई वेतनमान निर्धारित नहीं है बल्कि उनको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर वेतन तथा निर्वाह भत्ता दिया जाता है और उनको वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जाती है। यह सही है कि सेल्समैनों से कुछ सेवा शर्तों की तामील कराई गई है और ऐसा जनता स्टोर्स को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सेल्समनों पर प्रभावी नियन्त्रण रखने, उन्हें मनमानी ढंग से कार्य करने से रोकने, निगम के धन व सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करन तथा उसको आर्थिक हानि से बचाने के लिए किया गया है।

## देवरिया जिले में छोटी गन्डक नदी पर पुलों के निर्माण पर विचार

*24—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978–79 में देवरिया जिले में गण्डक नदी पर जो 7 पुलों का निर्माण होना था उनमें से किन-किन पुलों का निर्माण हो रहा है ? यदि नहीं, हो रहा है तो क्यों ? क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा इन पुलों पर खर्च होने वाले बजट की धनराशि को उपयोग में नहीं लाया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

देवरिया जनपद में छोटी गण्डक नदी पर 7 पुलों का निर्माण होना था, लेकिन अभी तक निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है ।

इस कार्य को आरम्भ करने की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है, जिसके पूर्ण होते ही उनके द्वारा कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

यह सही नहीं है ।

*25—श्री जगन्नाथ सिंह—

[4थे गुरुवार (24–5–79) को तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

## अलकनन्दा नदी की बाढ़ से असेम्बली हाल श्रीनगर के निर्माण को क्षति

*26—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1970 में अलकनन्दा नदी के बाढ़ के प्रकोप से असेम्बली हाल, श्रीनगर के निर्माण कार्य में व्यस्त अधिकृत ठेकेदार की क्षतिपूर्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी नहीं ।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति देय नहीं थी ।

*27–28—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

## ईंट भट्टों को कोयला का अभाव

*29—श्री मित्रसेन—

क्या खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कोयले के अभाव में प्रदेश का भट्ठा उद्योग इस वर्ष बुरी तरह प्रभावित हुआ है ? यदि हाँ, तो इसकी आपूर्ति के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए ? भट्ठा उद्योग को फरवरी–मार्च, अप्रैल तथा मई वर्ष 1979 में कितने कोयले की रेकें दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मलिखान सिंह—

जी हाँ। ईंट भट्ठों के प्रयोगार्थ स्लेक कोल तथा रेलवे वैगनों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए भारत सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों, ऊर्जा मन्त्री जी, रेल मन्त्री जी तथा प्रधान मन्त्री जी को अनेक बार पत्र भेजे गए और उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क भी स्थापित किया गया । रेलवे वैगनों की कमी के कारण राज्य सरकार न स्लैक कोल के सड़क द्वारा आयात करने की अनुमति दी तथा कुछ जिलों में भट्ठे वालों को जिनके पास कोयले की कमी हो, लकड़ी द्वारा ईंट पकाने के लिए प्रोत्साहित करने के आदेश भी जारी किए गए ।

वर्ष 1979 में आवंटित कोयले की रेकों की संख्या निम्न है :—

| | |
|---|---|
| जनवरी | 9 |
| फरवरी | शून्य |
| मार्च | शून्य |
| अप्रैल | शून्य |
| मई (25 मई तक) | 1 |

कम तथा कोई कोयला न मिलने का कारण रेलवे वैगनों की कमी रही।

*30—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*31—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

*32—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

**बलवन्त विद्यापीठ सरल इंस्टीट्यूट, आगरा के प्राचार्य के पद पर डाक्टर एच०पी० सिंह की नियुक्ति**

*33—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री विधान सभा के तृतीय सत्र 1978 के प्रथम बुधवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 1978 के लिए निर्धारित श्री श्यामदत्त पालीवाल के तारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि जाँच समिति के इस निष्कर्ष के बाद कि डा0 एच0पी0 सिंह की नियुक्ति प्राचार्य, बलवन्त विद्यापीठ, रूरल इंस्टीट्यूट के रूप में विधिवत् नहीं की गयी थी, उनकी अनियमित नियुक्ति तथा अनुमोदन को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

प्राचार्य की नियुक्ति अथवा अनुमोदन को समाप्त करने की कार्यवाही करने के लिए कुलपति सक्षम हैं। कुलपति ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि श्री एच0पी0 सिंह की नियुक्ति और अनुमोदन को समाप्त न किया जाय।

*34—श्री श्रीनारायण—

[6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल एवं वैकल्पिक अध्यापकों की नियुक्ति**

*35—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि माध्यमिक शिक्षकों की विगत वर्ष अगस्त, सितम्बर, माह में हुई हड़ताल के समय जो तदर्थ नियुक्त अध्यापक हड़ताल पर नहीं गए थे उन्हें भी वैकल्पिक अध्यापकों की श्रेणी में मानकर सुविधा देने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

विगत वर्ष माह अगस्त–सितम्बर में माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल ही नहीं हुई थी। हड़ताल दिसम्बर, 1977/जनवरी, 1978 में हुई थी। उसमें कार्य करने वाले वैकल्पिक अध्यापकों को दी जाने वाली सुविधा से सम्बन्धित अध्यादेश को ही माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। अतः तदर्थ रूप से नियुक्त अन्य अध्यापकों को कथित सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठता।

## स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के पुनः निर्माण की योजना

*36—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय को स्नातक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम के पुनः निर्धारण हेतु कोई सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सितम्बर अथवा अक्तूबर, 1978 के प्रथम पखवारे में प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उक्त सुझाव क्या हैं? क्या नवीन योजना के कार्यान्वियन हेतु कोई समय सीमा भी निर्धारित की गयी है?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नवम्बर, 1978 के अन्त में कथित सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों के अन्तर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों की ग्रामीण समस्याओं के सम्बद्ध करने हेतु पुनःनिर्माण करने की योजना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वयं सम्बन्धित कुलपतियों को आवश्यक कार्यवाही फरवरी, 1979 में पूरा कर लेने का निर्देश दिया था।

*37—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## पडरौना तहसील के ग्राम पकड़ी में नलकूप निर्माण की मांग

*38—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सिचाई मन्त्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील के पडरौना विकास खण्ड के ग्राम पकड़ी खुर्द में सिचाई साधनों के नितान्त अभाव से पाँच सौ एकड़ क्षेत्रफल असिंचित हैं? यदि हाँ, तो शीघ्रातिशीघ्र राजकीय नलकूप की व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

पडरौना विकास खण्ड के ग्राम पकड़ी खुर्द में सिचाई हेतु कुल 176 एकड़ क्षेत्र उपलब्ध है जिसकी सिचाई के लिए रसूलपुर माइनर, जमुनिया राजबहा तथा बरहज माइनर से सिचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। इस ग्राम का क्षेत्र नहर से ऊंचा है अतएव कृषकगण नहर से पानी नहीं लेते हैं।

प्रश्नगत क्षेत्र नहर कमाण्ड के अन्तर्गत होने के कारण राजकीय नलकूप का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

## अतारांकित प्रश्न

## राजकीय इण्टर कालेज पिपरी, मिर्जापुर के अध्यापकों का वेतन

1—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, पिपरी, जनपद मिर्जापुर के अध्यापकों का वेतन माह दिसम्बर, 1977 का दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

## आजमगढ़ जिले में कतिपय मार्गों का निर्माण

2—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि ब्लाक बिलरियागंज और महराजगंज, जिला आजमगढ़ में 1—जयगहा—राजपुर रोड, 2—जैराजपुर—परशुरामपुर रोड, 3—परशुरामपुर—शंकरपुर रोड, 4—जराहा—वनकट रोड, मार्च, 1979 तक पूरी बनने वाली थी? यदि हाँ, तो उस अवधि में पूरा न होने का क्या कारण है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन सड़कों पर कितना रुपया एलाट किया गया था? उसमें से मार्च, 1979 तक कुल कितना खर्च हुआ है? क्या शासन को इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिनाँक 13 अप्रैल, 1979 को लिखा गया प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

सूचना निम्न प्रकार है—

(1) जयगहा—जैराजपुर रोड—इस मार्ग के प्रथम दो कि0मी0 भाग पर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र योजना में स्वीकृत कार्य 3/79 तक पूर्ण हो गया है। इसके आगे के 4 कि0 मी0, जो खाद्यान्न योजना नं0 3 व लिंक मार्ग योजना में स्वीकृत है को मार्च, 1979 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण पुनरीक्षित लक्ष्य केवल 2.5 कि0 मी0 रक्खा गया जो 3/79 तक पूरा हो गया है।

(2) जैराजपुर—परशुरामपुर रोड—यह मार्ग 6 कि0मी0 लम्बाई में खाद्यान्न योजना-3 में स्वीकृत है जिसे मार्च, 1979 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण पुनरीक्षित लक्ष्य 1.5 कि0मी0 रक्खा गया, जो 3/79 तक पूरा हो गया है।

(3) परशुरामपुर—शंकरपुर मार्ग—11.425 कि0मी0 लम्बे इस मार्ग का 0.675 कि0 मी0 भाग लेपन स्तर तक पहले से ही निर्मित है। शेष भाग में से 10 कि0 मी0 मार्ग उप मन्त्रि मण्डलीय समिति द्वारा स्वीकृत मार्गों की योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन प्रारम्भ में इसके 3.325 कि0मी0 का लक्ष्य रखा गया था। भूमि की उपलब्धता में कठिनाई तथा रोलरों की कमी के कारण पुनरीक्षित लक्ष्य शून्य रखा गया। मार्च, 1979 तक 7.40 कि0मी0 की लम्बाई में मिट्टी का कार्य एवं 3.325 कि0मी0 की लम्बाई में सीलिंग स्तर तक का कार्य किया गया। इसी मार्ग के अन्त का महुला बाँध तक का शेष 0.75 कि0 मी0 भाग खाद्यान्न योजना—4 में स्वीकृत है जिसमें मिट्टी का कार्य मार्च, 1979 तक पूरा कर दिया गया है।

(4) जयगहा बनकट मार्ग—यह मार्ग निर्माण हेतु किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

इन मार्गों पर वर्ष 1978—79 में आवंटित धनराशि एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

| मार्ग का नाम | आवंटित की गयी धनराशि | व्यय की गयी धनराशि |
|---|---|---|
| | (रुपए लाख में) | (रुपए लाख में) |
| 1—जैयगहा—जैराजपुर रोड | | |
| खाद्यान्न योजना—3 .. .. .. | 0.14 | 0.144 |
| लिंक मार्ग योजना .. .. .. | 3.00 | 1.687 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2—जैराजपुर–परशुरामपुर रोड | | |
| खाद्यान्न योजना –3 (मिट्टी का कार्य) .. | 0.07 | 0.072 |
| खाद्यान्न योजना–3 (पुलिया) .. .. | 0.12 | 0.125 |
| 3—परशुरामपुर–शंकरपुर रोड | | |
| मन्त्रि मण्डलीय उप समिति .. .. | 3.60 | 3.573 |
| द्वारा स्वीकृत मार्गों की योजना | | |
| खाद्यान्न योजना–4 .. .. .. | 0.17 | 0.167 |
| 4—जयगहा–बनकट रोड .. .. | (यह कार्य स्वीकृत नहीं है) | |

शिकायती-पत्र दिनाँक 13–4–79 पर आवश्यक जाँच कराई जा रही है ।

3—श्री रामदत्त जोशी—

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**बरेली जिले के फतेहगंज पूर्वी में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की मांग**

4—श्री सियाराम सागर (जिला बरेली)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली में सरकारी इण्टर कालेज खोलने की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं ।

5—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

**चोपन ब्लाक जिला मिर्जापुर में रेणु नदी व बिजुल नदी पर पुल निर्माण की मांग**

6—श्री ईश्वर प्रसाद, श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राजनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर (चोपन ब्लाक) में रेणु नदी व बिजुल नदी पर पुल बनानें की योजना इस समय सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक पुल का निर्माण हो जायगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

अभी कोई योजना नहीं है ।

इसका कोई प्रश्न नहीं उठता ।

7—श्री ईश्वर प्रसाद, श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राजनाथ सिंह—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित ।]

**मिर्जापुर जिला के कतिपय विकास खण्डों के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल**

8—श्री ईश्वर प्रसाद, श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राजनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के चोपन, म्योरपुर, बभनी, दुद्धी ब्लाक में कितने प्राइमरी पाठशाला और जू0 हा0 स्कूल हैं ? क्या सभी स्कूल मौके पर चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जनपद मिर्जापुर के चौपन, म्योरपुर, बभनी तथा दुद्धी ब्लाकों में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों की संख्या निम्न हैं :—

| ब्लाक | जू0 हा0 स्कूल | प्राइमरी पा0 शा0 |
|---|---|---|
| चोपन | 8 | 106 |
| म्योरपुर | 9 | 78 |
| बभनी | 4 | 44 |
| दुद्दी | 7 | 50 |

जी हाँ,

सभी स्कूल वर्तमान समय में चल रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

9—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

10—श्री राम आसरे वर्मा—

[2-5-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित]

**मदन लाल इण्टर कालेज, बदायूं के दफ्तरी श्री रमेश चन्द्र मिश्रा को बहाल करने के आदेश**

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगें कि जनपद बदायूं के मदन लाल इण्टर कालेज, बिसोली के दफ्तरी श्री रमेश चन्द्र मिश्रा को मई, 1977 को प्रबन्ध समिति द्वारा सेवा मुक्त किया गया, 23 जुलाई, 1977 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सेवा मुक्ति की पुष्टि की गयी तथा 1 फरवरी, 1978 को उसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दफ्तरी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उसे सवेतन बहाल किया गया? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

प्रश्नगत विद्यालय के तत्कालीन दफ्तरी (श्री रमेश चन्द्र मिश्रा) की सेवायें संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 28 मार्च, 1977 को समाप्त कर दी गयी थीं। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री मिश्रा द्वारा की गयी अपील प्रबन्धक द्वारा दिनाँक 27 मई, 1977 को अस्वीकृत कर दी गयी। श्री मिश्रा ने विद्यालय निरीक्षक के समक्ष द्वितीय अपील की जो दिनाँक 23 जुलाई, 1977 को अस्वीकृत कर दी गयी। शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार विद्यालय निरीक्षक को अपने ही आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, परन्तु किसी अज्ञानतावश उक्त अधिकारी द्वारा दिनाँक 1 फरवरी, 1978 को अपने पूर्व आदेश दिनाँक 23 जुलाई, 1977 को निरस्त करके श्री मिश्रा को बहाल करने के आदेश पारित किए गए। इस विषम स्थिति के निराकरण हेतु शासन को सन्दर्भ प्रेषित किया गया। विधिक परामर्शानुसार शासन ने यह निणय लिया है कि विद्यालय निरीक्षक के आदेश दिनाँक 23 जुलाई, 1977 को पारित आदेश ही मान्य होंगे।

12—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

13—श्री रवीन्द्र सिंह—

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के द्वारा लिया जाने वाला विकास शुल्क**

14—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि आपातकाल के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों ने बढ़ी हुई फीस को सरकार ने वापस करने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो विश्वविद्यालयों में विकास शुल्क 20 रु0 क्यों लिया जा रहा है तथा विधि के विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया गया?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

शासनादेश संख्या 3856/15-10-76--46(6)-76, दिनाँक 28 जून, 1976 द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अन्य शुल्कों के साथ-साथ विकास शुल्क में भी वृद्धि की गयी थी। शासनादेश संख्या 2914/15-(15)--46(6)-76, दिनाँक 16 जुलाई, 1977 द्वारा केवल शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) वापस करने की घोषणा की गयी थी। अन्य बढ़े हुए शुल्क वापस लिए जाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिए गए।

15—श्री रवीन्द्र सिंह—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

16—श्री रवीन्द्र सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

17—श्री रवीन्द्र सिंह—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

18—श्री रवीन्द्र सिंह—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

**फैजाबाद जिले के प्राइवेट इण्टर कालेजों के अस्थायी प्राचार्य**

19—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में कितने प्राइवेट इण्टर कालेज ऐसे हैं जहाँ पर अस्थायी प्राचार्य कार्य कर रहे हैं? सरकार कौन सा ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे स्थायी प्राचार्य में नियुक्ति हो सके?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

पाँच।

स्थानीय विद्यालय निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं के प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति की कार्यवाही 30 जून, 1979 तक पूरी कर लें।

**फैजाबाद जिले के बेरोजगार बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापक**

20—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा) बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में वर्ष 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1978 तक कुल कितने बी0टी0सी0 के प्रशिक्षित अध्यापक नौकरी प्राप्त कर चुके हैं तथा जनपद में कुल कितने बी0टी0सी0 के प्रशिक्षित अध्यापक बेरोजगार पड़े हैं? सरकार इन बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापकों को नौकरी देने के लिए कितनी प्राइमरी पाठशालाएं खोलने जा रही है?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

फजाबाद जनपद में कुल 12 बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापक 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1978 तक नौकरी प्राप्त कर चुके हैं तथा इस समय जनपद में 1409 पुरुष तथा 358 महिला कुल 1767 बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापक बेरोजगार हैं।

वर्ष 1979-80 में जनपद फैजाबाद में कितने प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे, इस सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। आय-व्ययक के पारित होने के बाद ही यह निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

## बड़ी गण्डक नदी की बाढ़

21--श्री श्रीनारायण--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि बड़ी गण्डक नदी में गत बाढ़ का कारण यह था कि पिपरासी बन्ध टूट गया और बिहार सरकार के सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने भैसालोटन में नहरों का फाटक बन्द कर दिया जिससे नदी में पानी का दबाव तथा जल स्तर बढ़ गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी नहीं। बाढ़ का कारण यह था कि बूढ़ी गण्डक नदी में उसके कैचमेन्ट क्षेत्र से अधिक पानी आ गया था।

## बाराबंकी जिले की रुदौली लिफ्ट सिंचाई योजना में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

22--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत रुदौली लिफ्ट सिंचाई योजना का शुभारम्भ कब हुआ और इस योजना के अन्तर्गत किसानों को कब से पानी मिल रहा है और प्रत्येक वर्ष शासन को उक्त योजना द्वारा सिंचाई के मद में कितना रुपया मिलता रहा है और प्रत्येक वर्ष कितने एकड़ भूमि सींची जा रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत रुदौली लिफ्ट योजना का शुभारम्भ वर्ष 1973-74 में हुआ और दिनांक 1-12-77 से इस लिफ्ट सिंचाई योजना से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

इस योजना द्वारा वर्षवार राजस्व की प्राप्ति तथा सिंचाई के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :-

| वर्ष | | | राजस्व प्राप्ति (रु0 में) | सिंचित क्षेत्र (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | .. | .. | 1,894 | 92 |
| 1978-79 | .. | . | 2,093 | 114 |

23--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रुदौली लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों की कितने एकड़ भूमि अर्जित की गयी और क्या सम्बन्धित अर्जित भूमि का मुआवजा किसानों को अब तक शासन द्वारा नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

रुदौली लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों की 56.07 एकड़ भूमि अर्जित की गयी है। इसमें 40.87 एकड़ भूमि का प्रतिकर किसानों को वितरित हो चुका है। शेष 15.20 एकड़ भूमि के प्रतिकर के बंटवारे हेतु आवश्यक धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है।

## बाराबंकी जिले की नैरोजपुर लिफ्ट सिंचाई योजना से प्राप्त राजस्व

24—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत नैरोजपुर लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हाँ, तो उक्त पम्प कैनाल के पानी देने हेतु कितने और कितने हार्स पावर वाले मोटर लगे हुए हैं और उक्त योजना जब से चालू हुई है तब से सन् 1978 तक सिंचाई के माध्यम से सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

ग्राम नैरोजपुर बबेड़ी तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी में रुदौली पम्प नहर लिफ्ट सिंचाई योजना से दिनाँक 1-12-77 से 10 क्यूसेक्स क्षमता से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस पम्प नहर पर 100 हार्स पावर वाला एक मोटर कार्यरत है। इस योजना द्वारा शासन को वर्ष 1977-78 में रु0 1894.00 तथा वर्ष 1978-79 में रु0 2093.00 राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं ?

## माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल की अवधि के वेतन का भुगतान

25—श्री मित्रसेन तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष हड़ताली शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से शासन ने स्वीकार कर लिया है ? यदि हाँ, तो यह वेतन भुगतान की कुल धनराशि क्या है और इसे कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

हड़ताल की अवधि के वेतन भुगतान की अनुमानित धनराशि लगभग तीन करोड़, छियासठ लाख रुपए है। दिनाँक 18 मई, 1979 को शासन ने यह आदेश जारी कर दिए हैं कि उक्त हड़ताल का वेतन इस प्रतिबन्ध के साथ दे दिया जाय कि जो वेतन अध्यापकों को हड़ताल की अवधि के लिए अनुमन्य है उसके आधे का नकद भुगतान कर दिया जाय तथा आधे की धनराशि पाँच वर्षीय योजना के अन्तर्गत नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के नाम से क्रय करके सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उन्हें वितरित करा दिया जाय।

शिक्षा निदेशक को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि वे उपर्युक्त निर्णय का अविलम्ब कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

26—श्री मित्रसेन—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

27—श्री जगन्नाथ सिंह—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

## बाराबंकी जिले के रुदौली रेट घाट मार्ग पर गोमती नदी पर पुल निर्माण की मांग

28—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत रुदौली नोटीफाइड एरिया से रेट घाट जाने वाले राज मार्ग पर स्थित गोमती नदी पर पुल निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

29–30—श्री श्रीनारायण—

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

31–32—श्रीमती रामरति देवी—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित ।]

**देवरिया गंडक नहर के सुखपुरा स्केप का निर्माण एवं भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही और पडरौना–बिहार मार्ग पर सुखपुरा के पुल निर्माण की मांग**

33—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बड़ी गण्डक नहर से सुखपुरा स्केप के अन्तर्गत ग्राम सुखपुरा जंगल अमवाँ, जंगल बनवीर, जंगल शाहपुर आदि ग्रामों की जो भूमि निकली है उसका मुआवजा अब तक किन कारणों से किसानों को नहीं दिया गया ? क्या सरकार शीघ्र समस्त मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सुखपुरा स्केप के निर्माण हेतु प्रश्नगत ग्रामों की भूमि की अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4(1)के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 14-4-79 के गजट में प्रकाशित हो चुकी है और धारा 6(1)की विज्ञप्ति के प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है। इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के उपरान्त भूमि का प्रतिकर वितरित किया जायगा ।

34—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बड़ी गण्डक नहर के सुखपुरा स्केप पर सुखपुरा ग्राम में पडरौना से बिहार जाने वाली सड़क पर कोई पुल नहीं है जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री महोदय सुखपुरा स्केप पर उक्त सड़क पर पुल बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

देवरिया जनपद में बड़ी गण्डक नहर नाम की कोई नहर नहीं है। सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर से है। इस नहर के मील 55–7–0 (89.400 कि0मी0) से सुखपुरा स्केप निकलती है। स्केप के शीर्ष पर सड़क पुल बना है। एक सड़क ग्राम सुखपुरा से पडरौना होती हुई बिहार जाती है, जो सुखपुरा स्केप पर 100 मी0 पर मिलती है जहाँ वर्तमान में कोई पुल नहीं है। परन्तु इस स्थल से 100 मीटर ऊपर तथा 700 मीटर नीचे सड़क पुल विद्यमान है तथा स्केप के दोनों ओर सर्विस रोड बनी हैं जिसमें आसानी से सड़क पर आना जाना होता है। लोगों को कोई परेशानी नहीं है ।

जी नहीं, क्योंकि ग्राम सुखपुरा के आवागमन हेतु 800 मीटर लम्बाई में दो पुल निर्मित हैं तथा दोनों पुल ग्राम की सड़को से मिले हैं तथा स्केप के दोनों ओर सर्विस रोड का प्राविधान है। अत: आवागमन आसानी से शीर्ष पर बने पुल व 800 मी0 पर बने पुल से होता है। इतनी कम दूरी पर तीसरा पुल बनाना उचित नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

## देवरिया जिले में नेबुआ–छितौनी मार्ग का निर्माण

35—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में नेबुआ–छितौनी मार्ग पर निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ था ? अब तक कितने रुपए खर्च हो चुके हैं और शेष निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा और कितना रुपया और खर्च होने की सम्भावना है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जिला देवरिया में नेबुआ से छितौनी मार्ग के सी0सी0 ट्रैंक का निर्माण-कार्य फरवरी; 1963 में प्रारम्भ किया गया था ?

इस मार्ग की लम्बाई 10.20 कि0मी0 है और सी0सी0 ट्रैंक का कार्य 3.167 लाख रु0 की लागत पर स्वीकृत हुआ था। मार्ग के निर्माण पर 3.59 लाख रु0 खर्च हो चुका है और कोई निर्माण कार्य शेष नहीं है, अतः और खर्चा करने का प्रश्न नहीं उठता।

36—श्री श्रीनारायण—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

## देवरिया जिले में छितौनी से अहिरौली दान के बीच कतिपय बांधों का निर्माण

37—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में छितौनी अहिरौली दान बन्ध कितने रुपए अनुमानित लागत से कब तक बनने की योजना थी ? बन्ध निर्धारित अवधि में क्यों नहीं बना ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

छितौनी अहिरौली दान नाम का कोई बाँध नहीं है, परन्तु छितौनी से अहिरौली दान तक निम्नलिखित 6 बन्ध बनाने की योजना है—

(1) छितौनी बाँध एवं वीरभार स्पर का सुदृढ़ीकरण।

(2) रेलवे इम्बैंकमेन्ट का सुदृढ़ीकरण।

(3) छितौनी पिपरासी बाँध का निर्माण।

(4) पिपरासी बाँध का निर्माण।

(5) अमवाँ खास बाँध का निर्माण।

(6) अहिरौली दान पीपराघाट बाँध का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार।

इनमें से छितौनी पिरासी, पिपरा व अमवाँ खास बाँध के कुछ भाग बिहार राज्य के क्षेत्र में पड़ते हैं जिनके निर्माण का दायित्व बिहार राज्य पर है।

सभी बाँधों पर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कुछ बाँधों के कार्य पर स्थानीय जनता का विरोध है। अतएव स्पष्ट रूप से यह कहना कि कार्य कब खत्म हो जायगा, सम्भव नहीं है।

## बाराबंकी जिले के भवन विहीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल

38—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में कितने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चल रहे हैं ? और उनमें से कितने ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन नहीं हैं ? और क्या सरकार द्वारा उन भवनों को बनाए जाने हेतु कोई योजना तैयार की गयी है ? यदि हाँ, तो उसका शुभारम्भ कब तक कर दिया जायगा ?

**श्री कैलाश नाथ सिंह—**

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विकास खण्डवार जनपद बाराबंकी के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों की संख्या और भवनहीन स्कूलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| | | बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों की संख्या | | जनपद के भवनहीन स्कूलों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | विकास खण्ड का नाम | प्राइमरी स्कूल | जूनियर हाई स्कूल | प्राइमरी स्कूल | जूनियर हाई स्कूल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बंकी .. | 94 | 8 | 21 | 3 |
| 2 | मसौली .. | 69 | 6 | 14 | .. |
| 3 | हरख .. | 75 | 6 | 20 | 1 |
| 4 | देवा .. | 67 | 5 | 15 | 3 |
| 5 | सिद्धौर .. | 81 | 7 | 28 | 4 |
| 6 | त्रिवेदीगंज .. | 74 | 9 | 29 | 5 |
| 7 | हैदरगढ़ .. | 82 | 9 | 23 | 4 |
| 8 | दरियाबाद .. | 123 | 9 | 25 | 1 |
| 9 | मवई .. | 75 | 6 | 44 | 3 |
| 10 | वनीकोडर .. | 84 | 6 | 29 | 3 |
| 11 | पूरेडलह .. | 87 | 5 | 63 | 2 |
| 12 | रुदौली .. | 77 | 6 | 25 | 2 |
| 13 | निन्दुरा .. | 71 | 6 | 26 | 1 |
| 14 | सूरतगंज .. | 93 | 8 | 33 | 3 |
| 15 | फतेहपुर . | 103 | 9 | 28 | 5 |
| 16 | रामनगर .. | 95 | 10 | 39 | 3 |
| | योग | 1,350 | 115 | 462 | 43 |

जी हाँ, प्रदेश के मैदानी जनपदों में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित भवनहीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण की योजना छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गयी है और उसका शुभारम्भ वर्तमान वित्तीय वर्ष से किया जायगा।

उपलब्ध धनराशि के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया जायगा किन्तु धनाभाव के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि जनपद बाराबंकी के उपरोक्त भवनहीन स्कूल कब तक बन जायेंगे।

## बाराबंकी जिले की नबगवाँ पम्प नहर से सिंचाई एवं राजस्व की प्राप्ति

39—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नबगवा डीह, तहसील राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी अन्तर्गत सन् 1972 में किसी पम्प नहर का निर्माण किया गया है ? यदि हाँ, तो सन् 1973 से लेकर कितनी भूमि की आबपाशी हुई है और उक्त पम्प नहर द्वारा सिंचाई से सरकार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

ग्राम नबगवाँ डीह, तहसील रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत सन 1972-73 में नवगवाँ पम्प नहर का निर्माण प्रारम्भ किया गया। इस योजना द्वारा दिनाँक 10-12-76 से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस पम्प नहर से अब तक हुई सींच व राजस्व का विवरण निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | | सिंचित क्षेत्र (एकड़ में) | राजस्व (रु0 में) |
|---|---|---|---|
| 1976-77 | .. | 39 | 730 |
| 1977-78 | | 63 | 1369 |
| 1978-79 | .. | 71 | 1559 |

**बाराबंकी जिले के जूनियर हाई स्कूल दिलोना के अध्यापक श्री सुखदेव सिंह की सेवा समाप्ति**

40—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलने वाले प्राइमरी पाठशाला दिलोना, विकास खण्ड बनी कोडर में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री सुखदेव को मास सितम्बर, सन् 1977 को सेवा करने से रोका गया है? यदि हाँ, तो उसका कारण क्या है और क्या उसका लगभग 6 महीने का वेतन बकाया भी है? यदि हाँ, तो उनके वेतन का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया है?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जनपद बाराबंकी के जूनियर बेसिक स्कूल दिलोना, शिक्षा क्षेत्र बनी कोडर से सहायक अध्यापक श्री सुखदेव की सेवाएं निरन्तर अनुपस्थिति के कारण 1969 में जिला परिषद द्वारा समाप्त कर दी गयी थी। श्री सुखदेव दिनाँक 24-4-77 को पुनः विद्यालय में बिना किसी आदेश के उपस्थित हुए, चूंकि इनकी सेवायें पहले ही समाप्त की जा चुकी थीं अतः इन्हें कार्य करने से रोक दिया गया।

श्री सुखदेव की अधिकृत नियुक्ति न होने के कारण उन्हें वेतन देय नहीं है। अतः अवशेष वेतन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

**कन्या प्राइमरी पाठशाला रुदौली, जिला बाराबंकी की प्रधानाध्यापिका श्रीमती फारुखा खातून के वेतन का भुगतान**

41—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती फारूका खातून, प्रधान अध्यापिका, कन्या प्राइमरी विद्यालय, रुदौली, जनपद बाराबंकी का वेतन मान जनवरी, सन 1970 लगायत मास अक्टूबर सन् 1970 तक का भुगतान नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

कन्या प्राइमरी पाठशाला, रुदौली, जिला बाराबंकी की प्रधान अध्यापिका श्रीमती फारूका खातून का वेतन माह जनवरी, 1970 लगायत मास अक्टूबर, 1970 तक का 11-8-78 को भुगतान कर दिया गया है।

**विकास खण्ड रुदौली के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में सूची**

42—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1977-78 में विधान सभा क्षेत्र 175 बेसरहा के विधायक (प्रश्नकर्त्ता) द्वारा विकास खण्ड के किन-किन ग्रामों में प्राइमरी

स्कूल खोलने हेतु सूची विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों को प्रस्तुत की गयी थी तथा विभाग द्वारा किन-किन ग्रामों में प्राइमरी स्कूल तथा जू0 हाई स्कूल खोले गये ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

माननीय विधायक द्वारा विकास खंड रुदौली में अयार, बिजहर-दुलहा, विजयपुर, कपियवा, मझावाँखुर्द एवं डड़वा पान्डे, विकास क्षेत्र साँथा में डवारा, गाड़ापोखर, बनखोरिया मेडौरा-पिकौरा, रैदरपार, भनदापुर, विकास क्षेत्र खेसरहा में अकोलही, सप्ती, गोपालपुर, मजोरा एवं विकास क्षेत्र मिठवल में कठमोरवा, घनघटा ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला, तथा ग्राम पड़री (रुधौली बखीरा मार्ग पर) क्षेत्र रुधौली में कन्या क्रमोतर अथवा कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की सूची जिला स्तर के अधिकारियों को प्रस्तुत की गई थी।

विकास क्षेत्र रुदौली में अयार, बिजहर-दुलहा, अपियवा, विकास क्षेत्र साँथा में गाड़ा पोखर मेडौरा-पिकौरा, विकास क्षेत्र खेसरहा में अकुलही ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोले गये।

## बस्ती जिले के विस्कोहर-इटवा तलपुरवा-बांसी मार्ग की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

43—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत विस्कोहर-इटवा-तलपुरवा-बाँसी मार्ग पर वित्तीय वर्ष 1978–79 में कितना धन तारकोल पेंट बाढ़ से क्षति को ठीक करने एवं वार्षिक मरम्मत के मदों में अलग-अलग आवंटित था और उस में से कितना-कितना धन तीनों मदों में अलग-अलग 31 मार्च, 1979 तक व्यय किया गया ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

सूचना निम्न प्रकार है:—

| मद | 1978–79 में आवंटित धन (लाख रुपये में) | 31 मार्च, 1979 तक 1978-79 में व्यय (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1—10 कि0 मी0 लम्बाई में पुनः निर्माण स्वीकृत कार्य (तारकोल पेन्ट) .. | 5.00 | 5.00 |
| 2—बाढ़ से क्षति को ठीक करने के कार्य .. | 5.90 | 5.88 |
| 3—वार्षिक मरम्मत .. .. | 1.72 | 2.25 |

44—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

क्या यह सत्य है कि विस्कोहर से तलपुरवा के बीच इस मार्ग पर करीब एक लाख रुपए का मिट्टी का कार्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि में कराया गया और इस मार्ग पर वार्षिक मरम्मत के मद का निर्धारित धन अन्य मार्गों पर ट्रांसफर कर दिया गया ? यदि हाँ, तो निर्धारित धन अन्य मार्गों पर ट्रांसफर होने का कारण क्या है?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

यह सही कि लगभग 90,000 रु0 की लागत पर पट्टी सुधार का कार्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत इस मार्ग पर कराया गया परन्तु यह सही नहीं है कि इस मार्ग पर वार्षिक मरम्मत के बाद का धन अन्य मार्गों पर हस्तान्तरित कर दिया गया। इस सड़क पर निर्धारित दर के अनुसार 1.18 लाख रूपये के बजाय वास्तव में 1.75 लाख रु0 का व्यय किया गया।

45—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत विस्कोहर-इटवा-तलपुरवा मार्ग पर वित्तीय वर्ष 1975–76, 1976–77, 1977–78 तथा 1978–79 में वार्षिक मरम्मत के मद का कितना धन अलग-अलग वर्षों में व्यय किया गया ? क्या यह सत्य है कि इस मार्ग पर उक्त चार वर्षों में वार्षिक मरम्मत के मद से जितना धन उसकी लम्बाई के हिसाब से आवंटित होना चाहिए था वह जिला स्तर से नहीं किया जाता रहा, परिणाम-स्वरूप मार्ग काफी खराब हो चुका है, यदि हाँ, तो इस मार्ग की हालत ठीक करने के लिए सरकार क्या कोई योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

बस्ती जिले में विस्कोहर-इटवा-तलपुरवा-बाँसी मार्ग के विस्कोहर-इटवा-तलपुरवा भाग पर वार्षिक मरम्मत के मद से निम्नलिखित व्यय किया गया:—

| वर्ष | निर्धारित दर के अनुसार जो व्यय होना चाहिये था | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|
| | लाख रु0 | लाख रु0 |
| 1975–76 .. .. | 0.78 | 0.76 |
| 1976–77 .. .. | 1.18 | 1.66 |
| 1977–78 .. .. | 1.18 | 1.85 |
| 1978–79 .. .. | 1.18 | 1 75 |

इस मार्ग की वार्षिक मरम्मत पर लम्बाई को ध्यान में रखते हुये उक्त चार वर्षों में जितना व्यय होना चाहिये था उससे अधिक व्यय हो चुका है। मार्ग की सतह वाटर बाउन्ड होने एवं यातायात अधिक होने से उसकी दशा अच्छी नहीं है। प्रश्नगत मार्ग के विस्कोहर से इटवा की ओर का केवल 4 कि0मी0 भाग मार्ग की पुनः निर्माण योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। शेष भाग के पुनः निर्माण के लिये धन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

46—श्री नाथूराम शिक्षक—

[6ठे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**देवरिया जिले की गन्डक नहर क्षेत्र की सिधारिया ड्रेन पर पुल निर्माण की मांग**

47—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में गण्डक नहर क्षेत्र में सिधारिया ड्रेन पर पुल, पुलिया तथा पशु सेतुओं के अभाव के कारण किसानों को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं ? यदि हाँ, तो उक्त ड्रेन पर पर्याप्त संख्या में पुल तथा पुलियों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सिधाँरिया ड्रेन पर 12 पुल पहले से निर्मित हैं एवं चार पुल प्रस्तावित हैं। अतः पुलिया के अभाव के कारण किसानों को कठिनाई होने का प्रश्न नहीं उठता है।

**पडरौना तहसील गण्डक परियोजना के गायघाट राजबहा पर पुल निर्माण की मांग**

48—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतायेंगे कि पडरौना तहसील में गण्डक परियोजना के अन्तर्गत गायघाट राजबहा पर बलकुडिया तथा सिसहन के बीच में एक पुल ग्रामीणों के हित में शीघ्र बनाया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं। पुल की माँग मील 1–2–550 पर है। इस स्थान से ऊपर मील 1–0–330 पर तथा नीचे मील 2–0–0 पर पुल पहले से ही निर्मित है, जो बहुत ही पास है अतः इस स्थान पर एक और पुल का निर्माण उचित नही है।

**देवरिया जिले के चीफ ब्रांच के पक्के निर्माण के लिए आमन्त्रित टेंडर**

49—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के चीफ ब्रान्च के पक्के निर्माण कार्य के लिए 29–30–31 अगस्त, 1977 को आमन्त्रित किये गये टेंडर किसी भी ठेकेदार ने इसलिए नहीं डाले कि ठेकेदारों का भुगतान मार्च, 1977 से नहीं हुआ था? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य में उत्पन्न गतिरोध के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह सही नहीं कि ठेकेदारों ने 29,30 तथा 31 अगस्त, 1977 को आमंत्रित किये गये टेण्डर मार्च, 1977 में भुगतान न होने के कारण नहीं दिये। दिनाँक 30 व 31 अगस्त, 1977 को कुल 22 पक्के कार्यों की ठेकेदारों से निविदायें प्राप्त हुयीं। दिनाँक 29–8–77 को माँगी गई निविदाओं को दिनाँक 7–9–77 तक के लिये स्थगित कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

**नवीन दस वर्षीय शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित संस्कृत भाषा**

50—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि दस वर्षीय नवीन राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदेश में संस्कृत भाषा चतुर्थ भाषा स्वीकृत की गयी है? यदि हाँ, तो क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि संस्कृत को चतुर्थ भाषा का दर्जा देने के तथा कथित निर्णय के विरुद्ध अब तक कितने विरोध-पत्र प्रदेश के संस्कृत विद्वानों तथा संगठनों व सम्मेलनों द्वारा प्राप्त हुए तथा प्राप्त-पत्रों पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ, नवीन दस वर्षीय शिक्षा पाठ्यक्रम में संस्कृत तथा अन्य शास्त्रीय भाषायें चतुर्थ भाषा के रूप में प्रस्तावित है, परन्तु प्रदेश में नवीन पाठ्यक्रम लागू करने का सम्प्रति कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः इस संबंध में प्राप्त पत्रों पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

**किसान डिग्री कालेज, देवरिया को प्रदान की गयी डिग्री कालेज की मान्यता**

51—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि 8 जनवरी, 1977 को प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के देवरिया जनपद के दौरे के दौरान सेवहरी की आम सभा में किसान डिग्री कालेज, तमकुही रोड के डिग्री कालेज की मान्यता की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो उक्त घोषणा के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हाँ।

इस कालेज को बी० ए० की अस्थायी सम्बद्धता हेतु संकेत पत्र निर्गत कर दिया गया है।

52—श्री मित्र सेन—

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

**फैजाबाद जिले के मया–भीटी मार्ग के निर्माण की मांग**

53—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में मया से भीटी मार्ग के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक हो जायगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र —

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

**शिक्षा निदेशालय में कथित तकनीकी पद**

54—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश में वेतनक्रम रु0 280–450 के तकनीकी तरह के पदनाम के कितने पद कब से स्थायी चल रहे हैं ? क्या शासन की नीति के अनुसार इन पदों पर तीन वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें कब तक स्थायी किया जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

शिक्षा निदेशालय में ऐसा कोई पद नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**गिरिजा बैराज से निकलने वाली घाघरा नहर परियोजना की अनुमानित लागत**

55—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक पोषक नहर परियोजना के अन्तर्गत बने गिरिजा बैराज से निकलने वाली घाघरा लिफ्ट कैनाल पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ? तथा इस नहर से किन-किन जिलों को पानी मिल पायेगा इस नहर परियोजना की रनिंग कास्ट वार्षिक व्यय कितनी होगी ? तथा राजस्व आय कितनी होगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

गिरिजा बैराज से निकलने वाली बांयी तटीय घाघरा नहर परियोजना की अनुमानित लागत 7,868 लाख रु0 है । इस परियोजना से गोण्डा एवं बहराइच जनपदों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी । स्वीकृत परियोजना के अनुसार रख-रखाव एवं परिचालन पर वार्षिक व्यय 65.70 लाख रु0 तथा वार्षिक स्थूल राजस्व 107.85 लाख रुपये है ।

**फैजाबाद जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का प्राविडेंट फण्ड**

56—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक शिक्षा) बताने की कृपा करेंगे कि फजाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों का प्राविडेण्ट फण्ड का माह जुलाई व अगस्त, 1978 का लगभग चार लाख रुपया कोषागार में नहीं जमा हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और शासन दोषी कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

फैजाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के प्राविडेण्ट फन्ड का धन क्रमशः माह जुलाई व अगस्त 1978 का इकाई वार निम्न ब्योरे के अनुसार कोषागार में जमा कर

दिया गया है :—

नाम इकाई तथा माह— धनराशि रे0 चालान सं0

1—जिला परिषद इकाई, फैजाबाद

माह जुलाई, 1978, रु0 1,81,898.40रे0 चा0 सं0–3, दिनाँक 10–8–78
माह अगस्त, 1978 रु0, 1,81,087.55 रे0 चा0 सं0–1, दिनाँक 7–9–78

2—नगरपालिका इकाई, फैजाबाद

माह जुलाई, 1978, रु0 12056.15, रे0 चा0 सं0 10 दिनाँक 23–8–78
माह अगस्त 1978 रु0 12064.75 रे0 चा0 सं0–1, दिनाँक 9–9–78

3—नगरपालिका टाँडा इकाई, फैजाबाद

माह जुलाई, 1978, रु0 4041.00 रे0 चा0 सं0–60 दिनाँक 10–8–78
माह अगस्त, 1978 रु0 3960.90 रे0 चा0 सं0–1 ए दिनाँक 14–9–78

अध्यापकों के प्राविडेण्ट फन्ड का धन समय से जमा कर दिया गया है। अतः किसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

**बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतनमान**

57—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक शिक्षा) बताने की कृपा करेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति का पालन बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के वेतन मान व मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-मान के सम्बन्ध में किया जा रहा है? यदि हाँ, तो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित अध्यापकों का वेतनमान रु0 210–320 व मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों का वेतनमान रु0 250–425 का कारण क्या है? क्या शासन इस सम्बन्ध में भेदभाव की नीति का त्याग करेगा?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइवेट व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों का रु0 210–330 का वेतनमान निर्धारित करने में समान कार्य के लिये समान वेतन की नीति का पालन किया गया है रु0 250–425 के वेतनमान का जो उल्लेख प्रश्न में किया गया है वह मान्यता प्राप्त हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों से सम्बद्ध जूनियर हाई स्कूल सेक्शन के अध्यापकों को स्वीकृत किया गया है और उनको उच्च वेतन मान देने का कारण उनकी उच्च शैक्षिक व प्रशिक्षण योग्यता है। भेदभाव की नीति का प्रश्न ही नहीं है।

**नवीन महिला सेवा सदन इन्टर कालेज, इलाहाबाद की अध्यापिकाओं का बकाया वेतन और सी०टी० वेतनमान की अध्यापिकाओं का प्रत्यावर्तन**

58—श्री अशर्फीलाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नवीन महिला सेवा सदन इण्टर कालेज, इलाहाबाद में अध्यापिकाओं का संशोधित वेतन-मान की धनराशि सन् 1974 से बकाया है? यदि हाँ, तो वह धनराशि प्रति अध्यापिका कितनी और उसके भुगतान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

59—श्री अशर्फीलाल यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नवीन महिला सेवा सदन इन्टर कालेज, इलाहाबाद पूर्व नाम महिला सेवा सदन हाई स्कूल, इलाहाबाद में जनवरी, 1975 से दिसम्बर 1976 तक कितनी अध्यापिकाओं की नियुक्ति सी0टी0 वेतन-मान में की गयी थी और कुछ समय बाद उनमें से कुछ को बी0 टी0 सी0 वेतन मान में कर दिया गया ? यदि ऐसा हुआ तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

3 अध्यापिकाओं की नियुक्ति सी0 टी0 वेतन मान में प्रबन्धतन्त्र द्वारा की गई थी। बाद में उनमें से दो अध्यापिकाओं को सी0 टी0 वेतनमान से बी0 टी0 सी0 वेतनमान में मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, इलाहाबाद द्वारा परिवर्तित कर दिया गया क्योंकि मानक के अनुसार सी0टी0 वेतन मान में पद नहीं थे। अतः दो कनिष्ठतम सी0 टी0 वेतन मान में नियुक्त अध्यापिकाओं को निरीक्षिका द्वारा बी0 टी0 सी0 में परिवर्तित कर दिया गया तथा एक अध्यापिका सी0 टी0 वेतन मान में कार्यरत है।

## गुलरिहा बाजार, गोरखपुर के जूनियर हाई स्कूल की मान्यता

60—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जूनियर हाई स्कूल झूगिया बाजार, गोरखपुर मान्यता प्राप्त करने की सभी शर्तें पूरी करता है ? यदि नहीं, तो सत्र 1978 में इस विद्यालय को मान्यता कैसे दी गयी ? क्या सरकार मौके पर जाँच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इस नाम का कोई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल गोरखपुर जनपद में नहीं है। प्रश्नगत स्कूल का आशय जूनियर हाई स्कूल गुलरिहा बाजार, पत्रालय झुगिया बाजार, गोरखपुर से मालूम पड़ता है जो स्थायी मान्यता की सभी शर्तें पूरी नहीं करता है। इसको वर्ष 1977–78 में अस्थायी मान्यता की शर्तें पूरी करने पर अस्थायी मान्यता दी गयी जिसका नवीनीकरण वर्ष 1978–79 में कर दिया गया। इस स्थिति में इस मामले में सरकार द्वारा मौके पर जाँच कराकर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

## प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना हेतु प्रदान की गयी स्वीकृति

61—श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1978–79 मे शासन ने प्रदेश में कितने प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति दी है तथा उनका जिलों में बंटवारा किस प्रकार किया गया है ? तथा क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

प्रदेश में 2170 प्राइमरी स्कूल तथा 1038 जूनियर हाई स्कूल वर्ष 1978–79 में खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है।

इन विद्यालयों का जिलों में बंटवारा तृतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के आधार पर किया गया। प्रदेश में परिषदीय प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक/अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण निम्न स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा

किया जाता है :—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक — अध्यक्ष

(2) अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका। — सदस्य

(3) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी — सचिव।

**बहराइच जिले के गिरिजापुरी बैराज का निर्माण एवं श्रम शिविर का आयोजन**

62—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, 1976 में बहराइच जिले में शारदा सहायक पोषक नहर परियोजना के अन्तर्गत गिरिजापुरी बैराज से निर्माणाधीन बहराइच नहर की खुदाई के लिए युवा श्रम शिविर का आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन श्री संजय गाँधी द्वारा सम्पन्न हुआ तथा शिविर में लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा तथा पौड़ी गढ़वाल के लगभग 450 शिक्षकों व छात्र युवकों ने भाग लिया था? यदि हाँ, तो यह शिविर कितने माह चला, नहर खुदाई में कितने हजार घन फुट मिटटी निकाली गयी? कितने कि0 मी0 गूलों का निर्माण किया गया था? इस शिविर उद्घाटन पर उत्तर प्रदेश शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गयी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रश्न में कथित शिविर 17–5–76 से 30–6–76 तक चला जिसका उद्घाटन श्री संजय गाँधी द्वारा सम्पन्न हुआ था। इस शिविर में मुख्यत: बहराइच तथा लखीमपुर जिले के शिक्षित युवकों ने भाग लिया था जिनका पंजीकरण सेवा योजन अधिकारी, बहराइच के माध्यम से हुआ था। इस शिविर में प्रतिदिन भाग लेने वाले युवकों की संख्या 181 से 494 के बीच रही। नहर खुदाई में 1.30 लाख घन फुट मिट्टी निकाली गई। इस शिविर में गूलों का निर्माण प्रस्तावित नहीं था। शिविर के उद्घाटन पर सिंचाई विभाग द्वारा रुपया 4982.00 व्यय किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा कोई व्यय किया गया या नहीं इसकी सूचना जिलाधिकारी बहराइच से अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

**श्री रामेश्वर प्रसाद प्रधान अध्यापक, ग्रामीण पाठशाला, चूहड़पुर, जिला सहारनपुर का बकाया वेतन**

63—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या जनपद सहारनपुर की प्राइमरी पाठशाला चूहड़पुर कलाँ में श्री रामेश्वर प्रसाद 19 मई, 1978 से 4 जुलाई, 1978 तक अध्यापक पद पर कार्यरत रहे? यदि हाँ, तो क्या उक्त अध्यापक को सन्दर्भित अवधि का वेतन प्राप्त हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

श्री रामेश्वर प्रसाद प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, चूहड़पुर कलाँ क्षेत्र, मुजफ्फराबाद 19–3–78 से 4–7–78 तक पाठशाला में नियमानुसार कार्यरत नहीं रहे। इसलिये इनको उक्त अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है।

**कनहर सिंचाई योजना जिला मिर्जापुर में कार्यरत बलिया जिले के ठेकेदार**

64—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि मिर्जापुर जिला में कनहर नामक सिंचाई योजना में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और जूनियर इंजीनियर ऐसे लोग नियुक्त किये गये हैं जो इस जनपद में नियुक्ति के पूर्व बलिया जनपद में भी नियुक्त रहे हैं? और ऐसे

अधिकारी द्वारा उक्त योजना के कार्य सम्पादन का कार्य बलिया जनपद के ठेकेदारों को दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध बलिया जनपद में गम्भीर शिकायतें भी थीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जनपद मिर्जापुर में कनहर सिंचाई योजना पर अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस योजना में नियुक्ति के पूर्व बलिया जनपद में भी रहे हैं। यह सत्य है कि उक्त अधिकारियों के नियंत्रण में बलिया जनपद के ठेकेदार भी कार्य कर रहे हैं। इस बात का निश्चय एवं पुष्टि करना संभव नहीं है कि बलिया जनपद के कितने ठेकेदार कार्यरत हैं क्योंकि कार्यादेश एवं अनुबंध हेतु कुछ ठेकेदार अपना स्थाई पता न देकर स्थानीय पता ही देते हैं। कार्य संपादन का कार्य ठेकेदारों को अवर अभियन्ताओं द्वारा नहीं दिया जाता है। यह भी सत्य है कि उक्त नियुक्त अधिकारियों में से कुछ के विरुद्ध बलिया जनपद में गंभीर शिकायतें भी थीं।

**मथुरा जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का बकाया वेतन**

65—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद के सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं का सभी प्रकार का भुगतान जून, 1978 तक कर दिया जाना चाहिए, पूरा क्यों नहीं किया गया ? क्या शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे ? यह भी बतायेंगे कि 88 अध्यापकों को जनवरी 1976 से दिसम्बर, 1977 तक दो बार उनके वेतन का भुगतान कैसे किया गया तथा इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही अमल में लायी गयी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मथुरा जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के अधिकाँश अध्यापक/अध्यापिकाओं के सेवा सम्बन्धी अभिलेख सेवा पंजिकाएं, व्यक्तिगत पत्रावलियाँ, वेतन निर्धारण प्रपत्र आदि न होने अथवा अपूर्ण होने के कारण उन्हें पूर्ण कराने की प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी प्रकार के देय अवशेषों का भुगतान दिनाँक 30 जून, 1978 तक कतिपय अध्यापकों को नहीं किया जा सका।

जी हाँ, शिक्षा सचिव तथा शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 द्वारा सभी प्रकार के देय अवशेषों का भुगतान दिनाँक 30 जून, 1978 तक कर देने का आदेश जारी किये गये थे।

जनवरी, 1976 से दिसम्बर, 1977 तक की अवधि में वेतन बिलों की जाँच वित्त परामर्श दाता द्वारा न होने, विभिन्न स्तरों पर उनकी पूर्ण जाँच न होने और पूर्व भुगतान किये जा चुके वेतन बिलों में अवशेष वेतन आदि बिलों द्वारा आहरित की गई धनराशियों की "क्रास एन्ट्री" न कराय जाने आदि के कारण कुछ अध्यापक/अध्यापिकाओं का दो बार वेतनादि कार्यालय से निकल गया। ऐसे प्रकरण कौन कौन से तथा कितने हैं इसकी जाँच की जा रही है। अब तक चौदह प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं जिनको अधिक भुगतान की गई धनराशियों को वापस कराये जाने की कार्यवाही की गई है।

**फैजाबाद जिले में रडौली नाले के निर्माण का सर्वेक्षण**

66—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1978 के दूसरे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी और भीटी ब्लाकों के कुछ गाँवों को बाढ़ व कटान से बचाने के बारे में नाला बनवाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या वर्ष 1979 में बरसात के पूर्व यह कार्य पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में रडौली नाले का सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। भूमि उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1979 की वर्षा ऋतु के पूर्व कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है।

**विकास क्षेत्र पिपरौली, जिला गोरखपुर के कतिपय जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद**

67—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास क्षेत्र पिपरौली, जिला गोरखपुर में भौवापार, बरवल माफी मीटी, भगवानपुर, जूनियर हाई स्कूलों में अंग्रेजी, संस्कृत, कृषि विज्ञान के शिक्षकों का पद कब से रिक्त है? उन्हें अब तक न भरने का क्या कारण है तथा विद्यार्थियों को उपरोक्त विषय पढ़ाए जाने की क्या व्यवस्था की गई है?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

उपलब्ध सूचना के अनुसार शिक्षकों के पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**अमीनाबाद, लखनऊ में बिक्री-कर सर्वे दल से हुए संघर्ष के फलस्वरूप व्यापारियों की हड़ताल से आवश्यक वस्तुओं के अभाव से उत्पन्न संकट**

श्री उपाध्यक्ष —

माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया ध्यान दें। अभी जब सदन प्रारम्भ हो रहा था तो कुछ माननीय सदस्य इधर से और कुछ उधर से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यहाँ लखनऊ में खाने की चीजें नहीं मिल रही हैं। उनकी माँग थी कि सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है। तो मैंने कहा था कि प्रश्न काल के बाद इसे लूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय मुख्य मंत्री के बोलने से पहले हम लोगों को सुन लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जबरदस्ती दुकानें बंद करा देते हैं आपकी पुलिस क्या करती है?

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैंने कामरोको प्रस्ताव भी दिया था नियम 56 में।

श्री उपाध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

जब प्रस्ताव दिया है तो उस पर जब आयेगा तो चर्चा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री, आज प्रातःकाल जब सदन बैठा था तो माननीय सदस्य इधर से और उधर से खड़े हुए थे तो मैंने कहा था कि प्रश्न काल के बाद इसको ले लेंगे। सेहरा जी, आप इस विषय में अपनी बात कह लें।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, यह प्रदेश व्यापी हड़ताल चार दिन से चल रही है। चार दिन से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। रोजमर्रा मजदूरी करके जो खाना लाते हैं उनको आटा, दाल, घी कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है। सबसे बड़े दुख की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति खाने के लिए इधर-उधर घूम रहा है। हम विधायकों की भी स्थिति यह है कि कल शाम को न हजरतगंज में खाना मिला और न कहीं खाना मिला, कोई होटल खुला नहीं था। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं कि जो दिन में मजदूरी करके, ठेला चला कर आते हैं उनको न आटा मिल रहा है और न नमक मिल रहा है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि 50 हजार ट्रक आपरेटरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बिक्री कर का मामला न सुधरा तो वह लोग भी हड़ताल पर चले जायेंगे। इतनी गंभीर स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि कुछ पता नहीं लग रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है माननीय मुख्य मंत्री जी बनारस में बयान दे रहे हैं कि बिक्री कर नहीं हटाया जायेगा और न कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी दूसरी तरफ केन्द्र के एक घटक के मंत्री यहाँ आये, व्यापारियों के डेलिगेशन के साथ बैठे उनका नाम श्री कृष्ण कुमार गोयल है, उनका बयान अखबारों में निकला "आज" में निकला और 'हिन्दुस्तान' जो दिल्ली से निकलता है उसमें भी निकला. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सेहरा जी, ज्यादा अच्छा होगा यदि आपने जो प्रश्न उठाया है उसी की तफसील में जायं। शेष तथ्यों के बारे में जब बयान आये उस वक्त कहें।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं उसी की तफसील में कह रहा हूं। प्रदेश के मंत्रियों और मुख्य मंत्री जी का बयान अलग है बिक्री करके मामले में और केन्द्र के मन्त्री का अलग है. . . .

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

[ × × × ]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सुखपाल पाण्डेय बिना इजाजत के बोल रहे हैं यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

[ × × × × × ]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो कुछ भी मेरी इजाजत के बिना बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा श्री गुलाब सेहरा, लेकिन आप अपने को सीमित रखिए।

(व्यवधान)

---

नोट—[ × × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गुलाब सेहरा—

प्रदेश में एक बड़ा भारी षडयंत्र जनता पार्टी के एक घटक द्वारा चलाया जा रहा है, जो घटक आज आपसे नाराज है और उसी के केन्द्रीय नेतत्व ने उन लोगों को हिंसा और हड़ताल के लिए प्रोत्साहित किया है, वह कह रहे हैं कि आप हड़ताल रखें। तो आप देखें कि उनके आन्दोलन को दम कहाँ से मिल रहा है। आर0एस0एस0 के स्वयं सेवक जबरदस्ती लोगों से दुकानें बन्द करा रहे है और प्रदेश का शासन चुप बैठा है। उनका यह आपके खिलाफ खतरनाक षड़यंत्र है, जिससे सम्पूर्ण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 50 हजार ट्रक आपरेटर्स हड़ताल करने जा रहे हैं। उनकी भी कल इस घटके साथ एक गुप्त मीटिंग हुई थी और यह सरकार निकम्मी बैठी है। विरोधी और शत्रुतापूर्ण वक्तव्य दोनों तरफ से आ रहे हैं। मधुकर दिघे ने एक बयान दिया कि पंजीकरण कैंसिल कराने का प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद बिक्रीकर हम लगे, वह लागू रहेगा। यह सरकार जिसे मैं निकम्मी कहता हूं, बिलकुल चूड़ी पहन कर बैठी है। गाँवों में एक कहावत है 'झब्बर बकरा अम्बर देवी' और वही कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। व्यापारी वर्ग जो सदियों से . . . . (व्यवधान) उनमें आज वीर रस का संचार हो गया है। ला एण्ड आर्डर बिलकुल बिगड़ गया है और यह सत्तारूढ़ लोग चुपचाप बैठे हैं. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें। देवबहादुर जी, मै हर पार्टी को 2–2 मिनट का मौका दूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, 26 तारीख को जब बिक्री कर सर्वे दल लखनऊ के बाजार में गया, तो व्यापारियों के साथ उसका टकराव हुआ, उसके बाद कर्फ्यू लगा, लखनऊ बन्द हुआ। उसके बाद 27 तारीख को मुख्य मंत्री ने जौनपुर में एक बयान दिया कि बिक्रीकर समाप्ति सम्बन्धी जो वायदा जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किया गया है, वह हमारे लिए कोई दस्तावेज नहीं है. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री देवबहादुर सिंह—

इस बयान का असर यह हुआ कि समझौते की जो कोई बात हो सकती थी, वह फेल हो गयी और यह बात फेल हो गयी कि सरकारी घोषणाओं को कोई भरोसा नहीं है। गोयल साहब आए . . .

(व्यवधान)

उन्होंने कहा हम. . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो सबेरे बात उठाई गई कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उस पर आप केवल कहें. . . . . (व्यवधान). . . . . आप सब बैठें। इस तरह से जो लोग बिना इजाजत बोलेंगे, उनका भाषण लिखा नहीं जाएगा।

(श्री मानसिंह आजाद के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नहीं लिखा जायगा।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाँडेय—

हम भी मत व्यक्त करें अवसर दीजिये।

श्री मान सिंह आजाद—

(व्यवधान)

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। आपका भाषण लिखा नहीं जायगा। मैंने श्री देव बहादुर सिंह को बुलाया है। मैंने कह दिया है आपका भाषण नहीं लिखा जायगा। जब शासक दल के लोग गड़बड़ करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कई माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो मुझे मजबूर होकर सदन स्थगित करना पड़ेगा। आप जब नियन्त्रित नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

श्रीमन्, इजाजत दें.....

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, जब माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि बिक्रीकर की चुनाव घोषणा पत्र में जो बात कही गयी है वह दस्तावेज नहीं है।

श्री मधुकर दिघे—

मुझे इसमें एतराज नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा—

बिलकुल बोलने नहीं देंगे। अगर विरोधी पक्ष की बात नहीं सुननी है...

श्री मान सिंह आजाद—

मान्यवर, आपने कहा कि हमारी बात सुनेंगे। आप सुन नहीं रहे हैं। हमको मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री देव बहादुर सिंह, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए हैं तो उनको सुनते क्यों नहीं? जब मैंने उनको बुला लिया है तो आप उन्हें सुन लें। इसमें क्या परेशानी हो जायगी?

*श्री मधुकर दिघे—

मैं यह कह रहा हूं उधर के माननीय सदस्यों स जो प्रश्न उठाया, उन्होंने जैसा वादा किया वैसा नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया और आपने कहा कि जो माननीय विधायकों और जनता को परेशानी हो रही है उस ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। मैं इधर के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस प्रश्न पर हमको किसी को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। बात सुननी चाहिए और उधर के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो आपने सीमा बाँध दी है उसके अन्दर बोलें। बाहर जायेंगे तो उत्तेजना फैलेगी। इतना मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अच्छी तरह से सुन लें। आज जो आपत्ति आपने उठायी, केवल उसी तक अपने को सीमित रखें, जो भोजन व्यवस्था के लिए तकलीफ हो रही है, बाजार बन्द है, लोगों को सामान नहीं मिल रहा है, चीजें नहीं मिल रही हैं, सरकार की तरफ से इन्तजाम होना चाहिए। इसी तक आप सीमित रखें। उसके आगे बोलेंगे तो इजाजत नहीं दूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसकी पृष्ठभूमि में नहीं जायेंगे तो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे कि इसका दायित्व किस पर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी पृष्ठभूमि बतला दूं जिसकी वजह से तनाव बढ़ा, उत्तेजना बढ़ी। आज हड़ताल की स्थिति है।

---

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

हड़ताल चार दिन से चल रही है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

श्रीमन, क्यों चल रही है, यह निवेदन कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

परसों दो घंटे बिक्री-कर पर बहस कर सकते हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

सरकार ऐसी व्यवस्था करे, जिससे आवश्यकता की वस्तुएं हमें उपलब्ध हों। जब तक उपलब्ध नहीं होंगी, जनजीवन सामान्य नहीं होगा, उसको सामान्य करने के लिए कह रहा हूं। सरकार के जो मुख्य मंत्री हैं, या ऊंचे पद पर इतने लोग हैं, उनके वक्तव्य इसमें आग में घी का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि चुनाव घोषणापत्र कोई दस्तावेज नहीं है। इसलिए बिक्री-कर को समाप्त करना जरूरी नहीं है। 1977 में विधान सभा चली। राज्यपाल के अभिभाषण में पहले ही यह लिखा है कि यह सरकार पहला यह काम करेगी कि बिक्रीकर को समाप्त करेगी। चुनाव घोषणा पत्र उनके लिये दस्तावेज नहीं हो सकता है। अभिभाषण की बात है। हमारा निवेदन है कि सरकार इसमें हस्त-क्षेप करे ।

श्री देव कुमार यादव (जिला बाँदा)--

मान्यवर, मैं बहुत तकलीफ के साथ आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और पूरी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर इन टैक्स चोरों का राज्य है या बनारसी दास का राज्य है। पिछले दिनों से यह स्थिति है कि लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं है लोग फांके किये हुये हैं। पूरे प्रदेश में यह स्थिति व्यापक होती जा रही है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देगी। सरकार इस प्रदेश की जनता को भोजन देने के लिये क्या इन्तजाम कर रही है। इस प्रश्न पर मैं कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी दे चुका हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, कोई भी व्यक्ति हो उसको शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन करने का अधिकार है।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी, आप रुकें। पाण्डेय जी क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो आपने एक बात कह दी कि दोनों पक्ष के लोग, जो हड़ताल चल रही है और जो जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है इस पर विवाद कराना चाहते हैं आप माननीय मुख्य मंत्री जी से कहें कि कोई समाधान हो सके तो उसको वह बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा की बात नहीं है। इन लोगों ने काम रोको प्रस्ताव दिया था इसलिये दलों के नेताओं को दो-दो मिनट का समय दे दिया गया है।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

किस नियम के अन्तर्गत यह कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

फिर नहीं सुन सकेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

नियम 301 के अन्तर्गत मेरी भी सूचना है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

श्रीमन्, कार्य-स्थगन प्रस्ताव का जहाँ तक सम्बन्ध है तो जब वह आयेगा तो सुनेंगे । आप पहले ही सुन रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति उठाई थी तो मैंने 11 बजे दी गई व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा था कि माननीय सदस्यों को बहुत आतुरता है इसलिये मैं इसके लिये ले रहा हूं । सरकार की तरफ से एक वक्तव्य इस सिलसिले में आ जायगा कि वह क्या व्यवस्था कर रहे हैं । उसको मैंने ले लिया है ।

श्री राम आसर वर्मा--

मान्यवर, शान्तिपूर्ण ढंग से जनता को आन्दोलन करने का अधिकार है चाहे वह व्यापारी हों या कोई अन्य हों शान्ति पूर्ण ढंग की सीमा को पार करने का अधिकार नहीं है । व्यापार मण्डल के साथ अराजकतत्व दुकानें बन्द करवा रहे हैं । वह दुकानों के अन्दर घुसते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं । दारुलशफा के एक होटल में घुस कर उन लोगों ने कप और प्लेटें तोड़ी और सारे सामान का नुकसान कर दिया उनके ग्राहकों को अपमानित किया अगर इस शासन ने गुन्डा गर्दी के लिये इस तरह का अधिकार दिया तो इस प्रदेश की जनता और प्रदेश का किसान मजदूर इसको बरदाश्त नहीं करेगा । ऐसा लगता है कि पूरे षडयंत्र के पीछे बहुत बड़ी राजनैतिक ताकत काम कर रही है । मैं उतना ही चाहूंगा, उस ताकत का नाम नहीं लूंगा लेकिन उस राजनीतिक ताकत के स्वयं सेवक हैं जो व्यापारी मंडल के साथ जुड़े हुए हैं । में कहना चाहता हूं कि जहाँ एक ओर गुन्डा गर्दी हो रही है, वही दूसरी ओर यह शासन भी दोषी है कि इसको दबाने का प्रयास नहीं कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं अनुरोध करूंगा कि चूंकि माननीय मुख्य मंत्री बोलेंगे अतः आप बैठ जायें ।

श्री बनारसी दास--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, . ....

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं, आपके दल के नेता बोल चुके हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आपने कहा था कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । आपके दल के नेता बोल चुके हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीया बख्शी जी बोल रहीं हैं, वह लिखा नहीं जायगा । श्रीमती बख्शी से आप कृपया बैठिए ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

[* * * *]

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारी वर्ग और कुछ तत्वों ने लखनऊ में जबरिया दुकानें बन्द करायीं ।

---

नोट--( * * * ) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री देव बहादुर सिंह—

ये सब आपके ही लोग थे।

*श्री बनारसी दास—

आज जिलाधिकारियों को इस बात के आदेश दे दिए गये हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की दुकान जबरदस्ती बंद करायेगा तो उसको गिरफ्तार किया जायेगा और आज से फेयर प्राइस शाप्स को कड़े निर्देश दे दिये गये हैं कि अगर कोई अपनी दुकान नहीं खोलेगा तो उन सब का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जायेगा। सहकारिता आन्दोलन भंडार सब खुल हुए हैं। माननीय गुलाब सेहरा और माननीय श्याम धर मिश्रा जी से मैं कहूंगा कि वे बाजार में जाकर देखें कि सब दुकानें खुली हुई हैं और मुझको आज सूचना मिली है कि कुछ लोग स्कूटर्स पर बैठ कर जबरदस्ती कर रहे हैं। उसके बाद चन्द व्यापारियों ने भी मुझसे कहा कि पुलिस दुकाने खुलवा रही है तो मैंने वस्तुस्थिति को जानना चाहा। स्थिति यह है कि अधिकांश व्यक्ति दुकान खोलना चाहते हैं। आज सुबह ही मेरे निवास स्थान पर व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल भी मिला था और फिर आज 2 बजे वही व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल इसी जगह हम से मिलेगा, और मैं समझता हूं कि स्थिति सामान्य हो जायगी। यह बात साफ-साफ कह दी गयी है और उसे मैं आपके सामने भी सदन में कहना चाहता हूं कि लूट, डकैती, हिंसा, तोड़ फोड़ और आतंक के सामने सरकार झुक नहीं सकती है।

इन तत्वों की यह अत्यन्त निन्दनीय प्रवृत्ति है कि डाकखाने में आग लगायी जिससे हजारों मनीआर्डर्स की हानि हुयी। लेजर फूंक दिये गये। कनारा बैंक और बड़ौदा बैंक पर हमला हुआ। केसरबाग में बसों में आग लगायी उनको क्षति पहुंची। सरकारी क्षति कई लाख रुपये की हुई है। यह एक सुनियोजित योजना के अनुसार किया गया है। श्री देव बहादुर सिंह जी ने कहा कि जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यह कहा गया था। बिक्री कर को समाप्त करेंगे, राज्य मंत्री जी ने कहा कि हम विकल्प की तलाश कर रहे हैं, और मैंने यह कहा कि बिक्री कर हम एबालिश नहीं करेंगे, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि माननीय देव बहादुर सिंह जी अगर गौर से पढ़ें तो कहीं कोई विरोधाभास नहीं है।

अभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस (आर0) की सरकार के मुख्य मंत्री भी, आन्ध्र, कर्नाटक, सी0 पी0 आई0 (एम0), केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के लोगों ने उसमें भाग लिया और सबने एक स्वर से इसका विरोध किया। यह सब ने कहा कि सेल्स टैक्स का विकल्प अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का अधिकार केन्द्र को देने से राज्यों के जो श्रोत हैं, वे शुष्क हो जायेंगे। अब तक जो अधिकार दिये चीनी, कपड़ा, टुबैको आदि के, उसमें पहले केन्द्रीय सरकार ने वचन दिया था कि अतिरिक्त कर में दो और एक का अनुपात होगा लेकिन केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश के हितों की उपेक्षा की। अगर दो और एक अनुपात होता तो उसमें हमारा हिस्सा 32 करोड़ होना चाहिये था। इस लिये वहाँ पर एक प्रस्ताव आया था कि सीमेंट, पेट्रोल, बनस्पति और कुछ चीजों का अधिकार सरकार को दे दिया जाये। लेकिन एक स्वर से सभी राज्यों ने इसका विरोध किया था। अब यह कहना कि हम वायदा खिलाफी करते हैं, यह ठीक नहीं है। महात्मा गांधी ने सन् 1920 में कहा था कि एक साल में स्वराज्य होगा..... (व्यवधान)

(शोर)

अब यह क्या तरीका है? यह तरीका बहस का नहीं है।

(शोर—व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

विषयान्तर जहाँ होगा मैं रोक दूंगा, आप लोग कृपया शांत रहें, व्यवधान न करें।

श्री बनारसी दास--

(व्यवधान) मैं प्रस्ताव करूंगा मंजूर साहब को निकालने के लिये, नहीं तो वे बैठ जायें, यह क्या तरीका है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इंगित करूं तब आप प्रस्ताव ला सकते हैं। (व्यवधान) (श्री मन्जूर अहमद से) मैं आपको चेतावनी देता हूं, उस दिन भी चेतावनी दे चुका हूं, अगर इस तरह का व्यवहार आप करेंगे तो मुझे इंगित करना पड़ेगा।

श्री बनारसी दास--

मैं यह कह रहा था कि हम उसको नहीं कर सकते। इसलिये यह आपको अधिकार है कि आप जब वक्त आये तो भर्त्सना करें। मैं यह कह रहा था कि सन् 1920 में महात्मा गाँधी न कहा एक साल में स्वराज्य होगा, नहीं हुआ एक साल में।

(व्यवधान के मध्य)

उसके बाद श्रीमन् मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शाँति व्यवस्था कायम करें, नहीं तो मुझे प्रस्ताव लाना पड़ेगा इनको निकालने के लिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं श्री मंजूर अहमद को इंगित करता हूं।

श्री बनारसी दास--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मंजूर अहमद को निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री मंजूर अहमद को निलंबित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप सदन छोड़िये। मार्शल श्री मंजूर अहमद को सदन से बाहर ले जाय।

श्री मंजूर अहमद--

महात्मा गाँधी का नाम लेने का बनारसी दास को अधिकार नहीं है। ये देश के दुश्मन ह।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया सदन छोड़ें।

श्री गुलाब सेहरा--

इस सदन को चलाने को उत्तरदायित्व सबसे ज्यादा माननीय बनारसी दास को ही है।

श्री उपाध्यक्ष --

इनको पहले ले जानें दें, उसके बाद आप प्रस्ताव लायें।

श्री मंजूर अहमद--

यह महात्मा गाँधी का हत्यारा है। यह देश का दुश्मन है।

(श्री मंजूर अहमद को मार्शल विधान सभा रक्षकों की सहायता से सदन से बाहर ले गये।)

(जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने मेंज थपथपाई)

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह सदन ठीक से चले इसका उत्तरदायित्व जितना मुख्य मंत्री को है, उतना ही विरोधी पक्ष को है। अगर मंजूर अहमद को निकाल दिया गया, तो विरोधी पक्ष को सबको निकाल दें। तमाम माननीय सदस्यों ने व्यवधान पैदा किया। श्रीमन्, इंगित उनको भी करना चाहिए था। इस मुख्य मंत्री के प्रस्ताव को बहुमत का लाभ उठा कर आप मंजूर कर सकते हैं, लेकिन विरोधी पक्ष की आवाज को बंद कर देना, यह प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र को यह आस्था नहीं है। इसके विरोध में मैं तथा मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री गुलाब सेहरा कांग्रेस (आई) दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

जो आज सदन में स्थिति पैदा हुई, मैं यह निवेदन करूंगा मान्यवर, कि मंजूर साहब के खिलाफ जो निर्णय हुआ वह सही है, वह शिरोधार्य है। लेकिन कम से कम इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सत्ता पक्ष में हों या चाहे जिस पक्ष में हों, वह अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

यह माननीय सदस्यों को विश्वास होना चाहिए कि कम से कम एक सा व्यवहार सभी माननीय सदस्यों के साथ होगा।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, देव बहादुर सिंह जी बोल रहे थे और व्यवधान पैदा हुआ। मैं स्वयं खड़ा हुआ और मैंने यह अपने पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो मैं तो इस पक्ष का हूं ही।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसके लिए बेताबनी स्वरूप कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य नियम का उल्लंघन करेंगे, उनके बारे में कोई रियायत नहीं होगी और जब कभी इंगित करना होगा, मैं इंगित करूंगा।

एक सदस्य--

मान्यवर, इस पक्ष के श्री मानसिंह आजाद ऐसा किया करते हैं। . . . .

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

सदन की व्यवस्था बनी रहे इसमें हम अपनी पार्टी की ओर से पूरा आश्वासन देते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तेजित हों, अगर उत्तेजित होंगे और जो निर्णय लिया है, आपके इंगित करने से पहले ही प्रस्ताव कर लिया.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा वह नियमानुसार नहीं था।

श्री देव बहादुर सिंह--

तो दूसरे माननीय सदस्यों को रोकने में कितना हम समर्थ हो सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस कुर्सी पर मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, उस पर श्री गोविन्द बल्लभ पन्त, श्री गुप्ता जी बैठ चुके हैं। उनकी परम्पराओं का निर्वहन नहीं करेंगे, उत्तेजित हो जाते हैं, वह होंगे सारा सदन होगा इसलिये मुख्य मंत्री अपनी पार्टी को ठीक रखें।

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अपने दल पर कंट्रोल रखें क्योंकि सबसे ज्यादा व्यवधान, आप भी जानते हैं सारा सदन जानता है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई मुख्य मंत्री जी गुस्से को देख कर, आप तो पार्लियामेंटरियन है, इस तरह से आप उत्तेजित होंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल नहीं सकती। अतः जो प्रस्ताव किया है निष्कासित करने का आदेश दिया है, उसे वापस ले लिया जाय ।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, यह सदन शान्तिमय वातावरण में चल सकता है। आपके निर्देश से मैं सदन को स्थिति स्पष्ट कर रहा था और यह मेरा बराबर प्रयास रहा है कि इस पक्ष के लोगों को जब नेता, विरोधी दल, खड़े होते है, शान्त करने की कोशिश करता हूं लेकिन मैंने यह देखा है कि कोई परम्परा, सभ्यता, शिष्टता, नैतिकता, शिष्टाचार नहीं है और लगता है इस दल के लोगों ने मंजूर अहमद को और कौशल किशोर को उदण्डता, उच्छृंखलता, भ्रष्टता और सदन का अपमान करने के लिए खुला लाइसेंस दे रखा हो।

एक सदस्य—

दो नाम उधर के भी जोड़िये ।

श्री बनारसी दास—

देव बहादुर जी, जब महान पन्त जी का नाम लेते हैं, वह जिला नैनीताल से आते हैं, वहाँ की ठण्ड में जहाँ उनका जन्म हुआ था, वह प्रभाव अब नहीं, लेकिन जब वहाँ बैठा करते थे, मैं तो साथ रहा हूं, विरोधी पक्ष में जो लोग थे 1951 में माननीय त्रिलोकी सिंह नेता थे और जो इस प्रकार नहीं होता था। मान्यवर, यहाँ बार बार व्यवधान डाला जाता है और सदन का समय भी नष्ट होता है। तो श्रीमन, मैं कह रहा था कि यह जो हमारा घोषणा-पत्र है, मैं नहीं जानता कि अब तक कितने घोषणा-पत्र हुये और उन घोषणा-पत्रों पर कितना कार्यान्वयन हुआ। एक मर्तबा कोई इतिहास वेत्ता इसी की समीक्षा कर ले। मैं काँग्रेस में भी रहा हूं, संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, कितने घोषणा-पत्र हमने पूरे किये हैं। उड़ीसा में, भुवनेश्वर में समाजवाद की बात कही गयी ?

श्री देव कुमार—

माननीय मुख्य मंत्री फिर विषयान्तर हो रहे हैं। मैंने कहा था कि निलंबन का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

देवबहादुर जी ने जो पुराने मुख्य मंत्रियों का नाम लिया है, मुख्य मंत्री जी उसी संदर्भ में कह रहे हैं ।

श्री बनारसी दास—

जो पार्टी घोषणा-पत्र करती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्नाटक प्रस्ताव लाये, आँध्र प्रस्ताव लाये, मध्य प्रदेश प्रस्ताव लाये, राजस्थान लाये तो हम भी गौर करेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि सुदूर भविष्य में कोई विकल्प नजर नहीं आता कि इस सूबे को राज्य के 230 करोड़ रुपये को छोड़ कर दिवालिया बना दिया जाय और राजकीय कोष पर ताला लगा दिया जाय। कम से कम मैं वह मुख्य मंत्री नहीं बना हूं कि जो उत्तर प्रदेश के फाइनेन्सेज के लिक्वीडेशन का सभापतित्व मैं करूं। इसलिये जब तक कोई विकल्प नहीं हो जाता है, सेल्स टैक्स रहेगा। आज 2 बजे हमने मीटिंग बुलायी है। सरलीकरण, उसमें जो कमियाँ हैं उस पर हम विचार करने के लिये तैयार हैं। मैंने व्यापारियों से इस बात की भी पेशकश की कि न कोई सर्वेक्षण दल होगा, न कोई कागज देखा जायगा, 230 करोड़ का 25 फीसदी बढ़ाकर व्यापारी लोग एसेसमेन्ट करा दें, हम सर्वेक्षण दल को समाप्त किये देते हैं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें। )

यह भी मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ 5 लाख से ऊपर जिनका टर्न ओवर है यह सर्वेक्षण उनका है। सर्वेक्षण माता बदल पंसारी का हुआ उसने सहयोग किया, कोई आपत्ति नहीं की, उनके कागज में कोई खराबी नहीं निकली। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने एलान किया कि अगर कोई सर्वेक्षण दल आये तो इस नम्बर पर टेलीफोन करे हम सब मदद को आयेंगे, कोई किताब नहीं दिखायेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करायेंगे और कर अदा नहीं करेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की।

श्री बनारसी दास--

मैं उस पर आ रहा हूं। जो आन्दोलन किया गया, आज ही मैंने कहा कि लखनऊ में अधिकाँश दुकानें खुल गयी हैं। जो लोग होटल, रेस्टोरेन्ट्स, जो बन्द करेंगे। एसेंशियल सप्लाई ऐक्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

(मेंजों को थपथपाने की आवाजें।)

जनजीवन को अस्त व्यस्त करने से उनको रोका जायगा। मैं आपके माध्यम से व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि कानून को अपने हाथ में न लें। अशाँति और बाधा उत्पन्न करने से बिक्री कर तो खत्म नहीं हो सकता लेकिन उसमें जो उनकी परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, सरलीकरण की प्रक्रिया है, उन सब सुझावों पर हम विचार करने के लिये तैयार हैं।

मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि यह जो हड़ताल है यह जनता के खिलाफ है, अधिकाँश जनता इससे त्रसित है। इस हड़ताल के संबंध में जैसा वर्मा जी ने कहा और वास्तव में मुझे आश्चर्य है कि जिनका 5 लाख रुपये से ज्यादा का टर्नओवर है उनको संख्या लखनऊ में सकड़ों के अन्दर है। इसलिये यह आन्दोलन स्वार्थी लोगों की तरफ से है और पूंजीपति वर्ग की तरफ से हैं? जिनकी सेल 5 लाख रुपये से कम है उनको कोई कठिनाई नहीं है और न उनकी कोई शिकायत है। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को मैंने आश्वास्त किया है कि सेल्स टैक्स अधिकारियों की जाँच की जायगी यदि किसी का व्यवहार अन्यायपूर्ण होगा और उनको सजा दी जायगी। यह भी आदेश दिये हैं कि सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों का व्यवहार अत्यन्त विनम्रतापूर्वक हो और यह भी आदेश दिये हैं कि कुछ कर्मचारी पैसा ऐंठने के लिये आठ-दस गुना या अन्डर इस्टीमेट करते हैं तो इसकी जाँच के लिये विशेष अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे जो बिना अपील के सर्वे करेंगे और यदि उन्होंने देखा कि किसी बिक्रीकर अधिकारी ने बिना कारण के अन्डर एस्टीमेट या आठ-दस गुना कर दिया है तो उनको सजा दी जायेगी। हमारा इरादा कोई संघर्ष का नहीं है और न हम यह चाहते हैं कि अनावश्यक व्यापारी वर्ग को कष्ट दिया जाय। लेकिन उनको समझना होगा कि उनको बिक्री कर देना है। जो रास्ता बिशम्भरदयाल अग्रवाल ने अख्तियार किया है, और मुझे यह भी सूचना मिली है कि अध्यक्ष, बिशम्भर दयाल ने व्यापारियों से 3 लाख रुपये चन्दा करके जमा किये हैं, और बहुत जगह समाज विरोधी तत्वों को उन्होंने अपनी मदद के लिये हायर किया है। इसलिये किराये के लोगों को जो व्यापारियों ने लगाये हैं उससे सरकार झुकने वाली नहीं है, इसका सामना किया जायेगा। लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि व्यापारी लोग शाँति का रास्ता अख्तियार करें और तब हम उनकी हर मुनासिब बात को मानने के लिये तैयार हैं।

(व्यवधान)

## कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष––

नियम 56 के अन्तर्गत आज दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री गुलाब सेहरा और श्री देव कुमार यादव की––संपूर्ण प्रदेश में बाजार बंद रहने से उत्पन्न संकट के संबंध में है––जिसको मैंने अस्वीकृत किया है।

(व्यवधान)

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)––

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिशम्भर दयाल ने चन्दा इकट्ठा किया और पेपर छिपाये तो उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही किया है ?

(व्यवधान)

### श्री मन्जूर अहमद, सदस्य, विधान सभा के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)––

मान्यवर, मैंने प्रस्ताव किया था कि मंजूर अहमद के निलम्बन के आदेश वापस लिये जायं तो उसमें मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष––

नेता सदन आपकी बात मानते तो कहते, इसका मतलब उन्होंने आपके प्रस्ताव को नहीं माना है।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)––

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी मंजूर अहमद के प्रस्ताव को वापस ले लें जैसा कि देव कुमार यादव जी ने कहा है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)––

मान्यवर, निवेदन है कि वह प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी वापस ले लें।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)––

श्रीमन्, मैं उप नेता श्री गुलाब सेहरा से कहूंगा कि वह समझ सकते हैं कि गर्मी का मौसम है इसलिये मंजूर अहमद को ठंडक में रखने का इंतजाम करें। वैसे जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया उसको मान्यवर आपने भी देखा है, तो मेरी कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है। इसलिये सदन की भावना को देखते हुये मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंजूर अहमद का निलम्बन वापस किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि श्री मंजूर अहमद का निलम्बन वापस लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

### कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)––

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत हमने इसी हड़ताल के संबंध में आरक्षण का प्रस्ताव किया था और मान्यवर, आपने कार्यक्रम के पहले ही व्यवस्था दे दी। सुनवाई नहीं की और खारिज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष ––

अध्यक्ष को अधिकार है। नियम 315 में वह किसी मद को पहले ले सकता है।

श्री देव कुमार ––

मान्यवर, ग्राह्यता के संबंध में जो स्थिति है.....

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में है ।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि 3 लाख चन्दा किया गया ।

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं । यह नहीं लिखा जायेगा ।

**वभनान, बस्ती के सरदार जसबीर सिंह पुत्र श्री चरन सिंह की कुछ व्यक्तियों द्वारा दाढ़ी, मूंछ तथा सर के बाल मूंड दिए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना**

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्ती जिले के वभनान बाजार, थाना पेकुलिया के निवासी श्री सरदार जसवीर सिंह, पुत्र चरन सिंह को गोंडा जिले के हिफीजुल्ला वगैरह साकिनान ग्राम महाराजगंज ग्रान्ट दहलवा थाना छपिया के लोगों ने दिनाँक 24 मई, 79 की शाम को पकड़ कर सरदार जसवीर सिंह की दाढ़ी, मूंछ तथा सिर के बाल को उस्तरे से छिल कर उनके सिख धर्म को चोट पहुंचाकर अपमानित किया जिससे पूरे गोंडा तथा बस्ती जिले के सरदारों (सिक्खों) में भारी क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त हो गया है और साम्प्रदायिकता का वातावरण बन कर भयावह स्थिति पैदा कर दी है । पुलिस की भारी तादाद में व्यवस्था हो गयी है । किन्तु किसी भी समय इस साम्प्रदायिकता का वातावरण में कोई भी अमानवीय दुर्घटना घट सकती है ।

अतः आपके माध्यम से सदन की संज्ञान में इस आशय से ला रहा हूं कि सरकार तत्काल उचित कार्यवाही करें ।

**लखनऊ के व्यापारी मण्डल के कुछ अराजक तत्वों द्वारा दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना**

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ के व्यापारी मण्डल के कुछ अराजक तत्वों ने 29 मई को शहर के साधारण दूकानदारों की दूकानों में घुसकर उनका सामान तहस-नहस कर दिया, वर्तन आदि तोड़ दिये, ग्राहकों को अपमानित किया । उनके हड़ताल के आवाहन पर भी दूकानें खोलने के कारण उन्होंने ऐसा किया ।

लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये ऐसी व्यवस्था की माँग करता हूं कि व्यापारी मण्डल के अराजक तत्वों, साधारण दूकानदारों को तथा ग्राहकों को परेशान न कर सकें ।

**ग्राम ढोढेपुर, जिला सीतापुर में पड़ी डकैती को तथा हरिजनों के घरों की लूट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना**

श्री लाल दास (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं:--

यह कि दिनाँक 27/28-5-79 को रात को ग्राम ढोडेपुर, थाना सदना, जिला सीतापुर में रात्रि 12-00 बजे डकैतों ने गाँव में डाका डालकर सारे हरिजनों के घरों को लूट लिया ।

---

नोट--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री लाल दास]

प्राप्त सूचना के अनुसार उस दिन गाँव में एक तिलकोत्सव में लोग आये हुये थे ? यकायक डकैतों ने आकर सारा सामान लूटना आरम्भ कर दिया। इस घटना को देखकर श्री कढ़िल राम, जो ब्लाक सिधौली में कामदार थे और उस तिलकोत्सव में आये हुये थे, उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने अपने लड़के के साथ डकैतों का बहादुरी से मुकाबिला किया और इस बहादुरी में श्री कढ़िले राम की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गयी तथा उनके लड़के श्री श्याम बिहारी को भी छर्रे लगे जिससे वह घायल हो गया और लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल में भरती है। मेरी सरकार से माँग है कि जिन गाँवों में अधिकतर हरिजन रहते है, विशेषकर शादी के समय में उनके घरों की रक्षा के लिये विशेष उपाय सोचें और साथ ही मृतक कढ़िले राम, जिन्होंने डकैतों का जमकर मुकाबिला किया, जिससे उन्हें पुरस्कृत किया जाय तथा उनके परिवार को इस बात की पूर्ति अनुदान देकर की जाये। इस घटना से क्षेत्र में काफी आतंक व क्षोभ व्याप्त है। अतः मेरी सरकार से यह भी माँग है कि हरिजनों के लिये तुरन्त सुरक्षात्मक प्रबन्ध किया जाये।

**बहराइच की मण्डी समितियां एवं गेंहूं क्रय केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना**

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, बहराइच जिले में 6 मण्डी समितियाँ एवं कई गेहूं क्रय केन्द्र हैं। कृषकों को उत्पादन का उचित मूल्य मिले, यह शासन की नीति है, परन्तु मण्डी समिति में व्यापारी संगठित होकर सौ रुपए कुन्टल से अधिक नीलामी बोली नहीं बोलते हैं। कृषक गाड़ी वापस लाता है तो उससे 10 रु0 बिना गल्ला बेचे जमा कराते हैं। 3 रुपए नगरपालिका चुंगी लेती है। रसीदें नहीं देते हैं। 50 किलों के बाँट में 2 किलो शीशा पिलाए रहने से 52 किलो तौल लेते हैं। साफ बोरा के बजाय तारकोल एवं मिट्टी से सना बोरा बाट के साथ रखते है। अधिकारियों की साँठगाँठ व्यापारियों से होकर किसानों को एक ओर लूटा जा रहा है तो दूसरी ओर गेहूं क्रय केन्द्र भिनगा, गेलौला, सेनवा एवं इकौना में बोरों के अभाव में 3–3, 4–4 दिन बाद गाड़ियाँ वापस हो जाती हैं। बड़े किसानों का ही गल्ला अवैधानिक पैसा लेकर लेते हैं। भुगतान में भी कटौती की जाती है, शिकायतों पर अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगती जिससे बहराइच जनपद के किसानों में घोर रोष एवं आतंक तथा असन्तोष व्याप्त है। अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चत प्रश्न पर आपके माध्यम से माननीय सदन व शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से माँग करता हूं कि अविलम्ब बहराइच मण्डी समिति व गेंहू क्रय केन्द्रों पर हो रही लूट व बोरों के अभाव की जाँच कराकर किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलाया जावे और नाप-तौल सही कराकर बोरों की कमी की पूर्ति की जाय।

**ग्राम अजान, जिला लखीमपुर खीरी में चीनी गुब्बारा गिरने की घटना को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना**

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त रहस्यपूर्ण तथा आश्चर्यजनक घटना सरकार तथा आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, कल दिनाँक 29 मई, 1979 को लखीमपुर जिले के थाना गोला गोकरननाथ स्थित नगर के समीप ग्राम अजान में प्रातःकाल 4 बजे अति विशाल यन्त्रचालित गुब्बारा जमीन पर उतरता हुआ देखा गया। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार फूला हुआ गुब्बारा लगभग 100 फीट व्यास से कम नहीं होगा। एक ट्रक जो वहाँ से जा रहा था उसके ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया कि वह ऊपर उठने लगा। इतने में ग्रामीणों की भीड़ आ गई तथा लाठियों, ढेलों आदि के प्रहार से उसे फोड़ दिया।

मान्यवर उस गुब्बारा में सफेद कार्क की ठोस पैकिंग के एक विद्युतचालित यन्त्र बड़ी पोलीथीन की बोरी में रखा पाया गया। उसके चारों ओर विद्युत तार थे। मैंने इस विद्युत यन्त्र को प्रत्यक्ष गोला थाने में रखा हुआ देखा है। पेटी के ऊपर 135–8330171 नम्बर पड़ा था। बोरी के ऊपर चीनी भाषा में कई बड़ी-बड़ी पंक्तियों में कुछ लिखा हुआ है। यन्त्र में एवरेडी की कई बैट्री सेल लगे हुए हैं। उस पर मेड इन यू0एस0ए0 लिखा हुआ है गुब्बारा फूटने के बाद जो सिमटी हुई झिल्ली ग्राम से थाने में लाई गयी है वह एक बैलगाड़ी में नहीं समा सकी। ट्रैक्टर की ट्राली में पूरी भर कर लाई गयी है।

शहर तथा ग्रामों में यह आम चर्चा है कि गुब्बारे में दो व्यक्ति भी थे जो कहीं भाग गए। परन्तु पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की।

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर घटना है। गुब्बारा कहाँ से आया? चीनी भाषा में लिखा होना तथा यू0एस0ए0 के सेलों से यन्त्र का चालित होना एक गम्भीर षडयन्त्र का मामला प्रतीत होता है। बरामद सामान थाना गोला गोकरणनाथ में रखा हुआ है। क्षेत्र में बड़ा भय तथा आतन्क व्याप्त है। इस बारे में आदरणीय सदन भी पूर्ण विवरण जानना चाहेगा।

अतएव मैं आग्रह करूंगा कि माननीय गृह मन्त्री जी से आज ही वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण कराने की कृपा करें। मान्यवर, मैं परिस्थिति देखकर आया हूं। मैं प्रार्थना करूंगा कि मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं कौशिक जी बैठे हैं आप इनको निर्देश दें कि इस सम्बन्ध में आज ही एक वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी जानकारी प्राप्त करके सूचना देंगे।

**शारदा सहायक परियोजना खण्ड 41, दक्षिणी इलाहाबाद नहर में कार्यरत महिला मजदूरों के साथ ठेकेदार तथा अन्य लोगों द्वारा बलात्कार तथा मारपीट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना**

श्री बाबू लाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जनपद में बिलासपुर के लगभग दो सौ आदिवासी मजदूर जिनमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी सम्मिलित हैं ठेकेदार के अधीनस्थ शारदा सहायक परियोजना खण्ड–41, दक्षिणी इलाहाबाद नहर की मरम्मत, जहाँ नहर चौड़ी होने का काम हो रहा है डाक बंगला पनिगो के पास काम हो रहा है, कार्यरत थे। दिनाँक 15–5–79 को उन मजदूर महिलाओं के साथ ठेकेदार व उनसे सम्बन्धित लोगों द्वारा बलात्कार किया गया, मारा पीटा गया और उन्हें बन्धुआ मजदूर बना लिया गया है। सभी मजदूरों ने थाना संग्रामगढ़ जाकर दिनाँक 16–5–79 को बलात्कार सम्बन्धी व मारपीट सम्बन्धी प्रथम सूचना की रिपोर्ट थाना हाजा में लिखायी। पुलिस वालों ने आश्वासन दिया कि उनके जान–माल की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की जायगी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। परन्तु रात ही में ठेकेदार से साँठगाँठ करके पुलिस वालों ने सभी मजदूरों को जबरन उसी ठेकेदार के अधीनस्थ काम करने के लिए भेज दिया, बेचारे असहाय मजदूर बन्धुआ मजदूर की तरह वहाँ पर काम कर रहे हैं और जनजीवन असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इन दो सौ आदिवासी मजदूरों, जिनमें महिलायें व बच्चे शामिल हैं, के जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था तथा उनके असमत की रक्षा करने हेतु प्रभावी

[श्री बाबूलाल सरोज]

कदम उठाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। आप निर्देश दे दें कि इसकी तुरन्त जाँच करायें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह गरीब मजदूरों का मामला है, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करुंगा कि वे जाँच कराकर, उनको जो सहूलियतें मिलनी चाहिए, दिलावें।

**मानिकपुर (बांदा) में पेयजल के भीषण अभाव को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना**

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)---

मान्यवर, बाँदा जिला देश के उन स्थानों में है जहाँ गर्मियों में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है लेकिन इस भीषण गर्मी में मानिकपुर के आसपास पाठा क्षेत्र के सैकड़ों गाँवों और केन नदी पार के ग्वरा मुगली, मोहनपुरवा, अधरौड, उजरेहटा, मरौली, सुरौली, खराडा आदि गाँवों में पीने का पानी उपलब्ध न होने के कारण जनजीवन खतरे में पड़ गया है। शहर बाँदा के भी कई मुहल्लों में पानी उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था न होने के कारण हजारों परिवार परेशानी का मुकाबला कर रहे हैं। सरकार द्वारा पानी उपलब्ध कराने की अब तक कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं की गयी। जनता में निराशा, बेचैनी और असन्तोष व्याप्त हो रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें। मान्यवर, 3 करोड़ की पेयजल योजना हमारे यहाँ थी, 240 गाँवों को पानी उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन उस योजना में इतना पैसा खाया गया है कि वह योजना अस्तव्यस्त पड़ी हुई है। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि इस पर वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी पानी की व्यवस्था कराकर इस सम्बन्ध में सूचना दे देंगे।

**छितौनी-अहरौली-दान बांध तथा कतिपय अन्य बांधों के सम्पर्क मार्गों को पूरा कराने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना**

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

मान्यवर, बड़ी गण्डक, जिसे नारायणी भी कहते हैं, अत्यन्त वेगवती तथा खतरनाक नदी है। इसकी विभीषिका से गोरखपुर, देवरिया जिले के बचाव के लिए 14 मील लम्बा छितौनी बाँध का निर्माण सन् 1952 में हुआ था। इस बाँध को नदी ने 56, 62, 66, 71 में ध्वस्त किया तथा लाखों लोगों को भूखे, नंगे, कड़ाके की धूप तथा भीषण गर्मी में महीनों मैदान में खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया। गत वर्ष इस नदी ने छितौनी पिपरासी बाँध को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों गाँवों का नामोनिशान मिटा दिया। हजारो गाँवों को जलमग्न कर दिया। लाखों एकड़ की लहलहाती फसलों को नष्ट कर दिया। सकड़ों, मनुष्यों, हजारों पशुओं को कराल काल के गाल में डाल दिया और लाखों लोगों को भीषण संकट में डाल दिया। सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके भी लोगों को पूरी राहत न दे सकी। इस भयंकर नदी की भीषण बाढ़ से बचाव हेतु छितौनी अहिरौली दान बाँध का निर्माण प्रस्तावित था। परन्तु इसका निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ और न इसके पूर्ण होने की सम्भावना है। जून में मानसून के साथ ही इस भीषण नदी में बाढ़ भी आती है ऐसी दशा में इस बाँध को अधूरा देखकर छितौनी बाँध की सुरक्षा उदासीनता तथा के0वी0बाँध को लिंक रोड बनाने की अपूर्णता तथा अन्य लिंक रोडों का निर्माण न होते देखकर लोग भयभीत हैं। उनमें भीषण रोष एवं असीमित असन्तोष व्याप्त है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मन्त्री जी से माँग करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र छितौनी–अहिरोली दान बाँध निर्माण को पूर्ण करावें, छितौनी पिपरासो बाँध तथा छितौनी बाँध के सम्पर्क मार्गों का निर्माण पूर्ण करावें, छितौनी रेलवे पुल जिसके लिए सिंचाई विभाग रेलवे को 80 लाख रुपए दे चुका, उसके निर्माण हेतु सक्रिय कदम उठायें ताकि लाखों लोगों के जानमाल की रक्षा हो सके।

**खाद्य मन्त्री के आश्वासन के बावजूद मथुरा में गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरों के अभाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना**

*श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में खाद्य मन्त्री जी का बयान होने के बाद तथा पूर्ण व्यवस्था का आश्वासन देने के बाद भी मथुरा जिले के गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरी नहीं है बीस-बीस दिन किसान बोरियों के अभाव में कड़कती धूप में खड़े रहते हैं और परेशान होते हैं। मथुरा जिले के मांट क्षेत्र में बाजना, नोहझील, एदलगढी, सुरीर, माँट, टेटीगाँव, शेरगढ़ आदि सभी क्रय केन्द्र से भारी शिकायतें मेरे पास पत्र व तारों द्वारा आई हैं कि इन केन्द्रों पर बोरियों का भारी अभाव है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से बोरियों के व्यापक प्रबन्ध की माँग करता हूं।

**श्री चन्द्रमणि कान्त, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर अग्रेतर वक्तव्य की मांग**

*श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'' ( जिला झाँसी )—

उपाध्यक्ष जी, मैंने नियम 51 में यहाँ सदन के लिए दिया था जिसमें तारीख 26 को माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से स्वास्थ्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया था भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्री चन्द्रमणी कान्त, भूतपूर्व राजा के सम्बन्ध में। इन्होंने जो वक्तव्य दिया, श्रीमन्, वह सच्चाई से मीलों दूर था और सरासर झूठ था। इस पर आपने उन्हें आदेश दिए थे कि दुबारा जाँच करके वक्तव्य दें। कृपया मन्त्री जी बता सकते हैं कि वक्तव्य कब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ सदस्यों ने यह कहा कि यह रिपोर्ट झूठी है और पुलिस का मामला है तो मैंने माननीय मुख्य मन्त्री से यह कहा था कि इस मामले को आप पुनः देख लें।

स्वास्थ्य एवं आबकारी मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मेरा निवेदन भी सुन लें। माननीय सदस्य का वक्तव्य का सवाल था। मैंने उस दिन यह निवेदन किया था कि यह वक्तव्य तो जो एफ0आई0आर0 लिखी गयी है उसके सम्बन्ध में है कि एफ0आई0आर0 क्या है, उसके तहत शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गयी है। उसमें कोई विरोधाभास का प्रश्न ही नहीं है एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है, उस पर शासन ने कार्यवाही की है, न्यायालय ने जमानत पर छोड़ा है, यह कार्यवाही के सन्दर्भ में की गयी। उसमें कोई विरोधाभास पैदा नहीं होता।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

इसमें जब एक बार आपका निर्णय हो चुका है. . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

उसी को बता रहा हूं। आप बैठिए। मैंने यह कहा था कि आप इसके बारे में लिखकर भेज दें यदि आप यह समझते हैं कि इसमें गलत रिपोर्ट की गयी है या जाँच में उन्होंने गड़बड़ी की है और अपनी सूचना आ माननीय मुख्य मन्त्री को भेज दें। आपने लिख कर भेज दिया है ?

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'--

भेज दूंगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

अभी-अभी माननीय सदस्य ने झूठ और बद्तमीजी इन दो शब्दों का प्रयोग किया. . .

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'--

मैंने बदतमीजी नहीं कहा, झूठ कहा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

डाक्टर साहब ने बद्तमीजी शब्द का इस्तेमाल किया. . . .

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

एक विशेषाधिकार का प्रश्न. . .

श्री उपाध्यक्ष--

इसे मैं आज नहीं लूंगा। मैं किसी और दिन उसे लूंगा।

(श्री सोहनवीर सिंह तोमर के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं उसे कल ले लूंगा।

**वर्ष 1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 29, 43, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 87, 107---सार्वजनिक निर्माण विभाग**

*सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)---

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29---सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 84,17,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43---सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास-भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 80,05,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75---सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,47,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76---सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्या-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

त्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,47,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,40,90,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78—सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,33,62,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,59,36,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4.63,48,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,63,48,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 107—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,13,09,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसमें कितना समय लेंगे ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

यह तो अन्दाज नहीं है। लेकिन वैसे मैं कम समय लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप 45 मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

ठीक है। मान्यवर, मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की माँगे पेश की है। विभाग बहुत पुराना और महत्वपूर्ण है। आज सभी की आँखें इस बात पर लगी रहती हैं कि हमारा प्रदेश सड़कों और पुलों से बहुत पिछड़ा हुआ है और हर आदमी चाहता है कि हर बड़े गाँव को, हर छोटे गाँव को सड़क और पुलों से जोड़ दिया जाय। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ तक इस विभाग का सवाल है, यह 100 साल पुराना विभाग है। मुझे इस विभाग का काम सम्भालते हुए थोड़ा सा ही समय हुआ है। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैंने सबसे पहले, जैसा कि इस विभाग का नाम था—सार्वजनिक निर्माण विभाग—लेकिन अभी तक इस विभाग में सार्वजनिक लोगों का जनता के लोगों के साथ सम्बन्ध नहीं था। यह विभाग जनता से बहुत दूर था। न विधायकों को, न एम0पीज0 को और न एम0एल0सीज0 को इसके बारे में कोई ज्ञान था। न यह पता था कि विभाग में कितना रुपया किस सड़क पर खर्च होगा। उन्हें यह भी अधिकार नहीं था कि वह यह देख सकें कि कौन सी चीज खराब हो रही है या कौन सी अच्छी हो रही है। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। मैंने सबसे पहले इसको ध्यान में रखते हुए यह कोशिश की कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट में इंजीनियरों के साथ जन-साधारण का मेल हो और विभाग में लोगों को जानकारी हो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पब्लिक के हित के लिए ही है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते थे। बहुत सी चीजें गलत होने के कारण जन सम्पर्क ठीक नहीं था। इसी सन्दर्भ में हमने विभाग में हर जगह प्रगति समीक्षा समितियों का गठन कर लिया है जिनकी मीटिंग्स हर माह जनपद में होती है। इसके सदस्य विधायक लोग भी हैं। मान्यवर, इससे पहले भी समितियाँ थीं लेकिन इस समिति को जो अधिकार प्राप्त हैं वह पहले नहीं था। पहले जो समितियाँ थीं उनका काम था सलाह देना और उसकी अध्यक्षता करते थे जिले के कलेक्टर। लेकिन हमने जो समितियाँ गठित की हैं. . . .

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

पहले जो समितियाँ होती थीं उनके सरकार द्वारा नामिनेटेड अध्यक्ष होते थे। जिलाधीश तो अब हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बाद में कहें। बीच में न टोकें। भाषण होने दें।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

होते होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन पहले की समितियों और आज की समितियों में बड़ा फर्क है। ये जो समितियाँ अब गठित हुई हैं उनमें विधायकों को यह देखने का अधिकार है कि जो जनपद में सीनियर इंजीनियर जो होता है, वह इसका सचिव होता है और जन-प्रतिनिधि एम0एल0ए0 या एम0पी0 उसका अध्यक्ष होता है, तो उसे जनपद के बारे में पूरा हिसाब-किताब लेने का हक प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कोई भी विधायक यह भी पूछ सकता है कि किसी कार्य में सड़क पर खराब ईंट या गिट्टी लग रही है तो माननीय समिति के सदस्य वहाँ जाकर उसको स्वयं देख सकते हैं। मैं मानता हूं कि वह लोग टेकनिकल नहीं हैं लेकिन इंजीनियर उनके साथ होंगे, वह देख सकते हैं कि काम में क्यों खराबी हो रही है और जहाँ कहीं कोई रुकावटें हैं उसका क्या कारण है इन सब बातों से एक अंकुश विभाग में रहेगा।

आज विभाग में कहा जाता है कि काम नहीं होता है तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे विभाग में कई चीजों की बड़ी कमी है जैसे सीमेन्ट है वह हमको नहीं मिल रहा है, डामर नहीं मिल रहा है, कोयले की कमी है जिससे ईंटों की कमी हो गयी है इससे सड़कों का काम रुक रहा है। तो इन सब चीजों को न मिलने से ऐसा महसूस होता है कि शायद पी0डब्लू0डी0 विभाग में काम नहीं हो रहा है लेकिन जब असलियत विधायकों को पता लग गयी और वह खुद देखेंगे तो महसूस करने लगेंगे, चीजों की कमी की वजह से यह हो रहा

है। दूसरी तरफ हम यहाँ बात उठायेंगे और एम0पी0 महोदय दिल्ली में बैठकर पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री से इस बात की कोशिश करेंगे, कर भी रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा तारकोल मिले। तो इस कमेटी से एक सामंजस्य पैदा होगा। विभाग के लोग अपने आप पहले काम करते थे तो उनको दिक्कतें आती थीं और कोई भी उनकी दिक्कतों को नहीं समझता था। अब जब समितियाँ बन गई हैं तो उनके माध्यम से यह काम आसान हो जायगा।

दूसरी दिक्कत लैन्ड एक्वीजीशन की थी, पहले इसमें जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं होता था। लेकिन अब अगर सड़कों का एलाइनमेन्ट चेंज करने के लिए, भूमि अध्याप्त करने में कठिनाई आती है, वह कमेटी सक्षम है। कमेटी के मेम्बर उसको देखकर तय करेंगे, पंचायती राज के तरीके से लोगों को बैठाकर कहेंगे और अगर एलाइनमेन्ट चेंज करने की बात होगी तो उसकी भी सिफारिश करेंगे। जहाँ तक होगा लोगों को समझायेंगे कि सडकों का निकलना जरुरी है। तो जहाँ अब तक इस बात पर बहुत पैसा खर्च होता था, मुकदमेबाजी में लोग जाते थे इस एक्वीजीशन के मामले में तो वह कम होगा। अब समिति के लोग जनता को समझायेंगे, इस तरह से मुकदमेबाजी से यह विभाग बच जायेगा।

मान्यवर, आम चर्चा इस बात की रहती थी, विभाग के बारे में जानकारी न होने के कारण कहा जाता था कि पी0डब्ल्0डी0 विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है क्योंकि जैसा मैंने कहा इन सब चीजों का ज्ञान नहीं होता था, लोग नहीं जानते थे कि विभाग में क्या हो रहा है, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या सामान नहीं मिल रहा है, तो यह कहना आसान होता था कि विभाग में भ्रष्टाचार है। अब जन समितियों के आधार पर सब चीजों का पता चलता रहेगा। अगर काम की प्रगति में कमी आ रही है तो समिति के लोग लिखेंगे कि फलाँ इंजीनियर, फलाँ असिस्टेंट इंजीनियर, फलाँ ओवरसियर की वजह से खराबी आ रही है और वह निकम्मा है। वह रिपोर्ट शासन को, मुख्य अभियन्ता को हर महीने पहुंचती रहेगी, हर महीने उस पर कार्यवाही होती रहेगी। अगर कोई सामान की कठिनाई की वजह से कमी थीं तो वह भी मालूम हो जायगा। इस प्रकार हर आदमी का चरित्र पूरा निखर कर आ जायगा। चाहे इंजीनियर हो चाहे कोई हो सबके चरित्र के बारे में एक टिप्पणी मौजूद होगी। अगर किसी द्वेष से उच्च अधिकारी किसी छोटे कर्मचारी का बिगाड़ना चाहेगा तो वह भी नहीं बिगाड़ सकेगा। क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों की रिपोर्ट शासन में मौजूद होगी। तो इससे विभाग को जनतन्त्रीय स्वरूप दिया गया है। इन कमेटियों द्वारा इस विभाग को हम आगे ले जायेंगे।

जहाँ काम में दिक्कत महसूस होती थी मैं समझता हूं कि इन समितियों के गठन से वह प्रकाश में आयेगी और सुचारु रूप से इस विभाग में प्रगति होगी और इसको लोग आगे बढ़ायेंगे। जहाँ तक मैंने इनका जिक्र किया, हमारे यहाँ सड़कों के निर्माण में सीमेन्ट, तारकोल और डामर की कमी है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश शासन में सीमेन्ट या दूसरी चीजों के आवंटन पर प्रायरिटी निश्चित होती है। तो हमारे यहाँ जो प्रायरिटी फिक्स है वह है ईरीगेशन और हायडिल की। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए कोई प्रायरिटी निश्चित नहीं है। इस कठिनाई की वजह से कभी-कभी विभाग को बहुत सफर करना पड़ता है और कभी-कभी हमें इरीगेशन या हायडिल विभाग से सीमेन्ट लेकर काम चलाना पड़ता है। इससे काम में देरी लगती है और इसी से हमारा निर्माण निगम कार्य में पिछड़ गया है। अब मैं समझता हूं कि प्रतिनिधियों के द्वारा यह कठिनाई दूर होगी।

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

मैंने इस विभाग को सम्भालने के बाद विभाग में दूसरा सुधार जो किया है, वह यह है कि यहाँ पर जो नये ब्रिज बनते हैं, उन पर टोल टैक्स लगता है और उसे उसके निर्माण व्यय और ब्याज आदि को शामिल कर टोल टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। इसमें जन प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की राय यह थी कि इसमें बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है और इस बारे में समय-समय पर सवाल भी सदन में आते रहे हैं कि फलाँ ब्रिज का टोल टैक्स वसूल हो गया है, फिर भी वह जनता के लिए नहीं खोला गया है। पथकर का कोई हिसाब नहीं रहता था। अतः मैंने दूसरे सुधार के रूप में यह समझा कि इसका ओपेन नीलाम किया जाय, जिससे जनता को पता लग सके कि कितना रुपया इसके लिए वसूल किया जाना है और कितना अब तक वसूल हुआ है। 3 लाख का पुल नीलाम हुआ और 50 लाख उसे देना है, तो जनता को बराबर यह मालूम होता रहेगा कि उसे कितना और देना है और कब तक वह पुल मुक्त हो जायगा। अतः शासन ने अब इनको ओपेन तरीके से नीलाम करना उचित समझा है और सरकार की बोली तय रहेगी कि इससे कम में हम नहीं देंगे।

प्रदेश की व्यापकता और विशालता को देखते हुए एक चीज की जरूरत और समझी जा रही थी, उसे भी हमने जनहित में किया है। 10 रुपए, 100 रुपए के सैंक्शन या एलाइनमेन्ट की कोई बात आती थी तो वह लखनऊ से ही तय होता था और उसमें कभी-कभी 6–6, 7–7 महीने लग जाते थे। विधायकों को भी इस बारे में शिकायतें रही हैं। इसके हल के लिए हम यह सोच रहे हैं और विभाग ने यह निर्णय लेने का निश्चय किया है कि इसके जोनल आफिस बना दिये जायं और उनको पूरी पावर्स दे दी जायं। अब तक पहाड़ों का एडिशनल चीफ इंजीनियर, लखनऊ में रहता था और यहाँ से सब देखता था, जिससे परेशानी और देरी होती थी। तो यह तय हुआ है कि अब जोनल चीफ रहे, जो वहीं पर रहे। पहाड़ों के लिए जोनल चीफ पहाड़ पर रहे, पूर्वी क्षेत्रों के लिए उनका जोनल चीफ पूरब में रहे और इसी प्रकार से पश्चिम का जोनल चीफ पश्चिम में रहे और एलाइनमेन्ट वगैरह छोटे-छोटे कामों के लिए लखनऊ में न दौड़ना पड़े। जिससे कठिनाई दूर हो जाय। सुधार की भावना से एक ऐसा निर्णय लिया गया।

इसके अलावा हमारे प्रदेश का कितना हिस्सा सड़कों और पुलों के लिए मिलता है? आज हर आदमी कहता है कि सड़क बननी चाहिए। सड़कों की इतनी आवश्यकता है जिसका ठिकाना नहीं। आज हर जगह से दरख्वास्तें आ रही हैं कि न हमारे यहाँ पुल है न सड़क है। रोजाना इतनी दरख्वास्तें आती हैं। पुलों के लिए बैंक हमको ऋण देते थे। सेतु निगम को देते थे। लेकिन कुछ कठिनाइयाँ ऐसी हुई कि उन ऋणों को अदा करने में हम को कठिनाई हुई, जैसे पुल बन गये, पुल का ब्याज लगा कर जो पुल में आया, उसमें इतना रुपया नहीं हुआ जो किस्त अदा हो सके। इसलिए भारत सरकार से हमने निवेदन किया है कि वह ऐसा आदेश करें कि बैंक उदारतापूर्वक हमको ऋण दे सके इसके अलावा अब मैं थोड़ा समय इस बात पर लेना चाहता हूं कि आजादी के वक्त हमारी सड़कों की क्या पोजीशन थी और जनता का शासन आने के बाद क्या हालात हमारे हुए। इस पर भी प्रकाश डालना मैं उचित समझता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ तब 15 हजार 113 किलोमीटर सड़कें थीं। 31–3–77 तक यह सड़के बढ़कर 43 हजार 36 किलोमीटर हो गयी। इस तरीके से ऐवरेज 750 किलोमीटर प्रति वर्ष का है।

मान्यवर, 1977 में जनता सरकार आई और उन्होंने इस बात को महसूस किया और समझा कि गाँवों का या शहर का विकास तभी हो सकता है जबकि हमारा ग्रामीण अंचल सड़कों से जुड़ जायगा। अगर ग्रामीण अंचल सड़कों से नहीं जुड़ा तो हमारे देश का विकास नहीं हो सकता, भले शहरों का कुछ हो जाय, लेकिन गाँवों का विकास जब तक नहीं होगा शहरों का विकास अधिक दिन तक टिक नहीं पायेगा। उसको सोच कर सरकार ने 1977–78 में 25 सौ 83 किलोमीटर सड़कें बनाने का निर्णय लिया, एक साल में, जबकि पिछले

वर्षों का 750 किलोमीटर ऐवरेज निकला है। इसके अलावा जो क्रैश सड़कें थीं उनको पूरा करने के लिए 1198 किलोमीटर सड़कों को भी ठीक करवाया। उसी तरीके से जनता सरकार का ध्यान इस बात पर है कि ग्रामीण अंचल में सड़कें बनें जिनसे देश की उन्नति हो सके। वह अपने कच्चे माल को आराम से ला सकें और अपने माल के लिए अच्छी कीमत ले सकें। इन सड़कों का जाल बिछाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। अगले साल 197879 में 36 सौ 34 किलोमीटर सड़कें बनायीं। इसके अलावा जो मान्यवर, इस साल का लक्ष्य है वह 4200 किलोमीटर का है कि पक्की सड़कें बनेगी। इतनी सड़कें बनाने के बाद भी अगर हम हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों से तुलना करें तो हम कहीं पर नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रतिशत है, 100 किलोमीटर का एवरेज निकालें तो 12.8 प्रतिशत आता है उसी के अगेंस्ट में केरल में 65, तामिलनाडु में 38, हरियाणा में 33, कर्नाटक में 24 और पूरे भारत का जो निकलता है वह 13 प्वाइन्ट समथिंग है। 100 किलोमीटर का एवरेज अगर निकालते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे कम है हिन्दुस्तान के एवरेज के मुकाबले में। इसके अलावा जो एक लाख आबादी पर घनत्व निकालें तो उसके हिसाब से भारत का 75, उत्तर प्रदेश का 43, कर्नाटक का 158, हरियाणा का 146, तमिलनाडु का 120 और केरल का 119 है और हमारा 43 है। एक लाख की आबादी पर सड़कों को निकालें तो वह 43 हैं। हम हिन्दुस्तान के नक्शे में जहाँ गरीबी में हम दूसरे नम्बर पर हैं वहीं पर सड़कों के मामले में हमारा कोई नम्बर नहीं है। सड़कों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। हम लोगों ने पी0डब्लू0डी0 की योजना बनाई थी। वह 1138 करोड़ की बनाई थी, उत्तर प्रदेश शासन ने उसे 533 की कर दिया और उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने उसे 375 कर दिया। प्लानिंग कमीशन यह कहता है। डेढ़ हजार की आबादी के जो गाँव हैं, 5918 को लिंक रोड से जोड़ रहे हैं, यह केन्द्रीय सरकार ने कहा। एक हजार से डेढ़ हजार की आबादी के 36 93 गाँवों को जोड़ना था। इस प्रकार कुल 9611 गाँवों को सड़कों से जोड़ना था, लेकिन मान्यवर, संसाधनों के हिसाब से केवल 1861 गाँवों को ही जोड़ पाए हैं। हमारा औसत कुछ नहीं है। 9611 गाँव को सड़कों से जोड़ने के लिए 343.84 करोड़ रुपए की जरूरत है। जहाँ तक बजट का सवाल है, वह इतना कम है कि हालत खराब है कि मान्यवर, यह हो पावेगा या नहीं? बजट का जो एलाटमेन्ट किया गया है वह इस तरीके का है कि कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए 17.56 प्रतिशत जोकि पिछले साल 15.18 था। सहकारिता में पिछले साल 1.00 था लेकिन अब 1.23 है, जल और विद्युत में पिछले वर्ष 58.4 था जिसे घटा कर 46'05, खनिज और उद्योग में पार साल 4.40 था जो इस वर्ष 11.73 कर दिया गया। सड़क और परिवहन में पार साल 10'28 था जो इस वर्ष 7.82 कर दिया गया है। जहाँ तक सड़कों के निर्माण का प्रश्न है सरकार चाहती है कि हमारी सड़कें बनें लेकिन जो दिक्कतें हैं उनको मैंने आपके सामने रख दिया है।

हमने जो नयी योजनाएं इस वर्ष के लिए बनाई हैं, उनका भी उल्लेख आपके सामने कर देना उचित समझता हूं। संसाधनों को देखते हुए हमने मैदानी क्षेत्र में लिंक मार्ग गाँवों को बड़ी सड़कों से जोड़ने के लिए 200 किलोमीटर का, छुटे हुए मार्गों का (मिसिंग) 664 किलोमीटर सड़कों का इस साल लक्ष्य रखा है। कांन्क्रीट की वे सड़कें जो अभी तक तारकोल की नहीं हो पाई थीं उनको पक्का करने के लिए 1,000 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य है। जिन सड़कों की चौड़ाई कम है और ट्रैफिक हैवी हो गया है उनके सुदृढ़ीकरण के लिए आने जाने के साधन ढूंढने के लिए हमने 500 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य रखा है। इसी

[श्री त्रिलोक चन्द]

प्रकार से खड़न्जा आदि बनाने के लिए 953 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए हमारी स्कीमें हैं। बाकी सड़कों के सर्वेक्षण कराने के लिए भी हमने इस बजट में प्राविधान किया है इसके अलावा मान्यवर, विभाग में रोड रोलर्स की बहुत कमी थी और यह शिकायत हमेशा विभाग में बनी रहती थी, उनके क्रय करने का भी हमने इस वर्ष के बजट में प्राविधान किया है जिससे सड़कों का निर्माण कार्य सुचारु रूप से चल सके। यह 383 का लक्ष्य है।

हमने पुलों के सर्वेक्षण का काम कराने के लिए इस बजट में प्राविधान किया है ताकि यह काम भी आसानी से चलाया जा सके। हमने इस वर्ष 100 पुलों के सर्वेक्षण का काम लिया है।

यह भी अनुभव में आया है कि अधिकतर सड़क या पुल मन्त्रियों के क्षेत्रों में ही बन गये या शक्तिशाली लोगों के क्षेत्रों में ही बन गये इसी बात को हल करने के लिए मैंने यह सोचा है कि एक साल पहले एडवान्स प्लानिंग कराकर वह स्कीम इस माननीय सदन के सामने आ जाय जिससे माननीय सदस्यों को यह विदित हो सके कि कौन से पुल और कौन सी सड़कें अगले वर्ष बननी हैं और यह दिक्कत न हो कि कौन ली गयी और कौन सी नहीं ली गयी।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)——

जो सड़कें शुरू हो गयी हैं, क्या आप उनको अनडू कर देंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द——

एडवान्स प्लानिंग में तो एक साल पहले स्वीकृति होती है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)——

अगर सरकार बदल जायगी तो फिर जो एडवान्स प्लानिंग में योजना बनेगी उसे कौन पूरा करेगा ?

श्री त्रिलोक चन्द——

जो आयगा वह करेगा। मैं रहूंगा, मैं करूंगा।

इस एडवान्स प्लानिंग से हर विधायक के क्षेत्र में कुछ न कुछ सड़कें अवश्य बन जायेंगी। फिर टेंडर वगैरह भी पहले से ही काल कर लिए जायेंगे। मिट्टी और गिट्टी की व्यवस्था भी हो जाया करेगी। अब कोई भी आदमी ज्यादा सड़क नहीं ले पायेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष——

आप लोग आपस में बात न करें।

श्री त्रिलोक चन्द——

मान्यवर, यह योजना बड़ी लाभप्रद साबित होगी....

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)——

मान्यवर, क्या सब को बराबर-बराबर मिल जायेंगी सड़कें और फिर विधायकों को कैसे पता चलेगा कि कौन सड़क कहाँ बनने जा रही है ?

श्री त्रिलोक चन्द——

जिलों में जो समीक्षा समिति है उन्हीं के प्रोपोजल्स आयेंगे कि किस को प्रायरिटी देना है, उसके बाद स्टेट लेविल पर विधायकों से पूछा जाता है। बराबर का जहाँ तक सवाल है, कुछ अन्तर तो हो ही सकता है, लेकिन कोशिश यह होगी कि हर विधायक के क्षेत्र में कुछ काम अवश्य हो जाय।

तीन प्रकार की योजनाएं सड़कों की होती हैं एक तो रेगुलर सड़क होती है, इसके बाद नं0 2, नं0 3, और नं0 4 की होती हैं। नं0 4 में सड़क कच्ची होती है, उस पर

मिट्टी का काम होता है, नं0 3 में उस पर खड़ंजा डाला जाता है, और नं02 में उस पर तारकोल का लेप किया जाता है।

आप कहेंगे कि जो सड़कें कच्ची हैं उनकी मिट्टी धुल जायेगी। बात सही है, लेकिन जैसाकि मैंने कहा कि ईंट वगैरह की आज जो कठिनाई है, उसके कारण कुछ सड़कें, योजना नं0 4 का जो लक्ष्य है कि उसको पूरा कर दिया जाय, वह पूरी नहीं हो पाईं। तो इस साल यह योजना है कि वह पूरी हो जायं। 2500 किलोमीटर यह सड़कें हमने कच्ची बनाईं, खड़ंजे का काम 125 किलोमीटर में, मिट्टी का काम 120 किलोमीटर में और 35 किलोमीटर नई सड़कों को बनाने का लक्ष्य है। जो सड़कें कच्ची हैं, उन पर इस साल खड़ंजे लगाने का काम किया जायगा। एक समस्या और रहा करती है कि बहुत से गाँव के अन्दर या शहरों के अन्दर जहाँ पी0डब्लू0डी0 की सड़कें निकलती थीं, तो नालियों का कोई प्रबन्ध नहीं था, उसके लिए इस साल प्रबन्ध किया गया कि 73 लाख रु0 से इस काम को कराया जाय और 73 लाख रु0 इस मद में रखा गया है कि वह सड़कों के करीब नालियां वगैरह बना सकें। जहाँ पर टाउन एरिया होगी, वहाँ पर एल0एस0जी0 बनाएगी।

मान्यवर, जो हमारे राष्ट्रीय मार्ग हैं, वह उत्तर प्रदेश में 2468 हैं और उत्तर प्रदेश प्रति लाख जनसंख्या पर, उसका प्रतिशत 2.7 लाख किलोमीटर, भारत का पूरा है 5.30 किलोमीटर। मान्यवर, हमारे पास नेशनल हाई-वे की सड़कें 2468 हैं जोकि बहुत कम हैं इसके लिए केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी जारी है। मैंने इस सम्बन्ध में मन्त्री जी से भेंट की थी कि जो हमारा हक है वह हमको मिलना चाहिए। दूसरे राष्ट्र में नेशनल हाई-वे बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहाँ पर बहुत कम हैं। मान्यवर, हमारे इसी विभाग के अन्दर दो निगम हैं, एक निर्माण निगम, दूसरा है सेतु निगम। मान्यवर, निर्माण निगम का जहाँ तक सवाल है, पूरे प्रदेश की बिल्डिंग निर्माण निगम बनाता है। जिस दिन से निर्माण निगम की स्थापना हुई, आज तक वह कभी घाटे में नहीं चला, मुनाफे में हमारा निर्माण निगम चल रहा है। पूरे प्रदेश में वह भवनों को बनाने में तत्पर है। आज जो हमरा टर्न ओवर है या हमारा जो लक्ष्य है इसका 25-26 करोड़ रु0 के लगभग काम करने का टर्न ओवर निर्माण निगम का चल रहा है, वखूबे काम कर रहा है, कोई घाटे का सौदा नहीं है।

इसी प्रकार सेतु निगम है। 49–50 के करीब काम कर रहा है और दूसरे प्रदेश में भी, पंजाब में और आसाम में और हरियाना में हमारे सेतु निगम ने पुल बनाया और 50 के करीब अपने प्रदेश में बना रहा है। ईराक ने भी 4 सेतु बनाने के लिए हमारे सेतु निगम से माँग की है। यह गौरव की बात है जोकि हमारा सेतु निगम इतना बढ़िया काम करने वाला, जिसमें इतने बढ़िया इंजीनियर्स हैं, जोकि दूसरे प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है।

मान्यवर, इस वक्त जो छोटे कर्मचारी वर्ग हैं उनके लिए भी कोई स्थायीकरण या नियमितीकरण नहीं होता था और यह इतने छोटे कर्मचारी हैं जिनकी बात सुनी भी नहीं जाती थी तो उनके लिए भी पिछले साल उनका वेतन बढ़ाया गया ताकि उनका गुजर-बसर ठीक हो सके और इस वर्ष नियमावली बनाकर, उसकी अन्तिम परीक्षा हो रही है, यह आदेश कर दिए गये हैं जिनका वर्कचार्ज में 3 वर्ष पूरा हो गया उन्हें नियमित कर्मचारी मान लिया जाय। जिससे उनको यह न महसूस हो कि अगर वे बेगार न करें तो उनको निकाल देंगे और वे मेहनत से सेवा करें। जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है सबसे बड़ा है। इसके लिए विभाग में एक टेक्निकल आडिट सेल है जो परीक्षा कर पता लगता है और यह आख्या देता है कि इसमें यह खराबी है और यह दण्ड दिया जाय। इसके अलावा एक कम्प्लेंट सेल था. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, आप लगभग 50 मिनट बोल चुके हैं।

श्री त्रिलोक चन्द—

मैं अभी समाप्त कर दूंगा। मैं तो यह कहूंगा कि जो कम्प्लेन्ट सेल है और टेक्निकल सेल है यह पहले से था लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ी जिम्मेदार कमेटियाँ हैं वह है समीक्षा समिति। इनका दायित्व रहेगा कि बेईमानी रोकने में ये सेल सक्षम नहीं होते तो इसमें विधायकों का सबसे बड़ा हाथ रहेगा कि वे इसको रोकें। मैं आशा करता हूं कि इन समितियों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार की बातें हैं उसमें कमी होगी। विधायक देखेंगे कि भ्रष्टाचार न फैलने पाए तथा भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा दिलवाने में शासन के प्रति वे सक्षम हैं। मान्यवर, एक बात और कह देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग ओवरसियर, इंजीनियर्स की भर्ती करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पहले उनको लिखना होता है। उसके बाद 3–3 साल तक रिजल्ट ही नहीं आता और कमी बनी रहती है। इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करें और हमें ऐसी परमीशन दें ताकि हम एडहाक एप्वाइन्टमेंट कर लें और उसका अनुमोदन कर दें। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि विचार-विमर्श करके माननीय सदस्य सुझाव दें और इसको पास करायें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 107—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना। इससे असहमति नहीं है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रगति के सवाल पर, विकास के सवाल पर और मैं यहाँ तक कहता हूं कि जहाँ पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का हाथ लगता है वहाँ पर नयी सभ्यता के द्वार भी खुल जाते हैं। मान्यवर, जन-साधारण से यह विभाग बहुत घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। ऐसे विभाग के बारे में माननीय

मन्त्री जी ने अब तक की नाकामयाबियों को पूरे सदन के सामने कुबूल किया। नाकामयाबियों की तरफ गौर से देखें तो मन्त्री जी ने स्वयं यह बात कही है कि जितने प्रतिशत बजट पिछले साल मिला था उससे भी इस साल कम है। पिछले साल 10.28 प्रतिशत था और अब वह घट कर 7.82 परसेन्ट बजट पी0डब्लू0डी0 के लिए दिया गया है। दूसरी नाकामयाबियाँ मन्त्री जी ने खुद कुबूल की हैं कि 2583 कि0मी0 सड़कें 77 से अब तक बनी हैं। अब जब सड़कों पर गौर करते हैं तो 2583 कि0मी0 सड़क आजमगढ़ में बनाई गयीं या बुलन्दशहर में बनी हैं। हमारे सामने यह चीज साफ नहीं है।

मान्यवर, श्री कमलापति त्रिपाठी जी जब मन्त्री हुए तो बनारस को रुला दिया सिर्फ अपने क्षेत्र में सड़क बनवाकर। श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने पहाड़ को तबाह कर दिया अपने क्षेत्र में सड़क बनवाकर। श्री राम नरेश यादव जी तमाम सड़क आजमगढ़ में ले गए। अबकी बार मुख्य मन्त्री जी और पी0डब्लू0डी0 मन्त्री दोनों एक ही जिले के हैं। मालूम ऐसा देता है कि जनता पार्टी की सरकार जबसे आई मुख्य मन्त्रियों ने समझौता जैसा कर लिया है, साझेदारी कर ली है कि पी0 डब्लू0डी0 मन्त्री को अपने जिले का रखेंगे। श्री राम नरेश यादव जी थे तो उन्होंने आजमगढ़ जिले के पी0 डब्लू0 डी0 मन्त्री को रखा। माननीय बनारसी दास ने त्रिलोक चन्द जी को रखा। लोग जान भी न पाये इसलिए दोनों लोग एक जगह के एक राय के हो गये, जैसे यह षडयन्त्र किया जाता है पूरे प्रदेश के साथ। अगर ईमानदारी के साथ मन्त्री जी पूरे प्रदेश का भला करना चाहते हैं तो एक बात की घोषणा सदन के सामने कर दें कि जो भी मन्त्री होगा, क्योंकि मन्त्रियों ने बहुत सड़कें अपने क्षेत्र में बनवा ली हैं। यहाँ घोषणा करें कि जो भी मन्त्री होगा उसके क्षेत्र में सड़क नहीं बनाई जायगी। तब तो हम समझेंगे कि विधायकों के बारे में जो मन्त्री जी ने कहा कि बराबर बराबर सब को सड़कें मिलेंगी, तो शायद आप कुछ कर सकते हैं। यदि यह घोषणा नहीं करते तो आप इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने इस नाकामयाबी को भी कबूल किया कि जहाँ पर एक लाख की आबादी पर हरियाणा में 146 किलोमीटर औसत सड़क हैं, पंजाब में 99 किलोमीटर, कर्नाटक में 157 किलोमीटर पक्की सड़कें औसतन है लेकिन हमारे प्रदेश में 43 किलोमीटर पक्की सड़क औसतन है। जबकि पूरे देश में 75 किलोमीटर का औसत आता है तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश इस मामले में लगभग आध पर है। इसमें मैं समझता हूं कि यह बड़ी नाकामयाबी की बात है। और इसके रहते आप अनुदान प्रस्तुत करें और पैसा माँगें तो इसका आपको नैतिक अधिकार माँगने का नहीं रह जाता है।

मान्यवर, आपका प्रशासनिक ढांचा मुख्य अभियन्ता से लेकर वर्कचार्ज तक बना है। पहले थोड़ी सड़कें थीं अब ज्यादा हैं लेकिन प्रशासनिक ढांचा वही पुराना है। उसमें परिवर्तन नहीं किया है। तो कमकाम और ज्यादा काम में आप कोई फर्क नहीं करना चाहते हैं। मान्यवर, यहाँ 1946 में एक शोध संस्थान खुला था, वह आज भी चल रहा है, उसका काम भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की जाँच, मितव्ययता, टिकाऊपन तथा अभियन्ताओं को तकनीकी सलाह के साथ साथ सिविल अभियन्त्रण की कल्पना करना, प्रबन्ध करना आदि विषयों पर निर्णय लेना उसका काम है। तो संस्थान नई-नई तकनीक भी निकाल देगा लेकिन यहाँ उन नई तकनीकों के आधार पर काम करने वाले अधिकारी तो हैं नहीं क्योंकि यहाँ अधिकारी तो पुरानी तकनीक से परिचित होते हैं। इसलिए उन पुरानी तकनीक के इंजीनियरों को आपने नई तकनीक सिखाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए इसमें गड़बड़ी होगी और सही दिशा में काम नहीं होगा।

मान्यवर, सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने बताया कि उपलब्धियाँ हुई हैं लेकिन जहाँ यह बताया कि राजकीय निर्माण निगम घाटे में नहीं चल

[श्री राम आसरे बर्मा]

रहा है, मुनाफे में चल रहा है। तो मान्यवर, मन्त्री जी इतने से ही सन्तुष्ट न हो जायं, इसमें भी आपको बहुत घोटाले मिलेंगे। इसलिए आप उन घोटालों की तरफ ध्यान दें।

मान्यवर, मन्त्री जी ने यह भी बताया है कि शिकायती कोष्ठ यहाँ बनाया है जोकि भ्रष्टाचार की जांच करेगा, काम में गलती हुई है उसकी जांच करेगा। तो अभी तक सिलसिला रहा है कि चाहे शिकायत कोष्ठ खोले या आयोग बैठे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत सुनने के लिए बना कोष्ठ भ्रष्टाचारियों द्वारा दूसरा अड्डा बना दिया गया है। इसलिए यह बात सही नहीं है, यदि सही होती तो मन्त्री जी बताये होते कि इस शिकायत कोष्ठ ने कितने अधिकारियों के खिलाफ जाँच की है, उसके परिणाम क्या निकले है और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है। उसकी उपलब्धि कुछ नहीं है लेकिन शिकायती कोष्ठ की बात है। तो शिकायती कोष्ठ के कायम होने से आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग सही रास्ते पर चलने लगेगा, स्वस्थ्य परम्परा कायम करेंगे, यह सम्भव नहीं है।

आपने यह भी कहा छठी पंचवर्षीय योजना में 78 से 83 तक की बात कही गयी है। किसी बात में टिकाऊपन तो है नहीं, लेकिन योजनायें तो बनेंगी ही। बाद में चाहे भले ही छोड़ दें। उसी के आधार पर कहा कि जिन गाँवों की आबादी 1500 की है, उनको तो जोड़ ही देंगे अब एक साल तो पंचवर्षीय योजना का बिता भी लिया और उसकी कोई संतोषजनक उपलब्धि सामने नहीं है। खुद माननीय मंत्री जी ने इस बात को मान लिया है। अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में 3500 की परिकल्पना है। एक साल तो बीत गया और न के बराबर काम किया। दूसरे साल में आपकी परिकल्पनायें प्रस्तुत होगी और तीसरे साल में सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगे। चौथे साल में एक और विभाग होगा, वित्त विभाग को भेजेंगे। वहाँ से पैसा सैंक्शन होगा। तब तक पाँच साल हो जायेंगे। पंच वर्षीय योजना पूरी हो जावेगी, और काम जहाँ का तहाँ रह जायेगा। तो इसमें भी अगर स्पष्ट समझदारी बनाकर नहीं चला जाता है तो काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

मान्यवर, आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग में मिट्टी का काम होता है। मिट्टी के काम के लिये आप देते है दो रुपया 10 पैसे प्रति घन मीटर के हिसाब से। सरकार का विभाग है पी0 डब्लू0 डी0 सरकार का एक विभाग है नहर विभाग, एक ही सरकार के अन्तर्गत चलने वाले दो विभागों में अगर फर्क होता है तो उसमें सोचना पड़ेगा। पी0 डब्लू0 डी0 में आप दो रुपया 10 पैसा प्रति घन मीटर देते है और नहर विभाग में उसी काम के लिये 1.25 और 1.40 पैसा दिया जाता है। अगर नहर विभाग के लोग कम पैसे में काम निकालते हैं तो आप लगभग ड्योढ़ा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? कम से कम विभिन्न विभागों में जो रेट्स दी जाती है, उनमें समानता होनी चाहिये और वह जब समानता नहीं होती तो एक संदेह पैदा होता है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के बारे में बात आयी। चाहे मैदानी इलाका हो चाहे पहाड़ी इलाका हो, भ्रष्टाचार की शिकायत सभी जगह है। अभी पहाड़ी जिले के विधायक कह रहे थे कि पहाड़ में इन्जीनियर जाते हैं और वहाँ से थैलियाँ भर कर लाते हैं। तमाम भ्रष्ट काम करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार के कामों की जाँच नहीं होती। तो कम से कम इस तरह की शिकायतों की बात आवे तो उसकी जाँच करायी जानी चाहिये। लेकिन उसी के साथ अगर भ्रष्टाचार है तो उसके क्या कारण हैं और उन कारणों को दूर करने की जिम्मेदारी पहले शासन की होती है। मान्यवर, आप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। योजनायें भी बना रहे हैं लेकिन आपका बजट और योजनायें दिसम्बर और जनवरी से पहले नहीं पहुंचती। कम्युनिकेशन बहुत देर में होता है जबकि मई महीने में पहुंच जाना चाहिये और उसके बाद नयी परिकल्पनायें पेश करेंगे तो नया स्टाफ जरूरी होगा। उस नयी सहायता के लिये बाद में वित्त विभाग में भेज देंगे। तो एक तो देर, दूसरे महादेर। यदि ईमानदारी के

साथ करना चाहते है तो बजट उस तरह से हो, योजनाये हों और परिकल्पनायें हों। इसके बारे में देर न की जाय बल्कि जल्द से जल्द अधिकारियों के पास पहुंच जाय और स्टाफ की जो जरूरत पड़ती है, डिवीजन के डिवीजन खाली पड़े रहते है उनके लिये बजट में ही प्राविधान किया जाय ताकि जो देरी वित्त विभाग में लगती है वह न लगे। वित्त विभाग भी जिस तरह का है, वह है। सालों कागजात पड़े रहते है, आप की योजना पूरी हो जाती है, सारा काम हो जाता है, आपकी लेकिन वित्त विभाग से कागजात वापस नहीं आते हैं। इस पर भी समझदारी होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अच्छा हो कि स्टाफ की जो जरूरत पड़े उस का प्राविधान भी आप बजट में ही कर दें।

मान्यवर, आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में कहा। अच्छी बात है। हम स्वागत करते हैं। लेकिन पूरे विभाग को देखने से ऐसा लगता है कि आप के यहाँ सेवा नियमावली है ही नहीं जिस का परिणाम है कि नीचे से ऊपर तक के अधिकारी, कर्मचारी आज अस्थायी जैसे बने हैं। दस-दस साल से लोग काम कर रहे है, इन्जीनियर हैं, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर हैं, वे भी कनफर्म नहीं हैं। तो अस्थायी बना करके आप उनकी क्षमता और योग्यता के मुताबिक काम ले सकें या उनकी सेवाओं का सदुपयोग कर सकें यह मुमकिन नहीं होता। माननीय मंत्री जी को यह पता है कि वह अस्थायी हैं इसलिए वह मन लगाकर काम नहीं कर सकते जिस दिन यह पता लग जाय कि इस साल के कामों का जवाब अगले साल देना पड़ेगा वह अच्छी तरह से, रुचि लेकर, काम करने लगेंगे। मान्यवर, यह बात चाहे वर्मा जी हों और चाहे कोई हो सबके साथ लागू होती है। मान्यवर, उन की सेवा नियमावली की बात होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मान्यवर, चरित्र पंजिका चली है। अंग्रेजी जमाने से ही यह सिलसिला है। छोटे अधिकारियों को, कर्मचारियों को दबा कर, गुलाम बना कर काम लिया जाय, इस तरह का सिलसिला उन्होंने कायम किया। यह सिलसिला आज भ्रष्टाचार का श्रोत बन गया है। बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी, कर्मचारियों को किस तरह से चरित्र पंजिका के नाम पर हमेशा अपने इर्द गिर्द घुमाया करते हैं इसकी मसाल माननीय सदस्यों ने कई बार दी हैं।

स्थानान्तरण के बारे में आपके यहाँ क्या है? वर्किंग और नान वर्किंग दो स्कीमें हैं। और पिछले जो हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे वर्किंग और नान वर्किंग को उन्होंने कहा था नक्लिस्तान और रेगिस्तान। हर अधिकारी नक्लिस्तान में जाना चाहता है, रेगिस्तान में नहीं जाना चाहते है। कर्मचारी भी नक्लिस्तान में जाना चाहते हैं। आपके सामने योग्यता है, दायित्व है तो इस तरह का सिलसिला कायम किया जाना चाहिए कि नक्लिस्तान और रेगिस्तान में भेद न रहे। हर जगह अधिकारी और कर्मचारी रुचि से काम करें। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थानान्तरण के बारे में एक स्पष्ट नीति विभाग की होनी चाहिए जिससे अधिकारी और कर्मचारी निश्चिन्त भाव से अपना काम कर सकें।

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा आप का शोध संस्थान नई नई तकनीकें बताता है लेकिन लोग नई तकनीकों से वाकिफ नहीं होते। अगर आप चाहें कि काम नई तकनीकों के आधार पर हो तो आप को चाहिए कि उनको नई तकनीक की जानकारी हो, स्पेसेलाइजेशन उन को हासिल हो। एक ट्रेनिंग स्पेसेलाइजेशन के लिए आप दें। परमानेन्ट एडिशनल केडर आप इसके लिए बनायें। आप इस तरह का भी प्रबन्ध करें कि जो अधिकारी इस प्रकार की ट्रेनिंग लें, उन्हें समय पर रिलीव किया जाय और साथ ही साथ उन की अनुपस्थिति में आपका काम भी न रुके। क्योंकि आज स्थिति क्या है? कई अधिकारी छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो उन दिनों काम बंद रहता है। जो इस तरह से नुकसान

[श्री राम आसरे वर्मा]

हुआ, घाटा हुआ उसे फिर पूरा किया जाता है। एक तो आपके अधिकारी इस कारण छुट्टी पर नहीं जा पाते और यदि छुट्टी मिल जाती है तो आपका काम सफर करता है।

मान्यवर, हमारी एप्रोच थोड़ी कंजरवेटिव टाइप है। इसे खत्म करने हेतु एक एक्स-पेरीमेंटेशन की व्यवस्था करनी चाहिये और इसमें केन्द्र आपकी मदद करेगा। उससे एक प्रगतिशील धारणा घर करेगी और काम को बल मिलेगा। सड़कों से नई सभ्यता का द्वार खुल जाता है। उनसे कृषि का विकास होता है। तरह-तरह की मेडिकल फेसिलि-टीज होती है उनमें राहत मिलती है। उन राहतों के रहते हुए शासन के दूसरे विभागों के द्वारा जनता पर नये नये टैक्सेज लगाता है। राहत आप प्रदान करते हैं, सभ्यता के नये द्वार आप खोलते हैं और टैक्स दूसरे विभाग लगाते हैं। इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि सड़कों के किनारे दूकानदार जो एंक्रोचमेंट कर लेते हैं इसको लीज पर दे दिया जाय। इससे आपकी आमदनी होगी और एक नई व्यवस्था कायम होगी। कमेटी आपने जरूर बना दी है, लेकिन वह कुछ काम नहीं करेगी, सिर्फ अपनी राय देगी। अच्छा हो आप यह नई व्यवस्था कायम करवा दें तो आप पर बोझ नहीं पड़ेगा। इस व्यवस्था के कायम होने से आपको एक अस्त्र मिलेगा और जिस समय आप जहाँ उचित समझेंगे कुछ काम करा सकेंगे। अभी तक देखा यह गया है कि सड़कों, पुलों तथा भवनों के निर्माण में विशेष कर जनता पार्टी के विधायकों का इंवाल्वमेंट रहा है।

हरदोई जिले का नाम पूरे कागजात में कहीं नहीं मिला। माननीय मंत्री को आभास तक नहीं होगा कि हरदोई जिले का विधायक ही कटौती का प्रस्ताव पेश करेगा। हरदोई में पिहनी के पास एक सड़क है सिर्फ उसके आधुनिकीकरण की बात की गयी है और भी सड़कों का वहाँ पर आधुनिकीकरण किया जाय। इसी तरह वहाँ पर बिलरायाँ नपवारी सड़क मध्य प्रदेश से मिलती है। बीच में हरदोई जिले में 15/16 किलोमीटर तक पत्थर तथा कंकड़ पड़ा हुआ है। मैंने लिखा तथा अधिकारियों से कहलवाया लेकिन उस पर मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरह उस सड़क पर एक गंगा का पुल है राजघाट जो कन्नौज को मिलाता है। आपने कहा 100 पुलों का सर्वेक्षण करायगें। राजघाट के पुल का सर्वेक्षण हो चुका है परन्तु सर्वेक्षण के बाद कुछ नहीं किया गया। पुराने सर्वेक्षण इस तरह फाइल में ही रह गये और नये सर्वेक्षण कराते चले जा रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। जो सर्वेक्षण कराये जायं पहले उन पर निर्माण कराया जाय और उन कामों के पूरा होने पर नये काम लिये जायं। एक बात यह भी कह देना चाहता हूं कि आप नई सड़कों को तो बना रहे हैं लेकिन पुरानी सड़कों की मरम्मत का नाम नहीं लेते। 3 हजार रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आप मरम्मत के नाम पर देते हैं जबकि दूसरी जगहों पर 7, 8 हजार रुपया दिया जाता है। तो आप नई सड़कें बनाते जायं और पहले वाली टूटती जायं, यह बात ठीक नहीं है। इसलिए आप पुरानी सड़कों की मरम्मत की ओर भी ध्यान दें। हर सड़क की पाँच साल के बाद मरम्मत होनी चाहिए। इसके लिये आप पैसे की व्यवस्था करें। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी द्वारा कबूली गई नाकाबलियतों को देखते हुये और अन्य बातों को देखते हुए मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, लाइब्रेरी में आग लग गई है। ट्रांसफारमर बुरी तरह से जल रहा है। आप जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करा दें वरना लाइब्रेरी को बहुत नुकसान हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं व्यवस्था कर चुका हूं।

एक सदस्य—

मान्यवर, बिजली मंत्री से कहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

यह एक महत्वपूर्ण विषय सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। काफी लोग इस पर बोलना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रत्येक सदस्य के लिये 5 मिनट का समय निर्धारित कर लें। जो लोग अब तक नहीं बोले हैं, उनको प्राथमिकता दूंगा।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उसमें कई पर्वतीय जिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्यों को भी मौका मिलेगा।

(इस समय 2 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

श्री संगमलाल (जिला प्रतापगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री महोदय नें जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं..... अपने. (व्यवधान)। जो कटौती का प्रस्ताव माननीय वर्मा जी ने रखा है और जो बातें उन्होंने कहीं हैं कुछ उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में अकेले सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री के बस की बात नहीं है दो-तीन विभागों को इस मामले में देखना होगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के देख-रेख में दो किस्म के काम आते हैं–एक कच्चे काम जैसे मिट्टी के और दूसरे पक्के काम। मान्यवर, कच्चे काम के विषय में तो कुछ नहीं कहा सकता हूं। इसकी उम्र तय नहीं की जा सकती है क्योंकि मिट्टी बह गई तो उसकी आयु निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा कानून मंत्री जी बना दें जिससे पक्के कामों की आयु सीमा निर्धारित कर दें कि यदि इस समय में कोई काम किया जाता है और वह पक्का काम किसी ठेकेदार या इंजीनियर द्वारा कराया जाता है और टूट जाता है तो उसके नष्ट होने पर सम्बन्धित ठेकेदार या इंजीनियर पकड़ा जा सके।

यह सही है कि यह काम अकेले माननीय मंत्री जी के बस की बात नहीं है। पक्के काम कई विभाग में हुआ करते हैं जैसे विद्युत विभाग है, नहर विभाग है, यही विभाग है। अगर आप इस तरह का कोई कानून नहीं बनाते हैं तो जो रवैया चल रहा है उसके चलते हुये एक दिन ऐसा आयेगा कि सारा पैसा इन इंजीनियरों के कमीशन में चला जायेगा और तब आपके बस की बात नहीं रह जायगी। मैं चाहता हूं कि यह जो कमीशन इस विभाग में चल रहा है उसको आप लीगलाइज कर दें, कानून की शक्ल इसे दे दें ताकि वह आगे न बढ़ सके। इस तरह से यदि आप कानून बना सकें तो 5–10-15 साल में जो पक्का काम आप कराते हैं अगर वह टूट जाता है तो एक साधारण दरख्वास्त पर उसकी जाँच हो सके। इस तरह के पक्के काम के लिए आप समय निर्धारित कर दें तब वही सम्बन्धित इंजीनियर जिसके द्वारा वह काम बनवाया गया और संबंधित ठेकेदार जिसने बनाया पकड़े जायेंगे और उनसे वसूली की जायगी और तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकता है अन्यथा आपके विभाग में कमीशन बढ़ता रहेगा और जो कार्य हो रहे हैं वह निरंतर तनज्जुली पर चल जायेंगे।

समिति की बात माननीय मंत्री जी ने कही, उसकी जिम्मदारियों की बात कही। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मान लीजिये कमेटी सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य को देखना चाहती है तो उसके लिए क्या उपाय होगा, उसको वाहनों की सुविधा दी जायगी या नहीं? जिम्मेदारी तो मंत्री जी ने कमेटी पर डाल दी, अब उसके लिए मंत्री जी जवाब देह नहीं होंगे बल्कि कमेटी जवाबदेह होगी जिसके सदस्य विधायक और एम0 पी0 हैं। तो अगर वह देखने जाना चाहते हैं तो उसका क्या उपाय होगा?

श्री अधिष्ठाता—

4 मिनट हो गये हैं आपको 5 मिनट में समाप्त करना है।

श्री संगम लाल—

मैं खत्म कर रहा हूं। तो उसमें भत्ते और वाहनों के लिए आप जरूर विचार करें।

इसके बाद मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। मान्यवर, मेरे जिले का हमेशा राजा और रानियाँ प्रतिनिधित्व करती आई हैं। वह केन्द्र और राज्य में मंत्री हुआ करते थे लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग में वहाँ एक भी प्रगति का कार्य नहीं हुआ। वैसे बहुत सी सड़कें हैं, मंत्री जी ने घोषणा की है कि जनता सरकार ने भी घोषणा की है कि हर 15 सौ की आबादी वाले गाँव को हम जिला मुख्यालय से जोड़ देंगे. . . . .

श्री अधिष्ठाता—

शुक्ला जी आप बैठें। मैंने ओम प्रकाश जी को बुला लिया है।

श्री संगम लाल—

मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। मेरे यहाँ अभी तक मानधाता ब्लाक को जिला मुख्यालय से नहीं जोड़ा गया है इसलिए कटरा मेदनीगंज से कटरा गुलाब सिंह तक वाया मानधाता जाने वाली सड़क बना दें तो कृपा होगी। इसके अलावा 5–6 पुल मेरे जनपद में बनने आवश्यक हैं एक पुल सई नदी पर जामताली में इस साल अवश्य बना दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया अपने सुझाव लिख कर भेज दीजिये।

श्री संगम लाल—

आखिरी बात कह कर खत्म करता हूं। हमारे जिले में किसान आन्दोलन के लिए बाबा रामचन्द्र प्रसिद्ध रहे हैं। कहला गाँव में 1921 में एक सभा हुई थी जिसमें तीन आदमी मारे गये थे उसको भी जिला मुख्यालय से जोड़ा जाय इसलिए गाजी का बाग से मुबारकपुर सड़क बनाने की कृपा करेंगे।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे प्रदेश में सड़कों की जो स्थिति है वह बहुत दयनीय है। पिछले 30 वर्षों में शासन ने सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तीस वर्षों में काँग्रेस सरकार ने केवल 213 करोड़ रु0 खर्च सड़कों पर किया जबकि जनता पार्टी ने पिछले दो सालों में 117 करोड़ रु0 इस मद में खर्च किया। लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश में सड़कों की प्रगति बहुत ही नगण्य रही है। नेशनल हाईवे में हमारे प्रदेश में केवल 2468 कि0 मी0 सड़कें हैं जो कि आबादी के हिसाब से एक लाख पर 2,79 आता है जबकि और प्रदेशों में जैसे हरियाणा में 6.89 कि0 मी0 आता है, पंजाब में 5.00 कि0 मी0 आता है, महाराष्ट्र में 8.11 कि0 मी0 आता है। हमारे प्रदेश में केवल 2.79 कि0 मी0 एक लाख की आबादी में है। यह राष्ट्रीय हाई वे की बात है हमारे प्रदेश में सड़कों की स्थित भी बहुत दयनीय है। यहाँ 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 13 किलो मीटर सड़कों का अनुपात है, जबकि हरियाणा में 35 किलोमीटर, कर्नाटक में 30 किलोमीटर, केरल में 50 किलोमीटर और तामिलनाड में 46 किलोमीटर तथा पश्चिमी बंगाल में 33 किलोमीटर है। इस तरीके से आप देखें, हमारा प्रदेश सड़कों के मामले में बिलकुल पिछड़ा हुआ है. . . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने सुझाव पर आएं, यह बातें तो किताबों में लिखी हुई हैं।

श्री ओम प्रकाश—

मैं बहुत कम बोलता हूं.....(व्यवधान)। हमार प्रदेश की विकास में 30 सालों में काफी उपेक्षा की गयी है। इसका कारण सेन्टर की ओर से हमारी बहुत उपेक्षा की गयी है। क्योंकि राज्यवार प्रति व्यक्ति जो परिव्यय है वह भी अपने प्रदेश का बहुत कम रहा है। उत्तर प्रदेश में केवल 529 है, जबकि हिमाँचल प्रदेश का 1075, पंजाब का 1353 रुपया था। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भी हमारे प्रदेश की सभी दृष्टियों से काफी उपक्षा की गयी है और इस दिशा में प्रदेश की बड़ी विभूतियों ने भी कुछ नहीं किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमें 13 रुपया प्रति व्यक्ति मिला और दूसरी में 17 रुपया प्रति व्यक्ति मिला है। जबकि दूसरे प्रदशों में 24 रुपय से लेकर 26 रुपये तक मिला ह इस तरीके से प्रदेश की अवनति में केन्द्र का बड़ा हाथ रहा है और प्रदेशीय अधिकारियों ने भी इसकी बड़ी उपेक्षा की है, क्योंकि जो प्रदेश का धन मिला है वह भी पूरा खर्च नहीं किया गया है तथा उसका सदुपयोग नहीं किया गया है। पिछले दो सालो में सरकार ने खाद्यान्न योजना चलाई। इसमें राजस्कान दो करोड़ की आबादी पर 3 लाख टन गल्ला उठाया है और अपने प्रदेश को 10 करोड़ की आबादी पर केवल 1 लाख टन गल्ला मिला यानी वह अधिकारियों की उदासीनता के कारण केवल 1 लाख टन ही उठा पाया। राजस्थान में काम के बदले इतना अधिक खाद्यान्न बंटने के कारण वहाँ पर सभी गावों को मुख्य सड़कों से जोड़ दिया गया है, जबकि हम इस दिशा म अभी बहुत पीछे हैं। हमारे बस्ती जनपद में 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 13 किलोमीटर सड़क है, जबकि आजमगढ़ में 23 किलोमीटर.....

(व्यवधान)

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता जी, आपके जमाने में भी मुझे कभी बोलने का मौका नहीं मिलता है। हमें आप मौका दे दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप ओम प्रकाश जी बैठें।

श्री ओम प्रकाश—

मैं आपके माध्यम से मान्यवर, कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में 30 साल तक कोई सड़क नहीं बनी है। वहाँ बभनान से हुड़रा बाजार तक तथा महाराजगंज बेलघाट बाजार तक सड़क का बनवाना बहुत आवश्यक है। अतः आप इन सड़कों को अवश्य बनवाने की कृपा करें.....(व्यवधान).....इन सड़कों को अगली..... (व्यवधान)

तीस वर्ष से एक भी सड़क नहीं बनी।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने समय दिया। सार्वजनिक निर्माण मंत्री के प्रस्ताव का समथन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बड़े भाग्य की बात है, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने जो इस साल प्रस्ताव किया है इससे हमारे प्रदेश की बहुत सी सड़कें और सम्पर्क माग, जो मिट्टी डाली जा रही है, इसमें काफी प्रगति होगी।

[श्री हर प्रताप सिंह]

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इलाहाबाद की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो फूलपुर लोक सभाई क्षेत्र है, जिसमें अभी गये भी थे, इसमें 32 साल हो गये, जिस समय कांग्रेस का जमाना था, पंडित नेहरू जब वहाँ से लोक सभा के लिए चुने जाते थे, उस जगह की हालत एक दम बेजार बनी हुई है। कोई सम्पर्क मार्ग नहीं है। इस प्रदेश को उपेक्षित किया, इसलिए उपेक्षित किया गया कि हमारे प्रदेश के प्रधान मंत्री होते रहे। आपके रहते हुए, मैं चाहता हूं कि जो सम्पर्क मार्ग आपने देखा है उनका निर्माण आप अवश्य करवाएं।

मैं एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो गेहूं के जरिये मिट्टी फेंकी जा रही है। इसमें बी0 डी0 ओ0 की तरफ से गल्ला वितरित होता है। पाँच रुपया होना चाहिए तो वह काट कर चार रुपया देता है, जिसकी वजह से मिट्टी फेंकने वाले मजदूर भाग जाते हैं। हर जगह जहाँ पर मिट्टी फेंकी जा रही है, पुलों का या पुलियों का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर विधायकों से राय लेकर बनाया जाय कि यहाँ पर मिट्टी फेंकी जा रही है या नहीं, कितनी गयी और क्या हो गयी। किसी बहाने से इधर उधर लगा कर खत्म करवा देते हैं। फूलपुर से हंडिया रोड जाती है। तीन साल से पिच रोड टी, वह टूटी हुई है, रोडवेज चलती है, उसकी इतनी बुरी हालत है, कि घूम कर दूसरी तरफ से जाना पड़ता है। उसके लिए हमने बहुत लिखा पढ़ी की। आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। बरियाराम स्टेशन से, वहाँ जो नदी करना का पुल पड़ता है, वह टूट गया है। हमारे जिलाधीश ने कहा कि उसको बनवा देंगे लेकिन आज तक वह नहीं बना। वरियाराम स्टेशन से मियापुरा तक वह रोड आती है, पिच रोड में मिलती है, रोडवेज चलती हैं, लेकिन आज तक नहीं बन पायी। हमने कई बार कहा, कुछ पुल बना है, कुछ पुलिया बाकी हैं, जो मिट्टी पड़ी भी वह भी बह गयी। आज तक नहीं बन पायी। अब काम इतना स्लो लगा है कि जो मिट्टी फेंकी जा रही है बरसात में वह भी बह जायगी। हमने यह भी सुझाव दिया है कि वहाँ पर खड़ंजा लगाया जाय या मिट्टी लगवा दी जाय जिससे बरसात में सड़क में वह बह न सके। मट्टी डाली जाती है और वह बरसात में बह जाती है और कहा यह जाता है कि मिट्टी ही नहीं डाली गयी।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रतापपुर की ओर दिलाना चाहता हूं। जंघई रोड जो है वह कई जगहों पर बहुत खराब है। इन शब्दों के साथ माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे भी आज समय दे दो।

श्री अधिष्ठाता—

आपको तो रोज समय मिलता है।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं कुछ सुझाव आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो गम्भीरता मान्यवर, इस विभाग की बतायी गयी है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसके लिए बड़ी सजगता और कर्मठता से कार्य करने की जरूरत है। तभी हमारे प्रदेश का जो जनजीवन है वह सुधार सकता है। मान्यवर 80 लाख से 1 करोड़ रुपया एक किलोमीटर की सड़क के बनाने में खर्च होता है। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में नहरों का जाल बिछा हुआ है अगर उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पटरी को पक्का करा दिया जाय तो जो इतना रुपया खर्च होता है उसकी बचत हो जाय और प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ जाय। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके विभाग के अन्दर जैसा कुछ सदस्यों ने कहा है कि सड़कें वहाँ पर अधिक बनती हैं, जहां का मंत्री होता है। आप प्रत्येक जिले को एवरेज से सड़कें दीजिए।

प्रत्येक जिले की कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। जब तक आप समान क्राइटेरिया नहीं बनायेंगे, तब तक सभी जिलों में समान रूप से सड़कें नहीं बन पावेंगी। उन जनपदों की उपेक्षा होती रहेगी जहाँ के लोग मंत्रि परिषद् में नहीं हैं। शाहजहाँपुर ऐसा जिला है जहाँ का अभी तक कोई व्यक्ति मंत्री हुआ ही नहीं है। न तो 30 साल के काँग्रेसी राज्य में और न आपके इन दो साल के शासन में वहाँ का कोई व्यक्ति मंत्री नहीं हुआ है। तो आप समझ लें कि वहाँ की सड़कों का क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश में इतना अभागा जिला और कोई नहीं होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक किलोमीटर भी पक्की सड़कें नहीं है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र तिलहर है। आप इस बात का पता लगा लें। मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहाँ पर तारकोल के कुछ पीपे पिछले साल बेचे गये वह 12.42 रुपये प्रति पीपे के हिसाब से बेचे गये थे लेकिन इस वर्ष उनको 6.50 रुपये की दर से बेचा गया, मान्यवर, सभी चीजों की प्राइज बढ़ रही है लेकिन ये आधे दामों पर बेच दिये गये। वहां के जो इंजीनियर है उन्होंने इससे अच्छी रकम पदा की है। जिला मुजफ्फरनगर में कराना ब्रिज है। यह पुल 9 महीने से बन्द है, इसका क्या कारण है। यहाँ पर 21 लाख की योजना लागू की जा रही है और जहाँ पर काम भी चल रहा है, लेकिन बजट में उसकी स्वीकृति नहीं है। परन्तु फिर भी 21 लाख रुपया खर्च लकया जा चुका है।

जहाँ तक पौटून ब्रिज की ढुलाई का सम्बन्ध है पहले वह 900 रुपया हुआ करती थी लेकिन अब वह 4,000 रुपये कर दी गयी है। मैं चाहूंगा कि इस पर कुछ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की जो बेईमानी विभाग में चल रही है, रुक सके।

यह बात सही है कि आप अधिशासी अभियन्ताओं का कमीशन रोक नहीं सकते है, न वह आज तक रुका है। आज हमारे जो इन्जीनियर्स लोग हैं उनका वेतन हमारे आई0 सी0 एस0 या आई0 ए0 एस0 लोगों से बहुत कम है। आपके जो टक्नीकल लोग हों उन्होंने एक विशेष प्रशिक्षण लिया है लेकिन फिर भी उनका वेतन इनसे कम रहता है। अगर आप इनको उनके मुकाबले में वेतन-क्रम नहीं देंगे तो आप कमीशन को किसी प्रकार से रोक नहीं सकते हैं। 14 प्रतिशत से कम कमीशन तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता है। मेरी प्रार्थना है कि नीच क जो आपके अधिकारी हैं जो बेईमान है, उनके विरुद्ध आप जाँच कराइये और फिर कुछ सख्त कार्यवाही कीजिए।

आपने जो कमेटियाँ गठित की हैं उनमें कहा है कि जिलाधिकारी के अतिरिक्त संसद सदस्य और विधायकों को भी उसमें रखा है। आपके इस निर्णय के उपरान्त उन समितियां में समीक्षा तो होती है सारी सड़कों के बारे में लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि इस समीक्षा में जो निर्णय होते हैं, उन पर क्या अधिशासी अभियन्ता या खंड कुछ कार्यवाही करते है कि फलाँ सड़क मंजूर होनी चाहिए, बननी चाहिए या उस पर इतनी प्रगति हो जानी चाहिए? आप इस प्रकार के आदेश दें कि जो भी निर्णय इस कमेटी के होंगे, वे कार्यान्वित होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस कमेटी द्वारा बेकार की समीक्षा कराने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

मान्यवर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारे जनपद शाहजहाँपुर में एक 3 किलोमीटर के मार्ग पर अर्थ वर्क होना था। 2 साल आपके और 1 साल काँग्रेस के शासनकाल अर्थात् 3 साल की अवधि में भी अभी तक उस पर अर्थ वर्क ही पूरा नहीं हो पाया है। अगर आपके

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

समय में भी निर्माण कार्य इतनी तेज रफतार से होगा, तो प्रदेश कहाँ पर पहुंचेगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम किसी समिति में समीक्षा करके आपको देते हैं कि इतनी इतनी-सड़कों की कमी है तो आपको तुरन्त उस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनको कैसे पूरा किया जाय ?

आपके विभाग में सिविल और मेकेनिकल दोनों प्रकार के इंजीनियर होते हैं। आपके मेकेनिकल इन्जीनियर द्वारा जो काम होता है वह शीघ्रता से और अच्छा होता है लेकिन आपके विभाग द्वारा मेंकेनिकल इंजीनियर के बजाय सिविल इन्जीनियर को प्रोत्साहन दिया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि अगर मैकेनिकल इन्जीनियर्स का कार्य तेजी से और अच्छा होता है तो उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए।

मान्यवर, जहाँ तक पुलों के निर्माण का सम्बन्ध है हमारे जनपद में विशेषकर शाहजहाँपुर में और उत्तर प्रदेश में सारे पुलों को स्थायी बना रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आवागमन की सुविधाओं के लिए पैन्टून ब्रिज बनाये जायं ताकि लोग कम से कम इधर से उधर आ जा सकें। हमारे जिले में 2 पुलों के निर्माण के लिए शासन को लिखा गया था लेकिन वह मसला आपके सचिव के यहाँ पर 4 महीनों से पड़ा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे कार्यों में शीघ्रता और तत्परता होनी चाहिए। आपको आदेश देने चाहिए कि इन कामों में किसी प्रकार की भी शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। पी0 डब्लू0 डी0 के अन्दर जो भ्रष्टाचार आदि है उसको आप मिटा सकते हैं। आप एक ऐसे मंत्री हैं जिन पर लोगों को भरोसा है। आप ऐसा प्रयास करें कि आपके काल में अधिक से अधिक काम हो।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की बजट अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने काल में पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। वर्तमान मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि उनके लिये यह चुनौती है कि वे इन सड़कों को पूरा करायें। भूतपूर्व मंत्री जी ने जो सड़कों का फैलाव किया है मैं आशा करता हूं कि वर्तमान मंत्री जी अपने कार्यकाल में उसे अवश्य पूरा करेंगे।

दूसरा एक निवेदन है कि जो सड़कें बनायी जायें कहीं ऐसा न हो कि चुनाव का समय आते-आते फिर वे खराब हो जायें और लोग उस समय गालियाँ देने लगें। मैं इस सड़क का उल्लेख भी करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाँसी से डुमरियागंज तक एक सड़क जाती है जिस पर एक पुल बना है। इसके पटरे अभी से उखड़ गये हैं। फिर बरसात आने तक यह पटरें और भी उखड़ जायेंगे। अगर इस तरह का निर्माण कार्य होगा तो उसकी निन्दा ही होगी।

अभी कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय एक बात का जिक्र माननीय राम आसरे वर्मा जी ने किया, मैं भी उस पर बल देना चाहूंगा। जो धन आप निर्माण के लिये लगाते हैं उसी के साथ-साथ आप उस काम की मेंटीसेन्स के लिये भी धन निर्धारित कर दें। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो भी काम बनाया जाता है उसमें उसी समय से डिले शुरू हो जाता है।

एक बात और निवेदन करूंगा कि जो मजदूर काम करते हैं उनको मजदूरी दिन प्रतिदिन ही मिल जाय। दो-दो माह तक मजदूरी मजदूरों को नहीं मिलती है। रोज की मजदूरी रोज मिल जाय आप ऐसी व्यवस्था करायें।

मंत्री जी ने कहा कि मुख्य स्थानों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जायगा। बाँसी बस्ती जिसका मुख्य केन्द्र है, यहाँ तहसील है, मुन्सिफ कोर्ट है, हाकिम परगना का कोर्ट है, जिला भी यह

बनने वाला है, डिग्री कालेज भी है, बांसी को 6 सड़कें आती हैं। उन सड़कों में से 3 की दशा बड़ी खराब है। बांसी से नौगढ़ जाती हुई जो सड़क है वह ठीक करायी जाय। बाढ़ में वह सड़क बह गयी। मरम्मत की बात पहले साल हुई थी पर वह हो नहीं पायी। एक सड़क बांसी से पिरमोहर को जोड़ती है, उसके लिय 10 लाख रुपया स्वीकृत हुये, पता नहीं वह रुपया कहाँ चला गया। मेरी जानकारी में यह बात आई कि 10 लाख रु0 उस सड़क पर न लगा कर कहीं और लग गया। इस पर मैंने एक प्रश्न किया था उत्तर मिला पौने दो लाख खर्च हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि पौने दो लाख किस फण्ड से आ गया, काम बिलकुल नहीं के बराबर है। बांसी से बिस्कोहर बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। वहाँ पर वर्ष 77–78 में फरवरी तक कोई काम नहीं हुआ है अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। बांसी डुमरियागंज मार्ग पर 12 किलोमीटर इधर बन गया है, 8 किलोमीटर डुमरिया गंज से इधर आ गया 10 किलोमीटर वैसे ही पड़ा हुआ है। इस कारण जो बन गया है, उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से बांसी पनपटियाघाट मार्ग पर दो किलोमीटर तक मिट्टी पड़ कर रुकी हुई है बांसी बस्ती जिले के महत्वपूर्ण कस्बा है। वहाँ पर आने वाली 4 सड़कों की दुर्दशा का मैंने निवदन किया है। इस बजट सत्र में इसको पूरा करा दिया जायगा, इसी आशय से मैंने निवेदन किया। मुझे आशा है कि जो भूत-पूर्व मंत्री जी ने प्रसार किया था, उसे वर्तमान मंत्री जी पूरा कराने की कृपा करेंगे, जिससे ये भी बधाई के पात्र होंगे।

श्री राघव राम मिश्र (जिला लखीमपुर खीरी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपन मुझे बोलने का अवसर दिया।

(व्यवधान)

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)––

लिस्ट में मान्यवर, हमारा नाम होगा, तब तो हम बोलने की धृष्टता करेंगे।

श्री अधिष्ठाता––

लिस्ट तो हमारे पास है। लेकिन हम उससे बाध्य नहीं है। कौन कम बोले हैं या कितनी बार बोलें हैं और किस क्षेत्र से नहीं बोले हैं, इन तमाम बातों का निश्चय करके ही क्षेत्रों का आधार रख कर बुलाया जा सकता है और एक समय में एक ही को बुलाया जा सकता है। कोशिश यह की जा रही है कि आज और समय बढ़ाया जाय और जितने माननीय सदस्य शष रहेंगे वह भी बोल लेंगे। इस वक्त में मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं दो माननीय सदस्यों को बुला लूं।

(व्यवधान)

एक सदस्य––

मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता––

मैंने जिस माननीय सदस्य को बुलाया है उसी को बोलने का अवसर दूंगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)––

अधिष्ठाता महोदय, महिलाओं के लिए कब अवसर देंगे ?

श्रीमती राम रति देवी (जिला फैजाबाद)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि मेरा नाम इस लिस्ट में है कि नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री राघव राम मिश्र—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो सार्वजनिक निर्माण का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। मान्यवर, इस बात से और भी स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने कहा कि मुख्यालय को प्रभाव कन्द्रों में जोड़ा जायगा। मान्यवर, मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि लखीमपुर, हरदोई जिले से जो सड़क जाती है, वह सड़क कच्ची है, उसमें कठिना नदी पड़ती है, उस पर अभी तक पुल नहीं बना है। बहुत वर्षों से जो भी विधायक उस क्षेत्र के रहे हैं, उन्होंने बार-बार माँग की है कि वहाँ पर पुल बनाया जाय, लेकिन अभी तक वह पुल नहीं बना। एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने की जो बात है, उसी तरह से एक ब्लाक को दूसरे ब्लाक तहसील से भी जोड़ा जाय। हमारे मितौली ब्लाक से तहसील मोहम्मदी तक यदि किसी को जाना होता है, तो उसे लखीमपुर होकर 100 किलोमीटर तय करके मोहम्मदी जाना पड़ता है।

मान्यवर, भमरी से कस्ता जाने का मार्ग बनाया जा सकता है। कस्ता गोला गोकरण नाथ जाने के लिए सड़क स्वीकृत हो चुकी है लेकिन बिलम्ब हो रहा है उसे शीघ्र बनाया जाये। नहरों की पटरियाँ पक्की करने का प्रस्ताव था लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। मितौली से ममरी जाने की नहर की पटरी चौड़ी है उसे पक्का कराया जाये ताकि जनता को राहत मिल सके। हमारे क्षेत्र में एक ऐसा परगना है जहाँ एक भी इंच पक्की सड़क नहीं है। टिहरिया से पिपरिया कप्तान मार्ग पर मिट्टी पटवायी जाये। बाद में पक्का कराने की व्यवस्था करायी जाय। मेरे जिले में कई कार्य हो रहे हैं, 3–3, 4–4, 6–6 साल भर की जो प्रगति दिखलायी पड़ती है वह एक या दो किलोमीटर बनती है। जब तक वह बनती है तब-तब पिछली टूट जाती है। श्रीमान जी, पी0 डब्लू0 डी0 के जो इंजीनियर्स हैं वे फूहड़ औरतों की तरह से रोटी पकाते हैं जो कभी कच्ची, कभी पक्की, कभी काली कभी सफेद होती है। उसी तरह से ये सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। जो समितियाँ बनायी है हमारे जिले में, 2 बार बैठक हुई लेकिन दुर्भाग्य से जब हम लोगों को सूचना मिलती है तो उसका समय निकल जाता है। मेरा अनुरोध है कि अधिकारियों को निदश दें कि पर्याप्त समय देकर बैठक बुलायी जाये ताकि बैठक में माननीय सदस्यों को पहुंचने का समय मिल सके।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं मानता हूं कि सभी नाम लिस्ट में हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि एक समय में 4 व्यक्तियों को कैसे एक साथ बुला सकूं।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

5 मिनट में 3 मिनट चले गये। मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक योजनाबद्ध कार्य शुरू हुआ है निर्माण के संबंध में। आजमगढ़ की बात कह रहा हूं। सड़कें बनी हैं लेकिन वहाँ जहाँ काँग्रेसी विधायक थे। हमारे क्षेत्र में नहीं बनीं। मैं इस आरोप को सही नहीं मानता कि जनता पार्टी के विधायकों, मंत्रियों के क्षेत्र में सड़के बनीं।

पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर जिस तरह से सड़क का काम शुरू हुआ है वह काम अगर पूरा हो जाये तो यह प्रदेश हरियाना या पंजाब के पीछे नहीं रहेगा। छठी पंचवर्षीय योजना के लिए जितने रूपये की आवश्यकता है, जरूरत है 1138 करोड़ रुपये की, इतना हो तो प्रदेश के अन्दर सड़कों का काम पूरा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक इसमें है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना आयोग के द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के लिये 375 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल रही है। मान्यवर, 1138 करोड़ रुपये की जगह पर 375 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो मैं उन सभी साथियों से यह बात कहता हूं, जो यह कहते हैं उत्तर प्रदेश बड़ा है इसका बंटवारा होना चाहिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे पिछड़ा है और सड़कों की लम्बाई आबादी के हिसाब से कम है। में अपने उन साथियों से कहता हूं जो प्रदेश के बंटवारे की बात करते हैं कि सारे लोग संगठित होकर प्रयास करें और केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें ताकि अधिक पैसा मिले और उत्तर प्रदेश की योजना पूरी हो।

निर्माण निगम बना है मुझे निश्चित जानकारी है कि निर्माण निगम का काम बहुत अच्छा है। लेकिन निर्माण निगम में अधिकारियों का विस्तार जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो रहा है। इस निगम में अच्छे लोग हैं लेकिन केवल 15 या 20 करोड़ रुपया निर्माण निगम को मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि जितना आवास विकास का काम हो रहा है, महापालिकाओं में जो काम हो रहे हैं। सारे के सारे निर्माण निगम के माध्यम से कराये जायें तो मेरा निश्चित विश्वास है कि काफी अच्छा काम होगा। सेतु निगम से ज्यादा, मैं देखता हूं कि निर्माण निगम अच्छा काम करता है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है। मैंने अभी मंत्री जी को लिखकर दिया था। जइगहा से बनकट सड़क के बारे में मैंने पूछा था तो मुझे पत्र मिला है कि वह स्वीकृत है। लेकिन फिर पत्र लिखकर आये कि वह स्वीकृत नहीं है। मान्यवर, इसी तरह से हमारे यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर जी0 एन0 सिंह हैं। उन्होंने सड़क के संबंध में लिखकर भेजा कि जमीन उपलब्ध नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि शासन कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे जमीन उपलब्ध हो। क्योंकि इंजीनियर और ओवरसियर जाकर गाँव वालों से झगड़ा नहीं लेंगे। मान्यवर, इन शब्दों के साथ में मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि मंत्री जी अपनी क्षमता का परिचय देकर उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यों को तेजी से चलायेंगे।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं जो आदरणीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत है उसका विरोध करती हूं और जो हमारे सामने कटौती का प्रस्ताव हैं उसका समर्थन करती हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सब लोग इसको मानते हैं कि हमारे प्रदेश के विकास के लिये सड़कों का जाल बिछाना बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी है जैसे हमारे शरीर में नसे जिनमें खून दौड़ा करता है, अगर यह न हों तो हमारा जीवन मरण तुल्य हो जाय। हमारे जो सुदूर अंचल है वहाँ रहने वाली पिछड़ी जातियों या अनुसूचित जातियाँ, अगर हम उनका विकास करना चाहते है, उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा करना चाहते है तो हमें प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाना होगा।

मान्यवर, हमारे देश में बुद्धि की कमी नहीं है, हमारे देश में हरियाली की कमी है, शिक्षा की कमी है। हरियाली की कमी नहीं निर्माण की कमी है। इस काम को हम अगर पूरा नहीं करते हैं तो हमारी बुद्धि भी डिटीरियोरेट करती है और हमारी जो हरियाली है, हमारे जो हरे भरे अंचल हैं उसमें भी हम दाग लगा देते हैं। तो मान्यवर, इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। मंत्री जी ने बड़ी इमानदारी और स्पष्टवादिता से अपनी परेशानियाँ सदन के सामने रखीं और असफलताओं पर प्रकाश डाला। उनकी ईमानदारी को देखते हुये विरोध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

पक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह विरोध करते हुये इस समस्या को कंस्ट्रक्टिव तरीके से समाधान करने की कोशिश करें और सुझाव पेश करें बल्कि सुझाव ही नहीं इस समस्या को सुलझाने में शासन का हाथ बटायें।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो निर्माण का कार्य होता है वह पी0 डब्लू0 डी0 के अन्तर्गत दो विभागों—राजकीय निर्माण निगम और सेतु निगम—द्वारा होता है। लेकिन निर्माण विभाग में एक कमी पायी जाती है कि हम कोशिश करते हुये भी प्रगति नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में जैसा कि मंत्री जी ने आँकड़े दिये कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का औसत 12.8 कि0 मी0 है जो कि देश में सब से कम है इसलिये यह सोचनीय बात है। इसलिये इस पर प्रकाश डालना जरूरी है कि प्रगति में क्या बाधायें है कि इतना बड़ा प्रदेश होते हुये भी इसका विकास क्यों नहीं होता है। जबकि इस प्रदेश में आबादी, बुद्धि साधन और शक्ति भी विशाल है। यह वही प्रदेश है जिसने पूरे देश को राम कृष्ण का संदेश दिया जहाँ बड़े बड़े ऋषि और मुनि हुये और गीता तथा वेद लिखे गये। इसलिये देखना है कि हम किस तरह अपनी कमी को दूर करके इस प्रदेश का विकास कर सकते हैं।

इसमें मान्यवर, मैं समझती हूं कि तीन प्रकार की बाधायें हैं। एक तो जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि हमारे विभाग में कोआरडिनेशन नहीं है और जो अन्य विभाग हैं उनमें भी आपस में कोआरडिनेशन नहीं है। जैसे कहीं ईट है तो सीमेंट नहीं, सीमेन्ट है तो लोहा नहीं और लोहा है तो ईट नहीं मिलती और जब यह सब सामान इकट्ठा होता है तो इस बीच प्राइज इंडेक्स बढ़ने से बिल्डिग का औसत खर्चा बढ़ जाता है और एक करोड़ की जगह सवा और डेढ़ करोड़ तक खर्चा बैठ जाता है। इसलिये मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है कि पहले से ही कोई योजना बना लेनी चाहिये, एडवान्स प्लानिग करनी चाहिये। तो यह स्कीम अच्छी स्कीम है लेकिन उसको कार्यान्वित करना दूसरी बात है। खैर विचार अच्छा है किन्तु कार्यान्वित करने में जो बाधाएं हैं उन पर मन्त्री जी को गौर करना चाहिए।

मान्यवर, दूसरी कमी यह है कि भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मन्त्री जी ने बताया है कि कुछ इंजीनियरों को सेतु निर्माण के लिए विदेशों में आमन्त्रित किया गया है, तो इसके लिये मंत्री जी को मैं बधाई दे रही हूं, मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय आँकड़ें लें तो हमारे इंजीनियर पूरी दुनिया में उत्तम इंजीनियर है लेकिन फिर भी हम निर्माण-कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

मान्यवर, हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है। लेकिन यही ताज्जुब है कि बुद्धि का स्तर भी इतना ऊंचा है और नैतिकता का स्तर इतना नीचा है—कोई सन्तुलन नहीं है। जहाँ इतनी बुद्धि हो उत्तम बुद्धि हो, उत्तम इंजीनियर्स हों, उत्तम टेक्नीशियन्स हों, फिर इतना भ्रष्टाचार क्यों हो? इसको दूर करने के लिए मैं समझती हूं कि विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष—दोनों को मिलकर योजना बनानी चाहिए और गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, यह दूर किया जा सके।

मान्यवर, इसी के साथ बता देना चाहती हूं कि जो भण्डार घर हैं, उनमें 11 करोड़ जो हमको दिया गया था निर्माण विभाग को, मन्त्री जी को आगाह करना चाहती हूं कि उसका हिसाब नहीं किया गया। यह भी जानकारी है कि इतना खराब माल उसमें लगाया है कि सीमेन्ट उखड़ रही है, पानी टपकने लगा है। तो 10 प्रतिशत इंजीनियर इण्टरटेनमेन्ट टैक्स ले लेते हैं। उसके बाद 14 प्रतिशत कमीशन माल खराब लगाने का मिलता है। यह 14 प्रतिशत कमीशन है? यह कमीशन आपका बंटादार कर देगा। तो यह जो 10 प्रतिशत इण्टरटन्मेन्ट और 14 प्रतिशत रायज रिश्वत उसके ऊपर लगती है, यह क्यों है? यह रिश्वत की चाट क्यों है?

मान्यवर, आपके पी0डब्लू0डी0 में सचिव आई0ए0एस0 का आता है। वह इंजीनियर होना चाहिए। किसी सुयोग्य इंजीनियर को ही सचिव रखा जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब कृपया आप समाप्त करें। अगर कुछ कहने को रह गया हो तो लिख कर दे देना।

श्री लक्खी सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे बख्शी जी से पीछे रखा। यह परम्परा रही है कि मुझे इसी तरह पीछे रखा जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

लेकिन उस श्रेणी में नहीं रखा।

*श्री लक्खी सिंह—

मान्यवर, मैं बख्शी जी को आज के भाषण के लिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मैं उससे काफी प्रभावित हुआ हूं। मान्यवर, मैं आज इस समय कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मन्त्री जी हमारे नये मन्त्री बने हैं सड़क विभाग के। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जरा आप ऐसा मन्त्री पद को चलायें कि जिससे जनता के सामने कुछ कहने लायक बात हो जाय। इनके पहले वे दाढी वाले मन्त्री थे। वह बहुत अच्छे मन्त्री थे। मान्यवर, जब कांग्रेसीय सरकार थी, तब की बात बताना चाहता हूं। अभी बस्ती के माननीय सदस्य बोल रहे थे। उनकी बात ठीक है। मैं लुम्बिनी गया हूं, डाक्टर लोहिया के साथ गया हूं। वहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। वहाँ राप्ती नदी के पुल का उद्घाटन कांग्रेसीय सरकार नहीं कर रही थी। राप्ती का पुल बनाया गया था। उद्घाटन नहीं हो रहा था। राम मूर्ति जी नहीं उद्घाटन कर रहे थे तो लोहिया जी ने उद्घाटन कर दिया। श्रीमन्, तो उनकी सड़क जरूर बनवा दी बाँसी से डुमरियागंज। यह हमने देखी है।

अब मैं अपने जिले की बात करता हूं। श्रीमन्, हम प्रान्त व्याप्त लोग हैं, हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य हैं, तो अपने क्षेत्र की बात करना ठीक ही है। श्रीमन्, हमारे मथुरा जिले में एक सड़क गयी है—ये अधिकारी बेचारे बैठे हैं इनको पता है—वह राजधानी से मिली हुई है। राजधानी माने देसाई वाले राज्य से है और चौधरी चरण सिंह वाले राज्य से। तो वह मथुरा से मिली हुई है। यह मथुरा—आगरा दिल्ली वाली सड़क है जिसे अंग्रेजी में हाई वे कहते हैं हाई-वे रोड। श्रीमन्, इस पर अधिकारी बड़ा काम करते हैं। बढ़िया काम किया है इन्होंने। श्रीमन्, आपके राज्य में यह सड़क डूब जाया करती थी। नाराज मत हो जाना.....

श्री अधिष्ठाता—

इसका भी उत्तर मन्त्री जी देंगे।

श्री लक्खी सिंह—

आपके राज्य में वह सड़क बरसात में डूब जाती थी। लेकिन हमारी सरकार बनते ही—हमारी सरकार बनी जून, 77 में—हमारी सरकार ने वह रोड इतनी बढ़िया बनाई। हमारे दाढ़ीवाले मन्त्री जी ने और हमारी भारत सरकार ने। उसी सड़क से यह सड़क जुड़ती है। (लाल बत्ती जलने पर) यह लाल बत्ती क्यों कर दी श्रीमन्,....

श्री अधिष्ठाता—

आपको सूचना देने के लिए.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्खी सिंह—

देखिए, चार पुल बनने चाहिए जमुना पर। रेल की जो सड़क है उस पर पैदल चलने वालों के लिए गैलरी बननी चाहिए जैसा अंग्रजों के जमाने में था और आपकी सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने, उसे तोड़ दिया। दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए गैलरी बननी चाहिए। मन्त्री जी नोट करें कलम तो होगी आपके पास। जमुना पर सेरगढ़ में पुल बनना चाहिए जहाँ से गन्ना जाता है। वृन्दावन पर पुल बनना चाहिए। गवा-कोसी से एच तक सड़क बननी चाहिए और क्या बताऊं? एक सड़क अकबरपुर से पेड़खू तक बननी चाहिए।

इन शब्दों के साथ जो मन्त्री जी ने अनुदान माँगा है मैंने उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं और अगर मेरा बस चले तो दुगुना बजट पास जब हो तब ये सड़कें बनेंगी। इन से एक फायदा और गरीबों को मिलता है, मजदूरी मिलती है, रोजगार मिलता है। मैं अपना भाषण खत्म करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग पर माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने का समय दिया। सबसे बड़ी बात आदमी की नीयत की होती है। हमें माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की नीयत पर कोई शंका नहीं है, बल्कि पूरा विश्वास है। वह नौजवान तथा ईमानदार मन्त्री हैं, मेहनती हैं लेकिन शंका यह है कि अपनी ईमानदारी वह इस बेईमान विभाग में कहाँ तक ले जा पायेंगे यह हमें देखना होगा। इस विभाग को पी0डब्लू0डी0 कहते हैं यानी प्लण्डर विथ-आउट-डेंजर यानी बिना खतरे के लूटपाट वाला विभाग। दूसरे इसको मैं तो कहता हूं पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट यानी सार्वजनिक अपव्यय विभाग।

एक किलोमीटर सड़क पर दो लाख रुपया आप मन्जूर करते हैं, दो लाख में अगर सवा लाख रुपया प्रति किलोमीटर खर्च हो जाय तो बहुत अच्छी सड़क बन जाती है। 50 प्रतिशत रुपया अगर खा लिया जाय तो इसको ईमानदारी कहा जाता है। ठेकेदार से लेकर जूनियर इंजीनियर, ई0ई0 तक वह 50 प्रतिशत जाता है जिसको दाल में नमक के बराबर माना जाता है। लेकिन कभी कभी तो दाल भी गायब हो जाती है और नमक रह जाता है तब मामला गड़बड़ी में पड़ जाता है। इस स्थिति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके बावजूद जिला परिषद् की भी सड़क के लिए कहा जाता है कि इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया जाय। यानी फिर भी लोगों को इस विभाग में विश्वास है। दो लाख मंजूर किया जाता है तो वह पूरा तो नहीं लगवा पायेंगे। अगर माननीय मन्त्री 75 या 80 प्रतिशत लगवा सकें तो इससे जनता का बड़ा हित होगा। कानपुर में जरीब की चौकी पर माननीय मन्त्री ने पत्रकारों के बीच एक स्टेटमेन्ट दिया था। वहाँ तख्ती लटकी थी 'डेड स्लो वर्क इन प्रोग्रेस।' यानी मृत प्रायः गति से काम जारी है या प्रगति की गति मृत प्रायः है। जरीब की चौकी खुदी पड़ी है एक किलोमीटर तक और काम कहीं भी नहीं हो रहा है और लिखा है काम प्रगति पर है। तो यह देखा जाय कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अखबार से तो यही पता चला कि कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन तख्ती टंगी है। गाड़ी अगर रात में वहाँ चली तो पता चला कि कब्रगाह में पहुंच गये। मीलों तक लम्बी कब्रगाह खुदी पड़ी है। यह उचित नहीं है। विभाग के निकम्मेपन के कारण ही।

इसलिए ब्रिज कारपोरेशन का निर्माण किया गया और उसी की तरह आज सड़क निगम की भी आवश्यकता है कि कांस्ट्रक्शन कारपोरेशन बनाने की आज जरुरत है। ब्रिज कारपोरेशन की शाख बहुत अच्छी है। दूसरे प्रदेशों तथा देशों से इसको टेंडर मिलने लगे हैं। वो कृपा कर प्रभावी रूप से इसके द्वारा काम करवाइए। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। पाइलट प्रोजेक्ट अजीतमल में शुरू हुआ था। मान्यवर, अजीतमल नियोजन

का जन्म स्थान रहा है और महाराष्ट्र में इसके विकास की आज हम चर्चा करते हैं। जहाँ पर प्लानिंग ने जन्म लिया आज वह स्थान उपेक्षित है। उसमें सड़कों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। इस सन्दर्भ में मैं इन मार्गों पर बल देता हूं और आशा करता हूं कि शासन इन पर प्राथमिकता देकर उनका निर्माण करायेगा—भीखेपुर—जुआ, अटसू–अच्छल्दा, निवाड़ीकलाँ—अटसू, अटसू–अहेरीपुर तथा अटसू–बिरहुनी। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में अटसू अच्छल्ला मार्ग पर सेंगर नदी के रुरुवा—बधुआ घाट पर पुल के निर्माण की आवश्यकता है तथा मुरादगंज फफुद रोड पर सेंगर नदी के ऊंचा घाट पर भी एक पुल की आवश्यकता है। इसी तरह से भीखेपुर–जुहीखा मार्ग पर जमुना नदी के जुहीखा घाट पर एक पक्के पुल के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है।

इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि इन्सान को वक्त समझना चाहिए और उसका उपयोग जनहित में होना चाहिये। जहाँ पर मार्गों की आवश्यकता है उनका निर्माण कराया जाना चाहिए क्योंकि किसी शायर ने कहा है :—

वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है।
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है
चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कठिन हो,
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

सबको समय मिलेगा। कृपया बैठें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट रखा गया है मैं उसके समर्थन में कहना चाहूंगा। मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुछ मूलभूत सिद्धान्तों को तय किया है और जन प्रतिनिधियों को भी अपनी बात कहने का मौका दिया है। मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक महत्वपूर्ण विभाग रहा है लेकिन जिस तेजी से पिछले 20-30 साल में इसके तहत डेटिरिओरेशन रहा है इसकी आस्था कम होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश के इस विभाग के अन्दर जो कार्य रहे हैं, वे वक्त की आवश्यकता के कारण क्षीण होते जा रहे हैं लेकिन जब आर0ई0एस0 और इरीगेशन विभागों ने इस प्रदेश को झटका दिया है तो लोगों की निगाह पुनः इस विभाग की ओर लगी है।

उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्य के लिए 11 सौ करोड़ की माँग थी जिसको पौने चार सौ करोड़ मिला है, इसलिए हम पीछे हैं। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वायदा किया है हम 5 साल के अन्दर सभी सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ देंगे। यह सही है कि काँग्रेस के विधायकों ने अपने समय में अपने यहाँ काम कराया है और पिछले दो सालों में मन्त्रियों ने अपने क्षेत्र में काम कराया है। मैं चाहता हूं कि इस रीजनल इम्बेलेन्स को दूर किया जाय। इसलिए इसके लिए एक जिला समिति का गठन होना चाहिए। इस तरह से गोरखपुर की हुबली–सिगारपुर एक सड़क है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं किन्तु साफ कह देना चाहता हूं कि पूर्वांचल की ओर भी सड़कों के सम्बन्ध में ध्यान दिया जाय। मैं समझता हूं कि रुपए की कमी की वजह से ध्यान नहीं दिया गया है। हर जगह समानुपातिक रुपया लगाया जाना चाहिए। हमारा इलाका सदियों से पिछड़ा रहा है। इसको सड़कों के दृष्टिकोण से उपेक्षित न समझा जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

मान्यवर, आप देखें कि नेपाल बार्डर से देवरिया तक कोई सड़क नहीं है। आज नैपाल से हिन्दुस्तान के लिए कोई सड़क नाम की चीज नहीं है उसी तरह से नैपाल से गोरखपुर को जोड़ने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। राष्ट्रीय दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक है कि जो इलाके एक देश को दूसरे देश से मिलाते हैं वहाँ पर पक्की सड़कों का होना बहुत जरूरी है।

मैं जो सरकार ने निगम बनाए है उनके बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं निर्माण निगम का सदस्य हूं लेकिन ब्रिज कारपोरेशन जो आपका बना है उसमें जितनी धाधलियाँ हो रही है उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते है। मैं चाहता हूं कि जिला लैवल पर जो आपकी कमेटियाँ बन जायं उनका यह दायित्व हो कि जितना बजट है उसमें से कितना रुपया किन सड़कों पर खर्च हो। पिछड़े इलाकों के लिए ज्यादा आपको रुपया देना पड़ेगा। रीजनल इम्बैलेन्स को दूर करने के लिए कॉस्टीट्वेंसीज इम्लेबैन्स को भी दूर करना पड़ेगा। यह देखना होगा कि किस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, वहाँ कितनी सड़कें बनी है।

मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो नीचे की श्रेणी के कर्मचारी है उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है उनके लिए कोई वेतनमान नहीं है और हर बार उनको निकालने की बात होती है। विभाग में जूनियर इंजीनियर की भर्ती नहीं हो रही है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है लेकिन ऊंचे पद बढ़ते जा रहे है और नीचे के पदों में छटनी हो रही है।

मैं कहना चाहता हूं सारे विभाग 31 मार्च को जब वह पैसा खर्च कर पाते है तो उसको वह पी0डब्लू0डी0 के मत्थे मढ़ देते है। सिंचाई विभाग ने गत फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ 75 लाख रु0 जब वह खर्च नहीं कर पाते तो वह पी0डब्लू0डी0 के जिम्मे दे दिया और फिर कहा जाता है कि पी0डब्लू0डी0 कुछ कर नहीं पा रहा है उसके पास इतना स्टाफ नहीं है कि वह निर्माण कार्य कर सके। मेरा सुझाव है कि निर्माण के सारे कार्य पी0डब्लू0डी0 के माध्यम से कराए जायं।

ग्राम्य विकास मन्त्री जी के यहाँ एक आर0इ0एस0 स्कीम चली है मुझे आश्चर्य है, पी0डब्लू0डी0 में तो जो काम होता है उसमें सीमेन्ट और बालू का अनुपात 1:3 का होता है वहीं, 1:5 का होता है लेकिन आर0ई0एस0 में जो है वह 1:13, 1:14, 1:16 का रेशियो है। तो यह जो विभिन्न प्रकार की एजेंसियों से विभिन्न काम आप कर रहे है इसको निश्चित रूप से खत्म करिये और यह सारा काम पी0डब्लू0डी0 को देना चाहिए।

अब मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ धुवली-सिकारपुर सड़क और धुवली-कप्तानगंज सड़कें अन्तर्प्रान्तीय सड़कें हैं। इनको तुरन्त बनाया जाय। इसके अलावा कप्तानगंज परतावल मार्ग में कारीतिल पुल एकदम कच्चा हो गया है। इसमें दो बसें गिरते गिरते बची और महाराजगंज के पास बलिया नाला में पूरी बस नदी में गिर गयी थी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन दोनों जगहों में पुलों का निर्माण तुरन्त करें।

हम लोग गंगा के इलाके से आते हैं वहाँ पर शुगर फैक्ट्री है वहाँ पर नहर विभाग भी सड़कों का काम करता है। हमारे यहाँ चीनी मिल 50 परसेन्ट देकर सड़कें बनाना चाहती हैं इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। उसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग का 50 परसेन्ट पैसा लगेगा। इसी तरह से नहरें जो है उनकी पटरियाँ कच्ची बनी हुई है उनको पक्का करना जरूरी है। सड़कों को गन्ना समितियों से पैसा लेकर पक्का करने के लिए शासन अवश्य ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम नारायन तिवारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, देश और प्रदेश के विकास के लिए मण्डी का फैलाव और नियोजित सड़कों का निर्माण बहुत आवश्यक है। लेकिन यह दुख की बात है कि हर माननीय सदस्य के भाषण से यह बात ध्वनित हुई है कि उसमें नियोजित ढंग से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि उसमें किसी न किसी प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया अखतियार किया गया है।

(इस समय 3 बजकर 46 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसलिए कि यह भरती हुए और ढ़हती हुई पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं और अपने वर्गीय स्वार्थों में पूरी तरह लगे हुए हैं। देश और प्रदेश की तरक्की के लिए आवश्यक है कि महत्वपूर्ण सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर निर्मित किया जाय। किन्तु यह उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। यह निर्माण और तरक्की के मूल नियमों को भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने दामन को ऐसी जगह जाकर बाँध दिया है, जहाँ से यह आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें अच्छे लोग भी हैं किन्तु जिस व्यवस्था में बन्धे हैं, उसमें सब एक जैसे हो गए हैं। यह ऐसी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं कि यह उसमें इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं।

गोरखपुर जनपद में मेरी कॉस्टीटुवेन्सी फरेन्दा है, उसमें एक सड़क है जो फरेन्दा–वृजमनगंज होते हुए बस्ती को जाती है और नैपाल से लगती है, वह सड़क जिला परिषद् की है, उसके बारे में हमने सैकड़ों दरख्वास्तें मन्त्री महोदय और सम्बन्धित अधिकारियों को दी है, किन्तु वह सड़क अब तक जिला परिषद् से पी0डब्लू0डी0 को ट्रांसफर नहीं हो पाई, केवल बार-बार हमको आश्वासन अवश्य मिलता रहा। बार-बार हमने निर्माण मन्त्री से बात कर प्रार्थना की, किन्तु अब तक वह सड़क जिला परिषद् के पास है। हमारे लारी साहब उस सड़क पर गये थे। उस सड़क की खराब हालत देखकर वह परेशान हो गए और कहने लगे कि अब तक मैं इस सड़क पर क्यों नहीं आया, इस सड़क की ऐसी दुर्दशा। तो यह तो दयनीय दशा आज हमारे जनपद की सड़कों की है। इसके पहले जो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री थे, उनके समय में आजमगढ़ की सारी जिला परिषद् की सड़कें, पी0डब्लू0डी0 में ट्रान्सफर कर दी गयीं, लेकिन मेरे यहाँ की एक सड़क भी अभी ट्रान्सफर नहीं हो पाई। मैं निवेदन करूंगा मन्त्री जी से कि उन्हें तत्काल इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह न केवल मेरे क्षेत्र की बात है, यह पूरे प्रदेश की ही बात है। और नीतिगत बात है, इस पर ध्यान न दिया गया तो प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है। इसकी मेरे पास पूरी की पूरी फाइल है। सम्पर्क मार्गों की बड़ी चर्चा होती है, किन्तु मैं बड़े निश्चय के साथ मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी कॉस्टीटुवेन्सी के जितने ब्लाक्स—धानी, फरेंन्दा व वृजमनगंज हैं, वहाँ न के बराबर 1–2 किलोमीटर सड़क ही खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित हुई हैं। यदि यह भी समझते हैं कि सड़के न बनवाकर, विकास कार्य न करके लोगों को पिछड़े बनाए रखकर हम बहुत दिनों तक गद्दी पर बने रह सकते हैं, यह इनकी बहुत बड़ी भूल है। प्रदेश का गौरवशाली इतिहास बराबर बताता है कि इससे काम नहीं चलता. . . .

(व्यवधान)

मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है। अब माननीय बाबू लाल सरोज बोलेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मन्त्री जी ने तीन साल से काम करने वाले कर्मचारियों को जो नियमित करने की बात कही है, वह सराहनीय है। लेकिन पिछली बार भी यह बात कही गयी थी, अब कार्यान्वित हो जाय तो अच्छी बात है. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छी बात है, अब आप समाप्त करें. . . . . .

श्री श्याम नारायन तिवारी—

धुरन्धरपुर से रानीगंज तक. . . .

(व्यवधान)

(श्री बाबू लाल 'सरोज' का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्याम नारायन तिवारी—

[ X X X ]

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठिये। जो आप बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री रामरति देवी—

मान्यवर, मैं तीन बजे से बराबर खड़ी हो रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जल्दी उनको बोलने दीजिए। उनके पाँच मिनट ऐसे ही चले जायेंगे। इसमें सब सदस्यों को आज मौका मिल जायगा। लेकिन एक साथ सबको नहीं बुलाया जा सकता। जिसको बुलाया जाय वह बोलना शुरू कर दे।

श्री बाबू लाल 'सरोज' (जिला प्रतापगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के विकास के लिए विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहूंगा। मैं प्रतापगढ़ जनपद के बिहार क्षेत्र से चुनकर आया हूं। वह हरिजन क्षेत्र रहा है। 30–32 वर्ष के पुराने शासन काल में हरिजन क्षेत्र समझ कर किसी ने उसकी परवा नहीं किया। मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई दूंगा कि इन दो वर्षों में बहुत सारा काम हुआ। लिंक रोड बहुत बनी। लेकिन जितनी बनी वह न के बराबर ही हैं। बिहार से बाबागंज एक सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हैं जिसमें बड़े-बड़े कंकड़ पुराने जमाने के हैं। वह सड़क इलाहाबाद से रायबरेली को जोड़ती हैं। वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। वह जरूर बनवाई जाय। डेरवा से धारूपुर सड़क है जिसमें बड़े-बड़े गड्ढे हैं सायकिल से या पैदल भी लोग नहीं चल पाते। वहाँ एक इण्टर कालेज है। बरसात में इतना अधिक सड़क पर पानी भर जाता है कि बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। एक सड़क कोटा भवानी गंज औसानगंज तक बहुत पुरानी है। बीच में बकुलाही नदी पड़ती है। बरसात में बच्चे इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं। इस सड़क की उपेक्षा सदैव से रही है। उसकी तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। इस क्षेत्र की दो तीन सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको बनवा दिया जाय।

माननीय मन्त्री जी को मैं अपनी तरफ से एक सुझाव देना चाहूंगा। इन सड़कों पर जो ठेकेदार लोग कार्य करते हैं किसी न किसी ओवरसियर इंजीनियर के रिश्तेदार होते हैं। अगर इन सड़कों पर काम करने के लिए लोकल ठेकेदारों को मौका दिया जाय तो वे अच्छी सड़क बनवायेंगे, वह वहीं के रहने वाले हैं। दूसरे जिले से जो ठेकेदार आते हैं अपना पैसा

---

नोट—(XXX) यह अंश श्रीउपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कमाते हैं, और चले जातें हैं। सड़कें अच्छी बनें या खराब उनको इसका कोई ख्याल नहीं होता है। इसलिए लोकल ठेकेदारों से सड़कें बनवाएं जो ज्यादा अच्छी सड़क बनायेंगे। बनिस्बत उनके जो दूर से आते हैं। वकुलाही नदी पर एक पुल की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे क्षेत्र में एक गाँव से दूसरे गाँव तक जाने के लिए कहीं भी पुल नहीं है। सड़कें न के बराबर हैं। जो कच्ची पगडंडियां है उनको बना दिया जाय तो भी सड़कों का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोटाभवानीगंज–औसानगंज के बीच में एक पुल अवश्य बनवा दें जिससे बरसात में तीन महीने जो रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, वह पढ़ने जा सकें और लोग आ जा सकें।

मैं क्षेत्र का दौरा करने गया था तो 7–8 ग्राम के लोगों ने कहा कि सरकार अगर पुल बनाने की योजना करे तो वह लोग भी चन्दा देंगे। अगर वह पुल इसी वर्ष बनवा दें तो मैं क्षेत्र की जनता से चन्दा भी दिलवा दूंगा। एक सड़क झींगुर से जलेसरगंज जाती है। जलेसरगंज के आगे दूसरा क्षेत्र पड़ता है उसके आगे वह पक्की है परन्तु हमारे क्षेत्र में वह पक्की नहीं है ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती रामरति देवी —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मान्यवर, 30 वर्षों में काँग्रेस की सरकार ने जो अधूरे कार्य किए उनको हमारी जनता पार्टी की सरकार 2 वर्षों में पूरा कर रही है। हमारे सामने बख्शी जी बैठी हैं, उन्होंने जो कुछ सुझाव दिया उनके सुझाव बड़े सुन्दर रहे और इन्होंने इस सरकार के कार्यों की सराहना की है और हमारी सरकार के कार्यों की सराहना के लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही कि बुद्धि तो है लेकिन काम होना चाहिए देश को खुशहाल बनाना चाहिए तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि 30 वर्षों में जो काँग्रेस की बुद्धि थी वह तो अपने पास ले गए लेकिन अब जनता ने जनता पार्टी की सरकार को जो भेजा है .....

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में जो सुझाव देना चाहती हों, उनको कहें।

श्रीमती रामरति देवी—

मैं मान्यवर, उसी पर आ रही हूं। हमारी सरकार जिस तरह से विकास कर रही है गरीब जनता को राहत पहुंचाने के लिए विशेष तौर से ग्रामीण अंचलों में सुख सुविधा देने के लिए जो विकास कार्य सड़कों के द्वारा किया जा रहा है सचमुच इस तरह से खाद्यान्न योजना और त्वरित योजना के अन्तर्गत जो भी सड़क बन रही उससे गाँव शहर का रूप लेने जा रहे हैं। यह स्वयं जनता कहती है। स्वयं जनता इस कार्य को देखकर प्रसन्नचित होती है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहती हूं।

मान्यवर, फैजाबाद वैसे तो कमिश्नरी है, यह सौभाग्य है लेकिन उस जिले में हमारे क्षेत्र में जो जहाँगीरगंज है वह टाँडा तहसील का एक अंग है। यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पहली बार यहाँ पर एक पुल का निर्माण हुआ है। वहाँ पर सड़कें नहीं थी, लेकिन अब कुछ सड़कें जो मिट्टी पटाई के द्वारा ली गयी है उससे जनता में काफी प्रसन्नता है, लेकिन एक सड़क जो जहाँगीराबाद से कम्हरिया घाट को जाती है उसको पूरा कराने के लिए पी0डब्लू0 डी0 को दे दिया जाय। जहाँगीरगंज भी एक बाजार है और कम्हरिया एक घाट है जहाँ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती रामरति देवी]
से गोरखपुर और बस्ती को सड़कें गयी हैं। अभी तक यह सड़क जिला परिषद में थी, मेरी प्रार्थना है कि इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ली जाय। मान्यवर, इस सड़क पर बड़े-बड़े वृक्ष हैं। मैं तो चाहूंगी कि इसी वर्ष इसको जिला परिषद से ले ली जाय।

इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि हमारा क्षेत्र 72 किलोमीटर का है लेकिन उसमें एक डाक बंगला सार्वजनिक निर्माण विभाग का नहीं है। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि कम से कम एक डाक बंगला अवश्य वहाँ पर बनवा दें।

(श्री विक्रमा राय का नाम पुकारे जाने पर और श्रीमती रामरति देवी के बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त। मैंने माननीय विक्रमा राय को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी देर से खड़ा हो रहा हूं लेकिन मुझे आप बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। इस विरोध में मैं सदन छोड़ रहा हूं। इस तरह से सदन नहीं चलेगा।

(श्री राजपति मिश्र सदन त्याग कर चले गए।)

*श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदानों के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि सारे अंगों में खून का समुचित प्रवाह बना रहे उसी प्रकार से किसी देश की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सारे उत्पादन केन्द्र सड़कों से जुड़ जायं ताकि वर्तमान सुविधायें उन तक पहुंच सकें और वह इलाका उन्नति कर सके। मान्यवर, जिस प्रकार से देश भर में उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है उसी प्रकार से आँकड़ों के अनुसार सड़कों के मामले में भी राष्ट्र के सबसे नीचे स्तर पर आता है। सड़क के मामले में तो पूरा प्रदेश बिहार से भी पिछड़ा हुआ है। इसी प्रकार से उत्तर के पूर्वांचल क्षेत्र में सड़कों का जो औसत आता है वह पश्चिमी क्षेत्र से कहीं कम है।

अगर आप पूरे आँकड़ों को देखें तो जिस तरह से पूरे देश में आपका प्रदेश पिछड़ा हुआ है उसी प्रकार से प्रदेश का पूर्वांचल सड़कों के मामले में पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि प्रदेश में बस्ती, देवरिया, बलिया और गोरखपुर जिले पिछड़े जिलों में आते हैं लेकिन जनता पार्टी के 2 वर्ष के कार्यकाल में जो उपलब्धियाँ हुई हैं, अगर उन सबको देखें तो इस विभाग का काम रहा है जिसने जनता का ध्यान जनता पार्टी के शासन की ओर आकर्षित किया है। एक नयी लहर पैदा की है। लेकिन इन सड़कों का निर्माण जो 4-5 विभागों द्वारा किया जा रहा है उससे पैसे का बड़ा ही दुरुपयोग हो रहा है। अगर सही मानों में प्रदेश का उत्थान करना है और सड़कों का जाल बिछाना है तो यह सब कार्य एक विभाग के तहत होना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार की ओर माननीय सदस्यगण ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आज के युग में जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, माननीय मन्त्री जी को उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज जो हमारी नेशनल हाईवेज हैं या जिन सड़कों पर हैवी ट्रैफिक है, उन सड़कों पर वाटर लौगिंग के कारण दलदल हो रही है। मेरा निवेदन है कि जो हमारी पुरानी लाइन्स है, हमारा जो रिसर्च विभाग है वह उस पर खोज करे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन सड़कों पर पहले 8 टन की ट्रकें चलती थीं आज उन पर 20 टन वजन की ट्रकें चल रही हैं। उसी हिसाब से आपको अपनी सड़कें भी मजबूत और पक्की बनाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता पार्टी के शासन में निर्माण विभाग द्वारा काफी प्रगति हुई है और इस विभाग ने काफी सराहनीय काम किया है। कई योजनाओं का बाहुल्य देखने को मिला है।

भ्रष्टाचार की बात हर माननीय सदस्य की जुबान पर तो नहीं, पर हाँ, कोई माननीय सदस्यों ने उसकी चर्चा की है। मन्त्री जी ने कहा कि जिलों में इसके लिए कमेटियाँ बनाई हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए यही काफी नहीं हैं। आज भी हम देखते हैं कि विधायक लोग जो शिकायतें लिख कर देते हैं वे रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं। जितना भी धन इस विभाग द्वारा खर्च किया जाता है उसका 50 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है। आज अगर कोई इंजीनियर होता है वह दो ढाई वर्ष में ही एक अच्छा मकान बना कर तैयार कर लेता है। अगर कहीं ब्रिज बनता है तो उसका काफी लोहा, सीमेन्ट आदि मोटरों पर लद-लदकर इंजीनियरों के घर चला जाता है और वह उनके मकान में लगता है . . . .

(व्यवधान)

उस जाल में आप भी फंसे हैं और काँग्रेसी भी फंसे थे। पर आपने जो व्यवस्था की है उसका हम स्वागत करते हैं।

आप जब कैबिनट स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते तो विधायक कैसे रोक सकते हैं। आपने तमाम सड़कें बनाई हैं पर सड़कें बनने के 2 वर्ष बाद ही खराब हो जायेंगी। 2 साल बाद वहाँ मिट्टी दिखाई नहीं देगी। इसलिए जो भी सड़क बनाई जाय उसे पक्का किया जाना आवश्यक है। आप सड़कों का जाल तो बिछा रहे हैं, पर वे ऐसी बन रही हैं कि उन पर आदमी भी नहीं चल सकता है।

मान्यवर, प्रमाण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न दिया है, वह बोस जी का प्रश्न है, उसका जवाब नहीं मिला। मैंने सचिव जी से शिकायत किया। वह प्रश्न पिछले सत्र से है। जो मान्यवर, मिलने जाते हैं, उनका प्रश्न स्वीकार हो जाता है। मैं मिलने नहीं जाता हूं। मैं बताऊं मेरे क्षेत्र में दो ब्लाक हैं, 30 किलोमीटर की दूरी तक दरिया है, जिससे कठिनाई पैदा होती है। पूर्व के क्षेत्र से उनके बीच में कोई पुल नहीं है। पूर्व मन्त्री के जमाने में सड़क पुल मन्जूर हुई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। जब मैंने निर्माण विभाग के अधिकारियों से पूछा, तब उन्होंने कहा कि गाड़ी नहीं मिल रही है, सामान नहीं मिल रहा है। अगर मिल नहीं रहा है तो कैसे बनवायेंगे। मेरे क्षेत्र में एक बालिस्त भी सड़क पिच बनाई गई हो तो आप कह सकते हैं। अगर आप नहरों की पटरियों को ले लें, और उनको बनवा दें, तो उसमें आपका विशेष धन नहीं खर्च होगा और काम भी हो जायेगा।

(श्री छेदा सिंह का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के लिए समय माँगने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठिए। सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। मैंने माननीय छेदा सिंह को बुला लिया है।

*श्री छेदा सिंह चौहान (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, जो आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि ग्रामों में देखने से मालूम होता है कि कच्ची सड़कें जनता पार्टी की सरकार ने काफी बनवायी हैं हमारा सुझाव है कि सभी कच्ची सड़कें पी0डब्लू0डी0 के मार्फत पक्की बनवाई जायं। मैं लखनऊ जनपद की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक किताब मिली है, पेज 80 कालम 8 में लिखा है कि अमौसी से लखनऊ इमामबाड़ा तक सड़क बनाई जाय जिसकी लागत करीब 42 लाख, 8 हजार है। हमारा सुझाव है कि अमौसी गाँवों के लिए इस सड़क की कोई आवश्यकता नहीं है, यह सड़क न बनाई जाय। कानपुर रोड से अमौसी तथा रेलवे स्टेशन तक सड़क बनी हुई है और अमौसी गाँव सभी फैक्ट्री एरिया है जहां पर कई सड़कें बनी हुई हैं। वहाँ पर ऐरो ड्रम भी है। वहाँ पर सड़कें कई हैं। मेरा सुझाव है कि यह 42 लाख का धन हमारे क्षेत्र में लगा दिया जाय। बन्थरा-रामचौरा मार्ग जो 5 किलोमीटर बना पड़ा है, उसे पक्का कर दिया जाय। सरोजिनीनगर के सैकड़ों गाँव सड़कों के अभाव से वंचित हो जाते हैं, इस सड़क को अवश्य बना दिया जाय। लखनऊ जनपद में हरौनी है और हरौनी के करीब एक सई नदी है और उसका कुछ हिस्सा उन्नाव में मिला हुआ है। हमारा सुझाव है कि हरौनी से रहीमनगर तक सड़क और पुल बना दिया जाय, ताकि लखनऊ की ग्राम सभा तथा उन्नाव मिल जाय। लखनऊ मोहान पर फतेहगंज से नारायनपुर मार्ग जो पी0डब्लू0डी0 के द्वारा कच्चा मार्ग बन रहा है, उसे पक्का कर दिया जाय, और लखनऊ-बंगला बाजार-बिजनौर सिसेण्डी मार्ग पक्का कर दिया जाय। लखनऊ-लिलमथा-नगराम उसे भी पक्का कर दिया जाय। जिला परिषद की सड़क काकोरी-बहरन मार्ग बना है उसे पक्का कर दिया जाय। इस 42 लाख रु0 से सभी सड़कें पक्की हो सकती हैं। पी0डब्लू0डी0 विभाग में ईंटों के लिए बड़ी मुसीबत होती है।

हमारा सुझाव है कि पी0डब्लू0डी0 विभाग अपना भट्ठा लगवाये, या भट्ठा मालिकों को कोयले की सप्लाई दिला कर उनसे ईंट प्राप्त करें ताकि कार्य समय पर हो सके और सड़के बन सकें। एक-एक ठेकेदार टेंडर देता है फिर भी बढ़ाना पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

श्री उपाध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर टाइम दिया है। इसमें 2 राय नहीं कि आज का यह अनुदान एक ऐसा अनुदान है जिसमें मुझे देखने को मिला कि हमारे सामने बैठे हुए मित्र माननीय सदस्यों ने भी जिसकी बड़ाई की है। किसी ने भी उस तरीके को इस्तेमाल नहीं किया जो अब की आने के बाद हम हमेशा देखते रहे हैं। इसका नतीजा है कि यह विभाग काफी प्रगति पर है। देश की सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर गाँवों को शहरों से जोड़ दिया जाय। उस तरफ सरकार ने तवज्जो दी है जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। मौजूदा मन्त्री के लिए मैं कह सकता हूं कि उन्होंने आज जो घोषणा की है वह क्रान्तिकारी है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। जिम्मेदारी तो उन पर आती है कि जो घोषणाएं की हैं उसका पालन हम लोगों द्वारा सही ढंग से हो। जो दिक्कतें माननीय सदस्यों को महसूस हों उसका निराकरण सरकार करे। इसमें 2 राय नहीं कि बजट का ज्यादा रुपया इधर-उधर कमीशन में खर्च हो जाता है। 50 प्रतिशत सिर्फ खर्च होता है यदि उसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत काम में लगाने लगें तो काम डेढ़-दो गुना हो जायेगा।

फूड-फार-वर्क का जो कार्य हो रहा है, उसकी बड़ी सराहना हो रही है। अगर उस पर जिम्मेदारी के साथ काम नहीं किया गया, पुल-पुलियों का प्रबन्ध नहीं किया गया, मिट्टी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पटने के बाद खड़ंजा कराकर पक्का करने का इन्तजाम नहीं किया गया तो जितना पैसा है, बरबाद हो जायगा और गाँवों को, सूबे को बड़े शहरों से मिलाने के लिए सड़कों का जो जाल बिछाने जा रहे हैं वह धूमिल हो जायगा। सारी सड़कों पर जहाँ मिट्टी पड़ रही है, पुलियों का इन्तजाम, कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों के रूप में बदलने का इन्तजाम करा दिया जाय तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की, जिसको पिछली सरकार ने नहीं किया था। आपने एवरेज सुनाया कि पिछले सरकार ने साढ़े सात सौ किलोमीटर सड़क बनाई थी। उसके मुकाबले में 42 सौ और 35 सौ का एवरेज पिछले 2 साल में रहा, यह इस बात का द्योतक है कि सिंचाई और सड़क, ये दोनों बहुत जरूरी हैं किसानों के लिए.....

श्री श्यामधर मिश्र—

यह पूरा करा दिया या शुरू कर दिया, यह बतला दीजिए।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

आप जोड़िए–घटाइए। मान्यवर, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त जितने उपेक्षित क्षेत्र रहे हैं, तराई के क्षेत्र हैं, नैपाल बार्डर से गुजरने वाले, जंगल से गुजरने वाले क्षेत्र हैं, जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ज्यादातर बड़े शहरों के नजदीकी इलाकों को ही आवंटित किया गया, तो अगर आज यह उसूल बना देंगे कि पूरे जिले को बाँट बाँट कर देंगे तो जो उपेक्षित क्षेत्र है वह वैसे के वैसे ही रह जायेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर ध्यान देंगे और जो उपेक्षित क्षेत्र हैं उनको विशेष रूप से बनवाने का इंतजाम करेंगे। नक्शा उनके सामने है वह सब कुछ देख सकते हैं। सड़कें बनी है अगर बीच में कोई नाला, नदी पर पुल नहीं है तो सारा रुपया व्यर्थ जाता है। पिछले मंत्री जी के जमाने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम सेंक्शन किया था कि जिन सड़कों को पिच रोड बना दिया गया है उन पर पुल बना दिये जायं। उस स्कीम को चलाना चाहिये और सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहिये और जो सड़कें बन गयी है या बन रही हैं उनको कंपलीट करायें।

मान्यवर, जमीन की कमी है इसलिये जहाँ जंगल की सड़कें हैं और नहरों की सड़कें हैं उन सड़कों पर खडंजा बिछवा दें और उसके बाद पिच करवा दें तो एक इंच जमीन भी नहीं लेनी पड़ेगी और सड़क भी बन जायगी। जंगल की सड़कें ले लेते हैं तो जिला सड़कें एक दूसरे से मिल जायेंगी और काफी अच्छा काम होगा। पिछले मंत्री जी के जमाने में यह तय हो चुका था पालिसी के तरीके पर। मौजूदा मंत्री जी से मैं कहूंगा कि इसको कार्यान्वित करायें। इन शब्दों के साथ मैं उन्होंने जो अनुदान पेश किये हैं उनका समर्थन करता हूं।

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो अनुदान सड़क के संबंध में पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि अभी हमारे एक वरिष्ठ साथी माननीय विक्रमा राय जी कह रहे थे कि अपना प्रदेश सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश जो कृषि प्रधान है वहाँ पर यातायात का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यवर, जब हम पूरे देश का मूल्यांकन करते हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल से जब हम उत्तर प्रदेश की तुलना करते हैं तो प्रति एक हजार किलोमीटर पर 8.38 सड़कें पड़ती हैं। जब हम उत्तर प्रदेश को देखते ह तो जो पूर्वांचल के जिले हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला प्रसाद वर्मा]

जिसमें बहराइच और गोंडा आता है तो 100 वर्ग कि0 मी0 पर 11.7 कि0 मी0 सड़कें आती हैं। इलाहाबाद, सुल्तानपुर में 19.5 आती हैं, जौनपुर में 20.8 आती हैं, गोरखपुर में 22.7 आती हैं प्रतापगढ़ में 23.7 आती हैं, आजमगढ़ में 23.1 आती हैं और बहराइच गोंडा में प्रति 100 वर्ग मीटर पर 11.7 सड़कें आती हैं। तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र पिछड़े हैं वहाँ पर सड़कों को प्राथमिकता दी जाय। अपने बहराइच जनपद का क्षेत्रफल 6871 वर्ग कि0 मी0 है। इसमें प्रांतीय राज मार्गों की लम्बाई 216.34 कि0 मी0 है। तीन अन्य सड़कों की लम्बाई 158 कि0 मी0 है। जिला परिषद की 83 कि0 मी0 सड़कें हैं। कुल, अन्य सड़कें मिलाकर 667 कि0 मी0 हैं। बहराइच में जनसंख्या का घनत्व 252 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 है। सड़कें बहुत कम हैं।

बहराइच के भिन्गा तहसील में सड़क के बारे में कहना चाहता हूं। भिन्गा, सिरसिया-चौधरीडीह मार्ग जो तराई क्षेत्र में जाने के लिये एकमात्र सड़क है उसमें घुटने तक गड्ढे हो गये हैं। यह सड़क निर्माणाधीन है। लेकिन अभी तक उसको तारकोल से पक्की नहीं कराया जा सका है। इसलिये उसको पक्की कराया जाय। मान्यवर, पूर्वांचल में लखनऊ-गोंडा रोड पर घाघरा पुल को बनाया जाना चाहिये। इस पुल को 1962 में युद्ध के समय सेना द्वारा सामरिक महत्व की दृष्टि से भी इसको बनाया जाना आवश्यक समझा गया था लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। पिछले वर्ष 9.34 लाख रुपये में से 8 लाख रुपये इस पर सर्वेक्षण के लिये स्वीकृत हुआ था लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ है। इसलिये इस वर्ष पुनः सर्वेक्षण के लिये 9.66 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है लेकिन मुझे विश्वास है कि उस पर कोई काम नहीं होगा। इसलिये पूर्वांचल जनपदों के विकास के लिये घाघरा पर पुल बनवाने पर ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, दूसरी बात एकौना से सिरसिया सड़क का भी निर्माण कार्य होना चाहिये। खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें ली गयी हैं उन पर मिट्टी का कार्य तो हुआ है लेकिन उन पर खड़ंजा लगाया जाना चाहिये यह सड़क है पाँडेय पुरवा से इकौना तक। इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। इसके साथ ही मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मानपाल सिंह एडवोकट (जिला एटा)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। समय कम होने के कारण मैं अपने जिले और अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं। मान्यवर, एटा-सहावर रोड पर काली नदी पर एक पुल विभाग द्वारा स्वीकृत हुआ था। इसकी 1978 के तृतीय सत्र में घोषणा हुई थी कि इस पुल का निर्माण दो वर्ष में हो जायेगा। लेकिन अभी हाल में मैं मैनेजिंग डाइरेक्टर, हेतु निगम, से मिला तो जानकारी मिली कि जिलाधिकारी, एटा ने लिखा है कि इस पुल का निर्माण रोक दिया जाय क्योंकि सिंचाई विभाग की ओर से कोई वहाँ बैराज बनाया जा रहा है। उसमें इस पुल की बात भी शामिल है, इसलिये उसको रोक दिया गया। लेकिन मान्यवर, हमारे जिले का कोई भी विधायक नहीं जानता कि इस संबंध में क्या स्कीम है। किन्तु यदि कोई स्कीम है तो वह चलती रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन यह बड़ी मुश्किल से स्वीकृत हुआ है इसलिये इस को बनवाने की व्यवस्था करें। वहाँ पुल न होने से लोगों को 15–20 मील का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इसलिये इस पुल के निर्माण को न रोका जाय और बरसात के बाद उस पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाय।

मान्यवर, खाद्यान्न योजना नं0 4 में कुछ सड़कें स्वीकृत हुई थीं जैसे कासगंज से चाड़ी। यह सड़क 14 किलोमीटर है लेकिन 8 कि0 मी0 सड़क बनना स्वीकृत हुई। तो इसमें

मुझे कहना है कि जब तक इस सड़क को 6 किलोमीटर और आगे नहीं बढ़ाया जायेगा तब तक इसका उपयोग नहीं होगा। इसलिये इस सड़क के महत्व को देखते हुये अधिशासी अभियंता, एटा ने मुख्य अभियन्ता कार्यालय को संस्तुति भेजी है कि बची हुई 6 किलो मीटर भूनपुरा से चाड़ी तक और बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

मान्यवर, इसी योजना नं0 4 में जो सड़कें बनी हैं उन पर जब तक किसी पुलिया का निर्माण बरसात आने के पूर्व नहीं किया जाता तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। मान्यवर, खाद्यान्न योजना नं0 3 में सोरों-याकूतगंज सड़क बनना स्वीकृत हुई थी। यह सड़क 7 किलोमीटर लम्बी है। जिसमें 4 किलोमीटर में जगह-जगह छोड़कर मिट्टी डाली गयी है। 2/3 किलोमीटर ऐसे हैं जो बीच-बीच में छोड़ दिये गये हैं। मैं माँग करता हूं कि उस मिट्टी के कार्य को पूरा कर दिया जाय। मैंने सुना है कि सड़क निर्माण में कुछ घपला हुआ है। उसका पेमेंट ले लिया गया। कागज में पूरी सड़क दिखा दी गयी है कि बन गयी लेकिन अभी तक मिट्टी का कार्य भी पूरा नहीं हुआ।

श्रम के बदले अन्न की योजना भी चलायी गयी थी। लेकिन, मान्यवर, मार्केट में गेहूं का भाव 140 के करीब था और 105 रुपये के हिसाब से भुगतान करना था। तो सारे अधिकारियों ने सड़क के लिये गेहूं जो आवंटित था, उसको बाजार में बेंच दिया और मजदूरों को 5 रुपये के हिसाब से भुगतान किया गया। मान्यवर, फर्रुखाबाद ब्रान्च है जिसमें निचली गंगा नहर की पटरी है। इसकी लम्बाई 16 किलोमीटर है जिसमें 9 किलोमीटर सहावर की तरफ से पक्की है और 7 किलोमीटर कंकड़ सड़क की बुरी हालत है। वहाँ पर कोई दूसरी सड़क नहीं है और न कोई आम रास्ता है जिससे लोग गुजर सकें। एक बार कभी एक किलोमीटर गिट्टी डाल दिया तो फिर काफी दिनों तक वह पड़ी रही और तब वह पहले वाला काम बराबर हो जाता है और अगले साल फिर गिट्टी डालते हैं। उसमें कोई प्रगति नहीं होती। तो इस सड़क का काम जल्द से जल्द कराये जाने की कृपा करें। इसी तरह से एक सड़क आमापुर सोरों वाया समसपुर है। पुरानी सड़क है। आमापुर से सोरों जाने में 10 किलोमीटर का फासला बच जाता है। 30/40 गाँव कनेक्ट करती है यह सड़क। मेरा निवेदन है कि इसको पी0 डब्लू0 डी0 में लेकर उसका निर्माण कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कृपया आप बैठिये। शेष चीजें माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को लिख कर भेज दीजिएगा।

श्री मिठाई लाल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, भदोही क्षेत्र कालीन उद्योग का क्षेत्र है। इस कालीन उद्योग का प्रभाव ज्ञानपुर तहसील में फैला हुआ है। मान्यवर, इस उद्योग से समूच क्षेत्र के मजदूरों किसानों तथा छोटे तबके और बड़े तबके के लोग लाभान्वित होते रहते हैं। इस क्षेत्र का काफी महत्व है इस भदोही क्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीय कालीन उद्योग के संसार के मान चित्र में भी स्थान है। विदेशी लोग सदैव कालीन के सम्बन्ध में यहाँ आया जाया करते हैं। इतना ही नहीं मान्यवर, इस कालीन उद्योग से विदेशी मुद्रा लगभग 70 करोड़ प्रतिवर्ष अर्जित होती है। लेकिन मान्यवर, यह दुख की बात है और यह कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि जहाँ तक इस क्षेत्र का सवाल है, कि इतने लम्बे इक्सपोर्ट और विदेशी मुद्रा के अर्जित होने के बावजूद भी यहाँ कोई भी पक्की सड़क का विकास कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ की सड़कें इतनी खराब है, कि उसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस क्षेत्र में एक भी डामर की सड़क नहीं पायेंगे।

[श्री मिठाई लाल]

ग्रामीण अंचलों में कालीन उद्योग के विकास में, मान्यवर, जो कालीन का कच्चा और पक्का माल होता है, उसके ले जाने और ले आने में बहुत कठिनाई होती है। ये समान केवल सायकिल, ऊंट एवं बैलगाड़ी से ही लोग माल दूर दूर तक लेआते और ले जाते हैं। जिससे कालीन उद्योग में विकास कार्य में बराबर कठिनाई हो रही है। मान्यवर, गत वर्ष जब से जनता पार्टी की सरकार आई है तब से कई माननीय मंत्री अबतक हमारे क्षेत्र में कई बार जा चुके है लेकिन आश्वासनों के बावजूद भी इस क्षेत्र की सड़क का विकास एवं सुधार नहीं हो पाया है।

म आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ विशेष सड़कों की ओर जो लोक महत्व के हैं आकर्षित करना चाहूंगा, जैसे भदोही से दुर्गागंज, ज्ञानपुर से दुर्गागंज, गिरायी से दानपुर। ज्ञानपुर से मारी गाँव, बधनोरी से ज्ञानपुर, मोंद से ज्ञानपुर और पाली से सुरियावा। इन सड़कों का पक्का निर्माण हो जाता है तो जितने कालीन उद्योग औद्योगिक क्षेत्रों में लगे हुये हैं उनको लाभ होगा तो साथ ही साथ वहाँ के किसानों तथा मजदूरों को भी बड़ा लाभ होगा और विदेशी मुद्रा बढ़ कर अरबों तक हो जायेगी। इसके अतिरिक्त मान्यवर, गत वर्ष तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र के दुर्गागंज के पास वरुणा नदी, जो इलाहाबाद जनपद में जुड़ी हुई है, गये थे जहाँ तमाम जनता के बीच उन्होंने यह घोषणा की थी कि वरुणा नदी पर पुल बन कर रहेगा। किन्तु प्रस्तुत बजट को देखने से यह मालूम होता है कि उस पुल के निर्माण के लिये कहीं कोई धनराशि का स्थान नहीं है। पाँच जनपद वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़ तथा मिर्जापुर इससे जुड़े हैं यह पुल राष्ट्रीय महत्व का है इसलिए इस पुल का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सुमेर चन्द गोयल (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

वास्तव में देश के विकास के लिए सड़कों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की सड़कें हम को शर्मिन्दा करती हैं और हमारी सरकार को शर्मिन्दा करती है। हम जब उन प्रदेशों में सफर करते हैं तो लगता है कि वहाँ की सरकारों ने बड़ी भारी तरक्की की है, वहाँ के इंजीनियरों ने और कर्मचारियों ने बहुत अच्छे तरीके से सड़कें निर्माण की हैं। वहाँ के लोग जब हमारे प्रदेश में सफर करते हैं तो हमारी सरकार की निन्दा करते हैं।

मैं, मान्यवर, मंत्री जी का और इस विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि जो मुख्य सड़कें है वे बहुत अच्छे तरीके से बनें। हमें दुःख होता है कि जब पिछली बरसात आयी, बाढ़ आयी तो, दिल्ली को जाने वाली सड़क बड़ौत के पास बहुत बुरी तरह से टूट गयी है। दोनों सड़कें जो सहारनपुर से दिल्ली जाती है—दूसरी मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुये और एक शामली बड़ौत से जाती है—खराब हालत में है। जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली तो यह कहा कि गाँवों में पहुंचना चाहते है और गाँवों के लिए सुविधा देंगे मगर सड़कें नहीं बनती है। मेरा सुझाव है कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी इस तरफ ध्यान दें।

मैं, सहारनपुर चुनाव क्षेत्र की नुमाइन्दगी करता हूं। आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले साल 94 लाख रुपये स्वीकृत हुये और सहारनपुर में रुपये पहुंच भी गये लेकिन बहुत थोड़ा काम हुआ है। बेरीबाग का पुल बनवा दिया गया है और वह थोड़े दिनों में चालू होने वाला है लेकिन सहारनपुर सरकारी अस्पताल के पास जो रेलवे फाटक पर पुल बनना था जिसके लिए रुपया भी स्वीकृत हुआ था मैं समझता

हूं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है और आलसवश पड़ा है। यह बात आश्चर्यजनक है और लज्जा की बात है कि रुपया सेंक्शन पड़ा रहता है लेकिन लैप्स हो जाता है।

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं नये मंत्री जी को विधायक बन्धुओं की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पुरानी परम्परा को खत्म करके जिला प्रगति समितियाँ बनाकर विधायकों का सम्मान बढ़ाया है। आज जो उन्होंने अपने भाषण में आश्वासन दिया है कि बिना किसी मंत्री अथवा सन्तरी की परवा किये वह असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करके एक माप दंड रखेंगे। इसलिये निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र हैं। इस प्रदेश की छवि को बनाने वाले दो ही विभाग हैं—सिंचाई विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग। विगत दो वर्षों में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया है उसने पिछले तीन साल के रिकार्ड को बीट कर दिया है। एक बात अवश्य है कि जो मार्गों का अर्थ वर्क विगत बरसात से पहले हुआ है आगामी बरसात के पहले उस पर सीलिंग हो जाना चाहिये। अगर खड़ंजा नहीं बिछा तो करोड़ों रुपये की सरकारी क्षति होगी। कुछ मिट्टी बह चुकी है और शेष इस बरसात में बह जायगी। जो जनता पार्टी की छवि देहातों में बढ़ी है वह धूमिल हो जायगी और बहुत बदनामी मिलेगी। इसलिये प्राथमिकता के आधार पर अर्थ वर्क बरसात के पहले हो जाना चाहिये।

लेकिन इस वर्ष प्रदेश में विशेष कर मेरे जनपद में ईंटों का बड़ा संकट है। खुले बाजार में ईंटा 175 –180 रु0 पर मिल रहा है जबकि उसका सरकारी रेट 138 रु0 है। इसके कारण सारे निर्माण कार्य बन्द पड़े हैं। बरसात आने में 15 दिन शेष हैं अगर कुछ लेट हो गयी तो एक महीना शेष है। इस दर्मियान ईंट की व्यवस्था हो जानी चाहिये वर्ना बड़ा नुकसान होगा।

इसी तरह से मंडी समितियों की सड़कें हैं। जिन पर बरसात से पहले अर्थ वर्क हो चुका है उन पर अभी तक खड़ंजा नहीं किया गया है। हमारे साथ बड़ा भेदभाव किया गया है। अच्छल्दा मंडी समिति का पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया गया जब कि और मंडी समितियों का हो चुका है। अच्छल्दा की जो मंडी समिति है करोड़ों रुपया पड़ा है जो स्थानान्तरित नहीं हो रहा है। यह मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़े कस्बे को जोड़ता है जहाँ दो इंटर कालेज हैं, 10 हजार की आबादी है और जहाँ पर न्याय पंचायत केन्द्र है, सरकारी समिति है लेकिन आने जाने का कोई साधन नहीं ह 10 किलोमीटर के आस पास तक कोई मार्ग नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर इसके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाय। मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जहाँ से मैं चुनकर आता हूं उस जगह से 100 किलोमीटर फर्रुखाबाद है, 100 किलोमीटर कानपुर है तथा इटावा और मैनपुरी भी इतना ही पड़ता है। मान्यवर, यह एक सीमावर्ती क्षेत्र है। आने जाने के कोई साधन नहीं हैं, यहाँ तक कि किसानों को बाजार तक अपनी उपज ले जाने में 8–8 और 10–10 रुपया प्रति बोरा किराया देना पड़ता है। यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, 30 सालों से पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि यह जनता पार्टी के लिये एक बहुत बड़ी बात होगी कि प्राथमिकता के आधार पर जो मार्ग अधूरे हैं उनको वह पूरा करें जिसमें याकूबपुर–सहायवल, बेला–महू, दिबिया–पुरन्दरगढ़, विधूना–बिबियापुर, बेला–चौबेपुर, विधौना–किसनी आदि मार्ग हैं। मान्यवर, वहाँ पर एक बिशम्भर सिंह वर्मा अधिशासी अभियन्ता हैं जिन्होंने निर्माण खण्ड डिवीजन को पूरा खा लिया है। वहाँ करोड़ों रुपये का घपला है। उनके विरुद्ध विजीलेन्स की इन्क्वायरी चल रही है। उनको तीन बार वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है लेकिन राजनीतिक प्रेशर में आकर उसे रोक दिया जाता

[श्री औसान सिंह]

है। मेरे पास उनका 8 पन्नों का आरोप पत्र है जो कि मैंने समय-समय पर दिया है। विजीलेन्स की जाँच हुई लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही उस पर नहीं की गई है। उनके ऊपर सिर्फ दो पुलों जमुना, चम्बल के टौल टैक्स 40 हजार रुपये माहवार की चोरी कि शिकायत है। इसकी आप जाँच करायें। मैं प्रमाण दे सकता हूं। यदि आप इसकी जाँच करें और यह बात साबित न हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने प्रति महीने 40 हजार रुपये की चोरी की है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन चूंकि दल की ओर से बोल रहा हूं इसलिये कृपया मुझे थोड़ा ज्यादा समय दें। मैं उन मुद्दों पर भी नहीं बोलूंगा जिनके बारे में किताब में दिया गया है। मैं उन्हें कदापि नहीं दुहराऊंगा। आज किसी विभाग के बारे में कहा जाय कि रुपया कम दिया गया, लेकिन इस विभाग को अवश्य कम रुपया दिया गया है। सड़क के लिये कम है। यह बात इस पुस्तक में दी हुई है। माननीय मंत्री जी ने इस पुस्तक में स्वयं ही यह बात कही है। क्योंकि योजना आयोग बैठा हुआ है। उस आयोग को आप नहीं समझा सके, कोई उसे नहीं समझा सका और न जनता पार्टी की सरकार समझा सकी। एक विद्वान ने कहा है कि आप शिक्षा और उद्योग की तरफ कम ध्यान दें और सड़कों और बिजली की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो क्रांति हो जायेगी। मैं कहता हूं कि आप प्राथमिकता ही दें। पंजाब और हरियाणा में क्या दशा है और हमारे यहाँ की क्या दशा है? ऐसे ही काँग्रेस के मंत्री कहते थे। आप संतोष कर लेते हैं कि काम शुरू हो गया है।

मान्यवर, मेरे पास आँकड़े हैं। आपकी जो पीली पुस्तिका है जो सड़क सन् 62 से शुरू हुई थी वह आज 78 तक पूरी नहीं हुई है। फिर आपकी हर साल की 67, 68, 70, 72 की है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं समझता हूं आज माननीय मंत्री जी बता दें कि इनके कार्यकाल से जो सड़कें शुरू की गई हैं उनको ये पूरा कर लेंगे? हम चाहते हैं वह जल्दी न जायं और कम से कम तीन वर्ष पूरे कर लें।

मेरी यह भी शिकायत है कि प्रदेश में जितने विभाग हैं, जल कल विभाग हैं, सिंचाई विभाग हैं या दूसरे विभाग हैं उनका जहाँ तीन वर्ष में काम पूरा होना चाहिये वह 13 वर्ष में पूरा होता है, जिसको 5 वर्ष में पूरा होना चाहिये वह 12 वर्ष में पूरा होता है। इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि अधिकारी यहाँ के अयोग्य हैं या यहाँ के लोग अयोग्य हैं। अधिकारी भी योग्य हैं और कार्यकर्त्ता भी अच्छे हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर 15 मील सड़क बननी है तो एक मील एक साल में बनेगी यानी हिस्सों में काम होता है जैसा कि बांधों के मामले में होता है। किसी को 10 मील लिया किसी को 20 मील लिया। कुछ को लम्प सम में लिया है, ठीक है लेकिन यह हुआ है कि जहाँ 40 लाख की सड़कें हैं तो उसके लिए 5 लाख रखा गया है जहाँ 30 लाख की सड़कें हैं वहाँ 3 लाख दिया। इससे क्या होता है कि जैसे महंगाई बढ़ी वह 40 लाख का 80 लाख हो गया।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में खासतौर से उत्तर भारत में टेक्नोक्रेट्स और प्रशासक जो हैं उनकी पे में अन्तर है। एक टैक्नोक्रेट 18 साल की सरविस में दो हजार से ज्यादा नहीं पाता है और आई0 ए0 एस0 कमिश्नर हो जाता है जो तीन हजार पाता है। टेकनिकल लोगों के साथ यह अन्याय क्यों? यह केवल इंजीनियर्स की बात नहीं बल्कि डाक्टरों की भी बात कह रहा हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, माननीय राम आसरे ने कहा इस पुस्तक के पन्ने पर दिया है, यहाँ पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

18 तरह की सड़कें बन रही हैं फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है। चूंकि 18 तरह की सड़कें बन रही हैं इसलिये पूरा नहीं पड़ रहा है काम जो है बटाई में हो रहा है। इस तरह से कभी मंत्री जी भ्रमित करते हैं और कभी अधिकारी भ्रमित करते हैं। सड़कें गन्ना समिति भी बनाती है और मंडी समिति भी बनाती है। इस तरह से 18 तरह की सड़कें ली जा रही हैं जिसका नतीजा यह हो रहा है कि हम जान नहीं पाते हैं कि किस योजना में कौन सी सड़क ली जा रही है तो साल भर तक पता नहीं चलता है। क्या मजाक है जिस मजाक को काँग्रेस के जमाने में किया गया उसको आप क्यों करते हो आप अपने को क्रांतिकारी कहते हो। मैं कहता हूं काँग्रेस के जमाने में गलत हुआ तो आप उसको बंद करें। मैं खुद कह रहा हूं कि गलत हुआ है आप उसको बंद क्यों नहीं करते हैं। केवल योजनागत और योजनेत्तर प्लान और नान-प्लान को लेकर चलिये।

एक बात और कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आपकी सड़कें बनती चली जा रही हैं लेकिन उनके रख-रखाव के लिए उचित प्रबन्ध नहीं है। होता क्या है कि वह बेकार हो रही हैं। यही पंजाब में हो रहा है यही हरियाणा में हो रहा है यही मध्य प्रदेश में हो रहा है यही बिहार में जो सबसे पिछड़ा है वहाँ हो रहा है। बिहार में मैंने जाकर देखा है। हर पांच साल में सड़कों का नवीनीकरण होना चाहिये। हमारे इलाके में या यहाँ के मुख्य मंत्री के इलाके में या यहाँ के मंत्री जी के इलाके में यह हुआ? जितनी सड़कें बनती हैं वह 5 वर्षों में गायब हो जाती है। इसलिए इनके नवीनीकरण के लिए रुपये का प्राविधान होना चाहिये। कम से कम 5, 6 हजार का बजट प्रति कि0 मी0 के लिए होना चाहिये। लेकिन पता नहीं यहाँ की सरकार को क्या हो गया है। पुरानी सरकार को कुछ हो गया तो वह गई लेकिन आप तो क्रांतिकारी हैं आप भी उसी रास्ते में चल रहे हैं। 6 हजार 7 हजार प्रति कि0मी0 के हिसाब से क्यों नहीं रखते हो इस से कम में क्या होगा। तीन हजार में रख-रखाव नहीं होता है। तीन हजार भी वेस्ट होता है वह अधिकारियों के पेट में चला जाता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश की 30–40 हजार किलोमीटर सड़कों के लिए इस हिसाब से 20–25 करोड़ रुपया मेन्टीनेन्स पर रखा जाय। यदि यह इतना ही रखें तो बहुत अच्छा होगा। नहरों की कुछ योजनाएं इन्होंने स्वीकार की है और उनको आप कर रहे हैं। इसमें एक इनका खुद का काम है और कहीं एजेन्ट का काम है। भवनों के मामले में यह ज्यादातर एजेन्ट है और सड़कों के मामले में भी एजेन्ट है। मैं निवेदन करूंगा कि सड़कों के संबंध में जितनी सड़कें बनाई जायं, जिला परिषद को छोड़कर, इस विभाग द्वारा बनवाई जायं, और इसमें जो अधिकारी, इंजीनियर्स ठीक से काम न करें या काम करने में ढिलाई बरतें उनके खिलाफ ऐक्सन लिया जाय।

इन्होंने इस साल पहली बार रूरल मैन पावर स्कीम पर 10 करोड़ रुपया की योजना रखी है। मुझे आशा है कि यह उसमें से 2–3 करोड़ रुपया अवश्य खर्च करेंगे।

भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ चर्चा हुई, जो हर जगह व्याप्त है, इस संबंध में मुझे छोटी सी जानकारी है, वह यह है कि इन विभाग को इस संबंध में भ्रष्टाचार, गबन या धन के दुरुपयोग की जो-जो जानकारी होती है, यह उसकी जाँच से भागते हैं और दूसरों पर टाल देते हैं, उसे सतर्कता विभाग आदि विभागों को कार्यवाही की के लिये बाँट देते हैं। इनके विभाग से भेजे गए 100–200 करीब मुकदमें 4–5 साल से सतर्कता विभाग में पड़े हुए हैं और इनमें जो लोग आरोपित हैं, वे रिटायर हो गये हैं या प्रमोट हो गये हैं। एक नियम यह है कि सतर्कता विभाग में किसी के विरुद्ध कोई मामला चला जाए तो पेंडिंग इन्क्वायरी

[श्री श्यामधर मिश्र]

तक उसमें किसी का निलम्बन नहीं हो सकता है और न प्रमोशन रुक सकता है । इस नियम से बड़ी हानि हो रही है और भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट अधिकारी पनप रहे है इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने टाउन एरिया और म्युनिसिपलिटीज की बात कही। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इन जगहों पर जहाँ आप सड़कें बनवा रहे हैं, वहाँ पर 3–4 लेन सड़क बनवा ही दें और ड्रेन्स की भी जिम्मेदारी लें, तो बहुत अच्छा और व्यवहारिक होगा ।

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदानों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका विरोध करता हूं। जनता पार्टी की सरकार ने अपनी अल्पावधि में इस दिशा में जो कार्य किया है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज गाँवों में सड़कों का निर्माण हुआ है, जो 30 सालों में नहीं हुआ था। यह कार्य उसने दो साल में किया है। और उसकी साख बढ़ी है और मुझे विश्वास है कि जो मंत्री जी ने अनुदान पेश किया है अगर इसको बढ़ाकर ड्योढ़ा किया जाये तो इस सरकार की और प्रतिष्ठा बढ़ती ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बस्ती जिले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और सबसे पिछड़ा भी है। यहाँ पर दैवी प्रकोप से लोग हमेशा पीड़ित रहते हैं, घाघरा, कुवानो, मुन्डवर, बूढ़ी राप्ती, मान गंगा, राप्ती नदियाँ है जिनमें बहुत भयंकर बाढ़ आती है और बहुत ज्यादा कटान होती है इससे यह जिला बहुत पीड़ित है। मैं सौभाग्य से कहूं या दुर्भाग्य से कहूं कि राम जानकी सड़क जो टूट गयी थी जून का महीना आ गया है लेकिन आज तक वह नहीं बनी है और दुबारा बरसात आने वाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में तमाम चीफ इंजीनियर, एडीशनल चीफ इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं लेकिन आपके विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की कमी है लेकिन आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण यह मालूम कर सकना बड़ा कठिन है कि कौन सड़क किसके पास है। इस से हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। आपने एक काम यह बहुत अच्छा किया है कि एक कमेटी बना दी है। उसके माध्यम से आपने यह कोशिश की है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों में तेजी आवे और वहाँ पर भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि काँग्रेस सरकार का 30 साल का कचरा अपने ऊपर न लादें यह बहुत पुराना है। जो सड़कें कच्ची मिट्टी की बनायी जाती हैं वह 6 महीने के बाद चलने लायक नहीं रह जाती हैं, इस परम्परा को बदलें। इससे राहत आपको मिलेगी और काम में तेजी आयेगी।

मान्यवर, बस्ती जिले के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को 6 साल ट्रांसफर हुए हो गये हैं लेकिन बंगला उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा है। भाई कहाँ जाय, उनका ट्रांसफर हो गया लेकिन उनके बच्चे वहाँ रहते हैं ? मैं जानना चाहूंगा कि आपके यहाँ पर कोई कायदा या कानून है या नहीं। आप इस पर ध्यान दें कि टेलीफोन जो लगा हुआ है वह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ पर लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि अगर उनको टेलीफोन घर पर देना जरूरी है तो आप एक टेलीफोन और दे दें। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी घाघरा है। इसकी बाढ़ में सारी सड़कें तबाह हो गयी हैं और उनका निर्माण भी नहीं हुआ है। एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरैया-बभनान की सड़कें हैं उसका कुछ अंश बनवाया जा चुका है और कुछ पड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र में जो उसका हिस्सा आता है उसमें एक भी इन्च नहीं बनवायी गयी है। म चाहूंगा कि आप मुझ पर तो दया दृष्टि डालें जिससे मैं अपने क्षेत्र में निकम्मा न माना जाऊं। सिकन्दरपुर-मसकिनवा की जो सड़क है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर से गुजरात और बम्बई तक के यात्री जब दर्शन करने आते हैं तो गुजरते हैं। इस सड़क की ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। मान्यवर जो पुस्तिका आपने बाँटी है उसमें उल्लेख हैं कि तमाम निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी दौड़ा करते हैं यह पुलों का निरीक्षण नहीं करते है। मैं कम से कम यह चाहूंगा कि वे पुलों का भी निरीक्षण किया करें और कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे टूटी हुई सड़कों का तत्काल निर्माण हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

इसके उपरान्त मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बजट आज पास हो रहा है उसका धन मार्च के महीने में दिया जाता है और उनको 1 महीने के अन्दर ही उस सारी धनराशि को खर्च करना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि न काम ही पूरा होता है और न धन का उपयोग ही हो पाता है, सारा पैसा प्रयोग होने से रह जाता है या उसका दुरुपयोग होता है और लोगों की जेबों में चला जाता है। मेरी प्रार्थना है कि जो बजट स्वीकार किया जा रहा है इसको साल के आखिर में, मार्च के महीने में, न देकर अपने विभाग द्वारा तुरन्त जिले के अधिकारियों के पास भेज दें ताकि समय से खर्चा होकर इसका सदुपयोग हो सके।

अब मैं आपका ध्यान अपनी तहसील अकबरपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहाँ पर एक सड़क महरुआ–दोस्तपुर (जिला सुल्तानपुर मार्ग) है, वह केवल मैथानी तक बनी है। आधी सड़क बन गयी है, आधी वैसे ही पड़ी हुयी है। उस सड़क पर कोई सवारी नहीं चल पाती है। आज भी गड्ढे के रूप में पड़ी हुयी है।

एक सड़क अकबरपुर तहसील में जो बजट में दिखायी गयी है अकबरपुर–सिकन्दरपुर से जलालपुर तक। यह सड़क जिस प्रकार से कागजों में दिखायी गयी है उस प्रकार से नहीं बनी है। बजट में यह सड़क सदापुर से जलालपुर चली गयी है। जिस तरह से यह बजट में स्वीकृत है अकबरपुर से सदापुर, सिकन्दरपुर और सुल्तानगढ़ से जलालपुर जाती है लेकिन सदापुर से ही जलालपुर चली गयी है और सिकन्दरपुर से लिंक रोड दे दी गयी है। अगर इस तरह से सड़क बनेगी तो सिकन्दरपुर के जो लोग हैं, वे अछूते रह जायेंगे। अगर इस पर कोई बस चलायी गयी तो वह सीधे जलालपुर से सदापुर जायेगी तो वहाँ के लोग इसकी सेवा से वंचित रह जायेंगे। अगर अकबरपुर से सिकन्दरपुर, सुल्तानगढ़ और जलालपुर बन गयी होती तो इसका ज्यादा उपयोग होता। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इसको दिखवा लें और जो थोड़ा सा हिस्सा बनने से छूट गया है उसको बनवाने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, फैजाबाद जिला तो पूरा का पूरा अछूता है। इसमें सड़कें बहुत कम हैं। किसी तरफ आप चले जायं, उदाहरण के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अकबरपुर से यदि आप किसी तरफ चले जायं और वहाँ से अगर फिर दूसरे जिले में जायेंगे तो बिना अकबरपुर आये, आप किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। बीच में कोई ऐसी सड़क नहीं है जिससे आदमी आ जा सके। फैजाबाद से अकबरपुर के बीच कोई ऐसी सड़क नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—
अब आप समाप्त कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री हरीराम वर्मा—
दो मिनट और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—
मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है, आप बैठिये । और समय देना सम्भव नहीं है ।

(व्यवधान)

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—
मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये है मैं उनका समर्थन करता हूं । मैं आपका बड़ा ही कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मान्यवर, जहाँ मैं एक ओर इस बजट का समर्थन करता हूं वहीं अपने बुन्देलखंड की दुर्दशा का भी चित्र आपके सामने रखना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश की जितनी भी 10 कमिश्नरियाँ हैं उनमें बुन्देलखंड कमिश्नरी सबसे पिछड़ी हुई है । जितनी भी सरकारें अब तक आयीं, चाहे काँग्रेस की आयी हो, चाहे संविद की आयी हो, चाहे यह हमारी जनता पार्टी की हो, सभी ने उसके पिछड़ेपन को स्वीकार किया है । बुन्देलखंड में जो भी सड़कें हैं वे अखिल भारतीय स्तर की हैं । एक सड़क खजुराहो होती हुई बम्बई जाती है । दूसरी लखनऊ से महोबा हो कर जाती है । इन सड़कों का हमारे यहाँ का हिस्सा बहुत ही खराब है । उन सड़कों को देखा जाये तो हमारा इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है । इन सड़कों को ठीक कराया जाये ।

भ्रष्टाचार रोकने के लिये मंत्री जी ने बताया कि जिलों में कमेटी बनायी गयी है उसके लिये मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । पर यह भी निवेदन करना है कि केवल कमेटी बना देना ही पर्याप्त नहीं है । इन कमेटीज को कुछ अधिकार भी देना चाहिये । मेरे यहाँ दो मीटिंग्स हुई हैं, वह भी ऐसे वक्त कि जब विधायक लोग यहाँ विधान सभा में व्यस्त रहते हैं या किसी काम से बाहर रहते हैं । किसी एक विधायक को बैठा लेते हैं और यह अधिकारी मीटिंग कर लेते हैं । इन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को आदेश होना चाहिये कि जो भी कमेटी के सुझाव हों उन पर वे अमल किया करें और उनकी कार्यवाही की एक प्रति आपके यहाँ भी आये जिससे कि आप भी गतिविधियों को देख सकें । दूसरी बात बुन्देलखंड की सड़कों के विषय में मैं कहना चाहता हूं । मैंने बजट भी देखा, अनुदानों का जो एक चिट्ठा बनाया गया, वह भी देखा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बुन्देलखण्ड में जो काँग्रेस रिजीम में सड़कें प्रस्तावित हुईं, बन रही हैं, अधिकतर देखा जाता था कि शिलान्यास की बाढ़ आ गयी थी, परन्तु एक दो किलो मीटर बनवा दिया बाकी पड़ी हुई है । सैकड़ों ऐसी सड़कें पड़ी हुई हैं पोरारावेरी रोड आज भी वैसे ही पड़ी हुई है । मैंने पिछले साल भी प्रयास किया और आज भी प्रयास किया, लेकिन पूरी नहीं बनाई गयी । कानपुर-सागर रोड मिलिट्री के दृष्टि कोण से और यातायात के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है । इसकी बड़ी ही दुर्दशा की हालत हैं और हमें लगता है कि जैसे कि हम आदि काल में रह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—
मान्यवर, एक सुझाव मैं देना चाहता हूं । भाषण मैं नहीं देना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ओंकार नाथ—

आज का दैनिक जागरण मैंने पढ़ा। इसमें लिखा है कि महोबा पी0 डब्लू0 डी0 के आफिस में दिन भर जुआ खेला जाता है। हमीरपुर पी0 डब्लू0 डी0 कार्यालय में अधिकतर कर्मचारी वाइन और वोमन का खुला व्यापार करते हैं और आपस में एक दूसरे पर लात-जूता करते हैं। पर्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आपकी सभी योजनाएं फेल रहेंगी और पूरी नहीं हो पावेंगी। यह हाल बुन्देलखंड के सभी जिलों का है। बहुत सी सड़कें कागज में पेंटेड और मुकम्मल दिखायी गयी हैं, परन्तु मौके पर कच्ची पड़ी हुई हैं जिनमें वेवार-मौदहपोड तथा मुस्करा-चरखारी रोड हैं। इनकी जाँच कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

बाकी सुझाव आप लिख कर माननीय मंत्री जी के पास भेज दीजिये।

(श्री बाबू बदरे के खड़े होने पर)

बाबू बदरे, आपका क्या कोई सुझाव है ?

श्री बाबू बदरे —

जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने बजट में प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ में मेरा एक छोटा सा सुझाव भी है। वह सुझाव यह है कि दारुलशफा से आने वाली सड़क जो है, वह अगर अन्डर ग्राउन्ड सुरंग बना दिया जाय या ऊपर से पुल बनवा दिया जाय ताकि आने वाले जो हमारे नवजवान विधायक व जनता के लोग हैं, उनकी जान की रक्षा हो सके। वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। यही मेरा सुझाव है और कोई सुझाव नहीं है।

श्री नाथू राम शिक्षक—

मुझे मौका दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक माननीय सदस्य बोलते रहेंगे, तब तक यह सदन चलेगा।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी कई योजनाओं के अन्तर्गत कार्य करा रहे हैं उस पर पुनर्विचार करके अवश्य निर्णय लें। जिस तरीके से योजना के अन्तर्गत जो गाँवों से पक्की सड़कों को जोड़ने का कार्य हो रहा है, मान्यवर यह काम कभी भी इस तरीके से पूरा नहीं हो सकता। इस निर्माण कार्य की जिम्मेवारी क्षेत्र समितियों के ऊपर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस काम की दुर्गति के बारे में यह अपना कुछ जगहों का दौरा करके देख लें कि क्या स्थिति है। ऐसे ग्राम विकास, नियोजन कमेटियों की मीटिंगों में भी मान्यवर, हमने यह बात उठाया था। हमारे क्षेत्र में 4–5 मीटिंगें जिले में हुईं, उन मीटिंगों में हमने अपने क्षेत्र की 3–4 सड़कों का जिक्र किया। उन सड़कों के बनाने की बात तय हुई। उस क्षेत्र के लोग काम करने के लिए तैयार हुए लेकिन मान्यवर, करीब 4–6 बार दौड़कर जाने के बाद, क्षेत्रीय विकास अधिकारियों से मिलने के बाद काम शुरू नहीं हुआ और अन्त में उस तक आते-आते अब जब जमीन बिलकुल शख्त हो गयी है, जमीन पर मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं तो फर्ज अदायगी के तौर पर थोड़ा सा अब काम शुरू हुआ।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गाजीपुर जिले के जिस क्षेत्र की मैं बात करता हूं वहाँ पर 30 वर्ष उधर और 2 वर्ष इधर 32 वर्ष के अन्दर मान्यवर, वह क्षेत्र बिलकुल उपेक्षित रहा। उसका एक ही कारण रहा है कि वहाँ से बराबर कोई न कोई कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक चुन कर आया है। मन्त्री जी समग्र क्रान्ति की पौध है, जरूर कोई ऐसा कदम उठायें जिससे यह प्रकट हो कि इन्होंने पक्षपात नहीं किया।

[श्री जयराम]

आजमगढ़ जिले की एक सड़क है बहादुरगंज -कासिमबाद-मोहम्मदाबाद, उस पर एक पुल है जिस पर किसी न किसी दिन घटना घटेगी। सड़क चालू है, लकड़ी का पुल है जो जर्जर है। उसी तरह से बहादुरगंज के पास एक ही जिले के कुछ गाँवों को एक नदी बाँटती है। अगर कोई बड़ा निर्माण नहीं करा सकते तो एक पीपे का पुल दे दें क्योंकि बहुत पीपे खाली हुए हैं। एक ही गाँव के किसानों के कुछ खेत इधर कुछ उधर है, वहाँ बराबर कोई न कोई आदमी डूब मरता है। एक सुझाव और दूंगा कि किसी भी सड़क को लें तो जहाँ वह मुख्य स्थान पर मिले, वहाँ तक पूरा किया जाय। 2, 3, 4, 5 किलोमीटर का बंदर-बाँट करके पैसे का दुरूपयोग करते हैं। अधिकारियों से लेकर माननीय सदस्य कह रहे थ कि कमीशन को कानूनी रूप दे दिया जाय। इस कानूनी रूप दे दिया जायगा लेकिन वह अधिकारियों तक सीमित नहीं है वह मंत्रि मण्डल के मंत्री लोगों तक है। अगर ऐसा न होता तो क्या ये लोग नहीं देखते हैं जो सड़कों पर निर्माण हो रहा है।

अंग्रेजों के जमाने में भी बनी, उस समय कंकड़ को 3–4 बार छान कर सड़क पर डाला जाता था आज आधी मिट्टी आधा कंकड़ डाल कर पिच रोड की शकल दी जाती है। इसका कोई समय निर्धारित किया जाय कि सड़क बनने के बाद कितने दिनों की जिम्मेदारी होगी। निर्माण कार्यों में जो इस तरह का भ्रष्टाचार है अगर आपका दामन साफ है। रामरती जी या हमारे माननीय सदस्य यह कहने को मजबूर हैं, 30–32 साल तक जो स्थिति रही, वही स्थिति फिर न आवे, शायद सरकार बदलने के बाद इधर भी आप आवें तो अपना जूता से अपना मुंह न पीटें। हिम्मत के साथ अपनी बात कह सकें।

श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग बहुत महत्वपूर्ण और विलक्षण विभाग है। महत्वपूर्ण इसलिये कि सारा विकास इस पर आश्रित है और विलक्षण इसलिये कि भ्रष्टाचार की चरम परिणित है इसमें। मैं और इसके संबंध में ज्यादा नहीं कहूंगा मात्र प्रतापगढ़ जनपद की इस विभाग से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सड़कों के लिये इतना हम लोग कहते हैं किन्तु मैं सखेद कह रहा हूं कि गत वर्ष 45 लाख रुपये की धनराशि जो सड़क निर्माण के लिये थी वह सरेंडर कर दी गयी। प्रतापगढ़ जनपद में। मैं माँग करता हूं कि मंत्री जी जो अधिकारी उस समय रहे हों उनसे जबाव तलब किया जाय और पूछा जाय कि जहाँ सड़कों की निर्माण की इतनी आवश्यकता है वहाँ ऐसा क्यों किया गया है?

मान्यवर, एक पुल की चर्चा करूंगा। हमारे बीरापुर क्षेत्र को सई नदी ने दो पाटों में बाँट दिया है? एक पाटे से दूसरे पाटे को पहुंचने में कोई 40 कि0मी0 चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। क्योंकि एक पाटे के नागरिक पहले प्रतापगढ़ सदर जाते हैं तब दूसरे पाटे में वह प्रवेश करते हैं और तहसील के मुख्यावास पट्टी पहुंच पाते हैं। इसलिये सई नदी पर जामकाली के पास पुल बनाना नितान्त आवश्यक है। इस पुल की अत्यन्त आवश्यकता है। 12 अप्रैल, 1979 को प्रतापगढ़ सार्वजनिक निर्माण समिति की बैठक हुयी थी उसमें यह पुल प्रथम वरीयता में प्रस्तावित है और उसकी आख्या संबंधित अधिकारियों को आई भी होगी। तो मैं चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इस सदन में सन् 67 से निरंतर कहता आ रहा हूं, इस समस्या को मंत्री लोगों ने जाकर देखा भी है लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पुल का निर्माण अब तो करवा दें। मान्यवर, एक 100 वर्षों की पुरानी सड़क जिसे फतनपुर–बीरापुर मार्ग कहा जाता है आज तक उपेक्षित है। बड़ी विडंबना रही है कि गत वर्ष यह मार्ग नं0 1 पर प्रस्तावित हुयी थी लेकिन 2 मंत्रियों के दायित्व परिवर्तन एवं घटक बाद ने इसे बनने नहीं दिया पहले माननीय रेवती रमण जी थे उन्होंने प्रतापगढ़ की समिति की बैठक किया और इसको प्रथम वरीयता मिली, उसके बाद पता नहीं कैसे माननीय केशरी नाथ जी हो गये जो नम्बर एक पर स्वीकृत

फतनपुर–बीरापुर सड़क, को उन्होंने बनाने से रोक दिया। बोर्ड लग गया था बनाने के लिये ठेका दे दिया गया था, नाप जोख हो गयी इस सब के बावजूद भी यह सड़क रुक गयी। तो मैं प्राथमिकता की दृष्टि से कहना चाहता हूं कि अगर इस जनपद में कोई सड़क बने तो पहले फतनपुर–बीरापुर सड़क का निर्माण अवश्य कराया जाय। मान्यवर, गत वर्ष कोई भी पिच रोड प्रतापगढ़ जनपद में नहीं बनायी जा सकी, क्यों नहीं बनायी जा सकी, मैं तो यही कहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही है। मैं कुछ सड़कों के नाम गिना कर जिनका प्रत्येक दृष्टि से निर्माण नितान्त आवश्यक है, स्वयं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष––

आप इनको लिखकर भेज दीजियेगा।

श्री राम देव दुबे––

मान्यवर, दीवानगंज–बेलहर नाथ, रखहा–कन्हई, दीवानगंज–कोहरौड़ सड़कें बनाने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा मंत्री जी इन सड़कों का निर्माण करा दें। इसके अतिरिक्त अति आवश्यक जो बार-बार कह चुका हूं जामकाली के पुल का निर्माण अवश्य करा दें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)––

मान्यवर, प्रदेश के गाँवों के सर्वोतोमुखी विकास के लिये सड़कें व पुल एक प्राथमिक शर्त है। यदि किसी प्रदेश के गाँवों में सड़कें नहीं है तो उस प्रदेश के गाँवों का विकास होना संभव नहीं है। मान्यवर, यह बड़े दुख की बात है कि आजादी के 30–32 साल हो गये लेकिन कांग्रेसी सरकारों का ध्यान इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर नहीं जा सका है। यह फक्र की बात है कि जनता पार्टी की सरकार जबसे बनी तबसे सरकार का ध्यान सड़कों और पुलों की तरफ गया है। मान्यवर, जनता सरकार के समय में जितनी सड़कों और पुलों का निर्माण हुआ शायद उतनी 32 साल के आजादी के इतिहास में किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि सड़क और पुल गाँव के लोगों को एक नया जीवन और नई रोशनी देते हैं।, इसलिये यह बहुत जरूरी है कि जहाँ पर आज तक आजादी की किरण तक नहीं पहुंची है जो यह नहीं समझ सके कि आजाद भारत और गुलाम भारत में क्या फर्क है, वहाँ सड़कों के जरिये ही गाँवों के लोगों को यह फर्क समझाया जा सकता है। आज भी ऐसे गाँव पड़े हैं जहाँ यह नहीं जानते कि देश आजाद हुआ कि नहीं। ऐसे गाँवों को सड़कों से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। मैं तो कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान गाँवों में सड़कें बनाने की तरफ जितना देना चाहिये था उतना नहीं दिया है। मान्यवर, बजट में जो धनराशि इस कार्य हेतु रखी गयी है उसको दुगुना करना चाहिये था क्योंकि बिना इसके गाँव में विकास संभव नहीं है।

मान्यवर, खाद्यान्न योजना नं0 4 के अन्तर्गत जो मिट्टी का काम शुरू हुआ है यदि उस मिट्टी पर बरसात के पहले खड़ंजा नहीं बिछाया गया तो वह सरकार का अपव्यय कहा जायेगा और इससे बड़ा नुकसान होगा। इसलिये मंत्री जी का ध्यान खड़ंजा बिछाने की ओर जाना चाहिये और नं0 2 में सड़क को चाहे एक साल बाद लें, नहीं तो बरसात में मिट्टी बह जायेगी और जो धन तथा श्रम लगा है वह बेकार हो जायेगा। यहाँ पर मैं एक बात का उल्लेख कर देना चाहूंगा कि नम्बर 4 खाद्यान्न की योजना में जो मिट्ठी का काम होता है, अमूमन देहात में यह होता है। आमतौर से यह मनोवृत्ति काम करती है कि हमारे खेत न जायं चाहे दूसरे के चले जायं। इसलिये सड़कों में रुकावट हो जाती है। इसलिये माननीय मंत्री जी को खाद्यान्न योजना में प्राविधान करना चाहिये कि इसमें जमीन को एक्वायर

[श्री मोतीलाल देहलवी]

किया जाय। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार इस तरह का प्राविधान अभी नम्बर 4 खाद्यान्न योजना में नहीं है।

मान्यवर, मकनपुर से रसूलाबाद का मेरा एक ऐसा क्षेत्र है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, जहाँ पर सड़कों के अभाव से लड़के-लड़कियों की शादी नहीं होती। लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे बेटी-बेटियों की शादियाँ रुकी हुयी हैं। लोग कहते हैं कि कहाँ जंगल में जायं। इसलिये शादी नहीं करते। पिछले मंत्री जी ने इस बात को महसूस किया था कि यह सड़क बहुत आवश्यक है। तो मंत्री जी ने साढ़े 10 किलोमीटर प्रथम चरण में और डेढ़ किलोमीटर दूसरे चरण में सड़क स्वीकृत कर दी थी। मुझे मालूम हुआ है कि वह सड़क 10 किलो मीटर पक्की बनने जा रही है। केवल 33 किलोमीटर लम्बी सड़क है और बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क मध्य प्रदेश और इटावा तक जाती है। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इसी सड़क पर, मान्यवर, एक मेला मकनपुर में लगता है। मकनपुर ईसन नदी में, मान्यवर, हर साल 3/4 जाने चली जाती है पुल न होने की वजह से। मैं, आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी, चूंकि, पिछले मंत्री वहाँ पर पुल बनाने के लिए कह आये थे। इसलिए मैं, आपके माध्यम से, मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ईसन नदी पर जो हर साल जाने जाती है' मकनपुर में एक पुल का निर्माण करा दें तो उस क्षेत्र की सारी जनता आपकी बड़ी आभारी होगी।

इन शब्दों के साथ, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं, उसका समर्थन करता हूं।

श्री देवकी नन्दन (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं।

मान्यवर, अभी मैंने कुछ कमीशन की बात सुनी। कमीशन हमारे अधिकारी खूब खाये, हम छूट देते हैं। लेकिन जो शिड्यूल है, सामग्री है, सड़क बनाने का जो टाइम है, उसके अनुसार काम किया जाय। एक टाइम दे दिया जाय कि इतने दिनों तक सड़क खराब नहीं होनी चाहिये। अगर इसके बीच सड़क खराब होती है, तो उस ठेकेदार, जूनियर इंजीनियर या चीफ इंजीनियर साहब की प्रापर्टी से कुर्की करके वह धन वसूल किया जाय। इस तरह से गंदगी को मौका नहीं मिलेगा। यह मेरा सुझाव है।

इसके बाद मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। मान्यवर, पटनपुरवा रोड जो नम्बर 1 में काफी दिनों से चली आ रही है और जब-जब प्रश्न करता हूं कह दिया जाता है कि जमीन एक्वायर की जा रही है। जमीन कब एक्वाबर होगी? कब सड़क बनेगी? हमको 100 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। अगर वह 10 किलोमीटर का टुकड़ा बना दें तो पुरवा का रास्ता नजदीक हो जावेगा। साथ ही साथ अचलगंज पुरवा सड़क है जो तीन विधायकों के क्षेत्र को जोड़ती है। इस सड़क पर थोड़ी-थोड़ी मिट्टी कई बार पड़ चुकी है और बह जाती है। अतः इसको शीघ्र पक्की बनायी जाय तो इस क्षेत्र का विकास होगा।

माननीय निराला जी की जन्म भूमि गढ़ा कोला तक बीघापुर रेलवे स्टेशन से जोड़ दी जाय। इसमें बड़े-बड़े गाँव पड़ते हैं।

अगर शहीद राव राम बक्श सिंह जिन्होंने सन् 1857 के गदर में अंग्रेजों का विरोध किया था इनका महल व किला गिरा दिया गया था। धानीखेड़ा से डौड़िया खेड़ा तक सड़क बना दी जाय क्योंकि हमारे लोग देश भर से उन के खंडहरों को देखने आया करते हैं। अगर यह सड़क बन जाती है तो हमारे रायबरेली, खीरी, मोरानपुरवा, अचलगंज

जो कानपुर के बहुत नजदीक हो जायेंगे, क्षेत्रों का विकास होगा। माननीय निराला जी की भूमि गढ़कोला की सड़क अभी तक नहीं बन पायी जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। एक सड़क कालीखेड़ा जौनीखेड़ा है बहुत जरूरी है।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सड़के बनाने से पहले आप एक नीति तय करिये कि जो सड़कें बनेंगी उनकी उम्र कितनी होगी। यह सुझाव सबसे महत्वपूर्ण है। तभी हम इस गन्दगी को दूर करने में सफल होंगे।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

**श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)**—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जो आपने निर्माण विभाग के अनुदान पर बोलने का मुझे समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो सात साल से इस विधान सभा में सदस्य रहा हूं। तीन बार चुन कर आया हूं। । लेकिन मैं यह देखता हूं कि चाहे कितने भाषण दिये जायं, कितने सुझाव दिये जायं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता और बात कागज पर रह जाती है। मैं निर्माण कमेटी उत्तर प्रदेश का भी सदस्य हूं। 23 जनवरी को निर्माण कमेटी की बैठक हुई जिसमें मैंने 6 सुझाव दिये थे कि इनको बजट में रखा जाय। न तो उनका कोई अनुकरण किया गया न कोई जबाव ही दिया गया और न बजट में ही उनकी कोई व्यवस्था की गयी जैसा आप को बताता हूं। इलाहाबाद–जौनपुर–प्रतापगढ़–मिर्जापुर को जोड़ने के लिए तीन तरफ से सड़कें बनाई गई हैं लेकिन एक स्थान है बरना नदी पर जघंई-दुर्गागंज जहाँ पर पुल नहीं बन सका जिसके कारण वहाँ पर आवागमन बीस साल से बंद है। चाहे इस तरफ से आये तो इस तरफ नदी के किनारे पर खड़े पड़े रहते हैं और चाहे उस तरफ से आयें तो उस तरफ के किनारे पर रुक जाना पड़ता है। नदी के किनारे घण्टे दो घण्टे खड़ा रहना पड़ता है। मजदूरों द्वारा सामान उतार करके सर पर लाद कर इस पार और उस पार ले जाया जाता है। इस तरह से अगर इस सरकार की भी व्यवस्था रहेगी तो कैसे विकास होगा। मैंने यह सुझाव निर्माण कमेटी में दिया था लेकिन कोई भी इस की बजट में व्यवस्था नहीं की गयी।

इसी तरह से मेरा एक सुझाव पुलों के बारे में था इलाहाबाद जिले और बनारस जिले कोनिया क्षेत्र को जोड़ने के लिए। देलाकटरा के बीच में गंगा नदी पर एक बहुत बड़ा नाला है। माननीय श्यामधर जी भी उस क्षेत्र से विधायक हैं और मैं भी इस पार से चुन कर आता हूं। उस नाले के पास हंडिया, तहसील है, पोलीटेक्निक कालेज है, डिग्री कालेज है, आयुर्वेदिक कालेज है। लड़के बरसात के समय बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। 40 किलो मीटर दूर से साइकिल से आकर कालेज पहुंचते हैं। मैंने निर्माण कमेटी में यह सुझाव भी रखा था कि इस नाले पर अवश्य पुल बना दिया जाय ताकि जनता को राहत मिले।

इसी तरह से मेरा एक सुझाव था कि इलाहाबाद जनपद में हंडिया तहसील में बरौत, बिठौली के बीच आठ किलोमीटर की सड़क है। वहाँ पर दो तीन स्थानों से सड़कें आ कर मिलती हैं। इस आठ किलोमीटर सड़क का उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसी तरीके से असढ़िया, सैदाबाद सड़क है उसका भी निर्माण नहीं हुआ है। मैं नये सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों के बल पर हमारे सुझाव कागज पर रह जायंगे तो हम लोग जनता के सामने क्या मुंह दिखायेंगे। इन शब्दों के साथ जो बजट अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग का ताल्लुक जितना पब्लिक से है उसकी अहमियत की वजह से जाहिर है कि यहाँ के विधायक उसमें ज्यादा से ज्यादा खयालात प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनका बहुत ज्यादा संबंध इन तमाम चीजों से है। जो कुछ कहा गया है उस पर और भी कहा जा सकता था लेकिन वक्त की कमी की वजह से मेम्बर साहबान ने अपने विचारों का इजहार नहीं किया और यही मेरी भी मजबूरी थी। मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है और अपनी मजबूरियों का इजहार किया इसमें कोई शक नहीं कि मजबूरियाँ उनके लिये है लेकिन वह मजबूरियों को दूर कर सकते हैं। मैं उनसे यह कहना चाहती हूं कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से जैसे अन्य बातों में पीछे है उसी तरह से पी0डब्लू0डी0 में भी पीछे है। मंत्री जी ने खुद बताया जहाँ और सूबों में 1 लाख की आबादी में 175 कहीं तथा कहीं 157 किलोमीटर सड़कें हैं वहाँ हमारे यहाँ 45 किलोमीटर है। मैं उन लोगों से इत्तिफाक करती हूं जिन्होंने कहा कि पिछले तीस साल में कांग्रेस के जमाने में सड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इसमें कोई शक नहीं अगर ज्यादा ध्यान दिया जाता तो आज हमारे सूबे की यह हालत न होती। मैं सरकार को जरूर मुबारकबाद दूंगी क्योंकि दो साल में उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिसके लिये वह मुबारकबाद के मुस्तहक है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि पंजाब तथा हरियाना में जो जगमगाहट होती है बिजली तथा सड़कों की वजह से उसके लिये वह प्रताप सिंह कैरों की जो नीति थी उसको अपनायें और वह डायनिज्म पैदा करें, अपने अफसरों को बुला कर कहें कि तुमको इतने दिनों में इतनी सड़कें बनानी होंगी, अगर नहीं तैयार होंगी तो उन अफसरान को आप सजा दें? सड़कों की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि इनका सम्बन्ध कृषि से तथा इंडस्ट्रीज से और सब बातों से है। इसके लिये जरूरी है कि हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछे।

मैं अपने क्षेत्र के लिये दो-तीन सुझाव देना चाहती हूं। एक तो यह संडीला से गदौरा तक वाया ककराली, मुन्नूखेरा, जेसखेड़ा घाट तक अगर सड़क बन जायेगी तो साथ ही पुल भी बन जावेगा। सड़क तथा उसकी वजह से लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा होगी दूसरे बकोई चाँदाबेघा के बीच में बहेता नाला है उस पर पुलिया बनना चाहिये। तीसरे कासिमपुर से रामपुर खंजरी तक सड़क बन जाय। उन्नाव की ओर सीमऊ से बनकर परथामा तक सड़क बन गयी है। परथामा से रामपुर खजड़ी सिर्फ एक मील है। अगर यह एक मील बन जाय तो संडीला से उन्नाव तक सड़क हो जायगी। इसी तरह से संडीले से असई आजमपुर तक सड़क का प्लान है मगर वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसे पूरा कराने की मेहरबानी की जाय। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे समय दिया, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार जो योजना बनाती है उसको पूरा करें और बजट जैसे ही पास होता है उसे विभाग को फौरन मिल जाना चाहिये। ताकि काम पूरे साल सही तरीके से हो सके।

**व्यापारियों द्वारा अपनी हड़ताल बिना शर्त वापस लिए जाने के सम्बन्ध में सूचना**

स्वास्थ्य एवं आबकारी मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि लखनऊ के व्यापारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला कर लिया है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबेरे ही घोषित किया था वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर समाप्त होने की सम्भावना नहीं है। वह बात अपनी जगह पर है। इसके अतिरिक्त पिछले तीन-चार दिनों में जो वाकयात हुये हैं उसकी जाँच लखनऊ के कमिश्नर करेंगे। 7 दिन तक जो सर्वे दल है वह अपना कार्यक्रम स्थगित रखेगा और फिर शुरू करेगा। इसके साथ ही जो और परेशानियाँ व्यापारियों को हैं उसके सम्बन्ध में कार्यविधि को लेकर उनको दूर करने के लिये शासन ने तय किया है और व्यापारियों ने बिना शर्त अपनी हड़ताल वापस ले ली है।

## 1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 29, 43, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 87, 107 सार्वजनिक निर्माण विभाग (क्रमागत)

*श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

मान्यवर, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं केवल दो-चार सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ले जाना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ों के कटान और सड़कों के निर्माण से जो भू:स्खलन से जो क्षति हो रही है और मैदानी भागों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसके लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पहाड़ों पर जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसमें भूमि की किस्म और पहाड़ों की स्थिति और रचना को ध्यान में रखते हुए किया जाय। मान्यवर, मैं समझता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कोई ऐसा वैज्ञानिक यंत्र नहीं है जिससे यह पता लग सके अनेक जगह पर इस तरह से निर्माण कार्य करके क्षति हो सकती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि पहाड़ों के लिए विशेषज्ञों द्वारा सर्वे कराया जाय और उसकी जानकारी करा ली जाय ताकि आने वाले समय में धन और जन की क्षति न हो और पहाड़ों में जो गाँव हैं, जो लोग बसे ह उनके पुनर्वास की समस्या न हो। जो करोड़ों रुपया पुनर्निर्माण में लग जाता है वह बचाया जा सकता है। इसलिये मंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर यह करायें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की कठिनाइयों को देखते हुए वहाँ के डिवीजनों को बढ़ाया जाय ताकि जो कार्य आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे हैं उनको आपके अधिकारी समय से देख सकें, वहाँ पहुंच सकें। वर्षाकाल में आपके अधिकारी निर्माण स्थल पर पहुंच नहीं पाते हैं। और हेमन्त में बर्फ से ढंक जाने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहाँ पर डिवीजन बढ़ाने की व्यवस्था कर दें।

मान्यवर, पहाड़ों में मोटर ही एक यातायात का साधन है और जब सड़कें बनेंगी तभी मोटर चल पायेंगे। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। वर्षा काल में तथा बरफ गिर जाने से वहाँ पर यातायात ठप हो जाता है। यहाँ तक कि लखनऊ आने में पिथौरागढ़ से मुन्स्यारी होते हुए 7/8 दिन लग जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी विभाग में कोई मशीनरी की व्यवस्था करें जिससे बर्फ साफ हो सके। इन शब्दों के साथ मैं पुनः मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री नेम सिंह चौहान को सम्बोधित करते हुए)

बात ऐसी है कि जो सड़कें आपके यहाँ की हों केवल उन्हीं के विषय में कह दें और तीन-चार मिनट से ज्यादा न लें जिससे सभी माननीय सदस्य बोल सकें।

(श्री मान सिंह आजाद के खड़े होने पर) आप कृपया बैठ जायं। मैंने श्री नेम सिंह चौहान को बुला लिया है। अभी आपको मौका नहीं दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ओर से बेचैनी व्यक्त की गयी। जनता पार्टी ने यह मत व्यक्त किया था कि गाँवों के विकास को हम प्राथमिकता देंगे। हमारे सार्वजनिक निर्माण मन्त्री उसी गरीब गाँव से और गरीबी से आए हैं जिसकी उन्हें बहुत बड़ी टीस हैं। मुझे स्मरण है जहाँ आज माननीय सेहरा जी बैठे हैं वहाँ जब चौधरी साहब या दूसरे लोग बैठते थे तो उन्होंने यह मत व्यक्त किया था कि जब कभी सत्ता में आयेंगे तो हम गाँवों की ओर ध्यान देंगे। पिछले दिनों प्रयास किया गया कि डेढ़ हजार तक की आबादी के गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया जायगा यह बहुत बड़ा काम है।

माननीय मिश्रा जी बड़े बेचैन हैं तो माननीय मन्त्री जी कोई ऐसी योजना बनायें जिस तरह की नगरों के विकास के लिए 20 साला योजना बनी हैं जिसमें ऋण का भी प्राविधान है गाँवों के लिए भी बनायें। यह छोटा सा बजट हैं, अब तक यह प्रणाली रही कि इतना अमुक का कोटा हैं, इतना विधायक के कोटे में सड़क बनेगी इतना एम0 पी0 के कोटे में सड़क बनेगी यह समाप्त होनी चाहिए। सभी लोग बेचैन हैं। यह जो सारे ब्लाक्स से सड़कें आई हैं वह कैसे बनाई जायं इस पर विभाग के अधिकारियों से बैठकर निर्णय लें। आज हमारे विभाग की हालत क्या हैं। मैंने गत वर्ष एक प्लान बनाकर दिया माथुर साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि आप कार्यालय में आकर आबदी साहब से मिल लें। तो जब मैं उनसे मिला तो आबदी साहब बड़े परेशान थे, दफ्तर के बाबू को नक्शा नहीं मिला। 30 साल के काँग्रेस शासन में यही हुआ तो वह चीज नक्शे में भी नहीं थी। तो यह सारी शिथिलता कैसे दूर की जाय, यह जो भ्रष्टाचार की बातें कही गयी हैं उनको कैसे दूर किया जाय। इन पर बैठ कर सबको निर्णय करना है। अभी मन्त्री जी ने एक समिति बनवा दी जिला स्तर पर। मैं समझता हूं कि प्रत्येक ब्लाक की 150, 200 कि0मी0 सड़कें नहीं बनेगी तो कैसे काम होगा? तो मन्त्री जी यह भी सुझाव सदस्यों को देने की कृपा करें कि यह काम कैसे पूरा होगा? जो सड़कें बन रही हैं इनमें जो मिट्टी का काम हो रहा है वह भी पूरा नहीं हो रहा है। 18 आपकी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन काम ठीक से किसी में नहीं हो रहा है। जब तक इसके लिए कामन-पूल नहीं होगा तब तक काम ठीक से नहीं होगा। आप इसके लिए आदेश दें। गत वर्ष विकास खण्डों को धन दिया गया उसमें अन्न का उपयोग तो हो गया, लेकिन सड़को की वही स्थिति बनी हुई है जोकि पिछले काँग्रेसी शासन में थी, मैं चाहूंगा कि इन सड़कों को पक्की करने के लिए आप एक सुनियोजित योजना बनायें तभी काम बनेगा। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं. . . .

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

तीन आदमी उधर हो गये हैं हमें समय नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं सदन छोड़ कर जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसलिए न जाइए कि मौका नहीं मिला आपको समय मिलेगा।

(श्री मन्जूर अहमद सदन त्याग कर चले गए)

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री जी कम से कम इतना प्रयास करें कि उनका विभाग जो कछुवे की गति से चलता है उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गति आए। छोटी-छोटी पुलिया बनाने में तीन-चार साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ मैनपुरी स्टेट में एक पुलिया बनाने में तीन साल से ऊपर लग गये फिर भी वह नहीं बनी कभी उसमें स्लैब पड़ गए फिर बरसात आ गई। वह तीन साल बाद बन पाई। इनके अधिकारी आराम से कूलर में लेटकर काम करते हैं, मौके पर मजदूर काम करते हैं। कभी मन चाहा तो चले गए, नहीं तो नहीं जाते हैं। तो मेहनत करने की व्यवस्था नहीं की गयी तो विकास का कोई काम ठीक नहीं हो पायेगा। तो श्रीमन्, आप अपने प्रशासन को चुस्त करें और भ्रष्टाचार रोकें।

हमारे यहाँ कम्पेल एक तीर्थस्थान है, खास कर जैनियों का और यों सभी धर्म के लोग वहाँ आते हैं। वह स्थान रास्तों से जुड़ा नहीं है, जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती हैं। बूढ़ी गंगा का एक पुल बन रहा है, उसके ऊपर सड़क पर मिट्टी का काम हो गया है, आगे का काम नहीं हो रहा है, उसे कराया जाय। विभाग के इंजीनियर निर्माण सामग्री के उपलब्ध न होने के कारण उसको बनवाने में असमर्थ हैं। रुदायन और अलीगंज मिल जाएं तो बड़ी सुविधा होगी। कुछ जिले बहुत पिछडे हैं, हमारा फर्रुखाबाद जिला सड़कों के मामले में सबसे पीछे है और वह अपराध बाहुल्य क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। वहाँ हत्या और डकैती हो जाती है, तो थाने तक पहुंचने में दो दिन लग जाते हैं और फिर दो दिन में पुलिस पहुंचती है। तो ऐसे 7 जिलों के लिए, जिसमें फर्रुखाबाद सबसे पिछड़ा जनपद है, आप विशेष कोटा निर्धारित करें। मेरे क्षेत्र में जहाँ सड़कें बन गयी हैं वे भी मार्ग में पुलिया न होने के कारण बेकार पड़ी हैं। इसमें प्रमुख बधार का नाला है, जो नहीं बना है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में बड़ी कठिनाई है। इसी तरह से समशाबाद से ढाईघाट तक जो सड़क है, उसके मार्ग में भी पुलियों का काम पूरा कराया जाय। तो इस जिले की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

*श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, मैं अपने मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जिला ललितपुर नवीन जिला है, यहाँ कुछ सड़कें 1971–72 में बनना शुरू हुई हैं, उन पर अभी तक लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर सड़क निर्माण के साधन रोड रोलर, ट्रक आदि नहीं भेजे गये हैं। और वहाँ पर इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी भी नहीं हैं। वह जिला बन गया है, लेकिन साधन नहीं हैं जिससे 8 साल पुरानी सड़कें पूरी हो सकें। साथ ही जो खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कें बनाई गई हैं उनको जल्दी से जल्दी आप पक्का करने की व्यवस्था करें, अन्यथा वारिश में सड़कें बह जायेंगी।

(व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मुझे दो मिनट का आप समय दे दें। मैं केवल दो मिनट मांग रहा हूं, लेकिन आपने दिया नहीं।

(श्री राम लखन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मन्त्री का भाषण करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम लखन को मैंने बुलाया है। उनको बोलने दीजिए। फिर प्रस्ताव पेश कर दीजिएगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस बन्द करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय मैंने उनको बुला लिया है।

श्री राम लखन (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री मान सिंह आजाद—

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा।

श्री मान सिंह आजाद—

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको मना कर दिया है, आप बिला इजाजत बोल रहे हैं। यह लिखा नहीं जायगा।

श्री मान सिंह आजाद—

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। यह लिखा नहीं जायगा।

श्री मान सिंह आजाद—

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए मान सिंह जी।

श्री मान सिंह आजाद—

[ × × × ]

श्री उपाध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इसके ऊपर बहस बन्द करवा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं श्री राम लखन को बुला चुका हूं। यह अभी तक कभी नहीं बोले हैं।

*श्री राम लखन—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया। मेरा जनपद इटावा नौ नदियों से घिरा है, उसकी ओर मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनपद इटावा में नौ नदियाँ हैं—क्वारी, चम्बल, जमुना, सेंगर, अनहैया, पुरा, अरिन्द और पाँडु। यहाँ पर सदैव डाकुओं का आतंक रहता है। उसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में सड़कों की कमी के कारण पुलिस की सहायता समय पर नहीं पहुंच पाती। डाकुओं का आतंक रहने से उस क्षेत्र की जनता सदा भयभीत रहती है। मेरा सुझाव यह है कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक सड़कें बनाने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, सहसों के पास एक नाला है जिसमें हर साल 60 हजार रुपए की मिट्टी का काम होता है। वह मिट्टी हर साल बरसात

---

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के पानी से बह जाती है। मेरा सुझाव यह है कि उस नाले पर पक्की पुलिया बना दी जाय तो हर साल 60 हजार की बचत होगी और सरकार को आर्थिक फायदा होगा। फूप चौरेला सड़क जिस पर खड़ंजा बिछाया जा चुका है, यदि उसको पक्की करवा दिया जाय, तो उससे यातायात की बहुत सुविधा हो जायगी और यह सड़क सीधी जालौन से जुड़ जायगी। जिससे इस क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा मिल सके।

इसी के साथ मैं आपका ध्यान लखना बाई पास की ओर दिलाना चाहता हूं जो 10 साल से रुका पड़ा है। उस पर हाई कोर्ट का स्टे है। शासन को भी इसके बारे में कई बार लिखा गया है लेकिन बाई पास के ए0 और बी0 एलाटमेन्ट पर भी कार्य आरम्भ किया गया है जिससे इस क्षेत्र की जनता को यातायात की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं इसके अविलम्ब बनवाने की कार्यवही करें। कि अछल्दा से महेबा के बीच में दोनों और सड़कें बन गयी हैं लेकिन सार नदी पर पुल नहीं है, और यह पुल बना दिया जाय तो यातायात की उस क्षेत्र की जनता को बहुत सुविधा होगी। अछल्दा–महेवा–बहेड़ा मार्ग जिस पर केवल 4 किलोमीटर मिट्टी का काम हुआ है, यदि उसको पक्का नहीं किया गया तो मिटटी बह जायगी। और इस सड़क को आगे बहादुरपुर नेब्रादा ददौरा मानिकपुर रोड में मिला दिया जाय तो इटावा के लिए सीधा मार्ग हो जायगा। शासन द्वारा एक घोषणा यह की गयी कि एक हजार से अधिक आबादी वाले गाँवों को मेन रोड से जोड़ दिया जायगा। मान्यवर, इस रोड पर 5 हजार से 6 हजार की आबादी वाले सभी गाँव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र के लवेदी इन्टर कालेज की ओर दिलाना चाहता हूं, वहाँ पर बरसात के दिनों में छात्र नहीं पहुंच पाते, उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। मुगल रोड से परसपुर चन्द्र पुरी लवेदी तक सड़क बना दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिए।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि इस बहस को बन्द कराया जाये और मंत्री जी का भाषण हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की ऐसी राय मालूम होती है कि अभी चर्चा चले। वैसे आप चाहे तो मैं प्रश्न उपस्थित कर सकता हूं।

कई सदस्य—

2–2 मिनट का समय दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मुकीमुर्रहमान साहेब आपने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है ?

श्री मुकीमुर्रहमान—

आप वोटिंग करा दीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

जनता पार्टी के लोग ही इतने बेचैन हैं जिससे ऐसा लगता है कि उनका मन्त्री जी पर विश्वास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग 2-2 मिनट में अपने सुझाव दे दें। भाषण न दीजिए।

(श्री मुकीमुर्रहमान से)

आपने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया ?

श्री मुकीमुर्रहमान--

मान्यवर, नहीं वापस लिया।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, एक-एक मिनट का समय दे दीजिए। लेकिन ज्यादा समय न बढ़ाएं।

श्री उपाध्यक्ष--

इनसे कहें कि वह प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री मुकीमुर्रहमान--

मैंने वापस ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री मुकीमुर्रहमान ने जो विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव किया है उसको उन्हें वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री राम बख्श (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, मैं जिला फर्रुखाबाद की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फर्रुखाबाद में बीड़ी का उद्योग, इत्र का उद्योग, तेल का उद्योग और कपड़े की छपाई का काम प्रान्त में सबसे अधिक होता है। फर्रुखाबाद उन 6 जिलों में से है जो अपराधग्रस्त है। श्री जोहरी मल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इसका मूल कारण यह है कि वहाँ पर सड़कों की संख्या बहुत कम है। अतः मैं फर्रुखाबाद जिले की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस जनपद में अपराधों की संख्या को कम करने के लिए और क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने के लिए दूसरे जिलों के कम्पेरीजन में कहीं ज्यादा सड़क मिलनी चाहिए। जिला फर्रुखाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जिला परिषद् के माध्यम से वर्ष 1979 तक 630 किलोमीटर सड़क थी जबकि पास के जनपदों में जैसे इटावा में 725 किलोमीटर, एटा में 799, कानपुर में 984 किलोमीटर, मैनपुरी में 657, हरदोई में 900 किलोमीटर सड़कें हैं। इस प्रकार से आप देखें कि हमारे जनपद में सबसे कम सड़कें हैं जबकि वहाँ पर प्रान्त भर में ही नहीं सारे देश में सबसे अधिक आलू पैदा होता है। ऐसी अवस्था में मेरी प्रार्थना है कि इसमें और अधिक सड़कें होनी चाहिए।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

माननीय मन्त्री जी ने सदन में घोषणा की कि समितियाँ बनेगी, और बन भी गयी हैं। पिछले साल में भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियाँ बनी थीं, लेकिन उनके जो सुझाव होते थे उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता था। मैं चाहूंगा कि इन समितियों को सक्रिय बनाने के लिए आप जागरूक रहें और जो उनके सुझाव आयें उन पर अमल हो।

इस विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उतना भ्रष्टाचार किसी और विभाग में व्याप्त नहीं है। पिछले साल से मान्यवर, मसूद साहब के जमाने से भ्रष्टाचार बढ़ा है लेकिन उनको दूर करने के लिए हमारे वर्तमान मन्त्री काफी जागरूक हैं। मैं चाहूंगा कि इनके जो मुख्य अभियन्ता हैं और जो अन्य अधिकारी हैं उन पर वे कड़ा नियन्त्रण रखें और जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में शिकायतें आती हैं, उनकी जाँच करायें। एक प्रकरण में बताना चाहता हूं और कि वे देवरिया से रुद्रपुर, महुआढीह से हेतिपुर, गौरी बाजार से रुद्रपुर, देसही देवरिया से देवरिया तक सड़क बनाई जाय। इसके अतिरिक्त छोटी गण्डक के पास तरकुलवा के परासखाण गाँव के पास एक पुल का निर्माण किया गया। शून्य प्रहर में भी इस बारे में मैंने एक सुझाव दिया था कि छोटी गण्डक पर पुल बनाया जाय लेकिन 2 महीने हो गये आज तक भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई जवाब तक नहीं दिया गया। मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने अधिकारियों से उसका उत्तर तो दिलवा दें।

*श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने के लिए समय दिया। मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे क्षेत्र चरखावल में जो दो पुल बनाने की योजना मन्त्री जी ने स्वीकार की है उसके लिए मैं भूतपूर्व मन्त्री जी को और वर्तमान मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। वे दोनों ही बधाई के पात्र हैं। हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। एक सड़क चरखावल से चौपड़ा व कसौली तक की है जहाँ मिट्टी पड़ी है, अगर वहाँ बरसात से पहले खड़ंजा नहीं लगाया गया तो सारी मिट्टी बह जायगी और जितना पैसा उस सड़क को बनवाने में खर्च हुआ है सब बेकार चला जायगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठिए। जो और सुझाव हों वे आप मन्त्री जी को लिख कर भेज दें।

*श्री जागेश्वर (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे क्षेत्र फतेहपुर में 10–10 हजार की आबादी के कई गाँव हैं जहाँ यातायात के कोई साधन नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि ग्राम धापा से हिनौता मार्ग और धापा से सुरनारी ग्राम तक की सड़क को बनवा दिया जाय। असोथर से सुजानपुर माइनर पर सड़क को पक्का बनवा दिया जाय। असोथर से कठाता माइनर जो 500 किलोमीटर की है से यहाँ सड़क बनवा दिया जाय। एक और सड़क बहुआ धाता रोड है उसे गढ़मजगवाँ से मिला दिया जाय लिंक रोड से। सातो से नरैनी तक की सड़क बहुत जरूरी है। पहाड़पुर से भरवा तक और मनावा से सरकन्डी तक जो 9 किलोमीटर की है, इसे बनवा दिया जाय। यहाँ 3 पुलियाँ भी बनवा दी जायं। मटिहर से सरकन्डी तक ससुरखरीद नदी पर एक पुल बनवा दिया जाय। माइनर को पक्का करा दिया जाय। यही निवेदन करना था।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

कई माननीय सदस्य धीरे-धीरे खिसक रहे हैं। इसलिए आप ऐसा करें कि माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव लिखकर माननीय मन्त्री जी को दे दें और वे उन पर उसी तरह कार्यवाही करें जैसी कि वे यहाँ भाषण देने पर उन पर करते हैं।

एक सदस्य—

यह तो पहले भी हो सकता था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह भी देखें कि अगर कोरम नहीं रहेगा तो यह पास कैसे होगा। फिर परेशानी होगी।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द)—

हमें यह स्वीकार है। माननीय सदस्य सुझाव भेज दें।

एक सदस्य—

मान्यवर, आपने कहा कि कुछ लोग जो बोल नहीं पाए हैं, वे लिख कर अपना सुझाव दे दें, उस पर माननीय मन्त्री जी उसी प्रकार से, उसी आदर के साथ ध्यान दें जिसे वह सदन में बोला गया हो।

श्री उपाध्यक्ष—

वही महत्व रहेगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं उनके प्रति आदर प्रकट करता हूं। मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों ने जो अपनी जो भावनाएं व्यक्त की हैं, वह उनकी भावनायें हमारी बातों की पूरी तरह से पुष्टि करती हैं। हर माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि काम शुरू किए जाते हैं, समय निश्चित नहीं होता। तो मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि विभाग में जो भी काम हो उस काम के बारे में समय की निश्चितता होनी चाहिए। मान्यवर, आप देखें काम होता है विभाग में, इमरजेंसी के नाम पर अधिकारी लोग इतना मनमाना करते हैं कि करोड़ों रुपया चला जाता है। टेण्डर के द्वारा जो काम लिया जाना चाहिए, वह न लेकर कोटेशन ले लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, आप तो अपना काफी भाषण दे ही चुके हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

तो टेण्डर की जगह पर कोटेशन से काम लेकर करोड़ों रुपया इस तरह से चला जाता है। आपकी गाड़ियाँ इतनी इफिसियेन्ट नहीं हैं कि वह इन्टीरियर तक जा सकें। इन्टीरियर म अकोमोडेशन भी नहीं है। जिले से लेकर ब्लाक स्तर तक अधिकारियों को रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, बजट पास कराने के लिए चाय की व्यवस्था की गयी है, पी0डब्लू0डी0 का बाबू लेकर नरही से आया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सबके लिए है। वर्मा जी केवल आपके लिए ही नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

हमारे हरदोई जिले में सई नदी का पुल है, कई सालों से पड़ा हुआ है, पैसा निकाला जाता है, सरेण्डर कर दिया जाता है। मैंने माननीय मन्त्री जी को एक शिकायत भी लिख कर दिया था, तो हमारे पास भी लिख कर मिला कि सड़क तो पूरी हो चुकी है और बिगड़ गयी। लेकिन मालूम हुआ कि कई साल शुरू हुए सड़क को हुआ लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। मान्यवर, बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ क्षेत्र माननीय सुन्दर लाल दीक्षित का है। हैदरगढ़ से औसानेश्वर पाट, चौबीसी से कमेला, त्रिवेदीगंज से ठाकुरपुर तक, पोखरा से हसनपुर, छंदरोली से कान्हूपुर होते हुए मंझूपुर तक, मदनपुर से शाहपुरसिदरी होते हुए मंझहटर तक सड़कें वहाँ की जनता के लिए जरूरी हैं। इन पर भी माननीय मन्त्री जी गौर कर लें मैं इन बातों के साथ एक बार पुनः माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा। जिन्होंने अपना अमूल्य सुझाव रखा और माननीय मन्त्री जी को भी धन्यवाद दूंगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, वापस ले रहे हैं?

श्री राम आसरे वर्मा—

वापस का क्या सवाल है ?

एक सदस्य—

वर्मा जी इतना बड़ा काम एक रुपए में कैसे हो जायगा ?

*सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी अर्से से सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऊपर चर्चा चल रही है। सभी लोगों ने बड़ी मेहनत और विश्वास के साथ बहुत अमूल्य सुझाव दिए हैं, और जो कुछ परिवर्तन मैंने बताया करने की बात थी, वह मैंने किया। लेकिन माननीय सदस्यों के सुझाव जितने बहुमूल्य हैं, उनको मैं आगे चल कर कार्यान्वित करने की कोशिश करूंगा। एक बात यह कही कि जो माननीय सदस्य रह गये हैं बोलने के लिए वह अपना सुझाव लिख कर दे दें। जो कुछ वह लिख कर देंग, वह उनके सुझाव उसी तरह से, उसी आदर और सम्मान के साथ माने जायेंगे।

दो–एक बात वर्मा जी ने कही थी। एक तो यह कि हमारे जो कम्प्लेन्ट सेल है वह करता क्या है ? सजा वजा देता है। मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि 1976-77, 1977–78 में जिन आदमियों को निन्दित, दंडित किया गया 119 थे, 1978-79 में 127। कम्प्लेन्ट सेल और टेक्निकल सेल जो है वह तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। उसी तरीके से 1976–77 में 23, 1977–78 में 22 और 1978–79 में 16 को दंडित किया गया। जिन लोगों पर धन निकला उनकी वसूली की गयी आडिट सेल की इजाजत पर वह 1976–77 में 15.34 लाख, 1977–78 में 3.95 लाख और 1978–79 में 2.7 लाख के आदेश दिए गए। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर, कहीं–कहीं यह कह दिया कि भ्रष्टाचार का यह पर्यायवाची है। ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसी होता तो कोई भी चीज बनी हुई दिखाई न देती। 2–4 प्रतिशत लोग भ्रष्ट होंगे उसके लिए तमाम डिपार्टमेंट को भ्रष्ट कह देना उचित नहीं होगा। जो भ्रष्ट हैं उन पर कानूनी कार्यवाही, निन्दित दंडित करने की कोशिश की जाती है। सर्विस से भी निकाले जाते हैं। फिर भी जहाँ तक मैं समझता हूं जिले के लेविल पर ही जहाँ गिट्टी, रोडी ईंटा लगता है, यह है। इसलिए समिति बना दी गयी, उसको अधिकार है, उसके चेयरमैन एम0एल0ए0/एम0एल0सी0 होंगे, उन्हें मीटिंग लगाने का अधिकार होगा। सरकारी गाड़ी लेकर इंजीनियर्स साथ रहेंगे। थोड़ा-थोड़ा आप सब लोग देखेंगे तभी यह होगा कि भ्रष्टाचार आपके जिले में समाप्त हो।

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

आपकी जिले में समिति है। उसका अध्यक्ष कौन होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं। यह तो बता चुके हैं।

श्री देव बहादुर (जिला नैनीताल)—

जिले में स्थिति दूसरी है। जो इनविटेशन जाता है, इंजीनियर्स संचालित करते हैं, वही प्रोसाइड करते हैं।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

यह नियमावली बनी थी, हाउस में पेश की थी। सभी विधायकों को भी भेजी गयी थी। माननीय देव कुमार जी ने शायद पढ़ा नहीं होगा उसमें तमाम रूल्स रेगूलेशन्स हैं। सभी चीजें उसमें हैं। उनमें कोई कमी नहीं छोड़ी गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

जो मिट्टी पड़ती है इरीगेशन डिपार्टमेन्ट में और पी0डब्लू0डी0 डिपार्टमेंट में, कच्ची मिट्टी के रोड में फर्क बताया गया था। पी0डब्लू0डी0 का हो या इरीगेशन का हो, 2 रुपए घन मीटर है। इसमें कोई अन्तर नहीं है चाहे सिंचाई विभाग हो या चाहे पी0डब्लू0डी0 ही दोनों में रेट एक हैं। मैंने इरीगेशन से पूछवाया तो पता चला कि दोनों के रेट बराबर हैं।

एक बात और कही गयी सेवा नियमावली के बारे में। आज तक, यह सही है कि पी0डब्लू0डी0 डिपार्टमेन्ट की कोई सेवा नियमावली इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स, ओवरसियर्स के लिए नहीं बनाई गयी थी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसी वर्ष सेवा नियमावली तैयार हो गयी है, प्रकाशित हो जायगी।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब इसमें ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। एस0 ई0 तक लोग पहुंच जाते है लेकिन उनकी सर्विसेज स्थायी नहीं हैं तो इस तरफ मैंने आते ही प्रयास किया है कि यह नियमावली बनाई जाय ता कि सर्विस की श्योरिटी आदि चीजें हो सकें। एक दूसरी बात चरित्र पंजिका के सम्बन्ध में कही गयी। तो यह ऐसे ही रहेगी जो ऊपर के अधिकारी हैं उन्हीं के हाथ में चरित्र-पंजिका रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो मैं समझता हूं कि कन्ट्रोल खत्म हो जायगा। एक बात मैं इसके लिए कहूंगा कि इस पर अंकुश है, जो आपकी समिति है वह 12 महीने लगातार रिपोर्ट देगी और उसमें अच्छ बुरे की पहचान लिखी जायगी कि कौन इंजीनियर या ओवरसियर अच्छा है। अगर कोई अफसर किसी की इन्टरी खराब करता है तो जो समिति की रिपोर्ट है वह उसकी मदद करेगी अगर उसकी रिपोर्ट अच्छी है तो अधिकारी की रिपोर्ट बोगस मानी जायगी कि सही नहीं है। समिति की जो रिपोर्ट आती है वह मुख्य अभियन्ता और शासन, दोनों जगह पर उसका अध्ययन होता है। अगर कोई कमी पाई जाती है, जैसा बस्ती के सम्बन्ध में बात है कि वहाँ इंजीनियर ने विधायक से कहा कि पूछने का अधिकार नहीं है तो जैसे ही पता लगा और रिपोर्ट की समीक्षा हुई तो फौरन एक्सप्लेनेशन उस इंजीनियर से काल हो गया कि क्यों न सस्पेण्ड कर दिया जाय? उन्होंने विधायकों से कैसे कह दिया कि उनको अधिकार नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट)

तो ऐसी बात नहीं है कि उस कमेटी को फर्जी बनाया है। विधायक, भ्रष्टाचार को रोकने में, काम कराने में, डिपार्टमेन्ट की मदद करने में सब तरीके से विधायक सक्षम है। अगर थोड़ा सा इन्टरेस्ट लेकर काम करें तो काफी हद तक समस्यायें हल हो जायेंगी। जो समितियाँ बनी है ऐसा भी होता है कि एक विधायक पहुंचता है, दो विधायक पहुंचते हैं, तो विधायकों को उसमें समय देना चाहिए। असेम्बली में बैठकर कहते है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाय तो सम्भव नहीं है। विधायकों को जाना चाहिए और जानकारी करनी चाहिए कि सड़क का पैसा कितना है, कितना खर्च हुआ, क्योंकि जिलों का जो पैसा जाता है उसका एक हिसाब होता है, कोई बनिए का खाता नहीं है। विधायक लोग मीटिंग में रहें और सब बातों का पता लगायें। एक बात और कही गयी कि डिजाइन और सर्वे दो विभाग हैं उसमें कुछ लोगों को रखा जाता है, और उसमें फेवरिटिज्म होता है, तो ऐसी बात नहीं है। सर्वे और डिजाइन में जो लोग रहते है उनको 2–3 साल बाद हर एक को बदलते रहते हैं।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में कहना चाहता हूं कि वह तो हिल डेवलपमेंट बोर्ड में आता है इसलिए सड़कों पर हमारे यहाँ विचार नहीं होता है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, योजना नं0 4 में जो सड़कें बनी हैं उनको नं0 2 और 3 में क्या मन्त्री जी लेने की कोशिश करेंगे।

श्री त्रिलोक चन्द––

इसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही कह दिया है कि लेंगे ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)––

मान्यवर, हम लोग दारुलशफा से विधान भवन आते हैं तो सड़क को पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए क्या मन्त्री जी सड़क पर ओवर-ब्रिज या रास्ता पार करने की और कोई अच्छी व्यवस्था करेंगे जिससे हम लोगों के जान की रक्षा हो सके ?

श्री त्रिलोक चन्द––

मान्यवर, इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)––

मान्यवर, मलिहाबाद क्षेत्र में जो सड़कें बन रही हैं और जो काकोरी शहीद स्मारक के लिए बजट पास किया गया है तो वहाँ सड़क पर ईंट और रोड़ा बिछा है लेकिन सड़क पूरी नहीं बनी है। इसलिए क्या मन्त्री जी बरसात के पूर्व उसको बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द––

इसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं जानना चाहता हूं कि हम लोग जो इस सदन में बैठते हैं तो दूसरा विधान भवन बनाया जाय इस पर क्या कभी विचार हुआ है ?

(मन्त्री जी ने जवाब नहीं दिया ।)

(व्यवधान)

श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)––

मान्यवर, जितने राष्ट्रीय तीर्थ स्थान हैं वहाँ के लिंक रोडों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जायेगा। तो क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि अयोध्या–दर्शन नगर रोड जो 3 किलोमीटर है उसको बनवायेंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द––

अभी तक तो पैसा ही नहीं था और अब बजट पास हो जायेगा तो पैसा दे दूंगा।

मान्यवर, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो माननीय सदस्यों के सुझाव हैं उनका पूरी तरह से पालन करूंगा और मान्यवर, जो श्री वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे वह वापस लेने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा ––

मान्यवर, मेरी तो इच्छा हो गयी थी कि मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूं लेकिन मेरे पास के मित्र मुझसे कह गये हैं कि मैं अपने प्रस्ताव को वापस न लूं। इसलिए मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29––सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 84,17,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43---सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43--- सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 80,05,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75--- सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,35,82,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76--- सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,47,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77--- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,40,90,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78––सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,33,62,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,59,36,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83––सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,63,48,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,70,51,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 107––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 107--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,13,09,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज चार सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री श्रीनारायण की लखनऊ नगर में बिजली की खराबी के कारण जल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इसको मैंने स्वीकार किया।

श्री मौजी लाल कुरील की सूचना जनपद कानपुर के अन्तर्गत ग्राम चौराह में निकाली जा रही बालू व मौरंग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इसे मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया। शेष श्री गुरु प्रसाद शास्त्री और श्री बीरेन्द्र चतुर्वेदी की सूचनायें मने अस्वीकार कर दीं।

इसमें 7 जून को माननीय मन्त्री जी वक्तव्य देंगे।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
30 मई, 1979 ई0

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'क'

(देखिए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 950 पर)

### माँग-पत्र

---

1—म्युनिसिपल एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालजों को वेतन वितरण व्यवस्था में लिया जाना ।

2—पर्वतीय विकास भत्ता ।

3—महाविद्यालयों के शिक्षकों की अंशदायी भविष्य निधि की दरों को विश्वविद्यालय के अनुसार करने के सम्बन्ध में अथवा जो अंशदायी भविष्य निधि का लाभ न लेना चाहे उन्हें पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा शासकीय कर्मचारियों के समान दिया जाना ।

4—वर्तमान वेतनमान में 1,300 रु0 पर लगाये गये अवरोध के लिए मूल्यांकन समिति में एक शिक्षक प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाने तथा विवाद की स्थिति होने पर अन्तिम निर्णय कुलपति द्वारा किया जाना ।

5—सेवाकाल के आधार पर वेतन वृद्धियाँ देना ।

6—शारीरिक शिक्षा निर्देशकों के वेतनमान के सम्बन्ध में ।

7—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टीचर फैलोशिप योजना के अन्तर्गत गये शिक्षकों को तथा उच्च अध्ययन के लिए विदेश गये शिक्षकों को वेतन वृद्धि देना ।

8—दिसम्बर, 1974 तक रीडर्स/सीनियर लैक्चरर्स को नये वेतनमान में रु0 1,100 पर निर्धारण किया जाना ।

9—पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में सुधार ।

10—गैर शिक्षक कर्मचारियों के मानक निर्धारण करना ।

11—प्रबन्ध समितियों को वैधानिक संगठन बनाना ।

12—निलम्बन की अवधि निश्चित करना ।

13—बी0पी0एड0 के शिक्षकों को बी0एड0 के शिक्षकों के समान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वेतनमान देने पर विचार ।

14—कार्डियोग्राफर को नवीन वेतनमान दिया जाय ।

15—बी0एम0बी0 कालेज, राठ, हमीरपुर के अवैधानिक तरीकों से निकाले गये शिक्षकों को पुनः सेवा में लेने पर विचार ।

16—विश्वविद्यालय की कार्य कारिणी परिषद् में निर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधि देना ।

17—महाविद्यालय के शिक्षकों को मकान भत्ता, चिकित्सा सुविधा एवं शहर प्रतिकर भत्ता देना ।

18—1974 से सन् 1977 तक के परीक्षा कार्यों के लिए पारिश्रमिक के बकाया धन का भुगतान ।

19—शिक्षको को आवासीय सुविधा में वृद्धि देना ।

20—3,000 से अधिक संख्या वाले कालेजों के लिए शासकीय मानकों में परिवर्तन या छोटी इकाइयों में विघटित होने की सुविधा ।

21—शोध सुविधायें बढ़ाना ।

22—प्रशासनिक एवं छात्र कल्याण योजनायें विश्वविद्यालय के अनुसार लागू करना ।

23—प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय सुविधायें बढ़ाना ।

24—विशेष अनुदान की व्यवस्था ।

25—लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने पर विचार ।

26—फैक्ल्टी इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों के स्थान पर विधिवत् नियुक्त शिक्षकों का एक पूल बनाने एवं अधिनियम तथा परिनियम में संशोधन कर नविनर्मित नियुक्तियों में नियुक्त करना।

27—पुस्तकालयाध्यक्षों को यू0 जी0 सी0 वेतनमान देना।

28—पुस्तकालयाध्यक्षों को नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रख कर पदानुसार वेतनमान देना।

29—डिमान्सट्रेटर्स की पदोन्नति प्रवक्ता पद में करना।

30—सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा पारिश्रमिक की दरें समान करने पर विचार।

31—परीक्षा सम्बन्धी पेपर बनाने आन्तरिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा आदि सभी का पारिश्रमिक देने पर विचार।

32—एक ही कालेज में स्नातकोत्तर विभाग में कार्यरत शिक्षकों का नवीन वेतनमान में स्नातक विभाग में कार्यरत शिक्षकों से कम पर निर्धारण होने से उत्पन्न स्थिति पर विचार।

33—एक कालेज से दूसरे कालेज में नियुक्त होने पर वेतन वृद्धि की तिथि न बदलने पर विचार।

34—पं0 नेहरू कालेज, बांदा को भविष्य निधि की बकाया राशि को जमा करना।

35—डी0एस0एम0 कालेज, काँठ (मुरादाबाद) की निम्न समस्याओं पर विचार—

(अ) सन् 1966 से सन् 1973 तक का बकाया भविष्य निधि का भुगतान।

(आ) नवीन वेतनमान के एरियर का भुगतान।

(इ) ब्वायज फण्ड तथा मेन्टीनेंस की समस्याओं पर विचार।

36—डी0ए0वी0 कालेज, लखनऊ की समस्याओं पर विचार।

37—किसान महाविद्यालय, बस्ती में साधिकार नियन्त्रक के नियुक्ति पर विचार।

38—कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के लिए अलग बोर्ड आफ स्टेडीज में डीन तथा कन्वीनर बनाया जाय।

39—डीन आदि सभी वरिष्ठता क्रम से होने वाली नियुक्तियों में जहाँ तक नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उससे आगे वाले शिक्षकों को नियुक्त किया जाय।

40—कालेजों में नियुक्ति में चयन समिति में प्राचार्य प्रतिनिधि के रूप में उसी विषय का अध्यापक वरिष्ठता क्रम में रखा जाय।

41—प्रबन्ध समितियों में 25 प्रतिशत शिक्षक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सभी महाविद्यालयों में की जाय।

42—नयी योग्यतायें आने से पूर्व चयनित शिक्षकों को कालेज बदलने पर नई अर्हताएं लागू न करने पर विचार।

43—सन् 1966 के वेतनमान में समान वेतन क्रम वाले पदों में कालेज बदलने पर पूर्व पद का लाभ नवीन वेतन निर्धारण में देने पर विचार।

44—बी0एड0 कक्षाओं में नियुक्तियाँ खोलने पर विचार।

45—नवीन सृजित पद या रिटायर्ड शिक्षकों के स्थान पर अनावश्यक विलम्ब से सरलीकरण का अनुमोदन मिलने पर विचार।

---

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 29 (4) के तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 960 पर]

| (अ) परियोजना का नाम | चालू परियोजनायें | | नई परियोजनायें | कुल | वर्ष 1978-79 में निर्माण कार्यों पर व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| | पंचम पंचवर्षीय योजना से पूर्व | पंचम पंचवर्षीय योजना की परियोजनायें | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | (लाख रुपयों में) | | | |
| जलोत्सारण | 24.20 | 77.61 | 435.53 | 537.34 | 72 |
| तटवर्तीय बाँध | 24.38 | 488.94 | 1939.61 | 2452.93 | 470 |
| नगर सुरक्षा कार्य | 26.98 | 109.75 | 3499.69 | 3636·42 | 63 |
| नदी सुधार एवं कटाव निरोधक कार्य | 20.82 | 184.03 | 986.38 | 1191.23 | 156 |
| योग | 96.38 | 860.33 | 6861.21 | 7817.92 | 761 |

| वर्ग | कुल लक्ष्य | वर्ष 78–79 में उपलब्धि (सम्भावित) |
|---|---|---|
| (ब) भौतिक लक्ष्य | | |
| नाले (कि0मी0) | 348 | 19 |
| तटवर्तीय बाँध (कि0मी0) | 835 | 44 |
| नगर रक्षा कार्य (सं0) | 20 | 1 |
| लाभान्वित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर्स) | 4.24 | 0.46 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए ताराँकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 968 पर)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रदेश के शिक्षा मन्त्री श्री कैलाश नाथ सिंह जी की सेवा में प्रस्तुत माँग-पत्र

माँगे

1—मूल्य सूचकांक की वृद्धि एवं विषमताओं के परिपेक्ष्य में वेतन आयोग की स्थापना अविलम्ब होनी चाहिए। समान कार्य के लिए समान सुविधायें इस आयोग का मार्ग-दर्शक सिद्धान्त होना चाहिए। शासन से निवेदन है कि वह आयोग के गठन एवं संस्तुति तक 200 रुपए प्रतिमास प्रति शिक्षक अन्तरिम सहायता प्रदान करे।

2—प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण किया जाय।

3—सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासन द्वारा प्रदत्त पेंशन समानता के लिए हम शासन को साधवाद देते हैं किन्तु इस सन्दर्भ में पूर्ण समानता के सिद्धान्त का पालन नहीं हुआ है। अतएव परिवार पेंशन, कम्यूटेशन एवं अन्य मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा का लाभ प्रदान किया जाय, तथा पेंशन हर प्रकार की समानता (राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के बीच) को सुनिश्चित किया जाय। अवकाश प्राप्ति पर तुरन्त तदर्थ पेंशन एवं तीन माह में नियमित पेंशन की व्यवस्था की जाय तथा पेंशन का भुगतान वेतन बिल के साथ प्रति माह किया जाय।

4—प्रत्येक मास की पहली तिथि को वेतन भुगतान की प्रभावी व्यवस्था की जाय।

5—हड़ताल अवधि के वेतन का नकद भुगतान किया जाय।

6—सामान्य भविष्य निधि की धनराशि स्टेट बैंक में स्थानान्तरित कराकर वर्ष में एक बार प्रत्येक खातेदार को उसकी जमा राशि के प्रमाण-पत्र की अनिवार्य व्यवस्था की जाय। प्रत्येक खातेदार की पास-बुक बनाई जाय और स्वेच्छा या अतिरिक्त कटौती अथवा राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निधि के नियोग की सुविधा दी जाय। वेतन समानता के दिनाँक से पूर्व का प्रबन्धकीय अंश वापस न लिया जाय क्योंकि उस कालावधि में अध्यापक अनेक सुविधाओं से वंचित थे।

7—सेलेक्शन ग्रेड के लिए सी0टी0 वेतनक्रम में कम से कम 10 अध्यापकों की संख्या प्रवक्ता एवं स्नातक वेतनक्रम की भांति 6 निर्धारित की जाय तथा प्रवक्ता वेतनक्रम में भी सेलेक्शन ग्रेड 1 अक्तूबर, 1975 से लागू किया जाय। वेतनक्रम के अन्तिम सोपान पर पहुंच जाने वाले प्रत्येक अध्यापक के लिए सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जाय।

8—भ्रष्ट प्रबन्ध समितियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित कार्यवाही ज्ञाप बनाया जाय और कुख्यात समितियों का अविलम्ब अधिग्रहण किया जाय।

9—माध्यमिक शिक्षा परिषद् का पारिश्रमिक कार्य सेवा ज्येष्ठता के अधार पर दिया जाय तथा 90 प्रतिशत कार्य माध्यमिक शिक्षकों के लिए सुरक्षित रहे। और बिना भेदभाव के सभी कक्ष निरीक्षकों को 5.00 प्रति पाली पारिश्रमिक दिया जाय तथा इसी परिपेक्ष्य में केन्द्र व्यवस्थापक तथा सह केन्द्र व्यवस्थापक का पारिश्रमिक बढ़ाया जाय।

10—असहायता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता तिथि से ही सहायता सूची में लिया जाय तथा भविष्य में मान्यता के साथ सहायता दी जाय।

11—विज्ञान प्रदर्शकों के वेतन निर्धारण में हुए अन्याय को दूर किया जाय। 1964 से 1971 के बीच नियुक्त ऐसे सभी शिक्षकों को अग्रिम वेतन वृद्धियाँ जोड़कर वेतन निर्धारण पुनः किया जाय।

12—अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा अन्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की तरह सुनिश्चित की जायं।

13—इण्टर कक्षाओं को क्राफ्ट, संगीत, व्यायाम, कला, वाणिज्य आदि पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रवक्ता वेतनक्रम दिया जाय ।

14—न्यूनतम योग्यताधारी व्यायाम शिक्षकों के लिए एल0 टी0 वेतनक्रम की व्यवस्था पुनः प्रारम्भ की जाय ।

15—बी0 एड0 विद्यालयों में प्रवेश एवं शिक्षकों के रूप में नियुक्त के लिए शिक्षकों के पुत्र/पुत्रियों को वरीयता दी जाय ।

16—देश भ्रमण हेतु शिक्षकों को वर्ष में एक बार निश्चित सुविधाएं प्रदान की जावें।

17—जूनियर हाई स्कूल की प्रस्तावित परीक्षाओं में उचित पारिश्रमिक दिया जाय। और 90 प्रतिशत कार्य जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों को दिया जाय ।

18—पदोन्नति हेतु पूर्व सेवा में 5 वर्ष के अनुभव सम्बन्धित प्राविधान को समाप्त किया जाय ।

19—चिकित्सा सुविधा, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, अवकाश, नकदीकरण, भवन निर्माणार्थ कर्ज, वाहन कर्ज आदि की सारी सुविधायें तुरन्त प्रदान की जायं ।

20—जिला परिषदीय, सी0 पी0 टैक्स तत्काल समाप्त किया जाय ।

21—शिक्षक पाल्यों को विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्कता की सुविधा प्रदान की जाय तथा वह सुविधा अवकाश प्राप्त व मृत शिक्षकों के पाल्यों को भी दी जाय ।

22—स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू किया जाय ।

23—बुन्देलखण्ड तथा मिर्जापुर को विशेष परिस्थितियों में पर्वतीय क्षेत्र घोषित किया जाय ।

24—जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक को अर्ह होने पर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में उच्चीकृत होने का अवसर प्रदान किया जाय ।

25—माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में प्राइमरी कक्षाओं की अध्यापक/अध्यापिकाओं का वेतनमान 195—275 रु0 में अविलम्ब निर्धारित किया जाय तथा इनको सी0 टी0 में स्वतः पदोन्नति की सुविधा दी जाय ।

26—इण्टर, बी0टी0सी0 अध्यापकों को 1974 से ही सी0 टी0 वेतनक्रम प्रदान किया जाय। जिससे इसी योग्यता वाले बाद में नियुक्त शिक्षकों से इनको ज्येष्ठता प्रभावित न हो ।

27—पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों का अधिग्रहण होने पर शिक्षकों को सभी प्रकार के प्रतिबन्धनों से छूट दी जाय।

28—इण्टर कक्षाओं के एम0एससी0 विज्ञान प्रदर्शकों को प्रवक्ता ग्रेड दिया जाय तथा भविष्य में प्रदर्शकों की नियुक्तियाँ न करके केवल प्रवक्ताओं की नियुक्तियाँ की जाय ।

29—इण्टर विज्ञान कक्षाओं में शिक्षणेत्तर विज्ञान प्रदर्शकों को इण्टर विज्ञान प्रयोगात्मक विषयों का परीक्षक नियुक्त किया जाय ।

30—ग्रामीण व नगर का भेदभाव मिटाकर सभी शिक्षकों को आवास भत्ता दिया जाय ।

31—30 जून, 1974 से 28 फरवरी, 1978 के बीच सेवा नियुक्त शिक्षकों को प्रबन्धकीय एवं शासकीय अंशदान जमा करने हेतु विवश न करके उसे उनको प्राप्त होने वाली पेंशन की धनराशि में समायोजित किया जाय ।

32—जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्वानुमति बिना निलम्बन न लिया जाय ।

33—मृतक अध्यापक/अध्यापिकाओं के पाल्यों को योग्यतानुसार बिना चयन के नियुक्त प्रदान किया जाय ।

पी0एस0यू0पी0—एल0 223 वि0सभा—(354)—1980—8351